Friday, 20th March, 1987

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

आठवां सत्र

(आठवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय सूची

अष्टम माला, खंड 25, आठवां सत्र, 1987/1908 (शक)

अंक 18, शुक्रवार, 20 मार्च, 1987/29 फाल्गुन 1908 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1—20
*तारांकित प्रश्न संख्या : 328, 330, 331, 334, 337 और 338	1—17
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	21—96
तारांकित प्रश्न संख्या : 325 से 327, 329, 332, 333, 335, 336 और 339 से 344	21—27
अतारांकित प्रश्न संख्या : 3530 से 3615 और 3618 से 3653	27—96
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	100—104
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति	104
संविधान (चौवनवां संशोधन) विधेयक, 1986	104
सभा का कार्य	104—108
कारखाना (संशोधन) विधेयक	109—121
विचार करने के लिए प्रस्ताव	109
श्री पी० ए० संगमा	109
खंड 2 से 46 तथा 1	118
संशोधित रूप में पारित करने के लिए प्रस्ताव	118
श्री पी० ए० संगमा	118
श्री विजय कुमार यादव	121—140
सिने-कर्मकार कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक	121
विचार करने के लिए प्रस्ताव	121
श्री पी० ए० संगमा	121
श्री श्याम लाल यादव	124
प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत	127
डा० सुधीर राय	127
श्री गिरधारी लाल व्यास	130
श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर	130
डा० गौरीशंकर राजहंस	132
श्री ए० सी० षण्मुखम	135
श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही	137
श्री विजय कुमार यादव	140

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा उसी ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	141
इकतीसवां प्रतिवेदन	141
आर्थिक नीतियों के बारे में संकल्प	141—174
श्री शान्ति धारीवाल	141
श्री अनादि चरण दास	143
श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव	148
श्री वी० एस० कृष्ण राव	151
प्रो० एन० जी० रंगा	152
डा० गौरी शंकर राजहंस	155
श्री अजय विश्वास	157
श्री मनोज पांडे	160
श्री उमाकांत मिश्र	164
श्री ए० सी० षण्मुखम	169
श्री चिंतामणि जेना	172

लोक सभा

शुक्रवार, 20 मार्च, 1987/29 फाल्गुन, 1908 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी : आज शुक्रवार का दिन है।

अध्यक्ष महोदय : यह तो आपके सोचने की बात है ।

[अनुवाद]

श्री एच० बी० पाटिल—अनुपस्थित हैं ।

[हिन्दी]

लो यह भी शुरू हो गया है काम ।

[अनुवाद]

श्री सैयद शहाबुद्दीन—अनुपस्थित हैं ।

श्री चिरंजीलाल शर्मा—अनुपस्थित हैं ।

श्री आर० एम० भोये—अनुपस्थित हैं ।

श्री ई० अय्यपु रेड्डी ।

श्री ई० अय्यपु रेड्डी : प्रश्न संख्या 328 बोनस के रूप में एक और पूरक प्रश्न पूछने दिया जाना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे ।

जेल सुधार

[अनुवाद]

*328. **श्री ई० अय्यपू रेड्डी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जेलों में सुधार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या बच्चों के लिए अलग जेलें बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दाण्डिक कानूनों को लागू करने के लिए एक समान जेल संहिता तैयार की जायेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जेलें राज्य का विषय होने के कारण जेलों में सुधार करना राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों का कार्य है।

(ख) केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को जेलों में बच्चों को अन्य व्यस्क अपराधियों के साथ न रखने और बाल अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने की सलाह दी है। किशोर अपराधियों के लिए जेल भवनों हेतु राज्य के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता भी दी गई है।

(ग) तथा (घ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। फिर भी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को परिचालित की गई आदर्श जेल संहिता के समनुरूप बनाने हेतु उन्हें अपनी जेल संहिताओं को अद्यतन और संशोधित करने की सलाह दी गई थी।

श्री ई० अय्यपू रेड्डी : अध्यक्ष महोदय, उत्तर से मुझे आघात लगा है।

अध्यक्ष महोदय : शायद बिजली का आघात लगा है।

श्री एच० ए० डोरा . केवल मानसिक आघात लगा है।

श्री ई० अय्यपू रेड्डी : अखिल भारतीय जेल सुधार समिति, 1980-83 की रिपोर्ट जो कि दो बड़े खंडों में है, हमारे एक बड़े विधिवत्ता श्री ए० एम० मुल्ला ने तैयार की है। इसका प्रकाशन गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया है। उन्होंने जेल सुधारों के हर पहलू पर विचार करके, हर पहलू के सम्बन्ध में 658 सिफारिशें की हैं। उत्तर में श्री ए० एन० मुल्ला की अध्यक्षता में अखिल भारतीय जेल सुधार समिति की रिपोर्ट का कोई उल्लेख नहीं है। क्या सरकार को इसकी जानकारी है ? क्या सरकार ने इसका अध्ययन किया है ? क्या उन्होंने रिपोर्ट को मंजूर कर लिया है ? इन रिपोर्टों पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है ? क्या आपको इसकी जानकारी है ? क्या किसी ने इन दो खडों और सिफारिशों का अध्ययन किया है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है ? इन रिपोर्टों को तैयार करने में अखिल भारतीय जेल सुधार समिति ने कितनी धन राशि खर्च की ?

श्री सी० माधव रेड्डी : जनराशि सरकार खर्च कर रही है।

श्री ई० अय्यपू रेड्डी : सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

अध्यक्ष महोदय : उन्हें जवाब देने दीजिए। अन्यथा लोक लेखा समिति के सभा पति के रूप में मैं इसे आपको सौंप दूंगा।

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय हमें पता है कि न्यायमूर्ति ए० एन० मुल्ला समिति, जिसे अखिल भारतीय जेल सुधार समिति भी कहा जाता है, ने एक विस्तृत और व्यापक रिपोर्ट दी है। हम जानते हैं कि समिति ने जेल प्रशासन के सभी पहलुओं के सम्बन्ध में विस्तार से 658 सिफारिशें की है। जेल राज्य का मामला है इसलिए इन सिफारिशों को राज्य सरकार द्वारा लागू किया जाना चाहिए।

माननीय सदस्य जानना यह चाहते हैं कि हमने क्या किया है। हमने निम्नलिखित किया है।

इस रिपोर्ट के मिलने के बाद हमने उसमें दी गई सिफारिशों को राज्य सरकारों के पास

भेज दिया और उनसे अनेक उपाय करने के लिए कहा। राज्य सरकारों ने कार्यकारी दलों का गठन किया है और इन सिफारिशों को मानने या रद्द करने के सम्बन्ध में निर्णय लिए हैं अगर माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि राज्य सरकारों के नाम क्या हैं तथा उन्होंने कौन सी सिफारिशों को स्वीकार या रद्द किया है तो मैं उनका ब्योरा दे सकता हूं। मैं उस राज्य से शुरू करता हूं जिसका प्रतिनिधित्व माननीय सदस्य करते हैं। प्राप्त सूचना के अनुसार आन्ध्र प्रदेश ने 208 सिफारिशों को स्वीकार किया है और 12 को रद्द और हमें बताया है कि 7 पर विचार किया जा रहा है। मैं आन्ध्र प्रदेश से लेकर संघ शासित प्रदेश पांडिचेरी के बारे में सूचना दे सकता हूं। पर मेरा विश्वास है कि माननीय सदस्य यह सब जानना नहीं चाहते।

सिफारिशों को स्वीकार करने वाले राज्यों में से केरल है जिसने 570 सिफारिशों को स्वीकार किया है, 58 को रद्द किया है और 9 पर विचार कर रही है। मध्यप्रदेश ने 485 सिफारिशों को स्वीकार किया है, 21 को रद्द किया है और 67 पर विचार किया जा रहा है। राजस्थान ने 479 सिफारिशों को स्वीकार किया है, 23 को रद्द किया है और 60 पर विचार किया जा रहा है। महाराष्ट्र ने 530 सिफारिशों को स्वीकार किया है 55 को रद्द किया है और 42 पर विचार किया जा रहा है।

माननीय सदस्य के इस सन्देह को कि हमें जेल सुधार समिति की रिपोर्ट की जानकारी नहीं है। दूर करने के लिए यह काफी है।

श्री पी० कुलनदईवेलु : तमिलनाडु की क्या स्थिति है ?

श्री पी० चिदम्बरम : तमिलनाडु ने बहुत बढ़िया किया है। उसने 442 सिफारिशों को मन्जूर किया है। 120 को रद्द किया है और 22 पर विचार किया जा रहा है।

माननीय सदस्य से मेरा अनुरोध है कि वह तमिलनाडु में जाकर राज्य सरकार से कहें कि शेष 200 सिफारिशों के बारे में भी निर्णय लिया जाए। हम इसकी समय-समय पर जांच करते रहते हैं।

दूसरा पहलू आदर्श जेल नियम पुस्तिका के बारे में है। हमने उक्त एक पुस्तिका तैयार की है और राज्य सरकारों के पास भेजी है।

आंध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु ने आदर्श जेल नियम पुस्तिका के उपबंधों को शामिल कर लिया है।

अन्य राज्य अपनी-अपनी आदर्श जेल नियम पुस्तिकाओं में संशोधन कर रहे हैं। हम उन्हें सलाह दे रहे हैं। हम उनसे बार-बार अनुरोध कर रहे हैं कि वे अपने जेल नियम पुस्तिकाओं में संशोधन करें। मैं हर सिफारिश का ब्योरा दे सकता हूं।

श्री ई० अय्यपु रेड्डी : दंड संबंधी नियम सारे देश में एक से है और जेल की सजा या जेल सुधार दंड कानून को कार्यान्वित करने के ही हिस्से हैं। यह कहना ठीक नहीं है कि "जेल और जेल सुधारों से हमारा कुछ संबंध नहीं है। यह राज्य का विषय है।" यह समवर्ती सूची के अन्तर्गत आता है। दंड सबंधी कानून समवर्ती सूची के अन्तर्गत आते हैं। दण्ड संहिता केन्द्रीय कानून है और जेल संबधी सुधार दंड संहिता के ही हिस्से हैं।

क्या केन्द्रीय सरकार ने सभी राज्य सरकारों का एक सम्मेलन बुलाया है।

क्या सरकार ने मुल्ला समिति की सिफारिशों या मूलभूत न्यूनतम आवश्यकताओं को अन्तिम रूप दे दिया है और राज्यों के समक्ष कौन सी कठिनाइयां आईं ?

क्या मुल्ला समिति की सिफारिशों को लागू करने में वित्तीय कठिनाइयां हैं जिनका हम सामना कर रहे हैं, या सैद्धांतिक तौर पर कुछ और मतभेद हैं। कुछ राज्य कह सकते हैं "सभी सुधारों को लागू करने के लिए हमारे पास वित्तीय साधन नहीं हैं।" लेकिन केन्द्र सरकार इन राज्यों की सहायता करने की स्थिति में जरूर होगी।

खासकर बिहार की जेलों में व्याप्त स्थिति की ओर उच्चतम न्यायालय का ध्यान गया है। माननीय मंत्री इस बारे में जानते हैं।

इसलिए क्या सरकार जेल सबंधी सुधारों में एकरूपता लाने के लिए सभी राज्य सरकारों का सम्मेलन बुलाने पर विचार कर रही है ?

श्री पी० चिदम्बरम : माननीय सदस्य ने तेज गेंदबाज की तरह शुरू किया था और अब मेरे ख्याल से, उन्होंने स्पिन गेंदबाज की तरह गेंद फेंकनी शुरू कर दी है। किसी दूसरे आयोग की सिफारिशों की जांच करने के लिए एक समिति की नियुक्ति करने जाने में हम विश्वास नहीं रखते। आयोग ने अनेकों सिफारिशें की हैं। हमने वे सिफारिशें राज्य सरकारों के पास भेज दी हैं।माननीय सदस्य अच्छी तरह जानते हैं कि "जेल" राज्य का विषय है। जेल संबंधी कोई भी सुधार राज्य सरकारों द्वारा किया जाना चाहिए। हम जेल संबंधी सुधारों का पूरा समर्थन करते हैं।

उदाहरण के लिए 1979 से 1985 तक जेल संबधी सुधारों के लिए 11 राज्यों को 48.31 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई।

1985 से 1989 के दौरान अनेक राज्यों को 137.56 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धन-राशि दी जाएगी।

जेल प्रशासन के नवीनीकरण के लिए हमें कुछ राज्यों से योजनाएं प्राप्त हुई हैं। इस कार्य के लिए हमने 1987-1990 के दौरान 50 करोड़ रुपए अलग रख छोड़े हैं 87-88 के बजट में हमने 15 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। मुद्दा यह है कि राज्यों को पहल करके इन संशोधनों को लागू करना चाहिए।

श्री ई० अय्यपू रेड्डी : क्या आपने कभी गृह मंत्रालय में राज्यों के साथ किसी सम्मेलन का आयोजन किया है।

श्री पी० चिदम्बरम् : इस उद्देश्य से सम्मेलन बुलाने में मेरा विश्वास नहीं है··· (**व्यवधान**)

प्रो० एन० जी० रंगा : क्या सरकार ने न केवल मंत्रियों बलिक विभिन्न राज्यों में स्थिति जेलों के अधीक्षकों का एक सम्मेलन बुलाया है और इस बात का निश्चित किया है कि इन सिफारिशों में से कितनी बड़ी कितनी छोटी, खाने से संबंधित सजा से संबधित सिफारिशों पर दो तीन सालों के दौरान पूरी तरह विचार विमर्श किया गया है या नहीं और अगर विचार विमर्श के बाद जरूरी हुआ तो एक वर्कशाप डवलपमेंट बनाया गया ताकि सरकार कैदियों के साथ मानवीय व्यवहार सुनिश्चित कर सके ? बहुत सालों से स्थिति में काफी सुधार नहीं हुआ है।

श्री पी० चिदम्बरम् : अगर सम्मेलन बुलाने से समस्याएं हल होती हैं तो हम सम्मेलन

बुला लेंगे। लेकिन सम्मेलन से समस्याएं नहीं सुलझेंगीं। समस्याएं राज्य सरकार द्वारा इन सिफारिशों पर विचार करके उन्हे कर्यान्वित करने से सुलझेंगी। (व्यवधान)

प्रो० एन० जी० रंगा : मुझे संदेह है कि मेरे माननीय मित्र को जेल का कोई अनुभव है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब वे दिन लद गए।

[हिन्दी]

श्री दिलीप सिंह भूरिया : अध्यक्ष महोदय, जैसे क्राइम बढ़ रहा है और क्राइम करने वाले लोग अधिक-से-अधिक जेल जाना चाहते हैं...

अध्यक्ष महोदय : जाना चाहते हैं कि भेजना पड़ता है।

श्री दिलीप सिंह भूरिया : जाते हैं, उसके अनुसार जेलों की वृद्धि होनी चाहिए वह नहीं हो पायी है। बीस आदमियों का जहां बैरक बना हुआ है, वहां पचास-सौ भर जाते हैं और बकरे की तरह भर जाते हैं। कई कैदी तो जेलों के अन्दर ही मर जाते हैं। क्राइम बढ़ रहा है तो कैदियों की भी वृद्धि हो रही है इसलिए आप अधिक-से-अधिक जेल बनाएं और उनको मानवीय सुविधाएं मुहैया कराने हेतु आप क्या करने जा रहे हैं, यह मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री पी० चिदम्बरम : हम माननीय सदस्य की चिंता हैं। हमारा विश्वास है कि जेलों में जिन समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है उनका मुख्य कारण भीड़ है। हमें न केवल और जेलें बनानी चाहिए बल्कि हमें बच्चों और स्त्रियों के लिए एक अलग किस्म की जेल अथवा एक अलग प्रकार का अभिरक्षा केन्द्र स्थापित करना चाहिए। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को बहुत पत्र भेजे हैं। प्रधान मंत्री ने 9 मई, 1985 को मुख्य मंत्रियों को लिखा था जिसमें जेलों में बच्चों की समस्याओं को प्रस्तुत किया गया था। हम इन सभी मामलों पर आगे कार्यवाही करते रहेंगे।

श्री दिनेश गोस्वामी : महोदय, माननीय मंत्री ने कहा है कि जेल सुधार कार्य राज्य का विषय है। अगर यह सच है तो क्या मैं जान सकता हूं कि संघ शासित क्षेत्रों में, विशेषकर दिल्ली में जहां पर आपका बहुत अधिक नियंत्रण हैं, कितनी सिफारिशों को स्वीकार किया गया है ताकि यह पता चल सके कि इन सिफारिशों को लागू करने में केन्द्रीय सरकार कितनी गंभीर है?

श्री पी० चिदम्बरम् : जहां तक दिल्ली का संबंध है, दिल्ली पंजाब जेल नियमावली का अनुसरण करती है। अब हमनें एक निर्णय लिया है कि – यह सही है कि पंजाब जेल नियमावली को पंजाब प्रशासन द्वारा संशोधित किया जा रहा है......

श्री एस० जयपाल रेड्डी : हम समझे थे कि यह तिहाड़ जेल नियमावलि का पालन करेगा

अध्यक्ष महोदय : मैंने सोचा यह आपके नियम हैं।

(व्यवधान)

श्री पी० चिदम्बरम : अब हमने एक निर्णय लिया है कि पंजाब जेल नियमावली का अंधाधुंध अनुसरण करने की बजाय, दिल्ली अपनी एक स्वतंत्र जेल नियमावली तैयार करे। मेरे ख्याल से गृह मंत्री ने इंगित किया है कि 15 अप्रैल तक उन्हें दिल्ली की स्थिति के अनुरूप पारित करना होगा। जहां तक अन्य संघ शासित क्षेत्रों का प्रश्न है, उदाहरण के तौर पर, गोआ, दमन

और वीव ने 587 सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है, 3 को अस्वीकार कर दिया है तथा 43 पर विचार किया जा रहा है। चण्डीगढ़ ने 147 को स्वीकार कर लिया है; 20 को अस्वीकार कर दिया तथा 30 पर विचार हो रहा है। मिजोरम ने 49 को स्वीकार कर लिया है, 2 को अस्वीकार कर दिया है। अंडमान और निकोबार ने 491 शिफारिशें स्वीकार कर ली हैं तथा 52 को अस्वीकार कर दिया है। (व्यवधान)

स्वीडन के साथ संयुक्त उद्यम

*330. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वीडन ने तीसरे विश्व के देशों को निर्यात के लिए संयुक्त उद्यमों में भागीदारी करके भारत के साथ द्विपक्षी व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ाने में अपनी रुचि दिखाई है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) स्वीडन के साथ हमारे व्यापार की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) संयुक्त उद्यमों के लिए यदि कुछ क्षेत्रों का पता लगाया गया है तो वे क्षेत्र कौन से हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) से (घ) भारत-स्वीडन संयुक्त आयोग के नई दिल्ली में अक्तूबर 1986 में आयोजित सातवें सत्र में, स्वीडन के प्रतिनिधिमंडल ने भारत को नई प्रौद्योगिकी के अन्तरण में तथा अन्य बातों के साथ साथ तीसरे देशों को भारतीय निर्यात बढ़ाने में भारत-स्वीडन औद्योगिक संयुक्त उद्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। भारतीय तथा स्वीडन दोनों पक्ष इस पर सहमत थे कि भारतीय तथा स्वीडन की कम्पनियों के बीच और आगे सहयोग बढ़ाने की तथा स्वीडन की कम्पनियों द्वारा और अधिक निवेशों की संभाव्यता का पता लगाने की पर्याप्त गुंजाइश है। इस संदर्भ में स्वीडन से प्रौद्योगिकीय अन्तर्विचार साधनों के लिए विशेष रूप से अभिज्ञात किए गए उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में शामिल है : दूरसंचार, हवाई तथा रेल परिवहन, हाइड्रोपावर, बिजली का पारेषण, इस्पात उत्पादन, भेषजीय पदार्थ तथा उद्योग में ऊर्जा का कुशल उपयोग।

भारत तथा स्वीडन के बीच व्यापार शेष नीचे दिया गया है :—

(करोड़ रु०)

	स्वीडन को निर्यात	स्वीडन को आयात	व्यापार शेष
1985-86	43.44	140.04	— 96.60
1986-87 (अप्रैल-सितम्बर)	21.97	140.88	—118.91
1985-86 (अप्रैल-सितम्बर)	17.47	63.93	— 46.46

डा० कृपासिंधु भोई : मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मंत्री महोदय ने एक विस्तृत उत्तर दिया है लेकिन उत्तर देते हुए, वे हाल में हुई घटनाओं को भूल गए हैं। दिसम्बर में, स्वीडन के विदेश

व्यापार मंत्री भारत आये थे । 9 दिसम्बर को 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में यह प्रकाशित हुआ है कि श्री शिव शंकर ने श्रीमती अनीता ग्रेडिन के साथ व्यापार संतुलन को और कम करने के लिए विस्तार से बातचीत की थी । इस संदर्भ में मैं जानना चाहूंगा कि क्या उसके बाद से कोई खरीद मिशन स्वीडन से भारत आया है जिसमें स्वीडन के आयातकर्ताओं का बड़ा डेलीगेशन भी सम्मिलित है जिसे इस वर्ष के शुरु में चमड़ा प्रदर्शनी को देखने के लिए आना था जिससे वे भारत से चमड़े में निर्यात वृद्धि की सम्भावनाओं का पता लगा सके और अगर आया है तो ऐसे शिष्टमंडल के भ्रमण के क्या परिणाम रहे, आर्डरों का ब्यौरा तथा किए गए समझौतों का विवरण तथा उनकी शर्तें क्या हैं ।

श्री पी० शिव शंकर : जो आर्डर मिले हैं उनका एक-एक करके ब्यौरा देना मेरे लिए संभव नहीं होगा । लेकिन तथ्य यह है कि स्वीडन के व्यापार मंत्री से मेरी मुलाकात के बाद तथा दोनों देशों के बीच व्यापार अन्तर को कम करने के उद्देश्य से सहमत होने के बाद, स्थिति कुछ बेहतर होती जा रही है जैसाकि माननीय सदस्य ने ठीक ही बताया है, कि इस वर्ष जनवरी में एक बड़ा शिष्टमंडल चमड़ा प्रदर्शनी हेतु मद्रास आया था और वे विभिन्न आर्डरों की बुकिंग के लिए तैयार हो गये हैं, और वास्तव में, मेरी जानकारी यह है कि उन्होंने कुछ आर्डर भी बुक किये हैं । जैसा कि मैंने बताया है कि विवरण मेरे पास उपलब्ध नहीं है । लेकिन, इसके अलावा, भारत से निर्यात करने के उद्देश्य से मेरे और स्वीडन के मंत्री द्वारा कतिपय चुनिंदा उत्पादों का भी पता लगाया गया था तथा कतिपय परम्परागत चीजों के लिए, जिनका हम स्वीडन को निर्यात करते रहे हैं, वे इस बात को सुनिश्चित करने के लिए सहमत हो गयी थी कि उनकी मार्किट में ये उत्पाद सरलता से उपलब्ध हों । ये उत्पाद सी-फुड, सूती वस्त्र, बैड लिनन, फर्निसिंगस, मेड-अपस, सिले-सिलाये वस्त्र, गलीचे, फर्नीचर, खेलकूद का समान तथा मूल्यवान और नकली जेवर हैं । ये विभिन्न मदें हैं । बैठक के परिणामों के बारे में भविष्यवाणी करना अभी जल्दबाजी होगा लेकिन मामलों पर समय समय पर नियन्त्रण किया जा रहा है ।

डा० कृपासिंधु भोई : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या जेनेवा ने हाल ही में स्वीडन की सहायता से भारतीय कुटीर उद्योगों के उत्पादों के विपणन के कार्यक्रम को लागू किया था । क्या दोनों देशों के व्यापारिक समुदायों के बीच अधिक परस्पर क्रिया तथा दोनों देशों के व्यापार को बढ़ाने के लिए मंत्री स्तर तथा अधिकारी स्तरों पर और अधिक बातचीत करने की आवश्यकता पर विचार किया गया है और यदि किया है तो इस संबंध में क्या प्रगति हुई है ।

श्री पी शिव शंकर : जेनेवा ? मैं प्रश्न को ठीक से समझ नहीं पाया हूं, लेकिन मैं सामान्य रूप से कहना चाहूंगा…

डा० कृपासिंधु भोई : आई०टी० सी०, जेनेवा ।

श्री पी० शिव शंकर : सामान्य रूप से मैं बताना चाहूंगा कि संयुक्त आयोग की अक्तूबर में हमारी बैठक के पश्चात् तथा बाद में मेरी और व्यापार मंत्री की वार्ताओं के बाद व्यापार बढ़ाने के संदर्भ में दोनों देशों के बीच सहयोग करने संबंधी स्थिति प्रशंसनीय रही है । इस स्थिति में मेरे पास इसके परिणामस्वरूप प्राप्त होने वाले आंकड़े उपलब्ध नहीं है लेकिन मुझे विश्वास है कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार बढ़ेगा ।

[हिन्दी]

चाय और काफी का उत्पादन

*33 . श्री शान्ति धारीवाल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चाय और काफी के निर्यात के लिए कोई सीमा निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके परिणामस्वरूप चाय और काफी का निर्यात अपेक्षाकृत कम होगा और उसका व्यापार संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का चाय और काफी के निर्यात के लिए निर्धारित कोटे में वृद्धि करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो कब तक और इसमें कितनी वृद्धि करने का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

[अनुवाद]

वाणिज्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) इस समय-चाय तथा काफी के निर्यातों पर सरकार द्वारा कोई सीमाएं अथवा प्रतिबंध लागू नहीं किए गए हैं।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

[हिन्दी]

श्री शांति धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, इन्टरनेशनल काफी एसोसिएशन ने, भारत की एक्सपोर्टेबल सरप्लस, जोकि लगभग एक लाख टन की है, के बदले में सिर्फ 39 हजार टन का कोटा भारत को दे रखा है जबकि भारत ने इंटरनेशनल कौफी एसोसिएशन की बैठक में कई बार यह कोटा बढ़ाकर 65 हजार टन किए जाने की मांग की है। इधर इण्डोनेशिया और अफ्रीका आदि कई देश ऐसे हैं, जिनको निर्यात क्षमता का 42 परसेंट से लेकर 100 परसेंट तक का कोटा दिया गया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इन्टरनेशनल काफी एसोसिएशन की अप्रैल में होने वाली बैठक में इस अन्याय के विरुद्ध आवाज उठायेगी और अब तक जो प्रयास किए गए हैं, उनसे ज्यादा भी कुछ कर पायेगी।

श्री पी० शिव शंकर : जहां तक इन्टरनेशनल कॉफी एसोसिएशन का सम्बन्ध है, हमारे मित्र ने जो कुछ कहा वह सही है। उन्होंने हमारा कोटा 39 हजार टन फिक्स किया है परन्तु जैसा हम करते हैं, हमारा निर्यात सिर्फ इन्टरनेशनल कौफी एसोसिएशन के देशों के साथ ही नहीं होता बल्कि दूसरे कई देश हैं जो इस एसोसिएशन से संबंधित नहीं हैं और हम उनको भी निर्यात करते हैं। जहां तक अप्रैल में होने वाली बैठक का सवाल है, हमने जिस तरह से इससे पूर्व मांग की है कि हमारा कोटा बढ़ाया जाना चाहिए, उसी तरह से हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे। इन्सान आशाओं पर जीवित है और हम भी आशा करते हैं कि इन देशों के साथ हमारा कोटा बढ़ जाएगा।

श्री शांति धारीवाल : अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न चाय और कौफी दोनों के बारे में है।

श्री बालकवि बैरागी : आप शांति से काम लीजिए।

श्री शांति धारीवाल : मैं आपके माध्यम से कॉफी पर सवाल करूंगा और बैरागी जी चाय पर बोलेंगे क्योंकि ये···

अध्यक्ष महोदय : वे तो अफीम पर बोलेंगे।

श्री शांति धारीवाल : अफीम पर तो ये अकेले में बोलते हैं परन्तु चाय का जहां तक सम्बन्ध है जेब की तो सिंगल पीते हैं और दूसरा कोई पिलाये तो डबल पीते हैं। इसलिए चाय पर ये बोलेंगे।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि भारत की स्थिति ऐसी है कि एक ओर तो कीमतों में गिरावट आ रही है और गिरावट की वजह से भारत को इस वर्ष करीब 30 या 40 करोड़ रुपये का घाटा होगा। दूसरी ओर बड़ी उत्पादन क्षमता वाले देश अपने बोट के आधार पर अधिक आदेश अपने पक्ष में करवा लेते हैं। हाल ही में, पहली बार इन्टरनेशन काफी एसोसिएशन ने बड़े उत्पादक देशों का सुझाव रिजेक्ट किया है और ऐसा पहली बार हुआ है क्योंकि 15 लाख थैले वहां पहुंच नहीं पाये। हमारे लिए यह आशा की किरण है। मैं आपके माध्यम से फिर अपने पूर्व प्रश्न को दोहराते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ कीजिए।

श्री पी० शिव शंकर : अध्यक्ष जी, इस वर्ष काफी का एक्सपोर्ट बहुत अच्छा रहा है और उसकी यूनिट वैल्यू भी बेहतर रही है। इस वर्ष लगभग 300 करोड़ रुपये की काफी का हम निर्यात कर रहे हैं और यूनिट वैल्यू बढ़ने की वजह से, जैसा मैंने इससे पूर्व कहा, हमारी कोशिश बराबर जारी रहेगी कि हमारा कोटा बढ़े। अगर नहीं बढ़ता है तो दूसरे देशों को, जो इन्टरनेशनल कॉफी एसोशिएशन से सम्बन्धित नहीं है, भी निर्यात करते हैं और वहां हमारा निर्यात ठीक ढंग से हो रहा है। ऐसी बात नहीं है कि हम सिर्फ इन्हीं देशों के साथ जुड़े हुए हैं, कई दूसरे देश भी हैं जिनके साथ हमारे सम्बन्ध हैं और जहां हम काफी निर्यात करते हैं।

[अनुवाद]

श्री पी० कुलनदईवेलु : मैं चाय के बारे में पूछ रहा हूं न कि काफी के बारे में।

चाय के सम्बन्ध में यह स्थिति है कि हम बड़े पैमाने पर निर्यात कर रहे हैं। भारत इस समय भी विश्व में चाय के बड़े निर्यात कर्ताओं में से एक है। चाय के सम्बन्ध में बात यह है कि निर्यात मार्किट पर नियंत्रण टाटा और बिरला जैसे बड़े चाय बागान मालिकों का है। यद्यपि मैं बोर्ड का एक सदस्य हूं फिर भी मैं निर्यात पर नियंत्रण नहीं कर पाता। (व्यवधान) संसद सदस्यों को भी निर्यात प्रोत्साहन परिषद बोर्ड में सीट नहीं मिल पाती है।

चूंकि निर्यात मार्किट को टाटा और बिरला जैसे बड़े चाय बागानों के मालिकों द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है, छोटे चाय बागान मालिक—जिनके पास 5 एकड़ अथवा 3 एकड़ भूमि है—विभिन्न देशों में अपनी चाय का निर्यात नहीं कर पाते। मैं माननीय मंत्री से आगे आने का निवेदन करता हूं ताकि छोटे चाय बागान मालिकों के हकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके तथा उनकी चाय का दूसरे देशों को निर्यात हो सके।

अध्यक्ष महोदय : या आप मेरे माननीय सदस्यों को उस बोर्ड में अधिक प्रभावी बनाये।

श्री पी० शिव शंकर : ये सदस्य हैं। उनका कार्यकाल कुछ समय पश्चात समाप्त होने वाला है। इस माह के अन्त में उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : माननीय सदस्य को प्रभावी बनाने का एक ही रास्ता है कि फिर से सदस्य बना लिया जाये।

श्री पी० शिव शंकर : महोदय, मैं उनकी चिन्ता को समझता हूं। वास्तव में नीलाम प्रणाली जो हमने शुरू की है तथा जिसका सम्पूर्ण चाय बिक्री प्रणाली पर वर्चस्व है, छोटे उत्पादकों के हितों की सुरक्षा करती है। वास्तव में, इस नीलाम प्रणाली के कारण छोटे उत्पादकों को बेहतर मूल्य प्राप्त हो रहा है लेकिन जब निर्यात की बात सामने आती हैं, यह ठीक है कि चाय बोर्ड काफी रूचि ले रहा है और इसके लिए मैं चाय बोर्ड को बधाई देता हूं—वास्तव में, अपने माननीय सदस्य ने भी बधाई दी है—तो चाय निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ और कार्य करने की आवश्यकता है। यह सच नहीं है कि केवल बड़ी कम्पनियां ही निर्यात कर रही हैं। हमें चाय का निर्यात करने के लिये सरकारी क्षेत्र के संगठनों को भी अनुमति दे दी है। वास्तविकता यह है कि हमने चाय व्यापार निगम को भी चाय निर्यात करने को कहा है किन्तु यह भिन्न बात है कि वे इसमें कहां तक सफल हुए हैं क्योंकि उन्हें खुली नीलामी से चाय खरीदकर निर्यात करना पड़ता है।

वास्तव में मूल्य वर्द्धित चाय के निर्यात से अच्छा मूल्य प्राप्त होता है। इस वर्ष मूल्य वर्द्धित चाय का निष्पादन शून्य रहा है जिसके कारण मैं स्वयं भी उलझन में हूं। मुझे विश्वास है कि मूल्य वर्द्धित चाय का निर्यात एक बार आरम्भ हो जाये तो हमें आशा है कि हमें बेहतर मूल्य मिल जायेगा। एकक मूल्य बढ़ जायेगा। इस वर्ष की स्थिति यह है कि निर्यात से मिलने वाला मूल्य उत्साहवर्धक नहीं हैं। गत वर्ष 2230 लाख किलो का निर्यात करके हम 674.25 करोड़ रुपया प्राप्त कर सके थे। इस वर्ष निर्यात में थोड़ी सी कमी आई है और अब मैं इसलिये संतुष्ट नहीं हूं क्योंकि इस वर्ष 600 करोड़ रुपये का भी निर्यात नहीं हो पाया है। इसलिये चाय बोर्ड के सदस्यों को, जिनका हम दृढ़तापूर्वक समर्थन कर रहे है, निर्यात बढ़ाने के लिए अपेक्षित कदम उठाना चाहिए।

श्री हरेन भूमिज : महोदय, माननीय मंत्री ने बताया है कि 1985 और 1986 में चाय बोर्ड से अनुमानतः बराबर की राशि का निर्यात किया गया था किन्तु उपलब्ध आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि गत दो वर्षों के दौरान बराबर की मात्रा का निर्यात किया गया था किन्तु 1985 की तुलना में 1986 में इसे कम राशि प्राप्त हुई थी। मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि 1985 के मुकाबले 1986 में घटिया चाय का उत्पादन होने के कारण ऐसा हुआ था ?

दूसरे, क्या निर्यात से अपेक्षित इसलिये नहीं मिल पाई क्योंकि बागानों में पैदा होने वाली चाय नीलामी केन्द्रों तक समय पर नहीं पहुंच पाई थी जिसके कारण घटिया किस्म की चाय सप्लाई की गई थी।

श्री पी० शिव शंकर : मुझे यह कहते हुए खेद है कि माननीय सदस्य के दोनों ही अनुमान सही नहीं हैं। 1984-85 में 2170 लाख किलो निर्यात की गई थी जिससे हमें 771.39 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ था। 1985-86 में, 2229.20 लाख किलो चाय निर्यात की गई थी किन्तु उसका मूल्य कम प्राप्त हुआ था। जैसा कि मैं कह चुका हूं कि इसका कुल मूल्य बर्द्धित आदि 674.25 करोड़ रुपया था। 1986-87 में अप्रैल से दिसम्बर तक 1618.50 लाख किलो चाय का निर्यात किया गया था और उससे 491.03 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे।

केन्या, श्रीलंका और ब्राजील से हमें बड़ी भारी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। इस प्रतिस्पर्धा के कारण जब उत्पादन अधिक होता है—उन देशों में उत्पादन दर बहुत अधिक

है—हमें अपने उत्पादन की प्रतिस्पर्धा उन देशों के उत्पादन से करनी पड़ती है । इन देशों में जब फसल अच्छी होती है, तब मूल्य गिर जाता है और उसका प्रभाव हम पर भी पड़ता है । वास्तविक स्थिति यह है कि जहां तक अपने देश का संबंध है इस वर्ष उत्पादन 400 लाख किलो कम हुआ है और गत अक्तूबर तक मूल्य स्थिर नहीं हो पाये थे । मैं हर महीने प्रतीक्षा करता रहा । मूल्य कम थे क्योंकि अन्य देशों में फसल अच्छी हुई थी और बाजार मूल्य कम हो गये थे । किन्तु मूल्य अक्टूबर से स्थिर होने शुरू हो गये थे । अब स्थिति यह है कि यदि और देशों में फसल अच्छी होती है और हमारे देश में अच्छी नहीं होती है तो इसका नतीजा खराब निकलता है । यदि अन्य देशों में फसल खराब होती है तथा हमारे देश में अच्छी होती है, तो मूल्य स्वभावतः बढ़ जाते हैं । अतः यह बहुत कुछ प्रकृति पर निर्भर करता है ।

संयुक्त राज्य अमरीका को निर्यात

*3?4. **श्री बंजावाड़ा पपी रेड्डी** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राज्य अमरीका को वर्ष 1984-85 और 1985-86 के दौरान किन-किन वस्तुओं का निर्यात किया गया; और

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान इनसे कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई और अमरीका को निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किये हैं ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) तथा (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) तथा (ख) 1984-85 तथा 1985-86 के दौरान संयुक्त राज्य अमरीका को निर्यातित मुख्य मदें हैं : हीरे, सिले सिलाए परिधान तथा अन्य वस्त्र, पेट्रोलियम उत्पाद, इन्जीनियरी उत्पाद, चमड़ा तथा उसके उत्पाद, कालीन तथा नमदे एवं काजू, मसालों तथा समुद्री उत्पादों जैसे कृषि उत्पाद ।

संयुक्त राज्य अमरीका को 1984-85 तथा 1985-86 के दौरान हुए गैर-तेल निर्यातों से अर्जित विदेशी मुद्रा निम्नोक्त प्रकार है :—

(मूल्य करोड़ रु०)

वर्ष	**संयुक्त राज्य अमरका को निर्यात**
1984-85	1765.83
1985-86 (अ)	1994.48

(अ)—आंकड़े अन्तिम हैं और इनमें संशोधन हो सकता है ।

विभिन्न उत्पादों के हमारे निर्यात बढ़ाने के लिए किए गए अनेक उपायों से संयुक्त राज्य अमरीका को भी होने वाले हमारे निर्यातों को सहायता मिलेगी । संयुक्त राज्य अमरीका के विशेष संदर्भ में निर्यात बढ़ाने के लिए किए गए अनेक उपायों में शामिल हैं; बाजार सर्वेक्षण, व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेना, क्रेता-विक्रेता बैठकें तथा विशेष प्रचार कार्यक्रम ।

श्री बंजावाड़ा पपी रेड्डी : अध्यक्ष महोदय, विवरण के अनुसार विवरण में 'व्यापार मेलों' का भी उल्लेख किया गया है । मैं यह जानना चाहता हूं कि इन अर्जनों पर व्यापार मेलों का क्या प्रभाव पड़ता है ।

और यह भी कि क्या यह सच है कि व्यापार मेले देश का प्रचार करने की अपेक्षा व्यापार मेला प्राधिकरण के सभापति का अधिक प्रचार करते हैं ?

श्री पी० शिव शंकर : महोदय, मैं माननीय सदस्य के बाद के प्रेक्षण के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि उनके प्रेक्षण से सही स्थिति का पता नहीं चलता है।

व्यापार मेलों ने वास्तव में अच्छा कार्य किया है। अमरीका में तो यह स्थिति है कि शेष व्यापार हमारे पक्ष में रहता है। आंकड़ों से पता चलता है कि निर्यात में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि 1986 में वास्तव में निर्यात में कुछ गिरावट आई थी और इसका कारण यह है कि इस वर्ष हम अमरीका को कच्चा तेल निर्यात नहीं कर पाये थे। 1985 अन्तिम वर्ष था जब हम कच्चा तेल निर्यात कर सके थे जो अमरीका को निर्यात किया गया अच्छा माल था। किन्तु मैं यह भी कहना चाहूंगा कि 1985-86में अन्य वस्तुओं का निर्यात भी अच्छा रहा था यदि मुझे आंकड़े प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए तो मैं यह भी बता दूं कि वर्ष 1986 में भी यह स्थिति रही है कि इस वर्ष में 228320 लाख डालर के सामान का निर्यात हुआ था और आयात 150 7 लाख डालर का हुआ था और यह 7735 लाख डालर के व्यापार की उस बकाया राशि को छोड़कर है जो हमारे पक्ष में रहा था।

श्री बंजावाड़ा पपी रेड्डी : निर्यात में आंध्र प्रदेश का क्या हिस्सा रहा है ?

श्री पी० शिव शंकर : मुझे खेद है कि मैं यह नहीं बता पाऊंगा कि आंध्र प्रदेश से अमरीका को कितनी राशि का माल निर्यात किया गया था किन्तु समग्र रूप से मैं इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि मैं स्वयं भी इससे संबद्ध रहा हूं--और वास्तविकता यह है कि मैं सरकारी अधिकारियों से भी बात करता रहता हूं, यदा-कदा जब भी वे मेरे पास आते हैं—कि व्यवहारिक रूप से आंध्र प्रदेश से नगण्य निर्यात हुआ है। वहां से केवल 400 करोड़ रुपये का निर्यात हुआ है। इस 400 करोड़ रुपये में से भी अधिकांश निर्यात तम्बाकू का हुआ है। मैं कृषकों से बात करता रहता हूं और मैंने उनसे भी कृषि उत्पाद निर्यात बढ़ाने का अनुरोध किया है। इस तथ्य के रहते हुए कि कृषि संबंधी कुछ वस्तुओं पर 1 जुलाई 1986 से सी० सी० एस० बढ़ाये जाने के बावजूद कृषि संबंधी वस्तुओं के निर्यात के लिए हम यथा संभव जो हमसे बन पड़ेगा, हम करेंगे और यदि हमें यह पता चले कि बेहतर निर्यात के लिए इस प्रकार के कदम उठाने की आवश्यकता है तो हम उपेक्षित कदम उठायेंगे।

[हिन्दी]

श्री सी० पी० ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, यू० एस० ए० तथा अन्य देशों में जो निर्यात की कमी हुई है उसके मुख्य कारण क्या हैं कि यह प्रोटेक्शनिज्म के चलते और क्वालिटी पूरी नहीं होने के कारण हुआ है ? इसके साथ ही हम जो कांट्रेक्ट करते हैं और उसमें जिस तरह का सामान देने का वायदा करते हैं वह नहीं दे पाते हैं ?

श्री पी० शिव शंकर : अध्यक्ष जी, निर्यात की कमी तो इस वर्ष नहीं हुई है। मेरे पास अप्रैल से जनवरी तक के जो आंकड़े हैं उससे स्पष्ट है कि अभी तक 10 हजार करोड़ से ज्यादा का निर्यात हो चुका है और फरवरी व मार्च का जिस तरह का ट्रेंड दिखाई दे रहा है उससे भी पता चलता है कि निर्यात में कोई कमी नहीं हुई है। मैंने इससे पहले भी कहा है कि हमारा जो

टारगेट है, वह पूरा हो जाएगा। इसलिए निर्यात की कमी हो रही है ऐसी बात नहीं है। गत वर्ष से लगभग 15-16 सौ करोड़ से ज्यादा का निर्यात इस वर्ष हो रहा है और जैसे कि प्रधान मंत्री जी ने पार्लियामेंट में और उसके बाहर भी कहा है कि 17.3 प्रतिशत की वृद्धि इस वर्ष निर्यात में हुई है। यह जरूर है कि पांच जगहों पर और चूंकि युनाइटिड स्टेट्स में कुछ थोड़ा बहुत प्रोटैक्शनिज्म है, काऊंटी वेलिंग डियूटीज भी हैं और एंटी डैम्पिंग टैक्स भी चालू है। इस तरह से ई० ई०सी० कंट्रीज के अन्दर टैरिफ ज्यादा किया गया। जहां तक माल दूसरे देशों में जाने का सवाल है उसमें हम उन देशों के साथ कोटा फिक्स करते हैं, कुछ क्वालिटी का असर भी हो सकता है लेकिन इन सब मुश्किलों के बावजूद भी हमारा निर्यात कुछ अच्छा ही हुआ है। और हम बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी : क्या माननीय मंत्री महोदय, यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि निर्यात के क्षेत्र में बड़े व्यापारिक घरानों का सहयोग उत्तरोत्तर कम होता जा रहा है जबकि आयात के मामले में उनका अंश बढ़ रहा है? यदि हां, तो इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या उपाय करने का विचार किया गया है?

श्री पी० शिव शंकर : महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया, मैं कहना चाहता हूं कि इन्जीनियरिंग क्षेत्र में 30 सबसे बड़ी कम्पनियां 27 करोड़ रुपये मूल्य के सामान का निर्यात कर रही है। सामान्य क्षेत्र में 50 बड़ी कम्पनियां 30 करोड़ रुपये मूल्य का निर्यात कर रही हैं। मैं स्वयं इस काम में लगा हुआ हूं और मैंने इन कम्पमियों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया है। मैंने चैम्बरों को इस आशय के पत्र भी लिखे हैं कि वे अपना निर्यात बढ़ाएं। हम उनके प्रतिनिधियों के साथ निरन्तर बातचीत करते रहते हैं। हम कम्पनी नियम में संशोधन भी कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले सूचित किया है कि इन कम्पनियों द्वारा अपने तुलन-पत्र में यह दर्शाना अनिवार्य होगा कि उन्होंने कितनी विदेशी मुद्रा का प्रयोग किया है तथा कितनी अर्जित की है ताकि राष्ट्र को उनके कार्य-निष्पादन का पता चलता रहे। उनके द्वारा निर्यात बढ़ाने का एक ही रास्ता है कि उन्हें इसके लिए राजी किया जाए। वे घरेलू बाजार से अधिक आकर्षित होते हैं और उन्हें यहां बेहतर कीमत प्राप्त होती है। इस कारण वे अपना माल देशी बाजार में बेचने का प्रयत्न करते हैं और निर्यात की ओर ध्यान नही देते। मैं मानता हूं कि यह बुरी बात है। हम जो कुछ भी कर सकते थे, कर रहे हैं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : उनके आयात का क्या होगा? आप उस पर रोक लगाने के लिए कुछ नहीं कर रहे।

श्री पी० शिव शंकर : बात यह है कि जहां तक आयात का संबध है, तकनीकी दृष्टि से विकसित मशीनरी जिसके द्वारा उत्पादन किया जाएगा, हमें उसके आयात की अनुमति देनी होगी, अन्यथा हमें उस उत्पाद का ही आयात करने की अनुमति देनी पड़ेगी। आयात के लिए कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। किन्तु मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि जिन वस्तुओं के उत्पादन के लिए घरेलू क्षमता विद्यमान है, उस मशीनरी के आयात की अनुमति नहीं दी जा रही। हम कुछ उपाय कर रहे हैं। यह एक निरन्तर प्रक्रिया है जिसे हमें जारी रखना है। वास्तव में हम विभिन्न

तन्त्रों के बीच समन्वय स्थापित कर रहे हैं। इस प्रयोजन के लिए एक समन्वय समिति तथा सचिवों की समिति बनाई गई है। मैं बीच-बीच में इस बारे में जांच करता रहा हूं। हम अनावश्यक *आयात को समाप्त* करने के लिए जो अति आवश्यक कदम हों, उठाएंगे।

[हिन्दी]

श्रीमती ऊषा ठक्कर : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि केरल से काली मिर्च का निर्यात होता है, इस साल उस का निर्यात कुछ कम हुआ है, क्या यह सच है और सच है तो क्यों कम हुआ है ?

श्री पी० शिव शंकर : काली मिर्च की उपज कम हुई, इस वास्ते निर्यात कम हुआ है। लेकिन एक बात मैं आप से निवेदन करूं कि इस वर्ष काफी अच्छी कीमतें मिली हैं।

भारत-अमरीका कपड़ा समझौता

*337. **श्री० जी० एस० बासवराजू** :

श्री एस० एम० गुरड्डी : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका को हथकरघा कपड़े और हथकरघे के कपड़े के सिले-सिलाए वस्त्रों का निर्यात बढ़ाकर 300 करोड़ रुपये तक कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो भारत और अमरीका के बीच वर्ष 1986 में हुए कपड़ा समझौते में इस संबंध में क्या प्रावधान हैं;

(ग) अमरीका को किए जाने वाले निर्यात में और कितनी वृद्धि की जायेगी;

(घ) कपड़े की वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने के लिए कौन से कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) वर्ष 1987 के दौरान जिन मदों के निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा उनका ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ङ) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) से (ग) भारत संयुक्त राज्य अमरीका के बीच हुए नए वस्त्र करार में सक्षम भारतीय प्राधिकारियों द्वारा दिए गए निर्धारित प्रमाण-पत्रों को साथ लगाने पर भारत से हथकरघा वस्त्रों तथा हथकरघा मेड अप्स के कोटा मुक्त निर्यात करने की व्यवस्था को जारी रखा गया है। पहले संयुक्त राज्य अमरीका ने हथकरघा मेड अप्स के सम्बन्ध में हमारे प्रमाण पत्रों को इस आधार पर स्वीकार नहीं किया कि वे हैण्डस्टिचड नहीं थे। नए करार में इस आशय का प्रावधान है कि वे इस मुद्दे को नहीं उठाएंगे और वे हमारे प्रमाण-पत्रों को स्वीकार करेंगे। ऐसा होने से हमारे हथकरघा मेड अप्स के निर्यात बिना किसी कठिनाई के संयुक्त राज्य अमरीका को किए जाएंगे। इससे संयुक्त राज्य अमरीका को होने वाले हथकरघा वस्त्रों तथा मेड अप्स के हमारे निर्यातों में वृद्धि होने की सम्भावना है।

(घ) वस्त्र मदों के निर्यात को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम निम्नलिखित प्रकार से हैं;

(1) देश में न बनने वाली आधुनिक परिधान विनिर्माण मशीनों का ओ० जी० एल० पर आयात किए जाने की अनुमति दी जाती है। परिधान तथा होजरी बनाने के लिए 114 मशीनें ओ० जी० एल० के अन्तर्गत रखी गई हैं जिनमें से 97 पर रियायती आयात शुल्क हैं।

(2) अप्रचलित मशीनों आदि को हटाने और वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए वस्त्र मशीनरी के स्वदेशी उत्पादन के सम्बन्ध में सरकार की नीति उदार बना दी गई है और चुनिन्दा मशीनों के आयात की अनुमति निर्यात दायित्व की शर्त पर दी जाती है।

(3) सूत्री वस्त्र उद्योग का आधुनिकीकरण सुविधाजनक बनाने के लिए 750 करोड़ रु० की वस्त्र आधुनिकीकरण निधि बनाई गई है।

(4) सूती यार्न के निर्यात के लिए उदार अधिकतम सीमाएं रखते हुए एक दीर्घकालीन नीति की घोषणा की गई है। 60 तक के काउंटों के यार्न के लिए वर्तमान सीमा 40 मिलियन किग्रा प्रति वर्ष है जबकि पहले यह सीमा 12 मिलियन किग्रा थी। 60 से अधिक काउंटों के यार्न के निर्यात पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

(5) 1 जुलाई, 1986 से लागू नकद मुआवजा सहायता की संशोधित दरें घोषित की गई हैं। ये दरें 3 साल की अवधि के लिए घोषित की गई हैं और सामान्यत: पहले से अधिक हैं। परिधानों की मन्द गति वाली उन मदों पर जिन पर कोटा देशों को निर्यात करते समय नकद मुआवजा सहायता ग्राह्य नहीं थी नकद मुआवजा सहायता के लिए पात्र बना दिया गया है। सभी काउंटों के यार्न के निर्यात पर 29 अगस्त, 1986 से 8 प्रतिशत की दर से नकद मुआवजा सहायता की अनुमति दी गई है। कोरे फैब्रिक्स के निर्यात पर नकद मुआवजा सहायता 13-2-87 से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दी गई है।

(6) नकद मुआवजा सहायता के मामले में निर्यातकों में निश्चितता की भावना लाने की दृष्टि से सूती परिधानों और वस्त्रों को संविदा पंजीकरण योजना के अन्तर्गत लाया गया है।

(7) परिधान उत्पादन के लिए फैशन डिजाइन के क्षेत्रों में शिक्षण, अनुसंधान और प्रशिक्षण हेतु दिल्ली स्थित फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान 1987 में पूरी तरह से चालू हो जाएगा।

(8) सूती परिधानों के लिए शुल्क वापसी की दरें बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दी गई हैं।

(9) लदान-पूर्व के दिनों की संख्या 90 से बढ़ाकर 180 दिन कर दी गई है। ब्याज की दर भी 2.5 प्रतिशत कम की गई है।

(10) कच्चे माल/फैब्रिकों की बहुत सी मदों के आयात की अनुमति शुल्क मुक्त योजना और आयात-निर्यात पास बुक योजना के अन्तर्गत दी जाती है।

(11) अग्रिम लाइसेंसिंग योजना के कार्य क्षेत्र का विस्तार कर दिया गया है और प्रक्रियाओं को सरल बना दिया गया है।

(12) शत-प्रतिशत निर्यात अभिमुख एककों और मुक्त व्यापार जोनों की योजना के अन्तर्गत पूंजी माल और कच्चे माल के उदार आयात की सुविधाएं कई अन्य रियायतों सहित दी जाती है।

(13) सरकार बाजार अध्ययन, क्रेता-विक्रेता सम्मेलनों, अन्तर्राष्ट्रीय मेलों तथा प्रदर्शनियों में सहभागिता जैसे संवर्धनात्मक क्रियाकलापों के प्रयोजन और वित्त पोषण के लिए उदार सहायता देती रही है।

(14) घरेलू बिक्रियों के लिए विदेशी ब्रांड नामों के प्रयोग की अनुमति सिले-सिलाए परिधानों के मामले में इस शर्त के साथ दी गई है कि केवल स्वदेशी फैब्रिकों का प्रयोग हो, उत्पा-

दन का कम से कम 75 प्रतिशत भाग निर्यात हो और घरेलू बिक्री पर किसी भी रायल्टी की अनुमति नहीं है ।

(ङ) लगभग उन सभी टैक्सटाइल और क्लोदिंग उत्पादों के निर्यातों को 1987 के दौरान बढ़ाया जाएगा जिनके बारे में करार में कोई विशिष्ट प्रतिबन्ध न हों ।

श्री एस० एम० गुरड्डी : अध्यक्ष महोदय क्या यह सही है कि अमेरिका ने हथकरघा की बनी वस्तुओं के लिए हमारा सर्टिफिकेट इस कारण स्वीकार नहीं किया क्योंकि वे हाथ से सिले हुए नहीं हैं और उपयुक्त स्तर के नहीं है ।

श्री राम निवास मिर्धा : महोदय, यह कहना उचित नहीं होगा कि अमेरिका हमारा सर्टिफिकेट स्वीकार नहीं करता । कुछ समय पहले थोड़ी समस्यायें उत्पन्न हुई थी किंतु मैं सभा को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूं कि अब ये समस्यायें सुलझा ली गई हैं और अब वे हमारा सर्टिफिकेट स्वीकार कर लेंगे।

श्री एस० एम० गुरड्डी : क्या मैं उनसे पूछ सकता हूं कि उन्होंने इस प्रकार कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की है ?

श्री राम निवास मिर्धा : महोदय, जहां तक हमारे निर्यात का प्रश्न है, अमेरिका के साथ किए गए नए करार में कई अच्छी बातें हैं । यह पुराने करार से बेहतर है और एक समस्या यह भी जिसके बारे में माननीय सदस्य ने अभी बात की है । मैं आपके माध्यम से सभा को सूचित करना चाहता हूं कि समस्या इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि उनके नियमों के अनुसार 'हैंड-मेड' का मतलब था कि उसमें हाथ से चलाई जाने वाली सिलाई मशीन का भी प्रयोग न हो, जिसका मतलब यह हुआ कि यदि एक तौलिया भी सिलना हो तो हाथ से सिला जाए और हमें यह मंजूर नहीं था । अब 'हैंड मेड' की परिवर्तित परिभाषा का मतलब यह है कि उसमें हाथ से चलने वाली सिलाई मशीन का प्रयोग किया जा सकता है । अब 1985 में उत्पन्न हुई यह समस्या, जिसके कारण हमारे पारेषणों में अत्याधिक समय तक अड़चन रही, समाप्त हो गई है ।

इस नए करार द्वारा प्राप्त एक उपलब्धि यह है कि अमेरिका को किए जा रहे 18943 लाख वर्ग फुट निर्यात को अब 1987 के आधार पर 29565 लाख वर्ग फुट कर दिया गया है, अर्थात् 56 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई है ।

अतः हमने यह उपलब्धियां प्राप्त की हैं । हम इन्हें डालरों में नहीं बता सकते क्योंकि इसमें कई छोटी-बड़ी चीजें शामिल हैं । किंतु मैंने ये आंकड़े यह बताने के लिए प्रस्तुत किए हैं कि हम नए करार के अन्तर्गत अमेरिका को कितना निर्यात करेंगे ।

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, हैंडलूम का हमारे देश से निर्यात बहुत बढ़ा है, इस सम्बन्ध में मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं क्या यह बात सही नहीं है कि राजस्थान के बगरू और सांगानेर — ये दो ऐसे स्थान हैं जहां के हैंडलूम की पिछले दिनों में काफी मांग थी लेकिन वह मांग अब घटी है, इसके क्या कारण हैं तथा क्या आप इस बारे में उचित कदम उठायेंगे जिससे कि वहां का हैंडलूम उद्योग अपनी पुरानी ख्याति प्राप्त करके कामयाबी हासिल कर सके ?

श्री राम निवास मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, सांगानेर और बगरू में जो हथकर्घे का कपड़ा बनता है वह बहुत ही मशहूर है, खास तौर से बगरू में जो अर्थ-कलर्स यूज किए जाते हैं केमिकल कलर्स में, उनकी अपनी एक खासियत और खुसूसियत है। बगरू में खास तौर से, वहां का यह उद्योग बड़े हथकर्घे का, इसके लिए भारत सरकार ने कई कदम उठाए हैं। वहां पर पानी की कमी थी जिसके लिए ट्यूबवेल की मंजूरी दी गई है और वहां डिजाइन-सेन्टर से भी मदद दी जा रही है कि अच्छे-अच्छे डिजाइन बनाकर भेजें। मैं आशा करता हूं इसकी वजह से बगरू और सांगानेर में जो भी उत्पादन होता है वह बढ़ेगा, उसकी हमारे देश में बिक्री होगी और देश से बाहर भी वह निर्यात किया जा सकेगा।

[अनुवाद]

श्री कादम्बुर जनार्दन : महोदय, सभा पटल पर रखे गये विवरण में मंत्री महोदय ने बताया है कि "सूती यार्न के निर्यात के लिए अधिकतम सीमा को उदार रखते हुए एक दीर्घकालीन नीति की घोषणा की गई है। 60 तक के काउंटों के यार्न के लिए वर्तमान सीमा 400 लाख कि० ग्रा० प्रति वर्ष है जबकि पहले यह सीमा 120 लाख कि० ग्रा० थी।"

अपने उत्तर में उन्होंने बताया है कि 60 काउंटों से अधिक यार्न के निर्यात के लिए कोई प्रतिबंध नहीं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इसका अर्थ यह है कि 60 से अधिक काउंटों वाले सूती यार्न के निर्यात की जांच कम की जाती है? यदि नहीं तो क्या मैं मंत्री जी से जान सकता हूं कि 1985-86 में कितना सुपर फाइन यार्न अन्य देशों को निर्यात किया गया?

श्री राम निवास मिर्धा : मेरे पास विभिन्न काउंटों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं; किन्तु 40 से कम काउंटों की अधिक मांग है। इसके बाद 40 से 60 काउंट वालों की कुछ अधिक है। 60 से अधिक काउंटों में यह 40 और 60 से कम है। हम चाहते हैं अधिक काउंटों का निर्यात ज्यादा हो, क्योंकि उनसे अधिक यूनिट मूल्य प्राप्त होता है। इसलिए हमने इस बारे में कुछ रियायतें दी हैं जिनमें से एक यह है कि 60 से अधिक यार्न के निर्यात पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। इसकी कोई सीमा नहीं है, और हम कताई मिलों को अपनी क्षमता और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देते हैं। मुझे विश्वास है कि हम शीघ्र ही एक या दो वर्षों में अपने कार्य-निष्पादन में काफी सुधार कर लेंगे।

बिहार में पर्यटक सुविधायें

***338. डा० गौरी शंकर राजहंस :** क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने राज्य में पर्यटक सुविधाओं के विकास हेतु एक योजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्योरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार ने कौन सी कार्यवाही की है?

पर्यटन मंत्री (मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) पर्यटन मंत्रालय राज्य सरकारों से अपेक्षित ब्यौरों सहित पूरे प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

बिहार राज्य सरकार ने अब तक सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि से सम्बन्धित निम्नलिखित स्कीमें प्रस्तुत की हैं:—

प्रथम वर्ष (1985-86)

		(लाख रुपयों में)
स्कीम का नाम	स्वीकृत राशि	रिलीज की गई राशि
1. मेले और त्योहारों का संवर्धन (कालचक्र)	4.00	4.00
2. मनेर शरीफ में कैफेटेरिया	?.43	3.00
3. बोध गया, नालंदा और राजगीर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के माध्यम से टायलेट और पीने के पानी की सुविधायें	4.50	3.00
द्वितीय वर्ष (1986-87)		
1. गौतमवन और बोध गया का विकास/भू-दृश्यांकन	20.00	15.00
2. बेतला में वनगृह	46.76	4.00
प्राप्त हुए नए प्रस्ताव :		
1986-87 के दौरान		अनुमानित लागत
1. गया में यात्री निवास		41.38
1987-88 के दौरान		
1. गोपाल गंज में पर्यटक बंगले का निर्माण		29.70
2. राजगीर, बोध गया और वैशाली में सांस्कृतिक केन्द्र का निर्माण		90.00
3. पटना में गंगा नदी के लिए नौकायें		4.00
4. राजगीर में मकबरों की प्रकाश-पुंज व्यवस्था		8.91
5. नालंदा में कैफेटेरिया		—

1987-88 के लिए प्रस्तुत किए गए पांच प्रस्तावों के बारे में, विस्तृत अनुमान ब्ल्यू प्रिन्ट्स, भूमि के अन्तरण संबंधी वचनबद्धता (अंडरटेकिंग), आदि के ब्यौरे राज्य सरकार से अभी आने हैं।

डा० गौरी शंकर राजहंस : जैसा कि देश में सभी को मालूम है कि बिहार में अनेक ऐतिहासिक स्थल तथा पर्यटन स्थल हैं। क्या मैं मंत्री जी पूछ सकता हूं कि वे बिहार सरकार के अनुरोध की प्रतीक्षा करने की अपेक्षा केन्द्रीय सरकार स्वयं इस बारे में पहल करके उत्तर में बताए गए स्थानों के अतिरिक्त इन स्थानों पर कुछ यात्री निवास और पर्यटकों के लिए बंगले बनवाएगी ?

श्री राम निवास मिर्धा : पर्यटन विभाग सदा राज्य सरकारों के साथ मिल जुल कर कार्य करना चाहता है और मैंने अपने उत्तर में मंत्रालय द्वारा बिहार में परियोजनाओं की लम्बी सूची दी है, जो पर्यटन मंत्रालय ने बताई है। हम धार्मिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से बिहार के एक पर्यटन केन्द्र होने के महत्व के प्रति सचेत हैं। राजगीर जैसे केन्द्रों के विकास के लिए सभी कुछ किया जा रहा है। तलैया बांध में फोरेस्ट लाज बनाए जा रहे हैं नौकावहन की सुविधा प्रदान की जा रही है। सैंक्चुरियां तथा पार्क बनाए जा रहे हैं और उन्हें सुविधायें मुहैया कराई जा रही है।

जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, मैं दोहराना चाहता हूं कि जहां तक पर्यटन के संवर्धन का प्रश्न है राज्य सरकारों का योजनाओं में शामिल होना आवश्यक है. क्योंकि उनकी सहायता के बिना हमें न तो निर्माण के लिए भूमि मिल सकती है और न ही अन्य सुविधायें प्राप्त हो सकती हैं। इसलिए हम राज्य सरकारों के सहयोग से कार्य करना चाहते हैं ताकि बिहार में विदेशी एवं देशी पर्यटन को बढ़ावा मिले।

डा० गौरी शंकर राजहंस : क्या मंत्री जी जानते हैं कि धन का सही उपयोग नहीं किया जाता अर्थात जहां तक पर्यटन का प्रश्न हैं, बिहार में धन का इस कार्य के लिए व्यय नहीं किया जाता ? साथ ही साथ मैं यह भी कहूंगा कि नालन्दा की भांति भागलपुर जिले में विक्रमशिला भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। विक्रमशिला के साथ एक स्थान है सुल्तानगंज जहां गंगा नदी के बीच में एक पहाड़ी है, लाखों पर्यटक प्रतिवर्ष वहां जाते हैं। मैं इस बात को फिर दोहराता हूं कि "लाखों पर्यटक प्रति वर्ष वहां जाते हैं।" क्या केन्द्र सरकार इस सम्बन्ध में कुछ करेगी और इन स्थानों पर पर्यटकों को कम से कम मूल सुविधायें प्रदान करेगी ?

श्री राम निवास मिर्धा : मैं माननीय सदस्य के सुझाव से सहमत हूं। हम बिहार सरकार से सम्पर्क करेंगे और देखेंगे कि इस बारे में क्या किया जा सकता है।

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, कुछ दिन पहले मंत्री महोदय राजगीर, नालन्दा और बोध गया गये हुए थे और उन्होंने बहुत सारे आश्वासन वहां पर दिये थे। उनके जो आश्वासन थे, उनमें से कुछ बातों का जिक्र यहां पर किया गया है। इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूं कि बोध गया और राजगीर के बीच में काफी यात्री जाते हैं, बुधिस्ट यात्री और देश के और देश के बाहर से काफी लोग वहां पर आते हैं लेकिन यातायात की कमी की वजह से, लिंक ठीक न रहने की वजह से उन लोगों को काफी दिक्कत होती है। इस संबंध में मैं यह जानना चाहता हूं, जोकि दूसरा डिपार्टमेंट पड़ेगा लेकिन अगर आप टूरिज्म को बढ़ाना चाहते हैं, तो यह जरूरी है कि इस दिशा में कोई कार्यवाही हो, आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

श्री राम निवास मिर्धा : श्रीमान, यह बहुत ही मुश्किल है अगर हमारा विभाग, जो बुनियादी सुविधाएं हैं सड़क इत्यादि की, उनको पूरा करने लगे।

श्री विजय कुमार यादव : मैं रेल की बात कर रहा हूं।

श्री राम निवास मिर्धा : रेल तो और ज्यादा मुश्किल है।

अध्यक्ष महोदय : हवाई जहाज कहो, तो और उससे भी ज्यादा मुश्किल होगा।

[अनुवाद]

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : हम पहले सड़क द्वारा रेल मार्ग तक पहुंचे।

श्री रणजीत सिंह गायकवाड़ : हमारे पुरातत्वीय स्मारक, न केवल बिहार में अपितु पूरे देश में पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र हैं। किन्तु धन की कमी के कारण पुरातत्वीय स्मारकों का रख रखाव एवं सफाई भी नहीं की जाती। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या पर्यटन, पुरातत्व विभाग और संग्रहालय में कुछ समन्वय स्थापित किया जा सकता है ताकि पर्यटन के लिए दिए गए धन का उपयोग पुरातत्व विभाग और म्यूजियम विभाग द्वारा उचित रख-रखाव के लिए किया जा सके।

श्री राम निवास मिर्धा : पर्यटन विभाग सदा राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के पुरातत्व विभाग के साथ परामर्श करके कार्य करता है। पर्यटन संवर्धन योजना के अन्तर्गत शामिल किए गए स्मारकों का संरक्षण केन्द्रीय अथवा राज्य विभाग द्वारा किया जाता है। अतः वहां पर कोई भी परिवर्तन या निर्माण आदि आर्कियोलोजिकल सर्वे आफ इण्डिया की अनुमति तथा परामर्श द्वारा किए जाते हैं ताकि वहां के वातावरण में परिवर्तन न हो तथा स्मारकों का उचित ढ़ंग से संरक्षण हो सके।

[हिन्दी]

श्री राम प्यारे पनिका : अध्यक्ष महोदय, बिहार में अभी हाल में थाइलेंड की राजकुमारी आई थी और आपको आश्चर्य होगा कि वहां पर सभी धर्मों के बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान हैं यानी राष्ट्रीय एकीकरण के हिसाब से बिहार का महत्वपूर्ण स्थान है। बिहार एक सांस्कृतिक केन्द्र रहा है और आज आवश्यकता है कि वहां के तीर्थ स्थलों को धर्म स्थलों को पूरा डेवलप किया जाए। राष्ट्रीयता का ध्यान रखते हुए, वी० आई० पी० लिस्ट के जब बाहर से लोग आते हैं, तो सभी धर्मों के जो तीर्थ स्थल हैं और बिहार एक सांस्कृतिक केन्द्र है, उनको डेवलप करने के लिए क्या मंत्री जी इस सदन को आश्वासन देंगे।

श्री राम निवास मिर्धा : जो प्रसिद्ध धार्मिक स्थान है बिहार में, उनमें सब जगह कुछ न कुछ विकास का काम किया गया है। जैसा कि मैंने अपने उत्तर में कहा है कि बोध गया में, राजगीर में, वैशाली में, बक्सर में, ये सारे स्थान जो धार्मिक महत्व के हैं, उनमें कुछ न कुछ योजना अवश्य बनी है और विशेष तौर से जो बुध से सम्बन्धित स्थान हैं, उनके लिए विशेष कार्यक्रम बनाया गया है ताकि उनका विकास हो सके और ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति वहां आ सकें और केवल बिहार में ही नहीं, सिमरवा उत्तर प्रदेश में और अमरावती आन्ध्र प्रदेश में इन सबको मिलाकर एक ऐसा सर्किट बनाया जाए, जिससे बाहर के और हमारे देश के जो बोध टूरिस्ट्स हैं, वे जा सकें और उनको ज्यादा सुविधाएं मिल सकें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हो गया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

संयुक्त राष्ट्र के कार्यचालन के लिए फार्मूला

325. **श्री एच० बी० पाटिल** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तथा पांच अन्य देश एक ऐसा फार्मूला तैयार करने के प्रयासों में लगे हैं, जो संयुक्त राज्य अमरीका और संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य सदस्य देशों को, जिनमें अधिकांश तीसरे विश्व के देश हैं, संतुष्ट कर सकें ;

(ख) यदि हां, तो क्या संयुक्त राज्य अमरीका ने इस वर्ष अपना 110 मिलियन डालर का अंशदान रोक लिया है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में और क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

विदेश मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) वर्ष 1986 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 41 वें अधिवेशन के दौरान, 6 देशों के एक सलाहकार दल का गठन किया गया था जिसके सदस्य थे—भारत, ब्राजील, केप वर्डे, चीन, संयुक्त राज्य अमरीका तथा सोवियत संघ । इस दल का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रम बजट के क्षेत्र में नीति निर्धारण के लिए एक फार्मूला तैयार करना था । बाद में, इस सलाहकार दल के विचार-विमर्श के आधार पर, महासभा ने एकमत से संयुक्त राष्ट्र की प्रशासनिक और वित्तीय कार्यपद्धति की दक्षता की समीक्षा के बारे में एक प्रस्ताव (संख्या 41/213) स्वीकार किया ।

(ख) संयुक्त राज्य अमरीका ने वर्ष 1986 के लिए लगभग 20 करोड़ 80 लाख अमरीकी डालर के अपने कुल वार्षिक आकलित अंशदान में से 11 करोड़ डालर रोक लिए हैं। उसे 1987 का अंशदान अभी देना है ।

(ग) चूंकि उल्लिखित प्रस्ताव को एकमत से स्वीकार किया गया है, अतः भारत सरकार आशा करती है कि अमरीका अब अपने रोके हुए अंशदान का भुगतान कर सकेगा तथा चालू वर्ष का भुगतान भी समय से कर देगा । भारत संयुक्त राष्ट्र के वित्तीय और प्रशासनिक सुधार संबंधी प्रक्रिया में बराबर सक्रिय रूप से भाग लेता है । यह आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में अन्तर-सरकारी व्यवस्था की संरचना और संचालन की समीक्षा करने वाली संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के विशेष आयोग के चार उपाध्यक्षों में से सर्वसम्मति से एक उपाध्यक्ष चुना गया है ।

बर्मा और बंगला देश के साथ समुद्री सीमा

326. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मा के साथ समुद्री सीमा के संबंध में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो समझौते की मुख्य बातें क्या हैं और दोनों देशों के बीच समुद्री सीमा का सम्पूर्ण बंटवारा किस प्रकार किया गया है;

(ग) बंगलादेश के साथ समुद्री सीमा निर्धारण के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) भारत-बर्मा समझौते के संबंध में बंगलादेश सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी हां ।

(ख) इस करार के अनुसार, अंडमान सागर, कोको चैनल और बंगाल की खाड़ी में भारत और बर्मा के बीच समुद्री सीमा एक निरन्तर रेखा से बनती है जिसकी दिशा का निर्धारण समान्तराल सिद्धान्त के आधार पर किया गया है। इस करार में यह व्यवस्था है कि बर्मा, भारत और थाइलेंड के बीच करार द्वारा अंडमान सागर में त्रिबिंदु समुद्री सीमा तय हो जाने के बाद ही इस सागर में समुद्री सीमा को इन देशों के बीच त्रिबिंदु समुद्री जल सीमा तक बढ़ा दिया जाएगा। इस करार में यह भी व्यवस्था है कि बंगाल की खाड़ी में 200 समुद्री मील से आगे समुद्री सीमा का विस्तार बाद में किया जाएगा।

इस करार में यह भी स्वीकार किया गया है कि जिस पक्ष की समुद्री सीमा में जो भी द्वीप पड़ता होगा, जिसमें वे द्वीप भी शामिल होंगे, जो बाद में निकल आएं उस पर उसी पक्ष की सम्प्रभुत्ता होगी। यह करार समुद्री कानून से संबद्ध 1982 के संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के उन संगत उपबन्धों के अनुसार संबद्ध पक्षों के अपने-अपने समुद्री क्षेत्रों में अपनी सम्प्रभुत्ता प्रभुत्तात्मक अधिकारों और क्षेत्राधिकार को भी मान्यता दी गई है।

(ग) बंगला देश 200 मील की समुद्री सीमा को अंकित करने के बारे में बंगला देश के साथ हुई बातचीत का अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं निकला है।

(घ) हमें भारत-बर्मा करार के सम्बन्ध में बंगला देश की कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है।

निर्यात के लिए प्लास्टिक यूनिटों को प्रोत्साहन

*327. श्री चिरंजी लाल शर्मा

श्री आर० एस० भोये : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान प्लास्टिक और प्लास्टिक से बनी वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि करने के लिए प्लास्टिक यूनिटों को कोई नए प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सबंधी ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) तथा (ख) नकद मुआवजा सहायता (सी० सी० एस०), प्रतिपूर्ति लाइसेंस तथा शुल्क वापसी जैसे विशेष निर्यात प्रोत्साहनों के अतिरिक्त, सरकार ने नीति सम्बन्धी निर्णय लिया है कि निर्यात उत्पादन के लिए अपेक्षित कच्चा माल अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। यह भी विनिश्चय किया गया है कि संयत्र तथा मशीनों, जो स्वदेश में निर्मित नहीं होती हैं, के आयात की अलग-अलग मामलों के आधार पर समुचित निर्यात दायित्व के साथ शुल्क की घटी दरों पर अनुमति दी जाएगी।

तंजानिया को गेहूं का निर्यात

*329. श्री एम० रघुमा रेड्डी :

श्री मानिक रेड्डी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तंजानिया को गेहूं का निर्यात किए जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तंजानिया को कितनी मात्रा में गेहूं का निर्यात किए जाने की संभावना है; और

(ग) निर्यात संबंधी शर्तों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) से (ग) तंजानिया को गेहूं के कोई वाणिज्यिक निर्यात विचाराधीन नहीं हैं।

[हिन्दी]

निर्यात में गिरावट

***332. श्री हरीश रावत** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले दो वर्षों के दौरान कुछ देशों को किए जाने वाले निर्यात में निरंतर कमी आई है और वहां से होने वाले आयात में वृद्धि हुई है;

(ख) उन देशों के नाम क्या हैं, जहां गत वर्षों के दौरान हमारे निर्यात में कमी आई है; और

(ग) उन देशों को निर्यात बढ़ाने के लिए कौन से कदम उठाये जाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी हां।

(ख) 984-85 तथा 1985-86 के दौरान जिन प्रमुख देशों के सम्बन्ध में भारत के निर्यातों में गिरावट आई वे हैं; नीदरलेंड, इण्डोनेशिया, थाइलेंड, इराक, यमन अरब गणराज्य, मिस्र, अरब गणराज्य, नाइजीरिया, सूडान, स्वाजीलेंड, तंजानिया, जाम्बिया तथा अर्जेन्टीना।

(ग) निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए अपनाएं जा रहे सामान्य उपायों के अतिरिक्त, जिनका इन देशों को होने वाले निर्यातों पर भी प्रभाव पड़ेगा, विशेष उपाय भी किए जाते हैं जैसे कि व्यापार बढ़ाने के लिए मार्गोपायों का पता लगाने के लिए संयुक्त समितियों में विचार विमर्श करना, प्रतिनिधिमंडलों का आदान-प्रदान, प्रदर्शनियों तथा व्यापार मेलों में भाग लेना, सरकारी क्षेत्र के संगठनों के बीच संपर्क। कुछ मामलों में निर्यात किए गए हैं।

[अनुवाद]

"फूड क्राफ्ट इन्स्टीट्यूट" का दर्जा बढ़ाए जाने का प्रस्ताव

***333 प्रो० के० वी० थामस** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार से कलमस्सेरी, केरल में "फूड क्राफ्ट इन्स्टीट्यूट" का दर्जा बढ़ा कर उसे इन्स्टीट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट बनाए जाने और वहां डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया है ?

पर्यटन मंत्री (मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) जी, हां।

(ख) वित्तीय और तकनीकी प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए, कलमस्सेरी स्थित फूड क्राफ्ट इन्स्टीट्यूट का डिप्लोमा स्तर तक उन्नयन कर पाना संभव नहीं हो सका है।

विद्युत चालित करघों की मरम्मत के लिए सेवा केन्द्र

***335. श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में विद्युत चालित करघों की मरम्मत के लिए राज्य-वार, कितने सेवा केन्द्र कार्यरत हैं;

(ख) क्या नए केन्द्र स्थापित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और चालू वर्ष के दौरान इन केन्द्रों को कौन सी वित्तीय और तकनीकी सहायता दी गई हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) इस समय 12 विद्युत-करघा सेवा केन्द्र हैं, जिनमें से निम्नलिखित राज्यों में प्रत्येक में एक है।

विवरण

राज्य का नाम

1. महाराष्ट
2. पश्चिम बंगाल
3. उत्तर प्रदेश
4. मध्य प्रदेश
5. बिहार
6. राजस्थान
7. उड़ीसा
8. पंजाब
9. तमिलनाडु
10. गुजरात
11. केरल
12. कर्नाटक

(ख) तथा (ग) ऐसा प्रस्ताव है कि निम्नलिखित चार टैक्सटाइल रिसर्च ऐसोसिएशनों के माध्यम से चार नए केन्द्र स्थापित किए जाएं जोकि केन्द्रों को आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे :

साउथ इण्डिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन।

बम्बई टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन।

अहमदाबाद टेक्सटाइल इण्डस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन।

नार्थ इण्डिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन।

नए केन्द्रों के लिए आवश्यक धनराशि अगले वित्तीय वर्ष अर्थात् 1987-88 के दौरान प्रदान की जाएगी।

पर्यटन को उद्योग का दर्जा देना

*336. **श्री गोपाल कृष्ण थोटा** :

श्री श्रीहरि राव : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दे दिया गया है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार शेष राज्यों पर भी पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिए जाने के लिए जोर डाल रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर उनकी प्रतिक्रिया क्या है ?

पर्यटन मंत्री (मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) से (ग) अभी तक हिमाचल प्रदेश, मेघालय, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिल नाडु, हरियाणा, बिहार और त्रिपुरा

की सरकारों ने पर्यटन को एक उद्योग के रूप में घोषित किया है, जबकि उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और राजस्थान की सरकारों ने होटलों को एक उद्योग के रूप में घोषित किया है। अन्य राज्य सरकारों से ऐसी कार्रवाई करने के लिए कहा जा रहा है।

चन्दन के तेल का निर्यात

*3:9. **श्री वी० कृष्ण राव** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1985-86 के दौरान चन्दन के तेल के निर्यात में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) क्या विदेशों में चन्दन के तेल की भारी मांग है; और

(ग) यदि हां, तो इसके निर्यात में वृद्धि करने के लिए कौन से कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) तथा (ख) जी हां।

(ग) लट्ठों के रूप में चन्दन की लकड़ी के निर्यात पर रोक है। चन्दन की लकड़ी से बनी हस्तशिल्प की वस्तुओं के निर्यात के संबंध में, ऊपरी नक्काशी सहित चन्दन की लकड़ी का निर्यात रोकने के लिए 300% की न्यूनतम मूल्य वृद्धि निर्धारित की गई है। चन्दम की लकड़ी के तेल की निर्यात आय में वृद्धि करने के लिए, न्यूनतम निर्यात कीमत 1000 रु० किग्रा से बढ़ाकर 2000 रु० किग्रा कर दी गई है।

राजधानी में ड्राईविंग लाइसेंस की धोखाधड़ी करने वाला गिरोह

*340. **श्री सी० माधव रेड्डी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 31 जनवरी, 1987 के "टाइम्स आफ इण्डिया में "ड्राइविंग लाइसेंस रैकेट बस्टेड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया हैं;

(ख) यदि हां, तो इस मामले के तथ्य क्या है; और

(ग) इस संबंध में कौन सी कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) तथा (ग) यह सूचना प्राप्त होने पर कि एक गिरोह जाली ड्राइविंग लाइसेंसों और वाहन पजीकरण कागजातों की बिक्री करने में अन्तर्ग्रस्त हैं, एक फर्जी ग्राहक भेजा गया और इसके साथ ही छापा मारा गया। 64 जाली ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राईविंग लाइसेंसों के 430 कोरे फार्म, 3 कोरी पंजीकरण पुस्तकायें, रबड़ की मोहरे आदि जब्त की गई थी। 28 जनवरी, 1987 को थाना पंजाबी बाग में भा० द० सं० की धारा 420/468/471 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया गया और 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ व्यापार घाटे में वृद्धि

*341 **श्री एच० एन० नन्जे गौड़ा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ व्यापार में बढ़ता हुआ घाटा गंभीर चिंता का विषय बन गया है;

(ख) क्या इस मामले पर ब्रुसेल्स में 6 से 8 जनवरी, 1987 तक हुई भारत-यूरोपीय आर्थिक समुदाय संयुक्त आयोग के चौथे सत्र की बैठक में बातचीत की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसमें कौन से निर्णय लिए गए ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) तथा (ख) जनवरी, 1987 में ब्रसल्स

में हुई भारत-यूरोपीय आर्थिक समुदाय की बैठक में सरकार ने यूरोपीय आर्थिक समुदाय की तुलना में भारत के बढ़ते हुए व्यापार घाटे के बारे में अपनी चिन्ता व्यक्त की तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय को भारत से आयात बढ़ाने में मदद करके इस व्यापार अन्तराल को कम करने के लिए उचित उपाय करने का अनुरोध किया है।

(ग) यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने निर्यात उत्पादन के लक्ष्य वाले अतिरिक्त उपायों और यूरोपीय आर्थिक समुदाय की तुलना में भारत के व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली विभिन्न प्रशासनिक प्रक्रियाओं तथा विनियमों में अपेक्षाकृत अधिक लोचशीलता के जरिए व्यापार अन्तराल को कम करने में मदद करने के महत्व को माना।

राजस्थान, हरियाणा और गुजरात में पर्यटन के लिए वृहद योजना

*342. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन :** क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान, हरियाणा और गुजरात के लिए पर्यटन संबंधी कोई वृहद् योजना तैयार की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

पर्यटन मन्त्री (मुफ्ती मोहम्मद सईद): (क) और (ख) पर्यटन के लिए राज्यों की मास्टर प्लान्स तैयार नहीं कराई गई हैं। तथापि, केन्द्रीय पर्यटन मन्त्रालय ने राजस्थान में मेवाड़ कम्पलेक्स की मास्टर प्लान तैयार की है और चित्तोड़गढ़ की मास्टर प्लान तैयार की जा रही है।

गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा विनिमय व्यापार सौदे

*343. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र के व्यापार गृहों को विनियम व्यापार सौदे करने की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

वाणिज्य मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) तथा (ख) गैर-सरकारी क्षेत्र के व्यापार सदन जवाबी व्यापार सौदे करने के लिए स्वच्छंद है बशर्ते कि उनके अधीन आयात और निर्यात चालू आयात तथा निर्यात नीति के प्रावधनों के अन्तर्गत हों।

[हिन्दी]

लोह अयस्क का निर्यात

*344. **श्री राम पूजन पटेल :**

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वष 1987-88 के लिए लोह अयस्क के निर्यात-लक्ष्य में वृद्धि करने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या वर्ष 1985-86 और 1986-87 में निर्यात लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया था; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर)

1987-88 में लोह अयस्क (जिसमें सांद्रण तथा पैलेट शामिल हैं) के निर्यात में वृद्धि

किए जाने का प्रस्ताव है। 1985-86 तथा 1986-87 (अप्रैल-फरवरी) के दौरान निर्यात निम्नोक्त प्रकार रहें :

		(करोड़ रु० में)
	1985-86	1986-87 (अप्रैल-फरवरी)
निर्यात (जिसमें सांद्रण तथा पैलेट शामिल हैं)	555.62	509.65

2. 1985-86 में निर्यात लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया था। 1986-87 में निर्यात निष्पादन की अन्तिम तस्वीर मार्च 1987 के बाद ही सामने आएगी।

[अनुवाद]

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में भर्ती

3530. **श्री अनादि चरण दास** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के लिए और अधिक कर्मियों की भर्ती करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य से लिए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या निर्धारित करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाये गये हैं; और

(ग) उड़ीसा में इस प्रयोजन के लिए किन-किन स्थानों पर भर्ती केन्द्र खोले जायेंगे ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ग) बैंकों की सुरक्षा के लिए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में एक विभाग बनाने का निर्णय किया गया है। उड़ीसा सहित चयन और भर्ती के स्थानों का मानदण्ड वही होगा जो इस समय प्रचलित है।

अमरीकी कांग्रेस में प्रस्तुत 'ट्रेड बिल'

3531. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि संयुक्त राष्ट्र अमरीका में हाल में कांग्रेस में प्रस्तुत किए गये ट्रेड बिल में एक नया 'प्रतिकारात्मक' उपबंध शामिल किया है जिसमें राष्ट्रपति को उन देशों के विरुद्ध प्रतिकार करने की शक्ति प्रदान करने की मांग की गई है जो अमरीकी कम्पनियों को उनके बाजारों के लिए उतना माल नहीं देते जितना कि वे अमरीका में अपने निजी निर्यातकों को देते हैं; और

(ख) यदि हां, तो उस संबंध में भारत की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) तथा (ख) अमरीकी सीनेट में हाल में 1987 का एक बहुप्रयोजनीय व्यापार अधिनियम पेश किया गया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उन देशों के विरुद्ध प्रतिकार की अनुमति होगी जो अमरीका के पारस्परिक प्रवेश की व्यवस्था नहीं करेंगे। आगे परिवर्तनों की प्रतीक्षा है। तथापि, गाट सदस्य देशों के विरुद्ध ये प्रतिकारी व्यापार उपाय गाट के नियमों और सिद्धांतों के अनुरूप होंगे जिनके लिए गाट सविदाकारी पत्रकारों की स्वीकृति अपेक्षित होती है।

ईराक में ठेके प्राप्त करने वाली भारतीय कम्पनियां

3532. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ भारतीय कम्पनियों को इराक में सीमेंट और सिगरेट का निर्माण करने वाले यूनिट स्थापित करने के ठेके मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो उन भारतीय कम्पनियों के नाम क्या हैं; और

(ग) इराक में सीमेंट और सिगरेट का निर्माण करने वाले कारखाने स्थापित करने के लिए प्रत्येक भारतीय कम्पनी को कितने मूल्य का ठेका मिला है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी नहीं। किसी भी भारतीय कम्पनी को इराक में सीमेंट और सिगरेट का निर्माण करने वाले यूनिट स्थापित करने के लिए ठेके नहीं मिले हैं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

निर्यातगृहों आदि के लिए योजनाओं की समीक्षा

3533. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का निर्यात गृहों, व्यापार गृहों, आयात निर्यात पास बुक योजना और अग्रिम लाइसेंसधारी योजना के सम्बन्ध में निर्यात संवर्धन योजनाओं की समीक्षा करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या नये पैकेज को उदार बनाया जायेगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) जी हां। सरकार ने पहले ही सार्वजनिक अधिसूचना संख्या 156-आई०टी०सी० (पी०एन०) 185-88 दिनांक 19-2-1987 के अन्तर्गत उदारीकृत अग्रिम लाइसेंसिंग योजना की घोषणा कर दी है, जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

आयात निर्यात पास बुक योजना की भी समीक्षा की गई है तथा सरकार के निर्णयों को शीघ्र अधिसूचित किया जाएगा।

सरकार निर्यात / व्यापार सदन योजना की भी समीक्षा कर रही है।

भारतीय खनिज और धातु व्यापार निगम द्वारा आंध्र प्रदेश खनन निगम की साम्य पूंजी में भागीदारी

3534. **श्री सी० सम्बु** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खनिज और धातु व्यापार निगम का आंध्र प्रदेश खनन निगम की साम्य पूंजी में भागीदार होने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) तथा (ख) भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम लि० (एम०एम०टी०सी०) का आंध्र प्रदेश खनन निगम (ए०पी०एम०सी०) की साम्य पूंजी में भाग लेने का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव पर एम०एम०टी०सी०, ए०पी०एम०सी० तथा आंध्र प्रदेश सरकार के बीच बातचीत होती रही है। आंध्र प्रदेश सरकार ने ए०पी०एम०सी० के कुल साम्य में एम०एम०टी०सी० की 24 प्रतिशत तक भागीदारी को अनुमोदित कर दिया है।

[हिन्दी]

दिल्ली छावनी बोर्ड में दिहाड़ी पर लगे श्रमिकों की सेवाएं समाप्त करना

3535. **श्री कमला प्रसाद रावत :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली छावनी बोर्ड में बहुत समय पहले से दिहाड़ी पर काम कर रहे सैंकड़ों श्रमिकों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की कोई जांच कराई है;

(ग) यदि हां, तो उसके फलस्वरूप किन तथ्यों का पता चला है; और

(घ) इस संबंध में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) मई 1986 से दिसम्बर 1986 की अवधि के दौरान दिल्ली छावनी में वृक्षारोपण और इस क्षेत्र को सुन्दर बनाने के कार्यक्रम के विशिष्ट कार्य के लिए अलग-अलग समय के लिए 131 मजदूरों को दिहाड़ी पर रखा गया था। उन्होंने औसतन 79 दिन कार्य किया। यह कार्य दिसम्बर 1986 तक पूरा हो गया और उसके पश्चात् किसी मजदूर को दिहाड़ी पर नहीं रखा गया।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

बुहाना, जिला झुनझुनू राजस्थान में सेना भर्ती मेला

3536. **श्री मोहम्मद अयूब खां :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में झुनझुनू जिले में बुहाना के लोगों को सेना में भर्ती होने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उस स्थान पर सेना भर्ती मेले का आयोजन करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो मेले के वहां पर कब तक आयोजित किए जाने की संभावना है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

मंसूरी के पास ऐवरेस्ट इस्टेट के विकास की योजना

3537. **डा० ए०के० पटेल :**

श्री सी० जंगा रेड्डी : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की यह कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मंसूरी के पास ऐवरेस्ट इस्टेट को पर्यटन स्थल में बदलने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के लिये कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है ?

पर्यटन मन्त्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय को मंसूरी के पास ऐवरेस्ट इस्टेट को एक पर्यटक स्थल में बदलने के बारे में कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

निर्यातकों द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा की घोषणा

3538. **श्री नित्यानन्द मिश्र** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वे कंपनियां, जिन्हें अपने माल का निर्यात करने के लिये रियायतें दी गई हैं, उनके द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा सूचित नहीं करती है और सरकार को ऐसी सूचना विभिन्न स्रोतों से प्राप्त करनी पड़ती है;

(ख) क्या सरकार माल की प्रत्येक खेप के लिये स्वीकृति देने से पहले उसे प्राप्त होने वाली विदेशी मुद्रा की घोषणा करना और बाद में तुलन-पत्र में कुल अर्जित विदेशी मुद्रा दिखाना ऐसी कम्पनियों के लिये अनिवार्य करने पर विचार कर रही है; और

(ग) क्या इस उद्देश्य से वर्तमान कानूनों में कोई संशोधन करने पर विचार किया जा रहा है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) विदेशी मुद्रा आय नौवहन बिल तथा निर्यातों के बैंक प्रमाण-पत्र जैसे निर्यात प्रलेखों में दर्शायी जाती हैं और उसके आधार पर कंपनियों द्वारा निर्यात प्रोत्साहनों के दावे के लिए आवेदन किए जाते हैं।

(ख) तथा (ग) मामले पर विचार किया जा रहा है।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय को समुद्री उत्पादों का निर्यात

3539. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सदस्य देशों को समुद्री उत्पादों का निर्यात करने के मामले में भारत यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा बुरी तरह प्रभावित हुआ है;

(ख) क्या यह सच है कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय समुद्री उत्पादों का विश्व का सबसे बड़ा आयातक है तथा भारत भी झींगा मछलियों का विश्व का बड़ा निर्यातक देश है;

(ग) क्या यूरोपीय आर्थिक समुदाय आयोग ने भारतीय अधिकारियों को यह आश्वासन दिया है कि वह पश्चिम यूरोप को समुद्री उत्पादों का निर्यात करने में भारत के साथ सहयोग करेगा;

(घ) क्या आयात शुल्क में रियायतों के लिए भारत की ओर से किया गया अनुरोध यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है जब कि कुछ अन्य देशों को बड़ी रियायतें दी गई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी नहीं। यूरोपीय आर्थिक समुदाय को भारत के समुद्री उत्पादों के निर्यात बढ़े हैं जैसा कि नीचे दिया गया है—

	मात्रा (मै० टन)	मूल्य (लाख रु०)
1984-85	8060	3434.22
1985-86	14230	4315.69
1986-87 (अप्रैल-दिसम्बर)	13967	4628.67
1985-86	9928	3027.39

(ख) जी हां। यूरोपीय आर्थिक समुदाय समुद्री उत्पादों का विश्व में सबसे बड़ा आयातक है और मात्रा की दृष्टि से भारत श्रिम्प का विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक है।

(ग) से (ङ) भारत-यूरोपीय आर्थिक समुदाय के संयुक्त आयोग के चौथे अधिवेशन की ब्रसेल्स में 1987 में हुई बैठक के दौरान यूरोपीय आर्थिक समुदाय आयोग, यूरोपीय आर्थिक समुदाय के बाजार में भारत के निर्यातों को, जिनमें समुद्री उत्पाद शामिल हैं, अधिक प्रवेश पर विचार करने के लिए सहमत हुआ। यूरोपीय आर्थिक समुदाय के जी एस पी के अधीन श्रिम्प की भारतीय किस्म के लिए शुल्क की वर्तमान दर 4.5 प्रतिशत है।

भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के सैनिकों को स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन देने हेतु संभावित नियमों को उदार बनाना

3540. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भूतपूर्व आजाद हिंद फौज के सैनिकों को स्वतंत्रता सेनानी पेंशन देने हेतु संबंधित नियमों को उदार बनाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) तथा (ख) भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के सैनिकों से संबंधित उपबंधों सहित पेंशन योजना के उपबंधों के उदार बनाने के सुझाव समय-समय पर प्राप्त होते हैं। सरकार द्वारा गठित समिति यह सुनिश्चित करने के तरीकों की जांच कर रही है कि भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के पात्र सैनिकों को उनकी पेंशन से इंकार न किया जाए।

काफी के निर्यात में कमी

3541. **श्री मोहनभाई पटेल** :

श्री चिंतामणि जेना : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की यह कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काफी के अच्छी फसल होने और विदेशों में मांग में कमी होने के कारण काफी का बड़ा स्टाक एकत्र हो गया है;

(ख) क्या यह सच है कि इस वर्ष काफी के निर्यात में कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) अन्य कौन-कौन से देश काफी का निर्यात कर रहे हैं;

(ङ) क्या काफी के निर्यात पर निगरानी रखने के लिए कोई अन्तर्राष्ट्रीय काफी संगठन है;

(च) क्या काफी का उत्पादन करने वाले प्रत्येक देश के लिए कोई निर्यात कोटा निर्धारित किया जा रहा है; और

(छ) यदि हां, तो भारत के लिए वर्ष 1986-87 के लिए कितना कोटा निर्धारित किया गया है।

वाणिज्य मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) इस वर्ष के उत्तरार्ध में अन्तर्राष्ट्रीय बाजार कीमतों में कमी होने और

साथ ही काफी वर्ष 1985-86 के दौरान कम उत्पादन होने के कारण भारत से काफी के निर्यातों में मात्रा की दृष्टि से मामूली सी कमी आई है।

(घ) भारत के अलावा कई अन्य काफी निर्यातक देश हैं जैसे ब्राजील, कोलम्बिया, इण्डोनेशिया, आइवरी कोस्ट आदि।

(ङ) से (छ) अन्तर्राष्ट्रीय काफी संगठन, जिसका भारत एक सदस्य है, सदस्य निर्यातक देशों से सदस्य आयातक देशों को काफी के निर्यातों पर नियंत्रण रखता है। प्रत्येक सदस्य निर्यातक देश के लिये निर्यात कोटे निर्धारित किए जाते हैं। '9-2-1986 से कोटे निलंबित होने के कारण 1986-87 के लिये कोई कोटे निर्धारित नहीं किये गए थे।

दिल्ली पुलिस में कार्य की शर्तों में सुधार करने की योजना

3542. **श्री पूर्ण चन्द्र मलिक** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की दिल्ली पुलिस के कार्य की शर्तों में सुधार करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी चिदम्बरम) : (क) से (ग) दिल्ली पुलिस की कार्य की शर्तों में सुधार करना एक निरन्तर प्रक्रिया है। तथापि दिल्ली पुलिस की कार्य की शर्तों में सुधार करने के लिए हाल में निम्नलिखित कदम उठाए गये हैं :—

1. दिल्ली पुलिस कार्मिकों के वेतनमान और परिलब्धियों में सुधार किया गया है। कान्स्टेबल से निरीक्षक तक विभिन्न पदों के लिए आऊट फिट भत्ता, वाहन भत्ता और भोजन भत्ते में भी सुधार किया गया है।

2. पुलिस आवास को योजना स्कीम माना जाता है। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1660 व्यक्तियों के लिए 1528 क्वाटर और बैरक बनाए गए। सातवीं योजना अवधि में 3700 पुलिस कार्मिकों के लिए 3972 क्वाटरों और बैरकों के निर्माण के लिए 800 लाख रुपए आबंटित किए गए हैं।

3. अतिरिक्त पदों के सृजन के कारण पदोन्नति के अवसरों में सुधार हुआ है।

4. बेहतर गतिशीलता के लिए लगभग 500 अतिरिक्त वाहन उपलब्ध कराए गए हैं।

दिल्ली में विशेष पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति

3543. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्थानीय पुलिस की सहायता के लिए दिल्ली के पुलिस आयुक्त के अधीन पुलिस आयुक्तों के कार्यालयों में वर्ष 1986 के दौरान बहुत से विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो इन विशेष पुलिस अधिकारियों का दर्जा क्या था;

(ग) क्या इन विशेष पुलिस अधिकारियों को कोई विशेष प्रशिक्षण दिया गया था; और

(घ) यदि हां, तो उक्त प्रशिक्षण और इस संबंध में अपनाई गई प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) और (घ) विशेष पुलिस अधिकारियों के लिए अपने क्षेत्रों में असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर नजर रखना तथा जिला पुलिस प्राधिकारियों को यह सूचना देना आवश्यक है।

रेशम बोर्ड में चेयरमैन का रिक्त पद

3544. **श्री एम० सुब्बा रेड्डी** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेशम बोर्ड में कई महीनों से कोई चेयरमैन नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या रायलसीमा क्षेत्र में रेशम की प्रचुर मात्रा उपलब्ध होने को ध्यान में रखते हुए वहां पर रेशम बोर्ड का एक क्षेत्रीय शाखा कार्यालय खोलने का प्रस्ताव है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) केन्द्रीय रेशम बोर्ड के चेयरमैन की अब तक नियुक्ति नहीं की गई है। यथाशीघ्र किसी उपयुक्त व्यक्ति को नियुक्त करने के लिए प्रयास किए जा रहे है।

(ग) केन्द्रीय रेशम बोर्ड (सी० एस० बी०) ने अनन्तपुर में एक क्षेत्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान स्टेशन पहले ही स्थापित कर दिया है ताकि रायलसीमा इलाके में रेशम उत्पादन क्षेत्र की अनुसंधान तथा विकास जरूरतों को पूरा किया जा सके। सी० एस० बी० ने हैदराबाद में एक क्षेत्रीय विकास कार्यालय भी स्थापित किया है जो रायलसीमा सहित सम्पूर्ण राज्य में रेशम उत्पादन विकास कार्यकलापों का समन्वय करता है।

नेताजी के लापता हो जाने के मामले की पुन: जांच करना

3545. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के लापता हो जाने के मामले की पुन: जांच करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में आगे और कौन से कदम उठाने का विचार है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

हस्तशिल्प की वस्तुओं का निर्यात

3546. **श्री राधाकान्त डिगाल** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 और 1986-87 में रत्नों और आभूषणों सहित हस्तशिल्प की वस्तुओं के निर्यात के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था और कितना लक्ष्य प्राप्त हुआ है; और

(ख) वर्ष 1987-88 में रत्नों और आभूषणों सहित हस्तशिल्प की वस्तुओं के निर्यात के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) 1985-86, 1986-87 तथा 1987-88 वर्षों के लिए रत्न तथा आभूषणों सहित हस्तशिल्प की वस्तुओं के निर्यात के लक्ष्य तथा उपलब्धियां नीचे दी गई हैं :—

वर्ष	लक्ष्य	(करोड़ रुपए में) रत्न तथा आभूषणों सहित हस्तशिल्प की वस्तुओं के निर्यात
1985-86	1896	1879-97 (अनन्तिम)
1986-87 (अप्रैल-दिसम्बर, 86)	2050	1781.62 (अनन्तिम)
1987-88	2200	—

इन्जीनियरी सामान के निर्माण और निर्यात में कमी

3547. श्री चिन्तामणि जेना : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी क्षेत्र से इन्जीनियरी सामान के निर्माण और निर्यात में भारी कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस मामले में क्या उपचारात्मक उपाय किये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) गत पांच वर्षों में पूर्वी क्षेत्र से इन्जीनियरी सामाम के निर्यात निम्नलिखित अनुसार रहे हैं :—

वर्ष	अखिल भारतीय निर्यात (करोड़ रु० में)	पूर्वी क्षेत्र से निर्यात	पूर्वी क्षेत्र के हिस्से का प्रतिशत
1981-82	1042.74	177.45	17.02
1982-83	1011.00	170.00	16.81
1983-84	1000.00	170.00	17.00
1984-85	1150.00	185.00	16.08
1985-86	1000.00	185.00	18.50

(ख) तथा (ग) पूर्वी क्षेत्र से निर्यात उल्लेखनीय रूप में नहीं बढ़े हैं। पूर्वी क्षेत्र क इन्जीनियरी सामान के निर्यातकों की विशेष कठिनाईयों की जांच करने के लिए और उपयुक्त उपचारात्मक उपाय सुझाने के लिये वाणिज्य मंत्रालय द्वारा एक समिति स्थापित की गई है।

अलफान्सो किस्म के आम का उत्पादन

3548. प्रो० मधु दंडवते : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र के पिछड़े कोंकण क्षेत्र के सिन्धु दुर्ग और रतनगिरी जिलों में अलफान्सो किस्म के आमों का उत्पादन काफी बढ़ने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो क्या आम उत्पादकों और विदेशी मुद्रा के रक्षित भंडार दोनों के हित में सरकार का आमों के निर्यात के लिए और अधिक प्रोत्साहन देने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) महाराष्ट्र के सिन्धु दुर्ग और रत्नागिरी जिले अलफान्सो किस्म के आमों की कृषि के लिए प्रसिद्ध हैं जिसकी विदेशी बाजारों में अधिक मांग है। महाराष्ट्र राज्य सरकार अलफान्सो आमों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के उपाय कर रही है। अन्य बातों के साथ-साथ इन उपायों में शामिल हैं: छोटे कृषकों को 50

प्रतिशत पूंजी उपदान, ऐसे कृषकों को रोपण सामग्री का वितरण जो अपने वित्तीय संसाधनों से आम की कृषि करते हैं, लाभभोगी किसानों द्वारा किए गए पौध बचाव उपायों की लागत के आधार पर 50 प्रतिशत उपदान आमों के निर्यातों को प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार पहले ही नकद मुआवजा सहायता, आयात प्रतिपूर्ति जैसे प्रोत्साहन दे रही है।

देश में आयुध-कारखानों की स्थापना

3549. **प्रो० नारायण चन्द पाराशर :** क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न राज्यों में आयुध कारखानों की स्थापना की मांगें निर्णय के लिए सरकार के पास लंबित पड़ी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में किस तारीख तक निर्णय लिए जाने की आशा है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन तथा पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) आयुध निर्माणियों की स्थापना का निर्णय, तकनीकी-आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से किया जाता है। हिमाचल प्रदेश, केरल, बिहार एवं पांडिचेरी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से इस सम्बन्ध में अनुरोध प्राप्त हुए थे। उन्हें सूचित कर दिया गया है कि नई आयुध निर्माणियों की स्थापना के बारे में अन्तिम निर्णय लेते समय उनके अनुरोधों को ध्यान में रखा जाएगा।

बन्द कपड़ा मिलें

3550. **श्री के० प्रधानी :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1987 के अन्त में प्रत्येक राज्य में कितनी कपड़ा मिलें रुग्ण/बन्द थीं;

(ख) इन मिलों के बन्द और रुग्ण होने के कारण कितने श्रमिक बेरोजगार हुए; और

(ग) इसके कारण कितने मूल्य के उत्पादन का नुकसान हुआ ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) प्रभावित कर्मचारियों की संख्या 91370 थी।

(ग) इन मिलों के बन्द होने की वजह से उत्पादन के नुकसान का मूल्य उनकी स्थापित क्षमता के आधार पर उत्पादन के मूल्य के बराबर था।

विवरण

राज्य का नाम	मिलों की संख्या
1. आन्ध्र प्रदेश	1
2. बिहार	1
3. गुजरात	23
(क) अहमदाबाद शहर	16
(ख) शेष गुजरात	7
4. हरियाणा	2
5. कर्नाटक	4
6. मध्य प्रदेश	3

राज्य का नाम	जिलों की संख्या
7. महाराष्ट्र	8
(क) बम्बई शहर	3
(ख) शेष महाराष्ट्र	5
8. राजस्थान	5
9. तमिलनाडु	20
(क) कोयम्बतूर	10
(ख) शेष तमिलनाडु	'0
10. उत्तर प्रदेश	4
11. प० बंगाल	3
योग :	74

शुष्क बन्दरगाह की सुविधाओं का विस्तार

3551. **श्री कमला प्रसाद सिंह : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत बारह महीनों के दौरान दिल्ली में शुष्क बन्दरगाह द्वारा कितना भाड़ा अर्जित किया गया है; और

(ख) अगले दो वर्षों के दौरान किन-किन स्थानों पर शुष्क बन्दरगाह की सुविधाओं का विस्तार करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) दिल्ली में कोई शुष्क पत्तन कार्य नहीं कर रहा है। तथापि, दिल्ली क्षेत्र में रेलवे की एक पाइलट प्रोजेक्ट इन्लैंड कन्टेनर डिपो (आई०सी०डी०) तथा सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन द्वारा संचालित कन्टेनर फ्रेट स्टेशन (सी०एफ०एस०) के जरिए एक शुष्क पत्तन की अनिवार्य सुविधायें उपलब्ध कराई गई हैं। आई०सी०डी०, नई दिल्ली में फरवरी 1986 से जनवरी, 1987 तक 7.11 करोड़ रु० भाड़े के रूप में अर्जित किए गए। इसके अतिरिक्त, अन्य स्थानों पर रेलवे द्वारा छः आई०सी०डी० का संचालन किया जा रहा है।

(ख) रेलवे द्वारा दिल्ली में पाइलट सुविधा को तुगलकाबाद में आधुनिक आई०सी०डी० में बदलने के लिये गहराई से जांच की जा रही है। इस स्थान तथा अन्य स्थानों के बारे में अन्तिम निर्णय सम्बन्धित विभागों के परामर्श से किया जायेगा।

चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन

3552. **श्री जनकराज गुप्त : क्या रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों के संबंध में चौथे वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की है; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) और (ख) चतुर्थ केन्द्रीय वेतन आयोग ने भूतपूर्व सैनिकों सहित वर्तमान पेंशनरों के लिए युक्त संगत पेंशन ढांचा बनाने के लिए अपनी रिपोर्ट के भाग-2 के अध्याय 10 में जो सिफारिशें की हैं

उन्हें स्वीकार कर लिया गया है। वर्तमान पेंशनरों के लिये अपंगता तत्वों पर की गई सिफारिशों में सुधार किया गया है और वर्तमान अपंग पेंशनरों के लिए निरन्तर परिचर्या भत्ते पर की गई सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया है। लोक सभा में 13.3.1987 को इन सिफारिशों पर सरकार द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मंत्री ने एक वक्तव्य दिया। वेतन आयोग द्वारा सुझाई गई न्यूनतम परिवार पेंशन को 300 रु० से बढ़ाकर 375 रु० प्रतिमास करने के भी आदेश जारी कर दिए गए हैं। अन्य सिफारिशों के बारे में भी जल्दी ही आदेश जारी कर दिए जायेंगे।

आयोग ने अपनी रिपोर्ट के भाग-2 के अध्याय 4 में सिफारिश की है कि जहां तक संभव हो तीनों सेनाओं में विभिन्न ट्रेडों को लगातार आधार पर सूची में शामिल किया जाए ताकि जब कोई सैनिक सेवानिवृत्त हो तो उसे उसी प्रकार के ट्रेड में लगने में कोई कठिनाई न हो जिस प्रकार के ट्रेड से वह सेवानिवृत्त हुआ। भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं के सम्बन्ध में बनी उच्च स्तरीय समिति ने भी इसी प्रकार की सिफारिश की है। समिति की सिफारिश के अनुसरण में एक स्थायी समिति का गठन किया गया है जिसके अध्यक्ष महानिदेशक (पुनर्वास), रक्षा मंत्रालय है और इसमें तीनों सेनाओं तथा विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधि सम्मिलित हैं। सिविल ट्रेडों के साथ सेना ट्रेडों की समता के बारे में एक निर्देशिका पहले ही प्रकाशित कर दी गई है। समिति स्थिति की निरन्तर समीक्षा करेगी।

समिति ने रिपोर्ट के भाग-2 के अध्याय 4 और 15 में भूतपूर्व सैनिकों को चिकित्सा सुविधायें पुनर्वास महानिदेशालय को सुदृढ़ एवं पुनर्गठित करने, सिविल रोजगारों में लगाने और कार्यान्वयन पर नजर रखने, सेवा-निवृत्त सैनिकों की सहायता के लिए एक प्रभावी मशीनरी बनाने और पुनर्वास महानिदेशक का पद बढ़ाने जैसी अन्य सिफारिशें भी की हैं। इन सिफारिशों पर यथा समय निर्णय लिया जाएगा।

मद्रास निर्यात प्रवर्धक क्षेत्र के कार्यकरण का मूल्यांकन

3553. **श्री पी० एम० सईद** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अगस्त, 1983 में स्वीकृति देने के पश्चात् मद्रास निर्यात प्रवर्धक क्षेत्र के कार्यकरण की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो अब तक इस परियोजना की उपलब्धियां क्या हैं;

(ग) वार्षिक निर्यात का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था और वास्तविक उपलब्धि क्या है; और

(घ) क्या कोई आवेदन लम्बित पड़े हुए हैं और यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है?

वाणिज्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) तथा (ख) अन्यों के साथ मद्रास निर्यात प्रोसेसिंग जोन की प्रगति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। जोन में आवश्यक अवस्थापना संबंधी सुविधाओं के लिए प्रबन्ध किए गए हैं, जिनमें शामिल हैं पानी, पावर, संचार, वेयर हाउसिंग 12 औद्योगिक इकाइयों ने उत्पादन आरम्भ कर दिया है जबकि 11 अन्य इकाइयों की फैक्ट्री बिल्डिगों के निर्माण का कार्य हाथ में ले लिया गया है।

(ग) मद्रास निर्यात प्रोसेसिंग जोन से अब तक 10.48 करोड़ रु० के निर्यात हुए हैं जबकि 1987-88 के लिए लक्ष्य 30 करोड़ रु० का निर्धारित किया गया है।

(घ) जो तीन आवेदन पत्र 9-3-87 को हुई मद्रास निर्यात प्रोसेसिंग जोन के अनुमोदन बोर्ड की पिछली बैठक में रखे जाने के लिए बहुत देर से प्राप्त हुए थे, वे लम्बित हैं। कोई भी पुराना आवेदन-पत्र अनुमोदन बोर्ड के विचार के लिए लम्बित नहीं हैं।

भारत द्वारा पेरिस व्यापार मेले में भाग लिया जाना

3554. **श्री सी० के० कुप्पुस्वामी :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में समाप्त हुए "सोलोन इंटरनेशनल ड्यू प्रेट-ए पोर्टर फेमिनिन", पेरिस में भारतीय मंडप में किन-किन वस्तुओं के लिए आर्डर बुक किए गए थे;

(ख) ऐसी प्रत्येक वस्तु के लिए कितने रुपयों के आर्डर बुक किए गए; और

(ग) इस मेले में भारत के भाग लेने के कारण कितना व्यापार बढ़ा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) "सोलोन इन्टरनेशनल ड्यू प्रेट-ए पोर्टर फेमिनिन, पेरिस" में जिन वस्तुओं के लिए आर्डर बुक किए गए उनके प्रकार और उनके लगभग मूल्य निम्नोक्त प्रकार हैं :

मद	बुक किए गए आर्डरों का लगभग मूल्य (लाख रु० में)
सिले-सिलाये परिधान	185.50
सिल्क सिक्विन ड्रेसेज	175.00
रेशमी परिधान	101.00
स्कार्व्स	79. 0
चमड़े के हैन्ड बैग	31.00
हस्तशिल्प की वस्तुयें	21.00
फैब्रिक्स	13.50
स्पोर्ट्स वीयर	9.50
होजरी	7.50
कस्ट्यूम आभूषण	42.50

मेले में सृजित कुल निर्यात व्यापार लगभग 6.70 करोड़ रु० का रहा।

पोलैंड को इन्जीनियरिंग सामान का निर्यात

3555. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज वाडियर :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोलैंड भारतीय इन्जीनियरिंग उत्पादों का आयात कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो कब से तथा वर्ष 1985-86 और 1986-87 के दौरान पोलैंड को कितने मूल्य के इन्जीनियरिंग सामान का निर्यात किया गया;

(ग) क्या पोलैंड ने इन्जीनियरिंग सामान के आयात में वृद्धि करने की इच्छा व्यक्त की है;

(घ) यदि हां, तो पोलैंड के प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वर्ष 1987-88 में उस देश को कितना इन्जीनियरिंग सामान निर्यात किए जाने का अनुमान है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) तथा (ख) पोलैण्ड पिछले कई वर्षों से भारत से कुछ इन्जीनियरी माल का आयात करता रहा है यद्यपि मूल्य अपेक्षाकृत कम रहा है। 1985-86 तथा 1986-87 के दौरान इन निर्यातों से सम्बन्धित जानकारी अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) से (ङ) पोलेंड ने भारत से इन्जीनियरी मदों की खरीद बढ़ाने के लिए अपनी उत्सुकता व्यक्त की है। इस सम्बन्ध में उन्होंने जिन इन्जीनियरी मदों की व्यापक शृंखला के अध्ययन के लिए फरवरी, 1987 में एक प्रतिनिधि मण्डल भारत भेजा, उनमें शामिल हैं आटोमोटिव संघटक, इलैक्ट्रिक तथा इलैक्ट्रानिक सघटक, कास्टिंग्स तथा फोर्जिंग्स, दस्ती, मशीनी तथा न्यूमैटिक औजार, धातु निरुपण तथा फिनिशिंग उपस्कर, बाइसिकल संघटक, कृषि उपकरण, होम एप्लायेसेज, स्टेनलैस स्टील के उत्पाद, धातुकर्मीय उद्योग हेतु उपस्कर आदि। ऐसी आशा है कि पोलेंड, भारत से इन्जीनियरी मदों की कुछ अतिरिक्त मात्रा खरीदने पर विचार करेगा और विशेष रूप से वर्तमान सन्दर्भ में, जबकि व्यापार शेष पोलेंड के पक्ष में है। 1987 के लिए भारत पोलेंड व्यापार योजना में पोलेंड को होने वाले भारतीय निर्यातों के लिए 250 करोड़ रु० मूल्य का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसमें इन्जीनियरी मदों का भाग लगभग 1/8वां है।

जापान को लोह अयस्क का निर्यात

3556. **श्री हरिहर सोरन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87 में जापान को लोह अयस्क का कितनी मात्रा में निर्यात किया गया;

(ख) क्या सरकार का वर्ष 1987-88 में जापान को लोह अयस्क के निर्यात में वृद्धि करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1987-88 में जापान को कुल कितने टन लोह अयस्क निर्यात किए जाने का अनुमान है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) 1986-87 (अप्रैल 86-फरवरी 87) के दौरान जापान को 16.07 मिलियन मे० टन लोह अयस्क का निर्यात किया गया है।

(ख) तथा (ग) 1987-88 के दौरान भारत से जापान को निर्यात के लिए संविदा किए जाने वाले लोह अयस्क की कीमत और मात्रा के बारे में वार्तायें अभी तक समाप्त नहीं हुई हैं।

[हिन्दी]

दिल्ली में होमगार्ड

3557 **डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में इस समय कार्यरत होम गार्डों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या प्रत्येक होमगार्ड द्वारा दी गई ड्यूटी के घन्टों को ध्यान में रखे बिना सभी होम गार्डों को समान वेतन दिया जाता है;

(ग) यदि हां, तो उनके काम के घंटे क्या हैं और उन्हें इसके बदले कितना वेतन दिया जाता है;

(घ) क्या अधिकांश होमगार्ड बेरोजगार हैं;

(ङ) यदि हां तो क्या सरकार उनकी सेवाओं को नियमित करने पर विचार करेगी; और

(च) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) दिल्ली में होम गार्डों की नामांकित संख्या 8900 में से लगभग 8340 को प्रतिदिन ड्यूटी पर बुलाया जाता है।

(ख) तथा (ग) होम गार्ड्स एक स्वयं सेवी बल होने के कारण, वेतन के लिए पात्र नहीं हैं परन्तु उन्हें 8 घंटे की ड्यूटी के लिए 15 रुपए प्रतिदिन का आऊट आफ पाकेट अलाउंस दिया जाता है।

(घ) चूंकि होम गार्डों की संकल्पना स्वैच्छिक है, इसलिए कुछ बेरोजगार व्यक्ति भी होमगार्ड वालन्टीयर्स के रूप में अपने आपको नामांकित करवा सकते हैं। बल का उद्देश्य अपने स्वयंसेवी सदस्यों को रोजगार देना नहीं है।

(ङ) चूंकि होमगार्ड एक स्वयंसेवी बल है जो 3 से 5 वर्ष के लिए तैनात किया जाता है, इसलिए इनकी सेवाओं को नियमित करने का प्रश्न नहीं उठता।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अशोक यात्री निवास का कार्यकरण

3558. **श्री विजय कुमार मिश्र** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अशोक यात्री निवास में अनेक मामलों में आवासीय सुविधा प्रदान करने से उन लोगों को भी इन्कार कर दिया जाता है जो नकद भुगतान कर अग्रिम स्थान बुक कराते हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि स्थान के लिए अग्रिम बुकिंग कराने वाले लोगों को आवास के लिए लाबी में कई घन्टे तक इन्तजार करना पड़ता है; और

(ग) यदि हाँ, तो अशोक यात्री निवास के स्वागत कार्यालय के कार्यकरण में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यटन मन्त्री (मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) जी, नहीं।

(ख) आकुपेंसी बहुत अधिक होने के कारण सम्भव है दोपहर 12 बजे चैक-इन टाइम से पहले अशोक यात्री निवास पहुंचने वाले अतिथियों में से कुछेक को कभी-कभार चैक-आउट टाइम दोपहर 12 बजे तक प्रतीक्षा करनी पड़ी हो क्योंकि तब बड़ी संख्या में अतिथि होटल खाली करके जाते हैं।

(ग) स्वागत कर्मचारियों को हिदायत दी गई है कि वे अतिथियों को तत्काल अपनी सेवायें अर्पित करें। स्वागत कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई गई है और कमरों का आबटन करने के लिए चैक-इन टाइम सुबह 8.00 बजे दोपहर 12 बजे तक कर दिया गया है तथा इसके लिए अतिथियों से कोई अतिरिक्त किराया नहीं लिया जाता।

भारत ईरान संयुक्त आयोग की बैठक

3559. **श्री प्रकाश चन्द्र :**

श्री सुभाष यादव :

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-ईरान संयुक्त आयोग की फरवरी, 1987 के दौरान नई दिल्ली में एक बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) उसमें कौन-कौन से निर्णय लिए गए ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी हां। भारत-ईरान संयुक्त आयोग का चौथा अधिवेशन 19 और 20 फरवरी, 1987 को नई दिल्ली में हुआ था। उक्त संयुक्त आयोग की दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त रूप से अध्यक्षता की थी।

(ख) और (ग) : संयुक्त आयोग की बैठक से यह प्रकट हुआ कि दोनों ही पक्ष पारस्परिक लाभकारी द्विपक्षीय सहयोग का विस्तार करने के साथ-साथ उसमें विविधता लाना चाहते हैं। दोनों पक्षों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि अधिक से अधिक वाणिज्यिक आदान-प्रदान करने के लिए अपेक्षाकृत और अधिक प्रयास किए जाने चाहिएं। उद्योग के क्षेत्र में सहयोग के अनेक क्षेत्रों का पता लगाया गया। दोनों पक्षों ने कुद्रेमुख लौह अयस्क परियोजना से सम्बद्ध अनिर्णीत मसलों पर और आगे बातचीत करने पर भी सहमति व्यक्त की। भारतीय पक्ष ने ईरानी राष्ट्रिकों को प्रशिक्षण की सुविधा देने पर सहमति व्यक्त की। संस्कृति और कला के क्षेत्र में एक दूसरे के देश की यात्राएं की जाएंगी। संयुक्त आयोग की बैठक के निर्णयों के कार्यान्वयन की प्रगति पर निगरानी रखने के लिए एक संयुक्त समिति की स्थापना की गई।

प्रगति मैदान में आयोजित भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भाग लेने वाले देश

3560. **डा० वी० विजय रामाराव :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली के प्रगति मैदान में हाल ही में आयोजित भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में कितने देशों ने भाग लिया ;

(ख) इस व्यापार मेले पर कुल कितना व्यय किया गया; और

(ग) उक्त व्यापार मेले के दौरान भारतीय कम्पनियों का कितने और कितने मूल्य के निर्यात आर्डर प्राप्त हुए हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, 986 (14-30 नवम्बर 1986) में 31 देशों ने भाग लिया।

(ख) आई• आई० टी• एफ० पर अनुमानित व्यय 2.67 करोड़ रु० है।

(ग) मेले में सृजित निर्यात व्यापार लगभग 57 करोड़ रु० का है।

रबड़ उत्पादन में आत्म-निर्भरता

3561. **श्री के० राममूर्ति :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिणी भारत की 'यूनाइटेड प्लांटर्स एसोसिएशन' ने सरकार को कोई अभ्यावेदन दिया है कि नई फसल के मौके पर रबड़ के अंधाधुंध आयात के कारण सितम्बर, 1986 से

बाजार में मंदी आई है तथा पिछले वर्ष की तुलना में बहुत अधिक आयात, लगभग दुगना किये जाने के फलस्वरूप रबड़ का मूल्य बहुत कम हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो देश को रबड़ उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) सरकार को दक्षिण भारत की यूनाइटेड प्लांटर्स एसोसिएशन से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था। चरम उत्पादन अवधि के आरम्भ होने तथा उपभोक्ताओं की अपेक्षाकृत कम मांग के कारण सितम्बर, 86 के माह में घरेलू बाजार में रबड़ की कीमतें निर्धारित कीमत बैंड से कुछ नीचे गिरनी आरम्भ हो गई। मांग और पूर्ति की स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वर्ष रबड़ के लिए आयात आवश्यकता का सावधानी पूर्वक मूल्यांकन किया जाता है।

(ख) रबड़ का उत्पादन बढ़ाने और उससे इसके आयात कम करने तथा आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से सरकार नकद उपदान, वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहायता उच्च उपज देने वाली रोपण सामग्री की सप्लाई के रूप में सहायता प्रदान कर रही है तथा रबड़ की खेती तथा उत्पादन के सभी पहलुओं पर अनुसंधान कार्य कर रही है। इसके अलावा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में रबड़ के द्रुत विकास के लिए एक परियोजना को कार्यान्वित किया जा रहा है।

टाटा उद्योग समूह द्वारा विदेशों में व्यापार

3562. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) टाटा उद्योग समूह की कितनी कम्पनियों को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत विदेशों में कारोबार की अनुमति दी गई है;

(ख) क्या यह बात सरकार की जानकारी में है कि उपयुक्त समूह की अनेक सहायक कम्पनियां विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियमन के अन्तर्गत आवश्यक अनुमति प्राप्त किए बिना विदेशों में कारोबार कर रही हैं; और

(ग) सरकार का उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) : जानकारी एकत्र की जा रही है।

[हिन्दी]

खेल के सामान के निर्यात में गिरावट

3563. **श्री निर्मल खत्री** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष खेल के सामान के निर्यात में गिरावट आई है;

(ख) इस सम्बन्ध में खेल सामान निर्यात संवर्धन परिषद् ने क्या भूमिका निभाई है;

(ग) क्या यह भी सच है कि परिषद् ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान उसे अनुसंधान और विकास हेतु आबंटित धनराशि का उपयोग नहीं किया; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) तथा (घ) : अनुसंधान एवं विकास के लिए 1985-86 के बजट में शामिल किये गए एक मुश्त प्रावधान का उपयोग इसलिए नहीं किया जा सका क्योंकि उद्योग से कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।

[अनुवाद]

सिंगापुर में भारतीयों को नजरबंद करना

3564. **डा० बी० राजेश्वरन** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान सिंगापुर में कितने भारतीयों को नजरबंद किया गया;

(ख) क्या यह सच है कि भारत मूल के इन व्यक्तियों को सिंगापुर सार्वजनिक द्रुत परिवहन प्रणाली में श्रमिकों के रूप में काम पर लगाया जाता है; और

(ग) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) से (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है और इसे यथाशीघ्र सदन की मेज पर रख दिया जाएगा।

साम्प्रदायिक दंगे

3565. **श्री सुभाष यादव** :

श्रीमती मीरा कुमार :

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी :

श्री धर्मपाल सिंह मलिक :

श्री के० प्रधानी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले एक वर्ष के दौरान देश के विभिन्न भागों में साम्प्रदायिक दगों की घटनाओं में काफी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) उनमें जान और माल की कितनी क्षति होने का अनुमान है; और

(घ) देश में इस प्रकार के दंगे रोकने के लिए कौन से कदम उठाए जा रहे हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) (ख) और (ग) :

उपलब्ध सूचना के आधार पर वर्ष 1986 के दौरान देश में हुए मुख्य साम्प्रदायिक दंगों के ब्योरों का विवरण इस प्रकार हैं :

स्थान तथा तारीख	मारे गए व्यक्तियों की संख्या		सम्पत्ति की हानि (रु० लाखों में)
बिहार			
नवादा (अप्रैल 22)	10	उ० न०	बिहार सरकार के अनुसार साम्प्रदायिक हिंसा के कारण केवल तीन मौतें हुईं।
गुजरात			
अहमदाबाद			
(जन-5-7)	9	7.73	
(जन-22-24)	5	0.38	
(मार्च, 26-30)	4	0.05	
(जुलाई 9-17)	49	63.16	
वेरावेल			
(मार्च 26-27)	13	246.98	
नादियाड (अग० 9-16)	7	1.01	
बड़ौदा (सित० 17-20)	5	3.81	
कर्नाटक			
रामनगरम (जुलाई 22-25)	5	3.34	
(बंगलौर (दिस० 7-8)	11	127.65	
मैसूर (दिस० 7-8)	4	10.20	
मध्य प्रदेश			
(सेहोर (फर० 16-17)	8	100.00	
महाराष्ट्र			
नासिक (मई-10).	8	43.05	
पनवल (मई-10)	2	66.48	
अमरावती (नव० 2-4)	7	5.83	
उत्तर प्रदेश			
मेरठ (फर० 26)	2	7.42	
नूरिया (मार्च 26-27)	2c	0.54	
इलाहाबाद (जून 14-18)	9	2.65	

(उ० न० का अर्थ है उपलब्ध नहीं)

(घ) साम्प्रदायिक सोहार्दता और लोक व्यवस्था बनाए रखने की आवश्यकता के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों पर बार-बार जोर दिया जाता रहा है। उन्हें प्रशासनिक और आसूचना तंत्र को सुचारू बनाने और समाज विरोधी तत्वों की गिरफ्तारी और शस्त्रों तथा गोला बारूद की बरामदगी के लिए तलाशी लेने और जब्त करने और साम्प्रदायिकता भड़काने

वाले तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई करने जैसे उपायों के सुझाव दिए गए हैं। जब भी मांग की गई केन्द्रीय बल भी उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अतिरिक्त, समय पर सावधान रहने के लिए कहा जाता है और जब आवश्यक होता है तो मार्गदर्शन और सलाह दी जाती है। साम्प्रदायिक दंगों के कारगर नियंत्रण के लिए दिशा निदेशों का एक ब्यौरेवार सैट जिसको 1985 में पुनरीक्षित और संशोधित किया गया था, भी राज्य सरकारों में परिचालित किया गया है।

इस संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के 15 सूत्री कार्यक्रम की भी राज्य सरकारों से सिफारिश की गई थी। राष्ट्रीय एकता परिषद ने 12 सितम्बर, 1986 को हुई अपनी बैठक में विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। इस सम्बन्ध में अक्तूबर, 1986 में गृह मंत्री ने भी सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखे हैं।

[हिन्दी]

कपड़े के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए शिष्टमंडल द्वारा अमरीका का दौरा

3566. **श्री तेजा सिंह दर्दी** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपड़े के निर्यात में वृद्धि करने की दृष्टि से हाल ही में एक उच्चस्तरीय शिष्ट मंडल ने अमरीका का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो इस शिष्टमंडल में कितने व्यक्ति थे और क्या वे कपड़ा उद्योग से संबद्ध थे;

(ग) उन पर कुल कितनी धनराशि व्यय हुई; और

(घ) इस शिष्टमंडल के दौरे के पश्चात कपड़े के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कितने ठोस वाणिज्यिक समझौते किए गए अथवा किए जाने की संभावना है?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) इस प्रतिनिधि मंडल में वस्त्र मंत्रालय का एक सरकारी अधिकारी तथा वस्त्र निर्यातों से सम्बन्धित तीन गैर सरकारी व्यक्ति शामिल थे।

(ग) सरकार द्वारा किया गया कुल खर्च लगभग 1.1 लाख रु० था।

(घ) प्रतिनिधि मंडल ने सं० रा० अमरीका के अपने दौरे की अवधि के दौरान भारत-अमरीकी द्विपक्षीय वस्त्र करार पर हस्ताक्षर किए और सं० रा० अमरीका में आयातकों तथा व्यापार माध्यमों के साथ परामर्श करके वस्त्र माल के निर्यात का और आगे विविधीकरण करने तथा उसे बढ़ाने की गुंजाइश का मूल्यांकन किया। इसके अतिरिक्त प्रतिनिधि मंडल के दौरे के दौरान कतिपय बकाया विपक्षीय समस्याओं को भी सुलझाया गया।

खेल-सामान का निर्यात

3567. **प्रो० चन्द्र भानु देवी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान खेल सामान का वर्ष वार कितना निर्यात किया गया; और;

(ख) किन-किन देशों को निर्यात किया गया ?

वाणिज्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) पिछले तीन वर्षों के लिए खेल-कूद सामान निर्यात संबर्धन परिषद द्वारा संकलित निर्यात आंकड़े मूल्य की दृष्टि से निम्नोक्त अनुसार हैं:—

(सी० आई० एफ० मूल्य करोड़ रु० में)

1983-84	27.55
1984-85	28.91
1985-86	30.11

(ख) अनेक देशों को भारतीय खेल कूद के सामान का निर्यात किया जाता है। ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया, सोवियत संघ, पश्चिम जर्मनी और संयुक्त राज्य अमरीका प्रमुख गंतव्य देश हैं।

[अनुवाद]

इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इन्जीनियर्स कोर के सिविलियन वर्कशाप अधिकारियों के संवर्ग की पुनरीक्षा

3568. **श्री सी० डी० गामित** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलेक्ट्रकल और मैकेनिकल इन्जीनियर्स कोर के सिविलियन वर्कशाप अधिकारियों (तकनीकी) संवर्ग की पुनरीक्षा की गई है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) पुनरीक्षा के कब तक किए जाने का प्रस्ताव है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) इस मामले पर पहले उस काडर समीक्षा समिति में विचार किया जाना है जिसकी स्थापना की जा रही है। जैसे ही समिति की सिफारिशें उपलब्ध हो जायेंगी मामले पर आगे कार्रवाई की जाएगी।

आयात में वृद्धि

3569. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजी भाई मावणि** :

श्री सोमनाथ रथ : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आयात बिल में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो आयात कम करने के लिए कौन से कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या यह सच है कि इस मामले की जांच करने के लिए एक समिति गठित की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो समिति के निष्कर्ष/सिफारिशें क्या है और उन पर कौन सी कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) 1985-86 के दौरान भारत के आयात 19,759.43 करोड़ रु० के स्तर के थे जबकि 1984-85 के दौरान 17,134.20 करोड़ रु० के आयात हुए थे और इस प्रकार 15.3% की वृद्धि हुई तथापि, अप्रैल-दिसम्बर, 1986 के दौरान आयात 14,188.98 करोड़ रु० के स्तर के थे जबकि अप्रैल-दिसम्बर, 1985 की उसी अवधि में 13,866.57 करोड़ रु० के थे और इस प्रकार केवल 2.3% की थोड़ी सी वृद्धि हुई।

(ख), (ग) तथा (घ) कोई औपचारिक समिति गठित नहीं की गई है। संबंधित सचिवों के समूह से गैर-आवश्यक मदों का आयात नियंत्रित करने के प्रश्न की जांच करने के लिए कहा गया था। जैसा कि उनके द्वारा सुझाया गया, प्रक्रियाओं को कड़ा किया जा रहा है और आयातों की अधिक सख्ती से समीक्षा की जा रही है।

कर्नाटक में होटल को एक उद्योग के रूप में मान्यता देना

3570. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य सरकार ने कर्नाटक में होटल को एक उद्योग के रूप में मान्यता देने के संबंध में केन्द्रीय सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा था;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव कब भेजा गया; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन मंत्री (मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) से (ग) योजना आयोग द्वारा तैयार किए गए और राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा अनुमोदित सातवीं योजना के एप्रोच पेपर में की गई सिफारिश के अनुकरण में, केन्द्र सरकार, कर्नाटक सरकार सहित सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारों से होटल/पर्यटन को एक उद्योग का दर्जा प्रदान करने के लिए अनुरोध करती रही है। कर्नाटक सरकार को इस बारे में अभी कार्रवाई करनी है।

हथकरघा क्षेत्र में पालिएस्टर कपड़ा बनाना

3571. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने हथकरघा उद्योग में पालिएस्टर कपड़ा बनाने का निर्णय किया है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में कोई शर्त रखी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) जी, हां।

(ग) इस योजना के अन्तर्गत, जो कि सुस्मन कपड़ा योजना के नाम से जानी जाती है, हथकरघा क्षेत्र में शुल्क मुक्त पालिएस्टर रेशे का प्रयोग करके पोलिएस्टर मिश्रित कपड़े का उत्पादन अन्तर्ग्रस्त है। केवल शर्टिंग और सूटिंग के उत्पादन की अनुमति है। जिसकी अधिकतम बिक्री कीमत क्रमशः 25 रु० तथा 40 रु० प्रति वर्ग मीटर निर्धारित है। इस योजना के अन्तर्गत उत्पादित वस्त्रों में भारत की दृष्टि से पालिएस्टर रेशा 40% से अधिक परन्तु 70% से कम होना चाहिए।

(घ) एन० टी० सी० क्षेत्र में सुलभ कपड़ा योजना, जिसमें शुल्क मुक्त पोलिएस्टर रेशे का प्रयोग करके उत्पादन किया जाता है, के शुरू होने पर अनेक राज्यों से, जिनमें आंध्र प्रदेश भी शामिल है, हथकरघा क्षेत्र में ऐसी योजना आरंभ करने की मांग हुई थी। सुसमन कपड़ा योजना सुलभ कपड़ा योजना के नमूने पर बनी है जिसकी समान परिस्थितियां हैं।

खाद्यान्नों का निर्यात

3572. **डा० पी० वल्लल पेरुमन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान खाद्यान्नों का कितनी मात्रा का निर्यात किया गया और उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(ख) क्या प्रति क्विंटल पोत पर्यन्त मूल्य, वसूली मूल्य और अन्य आनुषंगिक व्यय से अधिक है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान संकलित अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार खाद्यान्नों के निर्यात की मात्रा और मूल्य निम्नोक्त अनुसार थे :—

वर्ष	मात्रा (लाख मे० टन)	मूल्य (करोड़ रु०)
19:3-84	1.70	102.:9
1984-85	2.76	170.53
198:-86	5.74	231.73

(ख) वाणिज्यिक बिक्रियों में वसूल की गई बिक्री कीमत अन्तर्राष्ट्रीय कीमत प्रवृत्तियों द्वारा नियंत्रित होती है तथा गेहूं के निर्यात के मामले में भारतीय खाद्य निगम की आंतरिक आर्थिक लागतों से कम रही है।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा टिन की मांग की पूर्ति

3573. **श्री एन० डेनिस** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज तथा धातु व्यापार निगम पूर्वी क्षेत्र तथा दिल्ली क्षेत्र में सभी बकाया क्रयादेशों को पूरा कर सका है;

(ख) क्या निगम का देश में टिन की मांग को पूरा करने के लिए अग्रिम कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) क्या सरकार की देश में टिन का उत्पादन बढ़ाने की कोई योजना है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) इन क्षेत्रों के प्रयोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए एम० एम० टी० सी० के पास पर्याप्त स्टाक है। तथापि, टिन का उत्पादन भारत में नहीं किया जा रहा है।

[हिन्दी]

चीन में नजरबंद भारतीय युद्ध बंदी

3574. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1962 के युद्ध के कोई भारतीय युद्ध-बंदी अथवा कोई लापता व्यक्ति अभी भी चीन में नजरबंद हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनकी रिहाई के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं तथा अब तक उन्हें रिहा न कराये जाने के क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

3575. **श्री डा० वी० वेंकटेश** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाडा और भारत के बीच पारस्परिक आर्थिक सहयोग के लिए बहुत संभावनायें हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या कनाडा की गैर सरकारी क्षेत्र की बहुत सी कम्पनियां भारत के साथ व्यापारिक सहयोग की इच्छुक हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) से (ग) भारत और कनाडा के बीच आर्थिक सहयोग का एक लम्बा रिकार्ड है जिसके द्वारा भारत के प्राथमिक क्षेत्रों में परस्पर सहमत परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए कनाडा की सहायता प्रदान की गई है । विगत में, औद्योगिक सहयोग के जरिए सहयोग पर्याप्त नहीं रहा है । किन्तु, हाल के कनाडा की निजी क्षेत्र की कम्पनियों ने भारतीय फर्मों के साथ संयुक्त उद्यमों, लाइसेंसिंग और प्रौद्योगिकी अन्तरण में रुचि दिखाई है । भारत-कनाडा संयुक्त व्यापार परिषद् की जून 1986 में टोरेन्टो और मानट्रियल में हुई दूसरी बैठक के दौरान संयुक्त उद्यमों और प्रौद्योगिकी अन्तरण के लिए अनेक क्षेत्र अभिज्ञात किए गए । प्रौद्योगिकी प्रधान उद्योगों के संबंध में एक औद्योगिकी सहकारी मिशन ने नवम्बर, 1986 में भारत का दौरा किया । कनाडा ने फरवरी, 1987 में इंजीनियरिंग उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित सातवें भारतीय इंजीनियरिंग व्यापार मेले के लिए एक भागीदार देश के रूप में भाग लिया जिसमें उसने भारत में औद्योगिक सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रौद्योगिकी तथा सम्बद्ध सेवाओं में अपनी उपलब्धियों को प्रदर्शित किया ।

राज्यों में होटलों के निर्माण के लिए भूमि

3576. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** :

श्री लक्ष्मण मलिक :

श्री चौधरी अख्तर हसन : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से मुख्य पर्यटक केन्द्रों पर आवासीय कमी को दूर करने हेतु होटलों के निर्माण के लिए आरक्षित दरों पर भूमि देने का आग्रह किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सुझाव पर किन-किन राज्यों ने सहमति व्यक्त की है, और राज्य-वार किन-किन स्थानों पर ऐसे होटलों का निर्माण किया जायेगा ?

पर्यटन मंत्री (मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) और (ख) जी, हां । देश के कुछ प्रमुख पर्यटक केन्द्रों पर होटल आवास की कमी को पूरा करने के लिए, केन्द्र सरकार ने संबंधित राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारों को लिखा है कि वे इन केन्द्रों पर होटलों के लिए उपयुक्त स्थलों का निर्धारण करें और उन्हें निजी उद्यमकर्ताओं को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराएं । इस संबंध में उन्होंने जो कारंवाई की है उसकी सूचना अभी प्राप्त होनी है ।

बम्बई में पर्यटकों के लिए सस्ते होटल

3577. **श्री गुरुदास कामत** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बम्बई में हर वर्ष भारी संख्या में पर्यटक आते हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने पर्यटक बम्बई आये;

(ग) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि बम्बई में पर्यटकों के ठहरने के स्थान विशेषकर सस्ते होटलों की भारी कमी है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार पर्यटकों की सुविधा के लिए बम्बई में सस्ते पर्यटक होटलों के निर्माण पर विचार करेगी और वर्ष 1987-88 के लिए योजना का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मंत्री (मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) जी, हां।

विदेशी पर्यटक आगमनों के आंकड़े अखिल भारतीय आधार पर संकलित किए जाते में न कि राज्य/शहर-वार आधार पर। तथापि, भारत में विदेशी पर्यटक सर्वेक्षण 1982-83 के अनुसार, भारत की यात्रा पर आने वाले पर्यटकों में से 45.95% ने बम्बई की यात्रा की।

(ग) पर्यटक यात्राकाल के दौरान, वास्तव में सभी श्रेणियों के होटल आवास की कमी बम्बई सहित सभी प्रमुख शहरों में सामान्यत: अनुभव की जाती है।

(घ) फिलहाल, पर्यटन विभाग अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा सस्ते पर्यटक होस्टलों का निर्माण करने की कोई स्कीम नहीं है।

बुनाई क्षेत्र में रुग्णता

3578. **श्री बाला साहेब विखे पाटिल** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संगठित मिल क्षेत्र में बुनाई की कोई नई क्षमता विकसित की गई है :

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान संगठित और गैर-संगठित दोनों क्षेत्रों में कपड़ा उत्पादन के आंकड़े क्या हैं;

(ग) मिलों के बुनाई खंडों में रुग्णता आने के क्या कारण हैं; और

(घ) रुग्णता के इन कारणों को समाप्त करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) 1984-85, 1985-86 तथा 1986-87 के दौरान कपड़े का क्षेत्रवार उत्पादन निम्नोक्त प्रकार है—

(मिलियन मीटरों में)

क्षेत्र	1984-85	1985-86	1986-87 (अनुमानित)
मिल क्षेत्र	3432	3376	3303
विद्युतकरघा क्षेत्र	5445	5886	6149
हथकरघा क्षेत्र	3137	3236	3325
कुल	12014	12498	12777

(ग) संयुक्त मिलों में रुग्णता के मुख्य कारण हैं; फैब्रिक्स की मांग में सापेक्ष गतिहीनता, आधुनिकीकरण की कमी, उत्पादकता में कमी, अकुशल प्रबंध, उच्च बिजली प्रभार, बढ़ता हुआ मजदूरी बिल, आवश्यकता से अधिक उत्पाद शुल्कों का अधिक भार तथा उपभोक्ताओं द्वारा सूती वस्त्रों की बजाय ब्लैंडिड व मानव निर्मित फैब्रिक्स आदि का पसन्द किया जाना।

(घ) जून, 1985 की नई वस्त्र नीति के अनुरूप सरकार ने वस्त्र उद्योग की रुग्णता दूर करने के योग्य बनाने के लिये निम्नोक्त उपाय किए हैं—

(1) बुनाई क्षमता में सृजन अथवा संकुचन पर रोक को हटाना;

(2) सूती तथा मानव-निर्मित फाइबर/यार्न के बीच पूर्ण फाइबर लचीलेपन की अनुमति देना;

(3) विभिन्न मानव-निर्मित फाइबर्स/यार्न पर राजकोषीय लेवियों में रियायत,

(4) संभाव्य रूप से जीवन क्षम रुग्ण बस्त्र मिलों के संबंध करने में पुर्नस्थापन पुन: स्थापना पैकेज तैयार करने तथा उसका प्रबंधके लिए नोडीय अभिकरण की स्थापना करना ;

(5) बस्त्र आधुनिकीकरण निधि का सृजन करना;

(6) उन कामगारों के लिए जो रुग्ण मिलों के स्थायी रूप से बंद हो जाने के कारण विस्थापित हो जाएं पुन: स्थापना निधि का सृजन।

पुष्करराज का पर्यटक स्थल के रूप में विकास करने का प्रस्ताव

3579. **श्री विष्णु मोदी** : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के अजमेर जिले में पवित्र धाम पुष्करराज का एक पयटक स्थल के रूप में विकास करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इसके सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन मन्त्री (मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क), (ख) और (ग) : पर्यटन मंत्रालय ने पुष्कर में इंद्रा घाट और कर्णी घाट का विकास और सुधार करने के लिए 1985-86 के दौरान 7.00 लाख रु० की अग्रिम-राशि सहित 12.99 लाख रु० की एक राशि स्वीकृत की है। हाल ही में, पुष्कर पर्यटक गांव का 23.`0 लाख रु० की अनुमानित लागत पर निर्माण करने संबंधी एक प्रस्ताव 1907-88 की योजना में शामिल करने के लिए प्राप्त हुआ है।

ऊन उद्योग का विकास

3580. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** क्या बस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन उद्योग के विकास के लिए उपाय सुझाने के लिए नियुक्त समिति ने वर्ष 1983 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति ने क्या सिफारिशें की हैं; और

(ग) क्या सरकार ने उक्त सिफारिशें कार्यान्वित की है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) अध्ययन समूह की सिफारिशों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) सामान्यत:, अध्ययन समूह द्वारा की गई सिफारिशों को, जिन्हें स्वीकार करने योग्य पाया गया, कार्यान्वित किया गया है।

विवरण

सिफारिशें

1. कच्ची ऊन का आयात द्वार खुला रहेगा लेकिन वास्तविक प्रयोक्ताओं तक प्रतिबंधित होगा।
2. संकर नस्ल की भेड़ों के निर्यात को रोकना।
3. राज्य-स्तर विपणन बोर्डों और निगमों का गठन।
4. भेड़ों के विकास के लिए विश्व बैंक परियोजना।
5. अखिल भारत भेड़ विकास कार्यक्रम।
6. एनसीडीसी द्वारा भेड़ विकास योजनाओं का वित्त पोषण

7. अपरिष्कृत ऊन के वैकल्पिक उपयोगों के बारे में अध्ययन।
8. अपरिष्कृत ऊन के निर्यात को प्रोत्साहित करना।
9. कच्ची ऊन के लिए व्यावहारिक ग्रेडिंग प्रणाली को अपनाना।
10. ऊन चीथड़ों के आयात पर उच्चतम सीमा निर्धारित करना जो कि निर्यात के लिए न हों तथा उन पर शुल्क को बढ़ाना जिससे उन्हें कच्ची ऊन के बराबर स्तर पर लाया जा सके।
11. तकुआ क्षमता के विस्तार में निम्नलिखित प्रकार से संशोधन होना चाहिए :—

	न्यूनतम अर्थक्षम आकार	गैर लाइसेन्सशुदा सीमा	पिछड़े क्षेत्रों में गैर-लाइसेंस शुदा सीमा	अधिकतम आकार	पिछड़े क्षेत्र के लिए अधिकतम आकार
वर्स्टिड	4800	4800	5600	20000	24000
गैर-वर्स्टिड	2400	2400	3200	15000	20000

12. पहाड़ी/पिछड़े क्षेत्रों के लिए तकुआ/करघा अनुपात में छूट की संभावना।
13. गैर ऊनी क्षेत्र द्वारा ब्लेंडिड यार्न पर प्रतिबंध।
14. निर्यात दायित्व के साथ अनधिकृत विद्युतकरघों को नियमित किया जाए।
15. शाडी क्षेत्र को धीरे-धीरे निर्यात के लिए संश्लिष्ट चीथड़ों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
16. वूल टाप्स के आयात पर धीरे-धीरे प्रतिबन्ध लगाना।
17. घरेलू वूल टाप्स पर उत्पादन शुल्क को समाप्त करना।
18. वित्त अधिनियम 1979 की धारा 22 (जी) का संशोधन करना ताकि हाथ से गुथे कालीनों के उत्पादन में छोटे यांत्रिक औजारों का प्रयोग किया जा सके।
19. कालीनों पर नकद मुआवजा सहायता में हाथ से गुथे कालीनों की अलग-अलग किस्मों के बीच भेद होना चाहिए।
20. कालीनों के विपणन में हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम की भूमिका।
21. वूलमार्क लेवल प्रयोग किया जाए।
22. हाथ से गुथे कालीनों के संबंध में विविध सिफारिशें।
23. मशीन से बने ऊनी कालीनों पर प्रतिबंध लगाया जाए तथा निर्यात के लिए संश्लिष्ट कालीनों को प्रोत्साहन दिया जाए।
24. सरकारी आर्डर देकर खादी के साथ विशेष व्यावहार।
25. ब्लेंड्स का उपयोग।
26. निर्यात की सम्भाव्यताओं का पता लगाना।
27. खादी संस्थान का गठन।

28. श्रिन्क ट्रीटमैंट तथा सुधरे चरणों का प्रयोग।
29. हथकरघों में उत्पाद तथा बाजार विविधिकरण।
30. संगठित उत्पाद तथा सेवाओं के पैकेज की व्यवस्था।
31. यार्न की सप्लाई।
32. श्रिन्क प्रापिंग और सुपर वाशिंग।
33. 100% निर्यात सुविधाएं।
34. मशीनरी पर ड्यूटी को कम करना।
35. आईडीबीआई ऋण, सहयोग प्रोत्साहन।
36. प्रोत्साहनों तथा ऋण की जटिल प्रक्रिया को सरल बनाना।
37. यार्न के निर्यात पर प्रतिबंध।
38. ब्लेंड्स पर उत्पादन शुल्क में कमी करना।
39. स्वयं खपत करने पर कार्डिड गिल्ड सिलीवर्स, पर उत्पादन शुल्क खत्म करना।
40. ऊन बोर्ड का गठन।
41. दरियों आदि में अपरिष्कृत ऊन का प्रयोग।
42. डब्ल्यू आर ए उत्पादों के परीक्षण के लिए प्रायोगिक मिल अथवा वैकल्पिक तरीका।
43. भेड़ विकास के उत्पाद की बिक्री तक के बारे में एकीकृत अध्ययन।

पाकिस्तानी जासूसों की गतिविधियों का बढ़ना

3581. **श्री प्रकाश बी० पाटिल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन महीनों के दौरान पाकिस्तानी जासूसों की गतिविधियां बढ़ गई हैं;

(ख) यदि हां, तो जासूसी करने वाले कितने गिरोह पकड़े गये हैं;

(ग) कितने पाकिस्तानी जासूसों और उनसे मिले हुए कितने भारतीय गिरफ्तार किये गये हैं;

(घ) वे मुख्य रूप से किस क्षेत्र में सक्रिय थे; और

(ङ) जासूसी की गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (ङ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, दिसम्बर, 1986 से फरवरी, 1987 तक की अवधि के दौरान, देश में पाकिस्तानी जासूसी के 12 मामलों का पता लगाया गया है। इन मामलों में 3 पाकिस्तानी नागरिकों और 16 भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। ये गिरफ्तारियां अनूपगढ़ (राजस्थान), कच्छ (गुजरात), भटिन्डा, गुरदासपुर तथा फिरोजपुर (पंजाब), जम्मू और कश्मीर के जम्मू क्षेत्र में की गई थी।

किसी व्यक्ति अथवा संगठन द्वारा जासूसी के किसी प्रयास को खोज निकालने, पता लगाने और निष्क्रिय करने के लिए सुरक्षा एजेंसियों द्वारा सतत सतर्कता बरती जा रही है।

इलायची का उत्पादन, निर्यात और खुदरा मूल्य

3582. **डा० चिन्ता मोहन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलायची का अधिक निर्यात सम्भव है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार तथा राज्य-वार इलायची का उत्पादन, इसकी देश में मांग और निर्यात का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का यह सुनिश्चित करने के लिए कि इलायची के निर्यात से उपभोक्ताओं को हानि न हो इलायची का अधिकतम खुदरा मूल्य निर्धारित करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) आयातकों की मांग के अध्यधीन, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतियोगी कीमतों, प्रचार में वृद्धि तथा क्वालिटी उत्पादन में इलायची के निर्यातों में वृद्धि हो सकती है ।

(ख) नीचे दी गई तालिका में गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार उत्पादन, निर्यात तथा राष्ट्रीय आवश्यकता का ब्यौरा दिया गया है :—

(केवल मे. टन में)

उत्पादन	1983-84	1984-85	1985-86
केरल	1100	2850	3340
कर्नाटक	400	850	1130
तमिलनाडु	100	200	230
कुल :	1600	3900	4700
निर्यात	258	2383	3272
राष्ट्रीय आवश्यकता	1342	1517	1428

(ग) जी, नहीं ।

पर्यटकों के लिए पेइंग गेस्ट योजना लागू करना

3583. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने दिल्ली, बम्बई, आगरा, जयपुर आदि जैसे पर्यटक केन्द्रों में आवास व्यवस्था की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए पेइंग गेस्ट आवास व्यवस्था लागू करने की वांछनीयता की जांच की है; और

(ख) पर्यटन आकर्षण के प्रमुख स्थलों पर आवासीय स्थानों की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पर्यटन मंत्री (मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) दिल्ली के लिए पेइंग गेस्ट आवास स्कीम दिल्ली प्रशासन के परामर्श से विचाराधीन है । सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारों से भी इस बारे में आवश्यक कार्रवाई प्रारम्भ करने के लिए अनुरोध किया गया है ।

(ख) पर्यटक अभिरुचि के प्रमुख स्थानों पर आवास की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए, केन्द्र सरकार ने संबंधित राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र सरकारों से इन केन्द्रों पर उपयुक्त स्थलों का निर्धारण करने और उन्हें निजी उद्यमकर्ताओं को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किया है ।

नागपुर में पासपोर्ट कार्यालय

3584. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र में विदर्भ के 8 जिलों के निवासियों को पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए बम्बई जाना पड़ता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि राज्यों के पुनर्गठन से पहले नागपुर में पासपोर्ट कार्यालय था;

(ग) क्या तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश और पंजाब राज्यों के प्रत्येक राज्य में दो पासपोर्ट कार्यालय हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का महाराष्ट्र राज्य में नागपुर में दूसरा पासपोर्ट कार्यालय खोलने का भी विचार है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी, हां। लेकिन वे अपने पासपोर्ट डाक द्वारा या मान्यता प्राप्त यात्रा एजेंट के माध्यम से भी प्राप्त करते हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, हां। लेकिन अब पंजाब में जालंधर स्थिति पासपोर्ट कार्यालय का आकार छोटा करके इसे उप-पासपोर्ट कार्यालय में बदलने का निर्णय लिया गया है जो मुख्य रूप से एक संपर्क कार्यालय के रूप में कार्य करेगा।

(घ) फिलहाल नहीं।

[हिन्दी]

जवाहरात और आभूषणों का निर्यात

3585. **श्री कुंवर राम :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान किन-किन देशों को कितने-कितने मूल्य के जवाहरात और आभूषणों का निर्यात किया गया;

(ख) बिहार से किन-किन जवाहरातों तथा आभूषणों का निर्यात किया गया; और

(ग) बिहार की किन-किन स्थानों से इनका निर्यात किया गया और उन स्थानों के नाम क्या हैं, जहां इनका निर्माण किया गया ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) तथा (ग) : रत्नों तथा आभूषणों के निर्यात उत्पादन के लिए बिहार प्रमुख केन्द्र नहीं है।

विवरण

रत्न तथा आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा संकलित किये गए पिछले तीन वर्षों के दौरान रत्नों तथा आभूषणों के देशवार निर्यात नीचे दर्शाए गए हैं :—

(करोड़ रु०)

देश का नाम	1985-86	1984-85	1983-84
अमरीका	692	575	554
जापान	172	167	140
बेल्जियम	171	148	167

1	2	3	4
हांगकांग	169	149	140
संयुक्त अरब अमीरात	62	59	53
स्विटजरलैंड	57	50	58
पश्चिम जर्मनी	30	22	28
ब्रिटेन	27	20	29
सिंगापुर	27	33	46
थाइलैंड	16	15	23
कुवैत	14	19	23
फ्रांस	14	15	18
इजरायल	13	9	14
आस्ट्रेलिया	12	13	7
अन्य	28	11	23
विदेशी पर्यटकों को बिक्री	4	2	1
कुल	1508	1307	1324

[अनुवाद]

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कर्मचारियों की संख्या

3586. **श्री सैयद शाहबुद्दीन**

श्री के० प्रधानी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1987 को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या कितनी थी;

(ख) वर्ष 1986 के दौरान एक बटालियन औसतन कितने दिन सक्रिय रूप से तैनात रही; और

(ग) बटालियन औसतन कितने दिन विश्राम पर रही ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) 1.1.1987 को के० रि० पु० ब० की स्वीकृत संख्या 83 ड्यूटी बटालियनें थी ।

(ख) 198 के दौरान पूरे वर्ष के० रि० पु० ब० को तैनात रखा गया था ।

(ग) कोई भी बटालियन विश्राम पर नहीं थी ।

विकसित देशों को बोक्साइट का निर्यात

3587. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकसित देशों को बोक्साइट के निर्यात की काफी क्षमता है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या बोक्साइट का निर्यात करने के बजाय बोक्साइट से प्राप्त एल्यूमिना का निर्यात करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) तथा (ख) विकसित देश बोक्साइट की अपनी जरूरतों को या तो अपने द्वारा उत्पादक देशों में विकसित कैप्टिव खानों से अथवा भाड़ा लाभ की वजह से निकटस्थ स्रोतों से पूरा कर रहे हैं ।

(ग) तथा (घ) नेशनल एल्युमिनियम कम्पनी लि० द्वारा निकट भविष्य में उत्पादित किये जाने वाले एल्युमिनियम के निर्यात के अतिरिक्त बोक्साइट का निर्यात जारी रखने का प्रस्ताव है ।

जर्मन जनवादी गणराज्य से औद्योगिक कच्चे माल का आयात

3588. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जर्मन जनवादी गणराज्य से औद्योगिक कच्चे-माल का आयात करने का है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस कच्चे माल को तैयार और अर्ध तैयार उत्पादों में परिवर्तित कर और इसका पुनः जर्मन जनवादी गणराज्य तथा अन्य देशों को निर्यात करने का है;

(ग) क्या सरकार ने जर्मन जनवादी गणराज्य को यह सुझाव दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर जर्मन जनवादी गणराज्य की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (घ) हालांकि भारत जर्मन जनवादी गणराज्य से उत्पादन आवश्यकताओं के लिए कतिपय औद्योगिक कच्चा माल आयात करता है, परन्तु पुनः निर्यात के लिए तैयार उत्पादों में बदलने के उद्देश्य से जर्मन जनवादी गणराज्य से कच्चा माल आयात करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

[हिन्दी]

बाड़मेर में केराडु का विकास करने का प्रस्ताव

3589. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या पर्यटन मन्त्री बाड़मेर में केराडु के विकास के बारे में 28 नवम्बर, 1986 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3968 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान सरकार द्वारा बाड़मेर जिले में केराडु का एक महत्वपूर्ण पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास किए जाने के लिए वित्तीय सहायता दिए जाने हेतु केन्द्रीय सरकार को भेजे गए प्रस्ताव पर क्या निर्णय लिया गया है; और

(ख) सरकार ने इस प्रयोजन के लिए वित्तीय सहायता के रूप में कितनी राशि मंजूर की है ?

पर्यटन मन्त्री (मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) और (ख) राज्य सरकार से परामर्श करने बाद, केराडु के विकास का प्रस्ताव रद्द कर दिया गया है ।

राजस्थान के झुनझुनू जिले में सेंटरल स्टोर डिपो की कैंटीनें

3590. **श्री मोहम्मद अयूब खां** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भूतपूर्व सैनिकों के लाभ के लिए राजस्थान के झुनझुनू जिले में सेंटरल स्टोर डिपो की कैंटीनें खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब और तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

रक्षा मन्त्रालय में रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण सिंह) : (क) और (ख) झुनझुनु जिले के भूतपूर्व सैनिकों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए 1986 में एक चलती फिरती कैंटीन स्थापित की गई।

[अनुवाद]

भारतीय युवक दल का पाकिस्तान का दौरा

3591. **डा० बी० एल० शैलेश :** क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुराष्ट्रीय एशियाई युवा शिष्टमण्डल के भारतीय दल को पाकिस्तान की अपनी हाल ही की सद्भावना यात्रा के दौरान कराची में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले को पाकिस्तान सरकार के साथ उठाया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय राज्य व्यापार निगम द्वारा प्रमुख कच्चे माल की खरीद और वितरण

3592. **डा० बी० एल० शैलेश :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राज्य व्यापार निगम गैर-सरकारी क्षेत्र के एककों द्वारा तैयार किये गये कतिपय प्रमुख कच्चे माल की खरीद और उसका वितरण करने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य रुपरेखा क्या है; और

(ग) वितरण की पद्धति क्या है और इस संबंध में यदि राज्य सरकार की एजेंसियों को कोई कार्य सौंपा गया है, तो वह क्या ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) इस योजना के अन्तर्गत निर्यातकों को अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर कतिपय कच्चा माल मुहैया कराने का प्रस्ताव है, ताकि अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में वे अपनी प्रतिस्पर्धा क्षमता में सुधार ला सकें। ये मदें शुल्क छूट हकदारी प्रमाणपत्रों के साथ अग्रिम लाइसेंस धारकों को वितरित करने का प्रस्ताव है।

खनिज और धातु व्यापार निगम के कर्मचारियों को वर्दी

3593. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज और धातु व्यापार निगम ने अपने अनुभाग अधिकारियों के पद तक पुरुष और महिला दोनों ही कर्मचारियों को वर्दी देने का एक नया कार्यक्रम आरम्भ किया है;

(ख) यदि हां, तो इन वर्दियों, ठंडी और गर्म दोनों, पर प्रतिवर्ष पुरुष और महिला कर्मचारियों के संबंध में प्रति व्यक्ति कितनी धनराशि (सिलाई प्रभारों सहित) खर्च की जाती है तथा इस समय कुल कितनी धन राशि खर्च की जाती है;

(ग) इन वर्दियों की सप्लाई के लिए कितनी अवधि निश्चित की गई है तथा इस समय वर्दियों के कितने सेट दिये जाने हैं; और

(घ) इससे निगम की कार्यकुशलता एवं उत्पादन में कितनी मदद मिली है तथा इन वर्दियों की विशेष रूप से खनिज और धातु व्यापार निगम द्वारा सप्लाई किये जाने के पीछे मूल आधार क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी हां।

(ख) जाड़े और गर्मी दोनों की वर्दी की सप्लाई पर प्रति व्यक्ति आरम्भिक व्यय 1,513/- रु० का हुआ है। वर्तमान लागत के आधार पर भविष्य में प्रति व्यक्ति वार्षिक व्यय 1,039/-रु० बैठेगा।

(ग) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) वर्दियों की सप्लाई के लिए सहमति एम एम टी सी के प्रबन्धकों ने एक पैकेज के रूप में दी थी, जिसमें यूनियनें वर्दियां सप्लाई करने की वचनबद्धता के साथ एम एम टी सी में कम्प्यूटरीकरण आरम्भ करने के लिए सहमत हुई।

विवरण

वर्दी की मदें तथा सप्लाई का मापदण्ड

पुरुष

गर्मी

	आरंभ में	बाद में
—पेंट	4	प्रत्येक वर्ष 2
—शर्ट	4	प्रत्येक वर्ष 2
—जूते	1 जोड़ी	प्रत्येक वर्ष 1 जोड़ी
—जुराबें	2 जोड़े	प्रत्येक वर्ष 2 जोड़ी
—पगड़ियां सिक्खों के लिए	2	प्रत्येक वर्ष 2

जाड़ा

—ऊनी कोट तथा ऊनी पेंट प्रत्येक 2 वर्ष में।

महिलाएं

गर्मी

—ब्लाउज तथा पेटीकोट सहित साड़ी	4 सेट	प्रत्येक वर्ष 3 सेट
—सेंडिल	2 जोड़ी	प्रत्येक वर्ष 2 जोड़ी
—जुराबें	2 जोड़ा	प्रत्येक वर्ष 2 जोड़ी

जाड़ा

—ऊनी कार्डीगन प्रत्येक 2 वर्षों में एक

मास्को व्यापार मेले में भाग लेने वाली कंपनियां

3594. श्री सनत कुमार मंडल : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता स्थित उन पटसन निर्माता कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने हाल ही में आयोजित मास्को व्यापार मेले में भाग लिया था और पटसन निर्माता विकास परिषद द्वारा स्थापित मंडप में अपने पटसन उत्पादों का प्रदर्शन किया था; और

(ख) प्रत्येक कम्पनी द्वारा लगभग कितना व्यापार किया गया है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) कलकत्ता स्थित निम्नलिखित पटसन विनिर्माता कम्पनियों और संगठनों ने मास्को व्यापार मेले में भाग लिया :—

1. नेशनल जूट मैंनुफैक्चर्स कार्पोरेशन लि०
2. वर्डस जूट एण्ड एक्सपोर्टस लि०
3. वेस्ट बंगाल एग्रो टेक्सटाइल कार्पोरेशन
4. चंपदानी इण्डस्ट्रीज लि०
5. रिलायन्स जूट मिल्स
6. एंग्लों इण्डिया जूट मिल्स कं०
7. दि जैंजिस मैंनुफैक्चरिंग कं०
8. बिरला जूट एण्ड इंडस्ट्रीज लि०
9. श्री हनुमान जूट मिल्स
10. बारानागोरे जूट फैक्ट्री
1 . नुद्दिया जूट मिल्स कं० लि०
12. इंडियन जूट इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन
13. बज बज कंपनी लि०

(ख) सोवियत संघ के साथ व्यापार का मार्ग निर्देशन वार्षिक व्यापार योजना द्वारा होता है और किसी भी सीधे व्यापार पर वार्ता नहीं की गई । प्रदर्शन में पटसन की बनी सजावटी वस्तुएं शामिल थी जिसमें पर्याप्त रुचि पैदा की ।

पोलैण्ड के साथ व्यापार को नया रूप देना

3595. **श्री राधाकांत डिगाल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोलैण्ड भारत के साथ अपने व्यापार को नया रूप देने का इच्छुक है;

(ख) यदि हां, तो पोलेंड द्वारा कौन-कौन सी वस्तुओं का आयात किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) इस समय भारत और पोलेंड के बीच व्यापार सन्तुलन की स्थिति क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान व्यापार संतुलन की स्थिति निम्नोक्त तालिका विवरण में निर्दिष्ट है—

(करोड़ रु० में)

	1883-84	1984-85	1985-86 (अनन्तिम)
पोलेंड को भारतीय निर्यात	74.07	94.56	66.22

पोलेंड से भारतीय आयात	51.16	53.43	89.54
	+22.91	+41.13	—23.32

+से तात्पर्य भारत के पक्ष में

—से तात्पर्य पोलेंड के पक्ष में

2. दोनों देश व्यापार के ढांचे के विविधिकरण और व्यापार की मात्रा बढ़ाने तथा विशेषकर भारत से निर्यातों की श्रृंखला का विस्तार करने को कि इस समय मुख्यत: कुछ परम्परागत कृषि वस्तुओं पर निर्भर है, की जरूरत से अवगत हैं। भारत पैकेज बन्द चाय वस्त्रों, चमड़े के माल, उपभोक्ता इलैक्ट्रानिक्स सहित इलैक्ट्रोनिक वस्तुओं, टायर और ट्यूब, रसायन और रसायन उत्पादों, औषध और दवाओं, आप्टिकल फ्रेम और लेंस आदि जैसी उपभोक्ता मदों की व्यापक किस्म और पूंजीगत माल तथा मशीनरी वस्तुओं की व्यापक श्रृंखला को शामिल करने के लिए निर्यातों की श्रृंखला का बिस्तार करने का इच्छुक है। पोलेंड ने जिन इंजीनियरी वस्तुओं की व्यापक श्रृंखला की खरीद की संभावनाओं का अध्ययन करने के लिए फरवरी, 1987 में एक प्रतिनिधि मण्डल को भारत भेजा था, उनमें शामिल हैं, ओटोमोटिव संघटक, इलैक्ट्रिक और इलैक्ट्रोमिक संघटक, कास्टिंग और फोर्जिग, दस्ती, मशीन और न्यूमैटिक औजार, धातु निरूपण तथा फिनिसिंग उपस्कर, साइकिल संघटक, कृषि उपकर आदि।

रबड़ की कमी और उसके मूल्यों में वृद्धि होना

3596. श्री लक्ष्मण मलिक : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्पादकों द्वारा बिक्री न किए जाने के कारण रबड़ की अत्यधिक कमी हो गई है और उसके फलस्वरूप रबड के मूल्यों में बहुत अधिक वृद्धि हो रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि देश में प्राकृतिक रबड़ की मांग और सप्लाई के बीच बहुत भारी अन्तर है; और

(ग) यदि, हां तो इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) फरवरी, 87 में मन्दी का सीजन आरम्भ होने से रबड़ की कीमतों में ऊर्ध्वमुखी प्रवृत्ति रही है। तथापि, समय-समय पर मांग-सप्लाई स्थिति की समीक्षा की जाती है और बफर स्टाकिंग योजना चलाकर निर्धारित कीमत-सीमा के भीतर कीमतें कायम रखने के लिए प्रयास किए जाते हैं।

अधिग्रहण की गई कपड़ा मिलों का राष्ट्रीयकरण

3597. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा अधिग्रहण की गई रुग्ण कपड़ा मिलों का राष्ट्रीकरण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक किन-किन रुग्ण कपड़ा मिलों का अधिग्रहण किया गया और उनका राष्ट्रीयकरण किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इनमें से उन मिलों के नाम क्या हैं जिनका अधिग्रहण किया गया किंतु राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया है और बाद में वे मालिकों को वापस सौंप दी गई और इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा रुग्ण काटन टैक्सटाइल मिल का प्रबन्ध ग्रहण किया गया।

(ख) तथा (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

केरल में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय से जारी किए गए पासपोर्ट

3598. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986 के दौरान केरल के कौन से पासपोर्ट कार्यालय ने सबसे अधिक संख्या में पासपोर्ट जारी किए हैं;

(ख) उक्त कार्यालय द्वारा कितने पासपोर्ट जारी किए गए और सम्पूर्ण केरल राज्य में कितने पासपोर्ट जारी किए गए;

(ग) 31 जनवरी, 1987 को केरल में कौन से पासपोर्ट कार्यालय में पासपोर्ट के सबसे अधिक आवेदन पत्र लम्बित पड़े थे; और

(घ) क्या सरकार का विचार उत्तरी केरल के निवासियों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए कण्णोर में एक नया पासपोर्ट कार्यालय खोलने का है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) कोचीन स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय।

(ख) 1986 में कोचीन-स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय से 76,331 पासपोर्ट जारी किए गए जबकि समूचे केरल राज्य में कुल मिलाकर 1,40,972 पासपोर्ट जारी किए गए।

(ग) कोचीन स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय।

(31-1-1987 को 9,703 आवेदन पत्र अनिर्णीत थे)

(घ) जी, नहीं।

इराक द्वारा ईरान से युद्ध के दौरान रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल से 1925 की जेनेवा संधि का उल्लंघन किया जाना

3599. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका के तकनीकी विशेषज्ञों के एक दल ने यह निष्कर्ष निकाला है कि इराक के वर्तमान इराक-ईरान युद्ध में ईरान के विरूद्ध मस्टर्ड गैस और नर्व गैस के रूप में रासायनिक हथियारों का कई बार इस्तेमाल किया है;

(ख) क्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 1925 की जेनेवा संधि के इस स्पष्ट उल्लंघन पर चिन्ता व्यक्त की है;

(ग) क्या इराक ने इस मामले में सुरक्षा परिषद के इस व्यवहार की आलोचना की है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) सुरक्षा परिषद् ने विभिन्न अवसरों पर विशेष रूप से मार्च, 1986 में परिषद् के अध्यक्ष द्वारा दिए गए वक्तव्य में 1925 के जेनेवा प्रोतोकोल के उल्लंघन पर चिन्ता व्यक्त की है।

(ग) जी हां, इराक ने सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के उपर्युक्त वक्तव्य की आलोचना की है।

(घ) सरकार ने निरन्तर उन रासायनिक अस्त्रों के प्रयोग का विरोध किया है जिनका 1925 के जेनेवा प्रोतोकोल द्वारा निषेध किया गया है।

1986 के दौरान आये विदेशी पर्यटक

3600. श्री सैयद शाहबुद्दीन : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986 के दौरान कितने विदेशी पर्यटकों ने भारत का दौरा किया;

(ख) इस संबंध में देश-वार ब्योरा क्या है और उन देशों के अलग-अलग आंकड़े क्या हैं जहां से एक हजार अथवा उससे अधिक पर्यटक आये;

(ग) वर्ष 1986 के दौरान एक विदेशी पर्यटक भारत में औसतन कितने दिन तक रहा; और

(घ) उक्त वर्ष के दौरान एक विदेशी पर्यटक द्वारा औसतन कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की है ?

पर्यटन मन्त्री (मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) वर्ष 1986 के दौरान 1,080,050 विदेशी पर्यटकों ने भारत की यात्रा की जिनमें पाकिस्तान और बंगलादेश के राष्ट्रिक शामिल नहीं हैं।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) भारत में विदेशी पर्यटकों (पाकिस्तान और बंगलादेश के राष्ट्रिकों को छोड़कर) के ठहरने की औसतन अवधि लगभग 28 दिन होने का अनुमान है।

(घ) 1986 के दौरान विदेशी पर्यटकों (पाकिस्तान और बंगलादेश के राष्ट्रिको को छोड़कर) का प्रति व्यक्ति औसत व्यय 15,500 रु० आंका गया है।

विवरण

राष्ट्रिकता का देश	संख्या (अनन्तिम)
उत्तर अमरीका	
कनाडा	39,837
यू० एस० ए०	125,364
अन्य	22
जोड़	165,223
केन्द्रीय और दक्षिण अमरीका	
ब्राजील	1,211
मैक्सिको	1,327
अन्य	4,355
जोड़	6,893
पश्चिमी यूरोप	
आस्ट्रिया	8,956
बेल्जियम	10,135
डेनमार्क	5,040

1	2
फिनलैंड	2,092
फ्रांस	65,948
संघीय जर्मन गणराज्य	61,397
यूनान	1,637
आयरलैंड	2,826
इटली	38,548
नीदरलैंड्स	15,297
नार्वे	3,916
पुर्तगाल	2,392
स्पेन	14,266
स्वीडन	9,705
स्विटजरलैण्ड	25,850
यू० के०	160,685
अन्य	496
जोड़	430,086
पूर्वी यूरोप	
चैकोस्लोवाकिया	4,715
लोकतांत्रिक जर्मन गणराज्य	3,414
हंगरी	1,430
पोलैंड	7,180
यू० एस० एस० आर०	17,069
यूगोस्लाविया	1,387
अन्य	644
जोड़	35,839
अफ्रीका	
इथोपिया	3,076
कीनिया	8,057
मारीशस	4,992
नाइजीरिया	10,472
सोमालिया	1,718
दक्षिण अफ्रीका	4,375
सूडान	2,530
संयुक्त तंजानिया गणराज्य	4,645
यू० ए० आर०	2,996

1	2
जाम्बिया	2,542
अन्य	5,204
जोड़	50,607
पश्चिम एशिया	
बहरीन	13,948
दुबई (यू० ए० ई०)	28,084
ईराक	1,611
इजराइल	1,707
जोरडन	2,702
कुवैत	5,731
ओमान	18,246
कतार	4,171
साऊदी अरब	27,282
सीरिया अरब गणराज्य	1,174
तुर्की	1,753
यमन	8,151
अन्य	1,136
जोड़	115,696
दक्षिण एशिया	
अफगानिस्तान	7,765
ईरान	20,957
मालदीव	2,564
नेपाल	13,759
श्रीलंका	75,631
अन्य	245
जोड़	120,859
दक्षिण पूर्व एशिया	
इण्डोनेशिया	4,438
मलेशिया	26,209
फिलीपीन्स	2,283
सिंगापुर	24,189
थाईलैण्ड	9,588
अन्य	1,109
जोड़	67,816

1	2
पूर्व एशिया	
जनवादी चीन गणराज्य	1,533
चीन गणराज्य (तायवान)	1,103
हांग कांग	4,071
जापान	36,402
लोकतांत्रिक जनवादी कोरिया गणराज्य	1,2[illegible]5
कोरिया गणराज्य (दक्षिण)	1,767
अन्य	71
जोड़	46,172
आस्ट्रेलेशिया	
आस्ट्रेलिया	33,264
न्यूजीलैण्ड	5,668
फिजी	1,061
अन्य	263
जोड़	40,[illegible]56
राष्ट्रिकताहीन	603
कुल जोड़	1080,050

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल का विस्तार

3601. **श्री के० प्रधानी :**

श्री जी० एस० बसवराजू :

श्री एच० एन० नन्जेगौड़ा : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल का विस्तार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इसके विस्तार के लिए क्या समय सीमा निर्धारित की गई है ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) तथा (ख) बैंकों की सुरक्षा के लिये केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में एक विभाग बनाने का निर्णय किया गया है। ब्योरे तैयार किए जा रहे हैं और लगभग एक वर्ष में इसके द्वारा कार्य कर दिये जाने की सम्भावना है।

बुलेट प्रूफ जैकेटों की खरीद

3602. **श्री सैयद शाहबुद्दीन :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान बुलेट प्रूफ जैकेटों की खरीद और उनकी सप्लाई पर कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(ख) अधिकृत सप्लाई कर्ताओं के नाम क्या हैं;

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिये विश्वव्यापी निविदा जारी की गई थी और यदि हां तो क्या अल्पकालिक सूचीबद्ध फर्मों की सबसे सस्ती दरों वाली निविदा स्वीकृत की गई थी;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) अब तक ऐसी कितनी जैकेट खरीदी गई हैं और विभिन्न संगठनों को कितनी जैकेटों की सप्लाई की गई है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय ने, जो केन्द्रीय क्रय संगठन है, अभी तक इस सामान की कोई खरीद नहीं की है।

(ख) प्रश्न नहीं होता।

(ग) इस मद के लिए पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय द्वारा सभी देशों से टेंडर मंगाये गये। यह ठेका अभी तक तय नहीं किया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं होता।

(ङ) ऊपर (क) और (ग) के प्रसंग में यह प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में फूलबनी में कताई मिल

3603. **श्री राधा कान्त दिगाल** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में फूलबनी में एक कताई मिल की स्थापना के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्रदान किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) सरकार ने तहसील फूलबनी और तहसील बोद में जो दोनों ही उड़ीसा के फूलबनी जिले में हैं, संश्लिष्ट कताई मिलें स्थापित करने के लिए उड़ीसा के फूलबनी को आप सिन्थेटिक स्पिनिंग मिल्स लि० तथा औद्योगिक संवर्धन और निवेश निगम से प्राप्त हुए आवेदन-पत्रों के आधार पर दो आशय पत्र प्रदान किए हैं।

लीबिया द्वारा भारतीय डाक्टरों को वेतन का भुगतान न किया जाना

3604. **डा० वी० राजेश्वरन्** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने भारतीय डाक्टर अनुबंध के आधार पर लीबिया गए हैं;

(ख) क्या यह सच है कि लीबिया सरकार इन डाक्टरों को अनुबंध की शर्तों के अनुसार वेतन नहीं दे रही है;

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फेलीरो) : (क) इस संबंध में सही आंकड़े तो उपलब्ध नहीं है लेकिन अनुमान यह है कि लीबिया में निजी अनुबन्ध के आधार पर लगभग 1500 भारतीय डाक्टर कार्यरत हैं।

(ख) और (ग) सरकार के ध्यान में ऐसा कोई मामला नहीं लाया गया है जिसमें अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार वेतन भुगतान न किया गया हो।

रेशम से बनी वस्तुओं का निर्यात

3605. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेशम से बनी वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने के लिए चालू वर्ष के दौरान कौन से कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है; और

(ख) रेशम की वस्तुओं के उत्पादकों को दिये जाने वाले प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) रेशम माल का निर्यात बढ़ाने के लिए किए गए उपाय, जिनमें रेशम विनिर्माता निर्यातकों के लिए प्रोत्साहन शामिल हैं, निम्नोक्त प्रकार हैं :—

1) प्रकृतिक रेशम परिधानों, तैयार-माल, साड़ियों तथा निटवियरों के लिए 1-7-86 से सी०सी०एस० की उच्चतर दरों की घोषणा कर दी गई है।

2) आयात-निर्यात नीति की अग्रिम लाइसेंसिंग तथा आर ई पी योजना के अन्तर्गत रेशम निर्यातकों को कच्चे माल के आयात की अनुमति है ताकि वे अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कारगर ढंग से प्रतिस्पर्धा कर सकें। चालू आयात-निर्यात नीति में शत-प्रतिशत प्राकृतिक रेशम के माल के लिए आर ई पी दर 20% से बढ़ाकर 30% कर दी गई है।

3) 1-1-86 से घोषित पास बुक योजना में, जोकि अनन्य तौर पर विनिर्माता निर्यातकों के लिए है, आयात प्रक्रियाओं में अधिक लोचशीलता की व्यवस्था है।

(ख) भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद ने 1986-87 के दौरान हांगकांग तथा फैंकफर्ट में अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में निर्यातक की सहभागिता का आयोजन किया है और जापान, सोवियत संघ तथा अन्य पूर्वी-यूरोपीय देशों को बिक्री-सह-अध्ययन दौरे भी प्रायोजित किए हैं।

भारत पर्यटन विकास निगम में हानि

3606. **श्री ई० अय्यप्पू रेड्डी** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत पर्यटन विकास निगम को वर्ष 1984, 1985 और 1986 में कितनी हानि हुई; और

(ख) अब तक कितने पांच तारा होटलों को हानि वाले होटलों की श्रेणी में रखा गया है ?

पर्यटन मंत्री (मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) भारत पर्यटन विकास निगम को शुरू से ही कोई हानि नहीं हुई है।

(ख) आलोच्य अवधि के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम ने देश में आठ 5-स्टार होटलों का परिचालन किया जिनमें से तीन को हानि हुई।

तलपत्ती द्वीप पर बंगलादेश का दावा

3607. **श्री एम० रघुमा रेड्डी** :

श्री मानिक रेड्डी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 फरवरी, 1987 के "जनसत्ता" में प्रकाशित इस समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि बंगलादेश ने तलपत्ती द्वीप पर अपना दावा किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए जा रहे हैं ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवरसिंह) : (क) जी, हां।

(ख) इस खबर के अनुसार बंगलादेश के विदेश मंत्री ने कहा था कि न्यू मूर द्वीप (जिसे बंगला देश में दक्षिण तलपट्टी द्वीप के नाम से जाना जाता है। बंगलादेश का एक अंग है और बंगलादेश अपने दावे के समर्थन में भारत को आंकड़े प्रस्तुत करेगा।

(ग) और (घ) भारत सरकार बंगलादेश की सरकार इस मसले पर तथा अन्य द्विपक्षीय मामलों पर एक दूसरे के साथ सम्पर्क बनाए हुए हैं। दोनों पक्षों ने इस विषय पर सभी संगत तथ्यों तथा सिद्धान्तों के आधार पर इस मसले की जांच पड़ताल करने के लिए एक-दूसरे को आंकड़े उपलब्ध किए हैं।

[हिन्दी]

गैर-सरकारी कम्पनियों का पासपोर्ट जारी किए जाने के लिए क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों में पंजीकरण

3608. **श्री शान्ति धारीवाल** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ गैर-सरकारी कम्पनियों का पासपोर्ट जारी किए जाने के लिए क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में पंजीकरण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कम्पनियों का, राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि वे कम्पनियां पासपोर्ट जारी करते समय नियमों का सख्ती से पालन नहीं कर रही हैं;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने कौन से कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवरसिंह) : (क) जी नहीं। पासपोर्ट जारी करने के लिए क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों में गैर सरकारी कम्पनियां पंजीकृत नहीं हैं। पासपोर्ट तथा अन्य यात्रा दस्तावेज जारी करने का प्राधिकार भारत में केवल पासपोर्ट जारी करने वाले प्राधिकारियों को तथा विदेश स्थित मिशनों को ही प्राप्त है। गैर सरकारी कम्पनियों को पासपोर्ट आवेदनों को प्रस्तुत करने में अपने ग्राहकों की मदद करने और पासपोर्ट कार्यालयों से उनकी ओर से पासपोर्ट लेने के लिए मान्यता दी जाती है।

(ख) से (ङ) अत: ये प्रश्न नहीं उठते।

छावनी बोर्ड. रानीखेत, उत्तर प्रदेश को रक्षा विभाग की भूमि का अन्तरण

3609. **श्री हरीश रावत** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को छावनी बोर्ड, रानीखेत से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है कि सिविल क्षेत्र का विस्तार करने के उद्देश्य से रक्षा विभाग की कुछ भूमि का उसे अन्तरण किया जाए; और

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब प्राप्त हुआ था और सरकार इस सम्बन्ध में कौन-सी कार्यवाही कर रही है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुणसिंह) : (क) और (ख) छावनी बोर्ड रानीखेत ने सदर बाजार के वर्तमान सिविल क्षेत्र में लगभग 55 एकड़ तक वृद्धि करने के लिए 1981 में एक प्रस्ताव भेजा था ताकि वहां भीड़भाड़ कम की जा सके और आबादी की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। बाद में 1982 में इसमें संशोधन करके 20 एकड़ अतिरिक्त क्षेत्र शामिल किया गया।

इस समस्त 75 एकड़ क्षेत्र को सिविल क्षेत्र में मिलाने के लिए अप्रैल/मई, 1985 के सरकारी राजपत्र में अधिसूचना जारी कर दी गई है।

अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में "ट्रेकिंग" की सुविधायें

3610 **श्री हरीश रावत :** क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के अलमोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में पर्यटक आकर्षण के "ट्रेकिंग" मार्ग और ग्लेशियर हैं;

(ख) क्या उनका मंत्रालय इन स्थानों पर अधिक संख्या में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए और अधिक सुविधायें उपलब्ध कराने पर विचार कर रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मन्त्री (मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) से (ग) विस्तृत सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश में राज्य व्यापार निगम के नए डिपो खोलना

361'. **श्री हरीश रावत :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में राज्य व्यापार निगम द्वारा कुल कितने डिपो चलाये जा रहे हैं;

(ख) क्या राज्य सरकार ने कुछ अन्य स्थानों पर भी और डिपो खोलने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो ये डिपो कब तक खोले जायेंगे ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) खाद्य तेल का वितरण करने के लिए राज्य व्यापार निगम के लखनऊ, साहिबाबाद तथा कानपुर में तीन डिपो हैं।

(ख) तथा (ग) राज्य व्यापार निगम का अखबारी कागज वितरित करने के लिए लखनऊ में अपना डिपो बनाने का प्रस्ताव है, जो मई, 1987 से चालू होगा।

उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में समेकित हथकरघा विकास योजना

361 **श्री हरीश रावत :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों में समेकित हथकरघा विकास योजना के कार्यान्वयन पर अब तक कितनी धन-राशि खर्च की गई है;

(ख) क्या इस योजना के अन्तर्गत जिला स्तर पर एक बड़ा डिजाइन केन्द्र तथा प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो ये केन्द्र कब तक स्थापित किये जायेंगे ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) 1.45 करोड़ रु० ।

(ख) तथा (ग) इस योजना के अधीन एक डिजाइन केन्द्र के स्थापित किए जाने की व्यवस्था है जिसका प्रस्ताव कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा अभी तैयार किया जाना है । तथापि, इस बीच, इस योजना के अन्तर्गत आने वाले बुनकरों को डिजाइन के अन्तर्निविष्ट साधन सप्लाई करने के लिए, बनुकर सेवा केन्द्र, चमोली और राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद द्वारा कार्यान्वयन एजेंसी को आवश्यक सहायता दी जायेगी ।

जहां तक प्रशिक्षण केन्द्र का सवाल है गढ़वाल डिवीजन में डुंडा और कुमाऊं डिवीजन में धारचूला में बुनकरों को प्रशिक्षण देने के लिए पहले ही आवश्यक प्रबन्ध कर लिए गये हैं ।

[अनुवाद]

ऊन विकास बोर्ड

3613. **श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल :**

श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का एक ऊन विकास बोर्ड स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और यह किस उद्देश्य से स्थापित किया जा रहा है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ।

टैरिफ और व्यापार संबंधी सामान्य करार संबंधी विचार विमर्श के नए दौर के लिए भारत और अमरीका के बीच परामर्श

3614. **श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और अमरीका के अधिकारियों ने हाल में टैरिफ और व्यापार संबंधी सामान्य करार संबंधी बातचीत के नये दौर के लिए परामर्श किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस परामर्श में किन-किन क्षेत्रों के संबंध में सहमति व्यक्त की गई और किन-किन क्षेत्रों के संबंध में असहमति व्यक्ति की गई ?

वाणिज्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) तथा (ख) : नई दिल्ली में 11-12 फरवरी, 1987 को हुई भारत-अमरीका (संयुक्त आयोग की बैठक में दोनों पक्षों ने अन्य बातों के साथ) साथ बहुपक्षीय व्यापार वार्ताओं के नए दौर सम्बन्धी मुद्दों पर विचार-विमर्श किए दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हो गए कि बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली बनाए रखना और उसे सुदृढ़ बनाना नये दौर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है । अमरीकी पक्ष ने नए दौर में दोनों देशों के लिए संभाव्य लाभों के क्षेत्रों अर्थात कृषि, विवाद निपा पूर्वोपाय, सेवाएं, व्यापार से सम्बन्धित निवेश उपाय और प्रज्ञात्मक सम्पत्ति संरक्षण को अभिज्ञात किया । भारतीय पक्ष ने पूर्वोपायों, विवाद निपटान, वस्त्रों तथा कृषि से सम्बन्धित वार्ताओं को महत्व दिया । उन्होंने इस बात पर बल दिया कि वार्ताओं में सहभागियों को विद्यमान तथा रोल बैंक वचनबद्धताओं का अवश्य पालन करना चाहिए जिससे कि बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली बनाए रखी

जा सके। सेवाओं के मामले में भारतीय पक्ष ने उल्लेख किया कि वार्ताएं आरम्भ होने से पूर्व पर्याप्त आधा कार्य किया जाना था।

[हिन्दी]

जम्मू और कश्मीर विधान सभा चुनावों के लिए अतिरिक्त अर्ध-सैनिक बलों की आवश्यकता

36*5. श्री जी० एस० बसवराजू :

श्री एच० एन० नन्जे गौडा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर सरकार ने केन्द्रीय सरकार से विधान सभा चुनावों के दौरान कानून और व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से अर्ध-सैनिक बलों की अतिरिक्त कम्पनियां उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह मांग वहां पर पहले ही तैनात किये गये सैनिक बलों के अतिरिक्त हैं;

(ग) किन-किन अन्य राज्यों ने, जहां चुनाव हो रहे हैं, अतिरिक्त सैनिक बलों के लिए मांग की है; और

(घ) केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों की मांगों को किस सीमा तक पूरा किया है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदंबरम) : (क) तथा (ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) पश्चिम बंगाल और केरल की सरकारों ने अतिरिक्त बलों की मांग की है।

(घ) देश के विभिन्न संवेदनशील भागों में अर्द्ध सैनिक बलों की भारी संख्या में तैनातगी के बावजूद, भारत सरकार ने इन तीनों राज्यों को अधिकतम सम्भव संख्या में अर्द्ध सैनिक बल प्रदान किये हैं।

[अनुवाद]

नारियल के तेल का आयात

3618 श्री वी० कृष्ण राव : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 के दौरान कितना नारियल का तेल आयात किया गया;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को नारियल के तेल का आयात बन्द करने के बारे में कर्नाटक, केरल और देश के अन्य भागों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) खाद्य तेल तथा अखाद्य तेल दोनों प्रकार के नारियल तेल का आयात एस० टी० सी/हिन्दुस्तान वेजीटेबल आयल कारपोरेशन के माध्यम से सरणीकृत है। 1985-86 के दौरान एस० टी० सी० द्वारा नारियल तेल का कोई आयात नहीं किये गये। तथापि, फेटी एसिड के निर्यातों के लिए प्रतिपूर्ति लाइसेंसों के आधार पर थोड़ी मात्रा में नारियल तेल के आयात की अनुमति है। आर ई पी लाइसेंसो के आधार पर वास्तविक आयातों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) तथा (ग) नारियल तेल के आयात पर प्रतिबन्ध/रोक लगाने के लिए अभ्यावेदन

प्राप्त हुए हैं। चूंकि नारियल तेल के आयात की नीति पहले ही बहुत प्रतिबन्धक है। अतः यह निर्णय लिया गया है कि उसे यथापूर्व स्थिति बनाए रखी जाए।

भारत-सोवियत संघ व्यापार समझौता

3619. श्री एच० एन० नन्जे गौडा :

श्री एस० एम० गुरड्डी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1987 के लिए हाल में सम्पन्न भारत-सोवियत व्यापार समझौते में वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् ने सोवियत संघ से भारतीय सूती कपड़े के निर्यात लक्ष्य में गिरावट आने पर अपनी निराशा व्यक्त कहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) क्या वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् ने रूस सरकार से भारतीय सूती कपड़े का और अधिक निर्यात किए जाने के लिए निर्धारित धनराशि में वृद्धि करने का अनुरोध है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सोवियत संघ सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) बातचीत के दौरान रूसी प्रतिनिधिमण्डल ने बताया कि वे घरेलू उत्पादन में वृद्धि होने के कारण भारत से सूती वस्त्रों की अपनी खरीदारियों को कम कर रहे हैं।

(ग) तथा (घ) भारत सरकार ने सूती वस्त्रों की अपनी खरीदारियों को बढ़ाने के लिए सोवियत सरकार के साथ इस मामले को उठाया। तथापि सोवियत सरकार इस पर सहमत नहीं हुई है।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अतिरिक्त उत्पादन का सोवियत संघ को निर्यात

3620. श्री एच० एन० नन्जे गौडा : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा वर्ष 1987 के दौरान करघों से अतिरिक्त उत्पादन का सत्तर प्रतिशत सोवियत संघ को निर्यात किए जाने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) यह बताया गया है कि सोवियत संघ से करघों की पहली खेप अभी-अभी पहुंची है। इन करघों के पूरी तरह कार्यशील होने में अभी कुछ समय लगेगा। इन करघों पर होने वाले उत्पादन का 75% निर्यात सोवियत संघ को किए जाने के लिए प्रति-क्रय व्यवस्था है।

उड़ीसा में कताई मिलें

3621. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में अब तक कितनी कताई मिलें स्थापित की गई हैं;

(ख) ये कताई मिलें कहां-कहां स्थित हैं और प्रत्येक की उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ग) क्या सरकार उड़ीसा में कुछ नई कताई मिलों की स्थापना के सम्बन्ध में किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और वे कहां-कहां स्थापित की जायेंगी ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) सरकार के पास इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्रमांक	कताई मिल का नाम तथा स्थान	संस्थापित तकुए
1.	उड़ीसा काटन मिल्स लि०, पो० ओ० कोटशाही, कटक	8224
2.	उड़ीसा टैक्सटाइल मिल्स, चौदवार	58528
3.	सोनपुर स्पिनिंग मिल्स लि०, सोनपुर।	25080
4.	बरीपाद स्पिनिंग मिल्स, बरीपाद	25080
5.	भास्कर टैक्सटाइल मिल्स लि०, झारसुगादा, सम्बलपुर	25080
6.	उड़ीसा वीवर्स कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लि०, सम्बलपुर	18400
7.	उतकल वीवर्स कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स, खुर्दा, पुरी	24960
8.	कलिंग वीवर्स कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लि०, धेनकानल	25088
9.	गंगपुर वीवर्स कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स, सुन्दरगढ़	20976
10.	श्री जगन्नाथ वीवर्स कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लि०, कटक	24624
11.	सरला वीवर्स कोआपरेटिव मिल्स, नरसीरा	16660
12.	उड़ीसा पिनिंग मिल्स लि०, राजगंगापुर	4320 तथा 2600 रोटर्स

टिप्पणी :

उड़ीसा राज्य में कताई मिलें स्थापित करने के लिए सी० ओ० बी० लाइसेंस/औद्योगिक लाइसेंस/आशय पत्र/मध्य पैमाने के पंजीकरण निम्नोक्त प्रकार है :—

		लाइसेंसीकृत क्षमता
1.	मै० इंडस्ट्रियल प्रोमोशन एण्ड इंवेस्टमेंट कारपोरेशन आफ उड़ीसा लि०, (बेलागिर)	25000
2.	मै० इंडस्ट्रियल प्रमोशन एण्ड इनवेस्टमेंट कारपोरेशन आफ उड़ीसा लि०, (फुलबाणी)	25000
3.	श्री के० सी० साहू फुलबाणी कोआपरेटिव सिंथेटिक पिनिंग मिल्स लि०, फुलबाणी	25000
4.	मै० श्री गोपीनाथ वीवर्स कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लि०, (दमासोरे)	25000
5.	मै० सुरेश्वरी टैक्सटाइल्स (प्रा०) लि०, खारवेली नगर	5000
6.	*मै० आस्का स्पिनिंग मिल्स लि०, आस्का (इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कारपोरेशन आफ उड़ीसा लि०)	25228

* मिलों का वाणिज्यिक उत्पादन मार्च 1987 से होने की आशा है।

स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन मंजूर करना

3622. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिसम्बर, 1986 तक राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश राज्यों में से प्रत्येक के कितने आवेदकों को स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन मंजूर की गई ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : दिसम्बर, 1986 तक राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के सैनिकों सहित क्रमश: 1234, 3505 और 20506 स्वतंत्रता सेनानियों को (केन्द्रीय राजस्व से) पेंशन स्वीकृत की गई है।

आयात संपूर्ति लाइसेंस जारी करना

3623. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान संसाधित फलों और वनस्पति उत्पादों ससाधित आलू से तैयार खाद्य उत्पादों, साफ्ट ड्रिंक कन्सट्रेटों के निर्यात के बदले कुल कितने तथा कितने मूल्य के आयात संपूर्ति लाइसेंस जारी किए गए ?

वाणिज्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : लाइसेंसिंग आंकड़े मुख्य निर्यात उत्पादों (इस मामले में खाद्य पदार्थ) के अनुसार रखे जाते हैं, संसाधित फल और सब्जी उत्पादों, संसाधित पोटेटो-ग्रेन खाद्य उत्पादों और शीतल पेय सान्द्रणों जैसे उत्पादों के अनुसार नहीं/आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंसों की निर्यात उत्पादवार संख्या के आंकडे नहीं रखे जाते उप समूह खाद्य पदार्थ, के निर्यात के आधार पर जारी किये गये आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंसों का मूल्य नीचे दिये अनुसार है—

वर्ष	"खाद्य पदार्थ, निर्यात उत्पाद के निर्यात के आधार पर जारी किये गये आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंस का मूल्य
	(करोड़ रु० में)
1983-84	32.57
1 84 85	62.56
1985-86	60.53
1986-87	49.04
(अप्रैल-दिसम्बर, 1986	

महाराष्ट्र में पर्यटन स्थलों के विकास के लिए योजना

3624. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :** क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू योजना अवधि के दौरान महाराष्ट्र में पर्यटन स्थलों का विकास करने संबंधी सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

पर्यटन मंत्री (मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षों

के दौरान, केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय ने महाराष्ट्र राज्य सरकार को पर्यटक स्थलों का विकास करने के लिए पहले से चली आ रही निम्नलिखित स्कीमों के वास्ते वित्तीय सहायता प्रदान की है :

(लाख रुपयों में)

स्कीम का नाम	स्वीकृति की तारीख	स्वीकृत राशि	रिलीज की गई राशि
1. अजंता हिल्स की तलहटी पर क्षेत्रों का बिकस करने की स्कीम	28.3.78 11.8.83 30.1.87	13.20	12.35
2. बीबी का मकबरा की प्रकाश-पुंज व्यवस्था	5.12.85	5.12	2.56
3. गणपतिफुले में दो समुद्र-तट कुटीरों का निर्माण	28.8 86	8.77	5.00
4. वलनेश्वार गांव में समुद्र-तट विहार-स्थल का विकास	28.1.87	34.10	10.00
5. शेगांव में यात्री निवास	6.2.87	25.98	10.00

विचाराधीन नए प्रस्ताव

स्कीम का नाम	अनुमानित लागत
1. खोपोली में मार्गस्थ सुख-सुविधाओं के लिए प्रस्ताव	17.95
2. बम्बई में यात्री निवास	214.38
3. लोनार, जिला बुलडाना का विकास	12.62
4. सिखेदरजा का पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास	26.55
5. मनहूद जिला० रायगढ़ मे एक मोटल का निर्माण	42.00
6. तोतला डोला और कीमती खेड़ी में नौका की खरीद के लिए प्रस्ताव	12.00
7. चिखालदरा अवकाश बिहार-स्थल का विकास — लाग हट्स का निर्माण	51.26
8. बम्बई के निकट बस्मिस समुद्र-तट विहार स्थल का बिकास	55.47
9. पाईथन में यात्री निवास का निर्माण	28.76
10. अवकाश विहार-स्थल कोया नगर का विकास	40.00
11. पनहाला में अवकाश बिहार स्थल का विकास	42.16

(ख) केन्द्रीय पर्यटन मत्रालय निधियो का आबंटन राज्य-वार नहीं करता बलिक राज्य

सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, निधियों की उपलब्धता और परस्पर प्राथमिकताओं पर निर्भर रहते हुए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् का अन्य संस्थानों के साथ समन्वय

3625. **प्रो० नारायण चन्द पराशर:** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् ने विदेशों में भारतीय संस्कृति के प्रदर्शन के लिए विश्वविद्यालयों जैसी विभिन्न संस्थानों और अकादमियों जैसे शैक्षिक तथा सांस्कृतिक अकादमियों तथा संवर्धन के अन्य केन्द्रों के साथ कोई समन्वय स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किस प्रकार का समन्वय स्थापित किया गया है और उन संस्थानों अकादमियों के नाम क्या हैं; जिसके साथ समन्वय स्थापित किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस प्रकार का समन्वय शीघ्र स्थापित करने का विचार है।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो : (क) जी हां।

(ख) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् और विश्वविद्यालयों तथा शिक्षा और सांस्कृतिक के प्रमुख केन्द्रों जैसे अन्य संगठनों के बीच सक्रिय ताल-मेल रहता है। इनमें से कुछ महासभा, शासी निकाय, वित्त समिति एवं अन्य समितियों के सदस्य हैं। अनेक प्रसिद्ध व्यक्ति, परिषद् के संगीत, नृत्य थिएटर, प्लास्टिक कला, प्रकाशन आदि से संबंधित सलाहकार समितियों से सम्बद्ध हैं।

जिन संस्थाओं से भारतीय सांस्कृतिक संबद्ध परिषद् सम्बद्ध है, उनमें से कुछेक के नाम इस प्रकार हैं—भारत महोत्सव, नई दिल्ली, ललित कला अकादमी, नई दिल्ली, राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्ली, संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली, गंधर्व महाविद्यालय, नई दिल्ली, संस्कृति विभाग, नई दिल्ली, साहित्य अकादमी, नई दिल्ली, श्रीराम कला तथा संस्कृतिक केन्द्र, नई दिल्ली, कत्थक केन्द्र, नई दिल्ली, स्कूल आफ आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स (जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय) नई दिल्ली, अन्तर्राष्ट्रीय भारतीय संस्कृतिक अकादमी, नई, दिल्ली, भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, नई दिल्ली, राजस्थान लोक साहित्य संस्थान, जोधपुर, जवाहर लाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी, इंफाल, कलाक्षेत्र, मद्रास, पदतिक थिएटर ग्रुप, कलकत्ता, राष्ट्रीय मंत्रीय कला केन्द्र, बम्बई, क्षेत्रीय लोक और मंत्रीय कला संसाधन केन्द्र, उडुपी, कला अकादमी, पणजी, सांस्कृति अकादमी, श्रीनगर, द् आर्ट हेरिटेज, नई दिल्ली, नेशनल स्कूल आफ ड्रामा, नई दिल्ली तथा राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

ई.एम.ई. के कार्यरत सिविलियन ड्राइंग स्टाफ का वेतनमानों के अधिकतमपर रुका रहना

3626. **श्री छीतू भाई गामित :** क्या रक्षा मंत्री ई.एम. ई. में कार्यरत सिविलियन स्टाफ का वेतनमानों के अधिकतम पर रुके रहने के बारे में 26 अगस्त, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 53.6 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ई.एम. ई. के सिविलियन ड्राइंग स्टाफ को पदोन्नति के बेहतर अवसर उपलब्ध करने के लिए भर्ती नियमों में संशोधन किए जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ख) मामलों को अंतिम रूप से निपटाने के लिए कितना समय लगने की संभावना है ?

रक्षा मन्त्रालय में रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह): (क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में ड्राफ्ट्समैनों के वेतनमानों में संशोधन हो जाने के बाद ई एम ई में सिविलियन ड्राइंग स्टाफ के वेतनमानों का इस गलत धारणा के कारण गलत ढंग से संशोधन किया गया कि ई एम ई की भर्ती अर्हताएं केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के समान हैं। जब इस गलती का पता चला और संशोधित वेतनमानों को रद्द किया गया तो ई. एम.ई. के सिविलियन ड्राइंग के कुछ कर्मचारियों ने प्रशासनिक ट्रिब्युनल के समक्ष संशोधित वेतनमानों को रद्द करने की चुनौती दी। ट्रिब्यूनल अन्य बातों के साथ साथ, इस काडर की अन्य काडरों, विशेषत: केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के साथ भर्ती शर्तों की समानता पर भी विचार करेगा।

भर्ती नियमों में संशोधन करने का विचार मूलत: उस समय के भर्ती नियमों और वेतनमानों के आधार पर ई एम ई में सिविलियन ड्राइंग स्टाफ की पदोन्नति की संभावनाओं को सुधारने के लिए किया गया था। प्रशासनिक ट्रिब्युनल के पास लम्बित पड़े मामलों पर निर्णय हो जाने पर ही वेतन के मूल ढांचे एवं कार्य की समानता में परिवर्तन हो सकता है।

(ख) चूंकि ये बातें अभी प्रशासनिक ट्रिब्युनल के पास अधिनिर्णय के लिए पड़ी हैं इसलिए ट्रिब्युनल के निर्णय के पश्चात् ही, यदि आवश्यक हुआ, भर्ती नियमों में संशोधन किया जा सकता है।

यूरोप के देशों से दक्षिण भारत के लिए चार्टर्ड उड़ानों के लिए अनुमति

3627. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर :** क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यूरोप के देशों और कुछ अन्य स्थानों से दक्षिण भारत के लिए चार्टर्ड उड़ानों के लिए अनुमति देने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन था; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया है।

पर्यटन मन्त्री (मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) और (ख) दक्षिण भारत में मद्रास, त्रिवेन्द्रम और बंगलौर को चार्टर्ड उड़ानों के गंतव्यों के रूप में अनुमोदन प्रदान किया गया है। तथापि, इन गंतव्यों के लिए चार्टर उड़ानों का परिचालन करने हेतु अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

दिल्ली में आग लगने की घटनाएं

3628. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में जनवरी 1987 में आग लगने की कितनी घटनाएं हुईं;

(ख) इसके परिणाम स्वरूप जान-माल की कितनी हानि हुई ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) 389

(ख) (I) जन हानि - 5

(II) सम्पत्ति की हानि-लगभग 23 लाख रुपए।

सिले-सिलाए वस्त्रों, बुने हुए वस्त्रों और कपड़ों का निर्यात

3629. **डा० पी० वल्लल पेरुमन :** क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सिले-सिलाए वस्त्रों, बुने हुए वस्त्रों और अन्य कपड़ों के निर्यात को बढ़ावा देने का प्रोत्साहन और रियायत देने के लिए किसी योजना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके फलस्वरूप कितनी अतिरिक्त विदेशी मुद्रा अर्जित होने की संभावना है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें वस्त्रों तथा क्लोदिंग का निर्यात बढ़ाने के लिए किए गए उपाय दिए गए हैं।

(ग) 1986 में परिधानों के निर्यात 1323 करोड़ रुपये के रहे जबकि 1985 में वे 1068 करोड़ रुपये के थे और 1986 में सूती वस्त्रों के निर्यात 656 करोड़ रु० के रहे जबकि 1985 में वे 649 करोड़ रु० के थे। वस्त्रों तथा परिधानों के निर्यातों में वृद्धियां होने के प्रमुख कारणों में से एक कारण सरकार द्वारा किए गए अनेक उपायों का है।

विवरण

वस्त्र माल का निर्यात बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(1) देश में न बनने वाली आधुनिक परिधान विनिर्माण मशीनों का जो जी० एल० पर आयात किए जाने की अनुमति दी जाती है। परिधान तथा होजरी बनाने के लिए 114 मशीनें ओ० जी० एल० के अन्तर्गत रखी गई हैं जिनमें से 97 पर रियायती आयात शुल्क है।

(2) अप्रचलित मशीनों आदि को हटाने और वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए वस्त्र मशीनरी के स्वदेशी उत्पादन के संबंध में सरकार की नीति उदार बना दी गई है और चुनिन्दा मशीनों के आयात की अनुमति निर्यात दायित्व की शर्त पर दी जाती है।

(3) सूती वस्त्र उद्योग का आधुनिकीकरण सुविधाजनक बनाने के लिए 750 करोड़ रु० की वस्त्र आधुनिकीकरण निधि बनाई गई है।

(4) सूती यार्न के निर्यात के लिए उदार अधिकतम सीमाएं रखते हुए एक दीर्घकालीन नीति की घोषणा की गई है। 60 तक के काउंटों के यार्न के लिए वर्तमान सीमा 40 मिलियन किग्रा. प्रति वर्ष है जबकि पहले यह सीमा 12 मिलियन किलो थी। 60 से अधिक काउंट के यार्न के निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

(5) 1 जुलाई, 1986 से लागू नकद मुआवजा सहायता की संशोधित दरें घोषित की गई हैं। ये दरें 3 साल की अवधि के लिए घोषित की गई हैं और सामान्यतः पहले से अधिक हैं। परिधानों की मन्दगति वाली उन मदों पर जिन पर कोटा देशों को निर्यात करते समय नकद मुआवजा सहायता ग्राह्य नहीं थी नकद मुआवजा सहायता के लिए पात्र बना दिया गया है। सभी काउंटों के यार्न के निर्यात पर 29 अगस्त, 1986 से 8 प्रतिशत की दर से नकद मुआवजा सहायता की अनुमति दी गई है। कोरे फैब्रिक्स के निर्यात पर नकद मुआवजा सहायता 13.8.87 से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दी गई है।

(6) नकद मुआवजा सहायता के मामले में निर्यातकों में निश्चितता की भावना लाने की दृष्टि से सूती परिधानों और वस्त्रों को संविदा पंजीकरण योजना के अन्तर्गत लाया गया है।

(7) परिधान उत्पादन के लिए फैशन डिजाइन के क्षेत्रों में शिक्षण, अनुसंधान और प्रशिक्षण हेतु दिल्ली स्थित फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान 1987 में पूरी तरह से चालू हो जाएगा।

(8) सूती परिधानों के लिए शुल्क वापसी की दरें बढ़ाकर 10 प्रतिशत पर दी गई हैं।

(9) लदान-पूर्व ऋण के दिनों की संख्या 90 से बढ़ाकर 180 कर दी गई है। ब्याज की दर भी 2.5 प्रतिशत कम की गई है।

(10) कच्चे माल/फैब्रिकों की बहुत सी मदों के आयात की अनुमति शुल्क मुक्त आर० ई० पी० योजना और आयात-निर्यात पास बुक योजना के अन्तर्गत दी जाती है।

(11) शत-प्रतिशत निर्यात अभिमुख एककों और मुक्त व्यापार जोनों की योजना के अन्तर्गत पूंजी माल और कच्चे माल के उदार आयात की सुविधाएं कई अन्य रियायतों सहित दी जाती हैं।

(12) अग्रिम लाइसेंसिंग योजना के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर दिया गया है और प्रक्रियाओं को सरल बना दिया गया है।

(13) सरकार बाजार अध्ययन, क्रेता-विक्रेता सम्मेलनों, अन्तर्राष्ट्रीय मेलों तथा प्रदर्शनियों में सहभागिता जैसे संवर्धनात्मक क्रियाकलापों के प्रयोजन और वित्त पोषण के लिए उदार सहायता देती रही है।

(14) घरेलू बिक्रियों के लिए विदेशी ब्रांड नामों के प्रयोग की अनुमति सिले-सिलाए परिधानों के मामले में इस शर्त के साथ दी गई है कि केवल स्वदेशी फैब्रिकों का प्रयोग हो, उत्पादन का कम से कम 75 प्रतिशत भाग निर्यात हो और घरेलू बिक्री पर किसी भी रायल्टी की अनुमति नहीं है।

(15) सरकार 25% की रियायती दर पर 4 आधुनिक वस्त्र मशीनों के आयात की अनुमति देती है बशर्ते कि आयातक ने पिछले 3 वर्षों के दौरान निर्यातक के औसत निर्यातों के अतिरिक्त मशीनों के मूल्य से 5 गुना निर्यात किया हो। विद्यमान योजना के अतिरिक्त संशोधन निर्यात दायित्व योजना में 5 वर्षों के लिए उत्पादन का 75% निर्यात करने के सम्बन्ध में निर्यात दायित्व सहित आयातों की अनुमति है। तथापि, आयतक को इन दो निर्यात दायित्वों में से किसी एक को चुनने की अनुमति है।

पर्यटकों के लिए ट्रैकिंग

3630. **श्री पी० एम० सईद** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पर्यटकों के लिए ट्रैकिंग का विकास करने हेतु राज्य सरकारों को तकनीकी सहायता देने के लिए किसी विशेषज्ञ समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार हिमालय क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता देने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो उस योजना का ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री (मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) और (ख) पर्वतारोहण और पैदल भ्रमण सहित साहसिक पर्यटन की विभिन्न शाखाओं में विशेषज्ञों का एक पैनल तैयार करने के लिए विज्ञापन के जरिए मांगे गए आवेदन पत्रों पर कार्रवाई की जा रही है।

(ग) और (घ) हिमालय पर्यटन परिषद् ने अपनी पिछली बैठक में सरकार से सिफारिश की थी कि हिमालय में पर्यटन का संवर्धन करने के लिए राज्यों को सहायता प्रदान करने हेतु एक परिक्रमी कोष बनाया जाए। इस सिफारिश पर सरकार विचार कर रही है।

प्रति पूर्ति लाइसेंसों का दुरुपयोग

3631. श्री के० राममूर्ति : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यातकों को दिए गए लाइसेंस की तुलना में प्रतिवर्ष कुल कितने मूल्य के माल का आयात किया गया तथा प्रतिपूर्ति लाइसेंस प्राप्त कर्ताओं द्वारा किए गए निर्यात से प्रतिवर्ष कुल कितनी दुर्लभ मुद्रा प्राप्त हुई;

(ख) प्रतिपूर्ति लाइसेंसों, जिन्हें बाजार में बेचा जा सकता है, के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ग) क्या प्रतिपूर्ति लाइसेंस प्रणाली को समाप्त किया जा रहा है तथा समस्त आयात और निर्यात को भारतीय व्यापार निगम के माध्यम से किया जा रहा है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी किए गए आर० ई० पी० लाइसेंसों का कुल वार्षिक मूल्य निम्नोक्त प्रकार है: —

वर्ष	जारी किए गए आर० ई० पी० लाइसेंसों का मूल्य
	(करोड़ रु० में)
1984-85	2786
198:-86	2849
1986-87 (अप्रैल-दिसम्बर 86)	2622

आर०ई०पी० लाइसेंसों के जारी करने से सम्बन्धित दुर्लभ मुद्रा क्षेत्र को किये गए निर्यातों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार आर०ई०पी० लाइसेंस तब तक मुक्त रूप से हस्तान्तरणीय हैं, जब तक कि उनमें वास्तविक प्रयोक्ता शर्तों का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया जाता। तथापि, यदि किसी दुरुपयोग की सूचना मिलती है तो आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत जारी किये गए आदेशों के अधीन ऐसे दुरुपयोग के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य प्रतिपूर्ति योजना के अन्तर्गत वस्त्रों का निपटारा

3632. श्री के० राममूर्ति : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या अब अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य प्रतिपूर्ति योजना के अन्तर्गत दावों को 15 दिनों के भीतर निपटाया जा रहा है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य प्रतिपूर्ति योजना (आर ई पी आर एस) में निर्यातकर्ताओं के लिए दावों की स्वीकृति तथा रिलीज के लिए विस्तृत प्रक्रियायें निर्धारित की गई हैं। इससे सामान्यतया तीन या चार हफ्तों की अवधि में दावों का निपटारा हो जाता है।

समुद्री उत्पादों का निर्यात

3633. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समुद्री उत्पादों के निर्यात के संबंध में विश्व बाजार में भारत का हिस्सा कितना है;

(ख) समुद्री उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं;

(ग) वर्ष 1986-87 के दौरान केरल राज्य से देश के समुद्री उत्पादों का कितने प्रतिशत निर्यात हुआ।

(घ) केरल ने 1986-87 के दौरान कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के समुद्री उत्पादों का निर्यात किया;

(ङ) क्या खारे पानी में झींगा मछली पालने से केरल से निर्यात में वृद्धि हुई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी आंकड़े क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) 1985 के दौरान समुद्री उत्पादों के निर्यातों में विश्व बाजार में (जो कि लगभग 16940 करोड़ रु० के थे) भारत का हिस्सा जो कि 300 करोड़ रु० था। 1.77% था।

(ख) सरकार द्वारा समुद्री, उत्पादों के निर्यातों को बढ़ाने के लिए किए गए उपायों में शामिल हैं :—कल्चर्ड प्रान के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रान की फार्मिंग का संवर्धन, आई क्यू० एफ जैसी मूल्य वर्धित मदों के उत्पादन को प्रोत्साहन देना, प्रान हैचरियों की स्थापना तथा गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के संसाधनों के उपयोग के लिए उपाय।

(ग) तथा (घ) 1986-87 (अप्रैल से दिसम्बर, 1986 के दौरान केरल राज्य से समुद्री उत्पादों के निर्यातों की मात्रा तथा मूल्य एवं इसके मांग का ब्यौरा इस प्रकार है :

मात्रा-मी० टन
मूल्य-करोड़ रु०

वर्ष	अखिल भारत	केरल	केरल का भाग
1986-87	मात्रा 62745	25530	40.69%
(अप्रैल-दिस०)	मूल्य 339.89	120.39	35.42%

(ङ) तथा (च) जी हां। केरल राज्य में खारा पानी श्रिम्प खेती का योगदान समुद्री उत्पादों के निर्यात में प्रतिवर्ष 5000 मी० टन है।

(स्रोत: समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण)

वस्त्र-निर्यात कोटे का उपयोग

3634. श्री के० प्रधानी : क्या वस्त्र मन्त्री : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1985-86 और 1986-87 के दौरान वस्त्रों के निर्यात कोटे का पूरा उपयोग नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) निर्यात के कोटों का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) कुछ कोटा देशों में उपयोग पूरा हुआ है जबकि कुछ अन्य देशों में उपयोग 100 प्रतिशत से कम हुआ है जैसा कि संलग्न विवरण I और II में निर्दिष्ट है कोटे के उपयोग को प्रभावित करने वाले मुख्य कारण हैं, मांग बाजार स्थितियां तथा बदलते फैशन ।

(ग) कोटा स्तरों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

(1) निर्यात हकदारी वितरण नीति के अन्तर्गत कम कारोबार वाली परिधान वस्तुओं पर अनेक रियायतों की अनुमति है ।

(2) कोटा देशों को कम कारोबार वाली परिधानों के निर्यात पर नकद मुआवजा सहायता की अनुमति दी गई है ।

(3) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में हमारे उत्पादों को प्रतियोगी बनाने के लिए सरकार ने उनके अन्य कदम उठाए हैं जो परिधान कोटों के बेहतर उपयोग के लिए भी सहायक है ।

विवरण—I

उन श्रेणियों के ब्यौरे जिनमें 1985 और 1986 के दौरान प्रतिशत उपयोग 100 प्रतिशत से अधिक हुआ है ।

देश	श्रेणी	निम्नोक्त वर्ष के दौरान प्रतिशत उपयोग	
		1985	1986
संयुक्त रा०	335	97.78	104.04
अमरीका	336	96.98	102.97
	338139140	97.86	107.08
	342	97.71	109.16
	347148	94.58	114.76
पश्चिम जर्मनी	4	113.99	144.04
	7	68.92	113.32
	8	87.96	114.40
फ्रांस	4	122.28	111.53
	7	74.51	108.17
	8	73.44	105.57
	27	81.05	110.94
	29	79.11	126.96
इटली	4	73.78	104.87
	8	72.88	119.35

1	2	3	4
बेनेलक्स	4	122.04	114.26
	6	97.74	111.94
	8	121.82	111.94
डेनमार्क	4	71.88	118.44
	6	105.04	102.13
	7	104.04	109.69
	8	105.16	109.67
	26	31.48	116.59
	27	83.82	100.48
	29	95.56	107.07
ब्रिटेन	4	108.78	109.09
	6	106.68	105.11
	8	96.70	102.50
आयरलैंड	4	43.75	104.41
	8	94.52	101.94
यूनान	27	113.64	106.38
	29	108.70	108.00
स्वीडन	2	96.75	108.39
	4	103.51	109.30
	5	106.87	100.68
	9	99.84	109.00
	10	94.42	106.76
	आर० जी०	113.16	110.39
नार्वे	3 तथा 4	121.18	100.58
	5	102.52	104.69
	8	103.94	105.56
फिनलैंड	एस० बी०	52.78	101.05
	जी० एस०	95.45	121.29
	टी० शर्ट	93.08	112.43
आस्ट्रिया	जी० एस०	109.01	109.57
कनाडा	1	110.29	113.93
	4	127.32	105.35

विवरण II

देश	श्रेणी	1985	1986
संयुक्त राज्य	337	66.04	57.60
अमरीका	341	91.36	96.20
पश्चिम जर्मनी	6	115.22	89.39
	15-बी	111.44	46.50
	17	44.05	33.23
	26	24.51	35.65
	27	49.41	65.41
	29	32.39	79.60
फ्रांस	6	76.16	85.86
	15-बी	32.08	40.27
	17	1.69	6.75
	21	11.92	13.71
	24	31.79	58.77
	26	66.37	97.01
	30-ए	16.55	11.22
इटली	6	32.01	70.59
	7	47.08	89.08
	15-बी	11.73	73.08
	17	3.39	48.34
	26	28.54	54.71
	27	17.29	30.11
	29	8.14	21.28
बेनीलक्स	7	40.20	85.25
	15-बी	40.99	67.93
	17	18.20	25.78
	21	22.63	33.55
	26	12.02	34.96
	27	33.78	99.47
	29	56.28	52.96
डेनमार्क	15-बी	84.2[illegible]	93.24
	17	61.67	53.85

1	2	3	4
ब्रिटेन	7	40.83	47.32
	15-बी	29.95	44.22
	17	18.58	33.33
	26	71.24	64.33
	27	74.30	99.69
	29	40.67	57.89
आयरलैंड	6	82.50	9.52
	7	61.29	67.72
	15-बी	11.11	54.55
	17	नगण्य	4.00
	26	96.29	27.59
	27	48.37	89.19
	29	11.54	7.14
यूनान	4	1.92	नगण्य
	6	3.70	21.05
	7	113.95	93.41
	8	100.00	64.41
	15-बी	66.67	28.57
	17	7.69	20.00
	26	139.13	87.76
नार्वे	1	133.33	80.00
	2	96.00	98.00
	6	77.78	29.63
	10 (एस)	75.00	92.68
	10 (ओ)	41.86	57.47
	11	65.71	97.22
स्वीडन	1	103.33	96.03
फिनलैण्ड	ए-साक्स	2.78	—
आस्ट्रिया	एल० बी०	75.15	93.10
	2	114.01	95.79
	3	119.46	97.04
	5	95.61	47.70
	8	72.94	—

टिप्पणी : आधार वर्ष-1986

स्रोत : अप्रैल निर्यात संवर्धन परिषद :

मलेशिया के साथ व्यापारिक सम्बन्धों में वृद्धि

3635. श्री राधाकान्त डिगाल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मलेशिया के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाने के लिए कोई उपाय किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी हां।

(ख) लौह अयस्क लम्प, लौह अयस्क पैलिट तथा गेहूं जैसी बल्क वस्तुएं शामिल करने के लिए निर्यातों के विविधीकरण के जरिये और साथ ही समझौते के आधार पर भारतीय कम्पनियों के लिए मलेशियाई सरकार से परियोजनाओं के लिए संविदाओं के जरिए व्यापार बढ़ाने का प्रयास है। इस दिशा में किए गए प्रयासों में शामिल हैं, मंत्रिस्तरीय बातचीत, सरकारी स्तर पर बैठकें, प्रतिनिधिमंडलों का आदान-प्रदान, क्रेता-विक्रेता सम्मेलन; व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेना।

दिल्ली अग्नि शमन सेवा का आधुनिकीकरण

3636. श्री कमला प्रसाद सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिद्धार्थ होटल में लगी आग को ध्यान में रखते हुए दिल्ली अग्नि शमन सेवा के आधुनिकीकरण के लिये दिल्ली नगर निगम को दिये गये 5 करोड़ रुपये के विशेष अनुदान को अन्य योजनाओं में व्यय कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) दिल्ली अग्नि शमन सेवा के आधुनिकीकरण और अधिक अग्नि शमन सेवा केन्द्र स्थापित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) क्या दिल्ली अग्नि शमन सेवा को दिल्ली प्रशासन को स्थानांतरित करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दिल्ली अग्नि शमन सेवा में सुधार लाने के लिए दो वर्ष के लिए 11.83 करोड़ रुपये का अनुदान स्वीकृत किया गया है। यह राशि, उपकरणों की खरीद और 5 नये अग्निशमन केन्द्रों और भूमिगत जल के स्थायी टैंक स्थापित करने के लिए है।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

नई कपड़ा नीति के फलस्वरूप हथकरघा कपड़े का उत्पादन

3637. श्री कुंवर राम : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई कपड़ा नीति के फलस्वरूप हथकरघा क्षेत्र में कपड़े के उत्पादन में किस सीमा तक वृद्धि हुई है;

(ख) जनता कपड़े के उत्पादन में किस सीमा तक वृद्धि हुई है;

(ग) हथकरघा कपड़े के निर्यात में किस सीमा तक वृद्धि हुई है; और

(घ) हथकरघा क्षेत्र में तैयार किए जा रहे कपड़े के निर्यात में वृद्धि किए जाने में बिहार ने क्या योगदान दिया है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) हथकरघा कपड़े का उत्पादन 1984-85 के 3514 मिलियन मीटर से बढ़कर 1985-86 में 3692 मिलियन मीटर हुआ है। 1986-87 के दौरान, नवम्बर, 1986 के अन्त तक 2510 मिलियन मीटर उत्पादन होने का अनुमान है।

(ख) तथा (ग) तीन वर्षों के दौरान जनता कपड़े का उत्पादन और निर्यात नीचे दिये अनुसार है :

वर्ष	जनता कपड़ा (मिलियन स्क्वा० मीटर में)	निर्यात (मूल्य करोड़ रु० में)
1984-85	356.77	348.86 रु०
1985-86	398.12	361.62 रु०
1986-87	500.00 (प्रत्याशित)	383.70 रु० (प्रत्याशित)

(घ) हथकरघा निर्यातों के राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते। तथापि, बिहार सरकार द्वारा सूचित किये गए के अनुसार बिहार निर्यात निगम द्वारा तीन वर्षों में किये गये हथकरघा वस्तुओं के निर्यातों के ब्यौरे नीचे दिये गए अनुसार हैं :—

1984-85	—	8.03 लाख रु०
1985-86	—	4.22 लाख रु०
1986-87	—	10.00 लाख रु० (प्रत्याशित)

बिहार में पर्यटन का विकास

3638. **श्री कुंवर राम :** क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय बिहार में केन्द्रीय सहायता में पर्यटन के विकास के लिए कितनी परियोजनाएं चल रही हैं;

(ख) उनके निर्माण की स्थिति क्या है;

(ग) अब तक उन पर कितना व्यय किया गया है; और

(घ) ये परियोजनाएं कब तक पूरी हो जायेंगी ?

पर्यटन मन्त्री (मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) से (घ) छठी पंचवर्षीय योजना और सातवीं पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षों के दौरान पर्यटन मंत्रालय ने 12 स्कीमों के लिए 128.96 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी है। इन 12 स्कीमों में से 7 स्कीमें पूरी हो गई हैं और शेष प्रगति पर हैं।

निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए उद्यमियों को प्रशिक्षण

3639. **श्री कुंवर राम :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्यात को प्रोत्साहन देने तथा नये उद्यमियों को निर्यात व्यापार में प्रशिक्षण देने के लिए कौन से कार्यक्रम आरम्भ किये गये हैं; ताकि उन्हें इसकी ओर आकृष्ट किया जा सके;

(ख) इसके परिणामस्वरूप प्रत्येक वर्ष निर्यात व्यापार उद्योग में कितने व्यक्ति शामिल होते हैं; और

(ग) क्या उनमें कोई अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति भी है अथवा इस व्यापार में किन्हीं परम्परागत व्यापारियों का ही एकाधिकार है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान सरकार, सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के संगठनों के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण देता रहा है तथा विशेष रूप से तैयार किए गए कार्यक्रमों का संचालन करता रहा है। व्यापार तथा उद्योग और शिक्षा शास्त्रियों के साथ निरंतर विचार विमर्श करके कार्यक्रमों के विषयों और उनकी कार्य-प्रणालियों में सुधार किया गया है व उनका विविधीकरण किया गया है तथा देश और विदेश दोनों में संस्थान के बाजारों एवं प्रयोजनमूलक अनुसंधान अन्तर्निविष्ट साधनों के प्रयोग पर विशेष जोर दिया गया है। संस्थान स्नातकों स्नातकोत्तर फ्रेशरों के लिए, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय आर्थिक सेवा के प्रोबेशनरों के लिए तथा राज्य व्यापार संगठनों एवं सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के वृतिशील मध्यम तथा वरिष्ठ स्तर के कार्यचालकों के लिए कई प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है। 1986-87 के दौरान सस्थान द्वारा संचालित किए जाने वाले प्रशासन संबंधी विकास कार्यक्रमों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान द्वारा आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों के अतिरिक्त लघु उद्योग सेवा संस्थानों, स्थानीय उत्पादकता परिषदों, चैम्बर्स आफ कामर्स और कई गैर-सरकारी व्यक्तियों एवं संस्थाओं द्वारा निर्यात संवर्धन पर कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।

(ख) संस्थान और अन्य संगठनों द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप कितने लोगों ने निर्यात व्यापार में प्रवेश किया है, उनकी ठीक ठीक सख्या बताना मुश्किल है क्योंकि ऐसे आंकड़े नहीं रखे जा रहे हैं।

(ग) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान अपने एक वर्ष के डिप्लोमा कार्यक्रम, दो वर्ष के मास्टर्स प्रोग्राम, दिल्ली में 4 महीने के सान्ध्य कार्यक्रम तथा मद्रास में 6 सप्ताह के सान्ध्य कार्यक्रम में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए कुल सीटों में से 5 प्रतिशत आरक्षित करता रहा है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों को प्रास्फेक्ट की कीमत न देने और ट्यूशन फीस न देने की पूरी तरह से छूट है। संस्थान के नियमित एक्जीक्यूटिव विकास कार्यक्रमों के लिए कई अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों के नाम गैर-सरकारी एवं सरकारी दोनों क्षेत्रों की निर्यातक फर्मों द्वारा नियमित रूप से प्रयोजित किए जाते रहे हैं : भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के निर्यात संवर्धन कार्यक्रमों का उपयोग युवा उद्यमियों सहित समाज के सभी वर्गों द्वारा किया जाता है।

विवरण

1. भारत की आयात नीति
(बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में)
2. मास्टर्स प्रोग्राम इन इन्टरनेशनल बिजनेस
3. अन्तराष्ट्रीय व्यापार में स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम
4. सर्टीफिकेट कोर्स इन एक्सपोर्ट मार्केटिंग (सान्ध्य)
5. निर्यात प्रक्रिया और प्रलेखन (बंगलौर, बम्बई, कलकत्ता और नई दिल्ली)
6. आई० ए० एस० अधिकारियों के लिए इन्टरनेशनल बिजनेस ओरियेन्टेशन
7. रक्षा सेवा अधिकारियों के लिए निर्यात विपणन प्रबन्ध (सान्ध्य)
8. निर्यात विपणन तकनीक (आवासीय)
9. इन्टेनेशनल बिजनेस, न्यू डायमेंशन्स (आवासीय)
10. रिसर्चिंग ओवरसीज मार्केट्स
11. निर्यात, विपणन एवं प्रक्रियाएं (आवासीय)
12. ओवरसीज प्रोजेक्ट मेनेजमेंट
13. शिपिंग ओरियेंटेशन प्रोग्राम फार एक्सपोर्ट एण्ड एग्जीक्यूटिव्ज,
14. इन्टरनेशनल बिजनेस, दी लीगल डायमेंशन्स
15. निर्यात विपणन तकनीक (एस० एम० आई० एकक)
16. कास्टिंग एण्ड प्राइसिंग फार एक्सपोर्ट
17. आयात प्रबंध
18. फारेन ट्रेड ओरियेंटेशन प्रोग्राम फार आई० एस० एस० प्रोबेशनर्स।
19. फारेन ट्रेड ओरियेंटेशन प्रोग्राम फार आई० एस० एस० प्रोबेशनर्स।
20. अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक वार्ताएं।

[अनुवाद]

भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा गैर-सरकारी क्षेत्र को परामर्श-दात्री सेवायें प्रदान करना

3640. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम का विचार गैर-सरकारी क्षेत्र को शीघ्र ही परामर्श-दात्री सेवाएं प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में पूरा ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र के साथ अब तक कोई सहयोग करार किया गया है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा देश में विदेशी पर्यटकों के आने का लक्ष्य किस सीमा तक प्राप्त किया जाना है ?

पर्यटन मन्त्री (मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) और (ख) भारत पर्यटन विकास निगम पहले ही प्रबंधकीय और विपणन सेवाओं के अलावा होटल परियोजनाओं, पर्यटक विहार-स्थलों, आदि की संकल्पना से लेकर उन्हें चालू करने तक के लिए सम्पूर्ण परामर्शदात्री सेवाएं प्रदान कर रहा है।

(ग) भारत पर्यटन विकास निगम ने देश में किसी पर्यटन परियोजना में निजी क्षेत्र के साथ अभी तक कोई वित्तीय सहयोग नहीं किया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता। 1986 के दौरान, विदेशी पर्यटक आगमन के आंकड़े दस लाख से ऊपर पहुंच गए और इस प्रकार 1985 के तत्संबंधी आंकड़ों की तुलना में 29.1% की वृद्धि दर्ज की गई। 1990 तक 25 लाख (2.50 मिलियन) पर्यटकों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है

गैर सरकारी क्षेत्र की पटसन मिलों को 'पैकेज' प्रस्ताव

641. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पटसन निगम ने पश्चिम बंगाल में गैर सरकारी क्षेत्र की पटसन मिलों के लिए कोई 'पैकेज' प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) पश्चिम बंगाल में पटसन मिलों ने भारतीय पटसन निगम के कच्चे पटसन की विभिन्न श्रेणियों की कितनी खरीद की है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) निजी क्षेत्र में केवल एक पटसन मिल ने भारतीय पटसन निगम से विभिन्न ग्रेडों के कच्चे पटसन की 10,000 क्विंटल की खरीद के लिए हाल में संविदा की है।

विवरण

भारतीय पटसन निगम ने हाल में कच्चे पटसन एक्स 1985-86 फसल की बिक्री के लिए निजी क्षेत्र में सभी पटसन मिलों को एक परिपत्र भेजा है, जिसकी किस्म/ग्रेड के ब्योरे निम्नोक्त प्रकार हैं—

(क) किस्म सबंधी ब्योरे : व्हाइट —26%
टोसा—69%
मेस्टा—5%

(ख) ग्रेड-वार ब्योरे (प्रतिशत)

ग्रेड	व्हाइट	टोसा	मेस्टा
5/बीओटी	27	47	47
6/बी बीओटी	30	33	48
7/एक्स बीओट	24	14	5
8	11	6	—

अन्य शर्तें हैं—

डिलीवरी अवधि : भुगतान का प्रबन्ध करने की तारीख से 60 दिन।

भुगतान शर्तें : या तो बैंक ड्राफ्ट द्वारा अथवा तुरन्त संदेय पुख्ता अप्रतिसंहरणीय साख पत्र द्वारा।

कीमत : संवैधानिक न्यूनतम कीमतें जमा 1/-रु० प्रति क्विंटल।

2. आंध्र प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में स्थित मिलों के लिए बिम्बली की सभी डिलीवरियां एक्स गोदान की होंगी। मिलों से 3 मार्च, 1987 तक अपना औपचारिक आदेश भेजने का अनुरोध किया गया था।

कपड़ा यूनिटों को अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर आदानों की सप्लाई

3642. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कपड़ा यूनिटों को निर्यात के लिए उत्पादन करने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर आदानों का सप्लाई करने के लिए एक योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) निर्यात उत्पादन हेतु अपेक्षित कच्चे माल की बहुत सी मदों के अग्रिम लाइसेंसिंग योजना, शुल्क मुक्त प्रतिपूर्ति योजना और पास बुक योजना जैसी विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर शुल्क मुक्त आयात की अनुमति है। इसके अलावा, 100% निर्यात अभिमुख एककों और निर्यात प्रोसेसिंग जोनों में स्थित एककों को भी अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर कच्चे माल के आयात की अनुमति है।

सोवियत शिष्टमण्डल के सदस्यों की कपड़ा मिलों के साथ बातचीत

3643. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस माह के आरम्भ में एक सोवियत शिष्टमंडल ने 55 मिलियन मीटर कपड़े के लिए कपड़ा मिलों के साथ खरीद सबंधी बातचीत करने के लिए बम्बई का दौरा किया था;

(ख) क्या सोवियत शिष्टमंडल कपास के मूल्यों में वृद्धि तथा मिलों का कम मूल्यों पर बिक्री करने की स्थिति में न होने को ध्यान में रखते हुए मूल्यों के बारे में पुनः बातचीत करने के लिए सहमत हुआ था; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार हुए समझौते, यदि कोई हुआ है, का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद (टैक्सप्रोमिल) द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार सोवियत क्रेता एजेंसी के एक सदस्यीय प्रतिनिधि दल ने वस्त्र खरीदने के लिए 11 से 19 फरवरी, 1987 तक बम्बई का दौरा किया। शिष्टमंडल ने टैक्सप्रोसिल को दी है कि सोवियत क्रेता-एजेंसी ऐसी कोई कीमत वृद्धि देने के लिए तैयार नहीं है।

रेशम का निर्यात

3644. **श्री सी० के० कुप्पुस्वामी** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1986-87 के दौरान प्राकृतिक रेशम की वस्तुओं अर्थात शहतूत टसर रेशम, मिश्रित किस्म की रेशम और रेशम अपशिष्ट के रूप में कुल कितने मूल्य का निर्यात किया गया ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : वर्ष 1986-87 (अप्रैल 1986 से फरवरी 1987) के दौरान प्राकृतिक रेशम के सामान के निर्यातों का मूल्य नीचे दिए गए अनुसार हैं :

मद	मूल्य (करोड़ रु० में)
1) शहतूत	170.21
2) टसर	5.90
3) मिश्रित/ब्लैंडिड	4.54
4) सिल्कवेस्ट	1.28
कुल	181.93

व्यापार घाटा कम करने के लिए पश्चिम जर्मनी की सहायता

3645. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज वाडियर :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत के व्यापार घाटे को कम करने के लिए पश्चिम जर्मनी से सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो पश्चिम जर्मनी द्वारा दी जाने वाली प्रस्तावित सहायता का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) तथा (ख) सरकार ने जर्मन संघीय गणराज्य के साथ भारत के बड़े व्यापार घाटे के प्रश्न को विभिन्न मंचों पर उठाया है और इस व्यापार घाटे को कम करने के लिए जर्मन संघीय गणराज्य की सहायता मांगी है जर्मन संघीय गणराज्य ने भारत को व्यापार संवर्धन सहायता देने की पेशकश की है तथा इस सम्बन्ध में अनेक मदों से संबंधित भारतीय अनुरोधों पर जर्मन संघीय गणराज्य सरकार विचार कर रही है।

सेवा से बर्खास्त कर्मचारियों को उपदान का भुगतान

3646. **श्री कमला प्रसाद सिंह :** क्या रक्षा मंत्री सेवा से बर्खास्त कर्मचारियों को उपदान भुगतान के बारे में 26 नवम्बर, 1986 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3534 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय में पुनर्विलोकन याचिका दायर की गई है;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या पेंशन सम्बन्धी नियमों में संशोधन किया गया है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मन्त्रालय में रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) 22 दिसम्बर, 1986 को।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

धार्मिक स्थानों का दुरुपयोग रोकने हेतु कानून

3647. **श्री सरफराज अहमद :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश भर में धार्मिक स्थलों का राजनैतिक तथा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किए जाने की चिंताजनक प्रवृत्ति की ओर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार राष्ट्रीय अखण्डता और सुरक्षा के लिए इस प्रवृत्ति को समाप्त करने के लिए उपयुक्त विधान लाने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार का विधान संसद में कब तक लाया जाएगा ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) राजनैतिक और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों के लिए धार्मिक स्थानों के दुरुपयोग के कुछ मामले हाल में सरकार के ध्यान में आए हैं।

(ख) तथा (ग) फिर भी, इस समय सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

भारत-सोवियत संयुक्त उद्यम

3648. श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज वाडियर : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सोवियत संघ से प्राप्त संयुक्त उद्यम सम्बन्धी कितने प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) सरकार द्वारा इनमें से कितने प्रस्तावों को चुना गया है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) तथा (ख) सोवियत संघ में या तीसरे देशों में सोवियत संघ के साथ संयुक्त उद्यमों की स्थापना के लिए अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

बिहार में रुग्ण कपड़ा मिलों को वित्तीय सहायता

3649. डा० गौरी शंकर राजहंस : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार बिहार में बड़ी संख्या में रुग्ण कपड़ा मिलों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इन मिलों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने हेतु गत दो वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) केन्द्रीय सरकार रुग्ण वस्त्र मिलों को वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करती है।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

आतंकवाद से निबटने के लिए विधान बनाना

3650. श्रीमती बसवराजेश्वरी :

श्री बी० तुलसी राम : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आतंकवाद से निबटने के लिए नया कानून बनाये जाने के बारे में सभी संबंधित राज्यों की सहमति प्राप्त कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों के विभिन्न नेताओं के साथ हुई चर्चा में क्या-क्या मुख्य बातें सामने आई हैं; और

(ग) देश में आतंकवाद से निबटने के लिए कानून बनाए जाने के बारे में अन्तिम निर्णय कब तक लिया जाएगा ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्):(क) से (ग) आतंकवादी तथा विघटनकारी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम, 1985 पहले ही लागू हैं।

सोने के आयात की योजना

365 . **श्री दौलत सिंह जी जडेजा** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात हेतु आभूषण निर्माण के लिये सोना आयात करने की योजना का मूल्यांकन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस योजना को सफल बनाने और आभूषणों के निर्यात में अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा हेतु सरकार द्वारा इस प्रकार के आयात पर पाबन्दियों में कमी किए जाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (घ) अनेक योजनाएं चल रही हैं, जिनमें निर्यात के लिए आभूषणों का उत्पादन करने के लिए सोने के आयात की आवश्यकता होती है। सोने के आभूषणों का निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार ने योजनाओं को सरल बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं तथा मिश्र धातु अग्रिम लाइसेंसों के आधार पर स्वर्ण मिश्र धातुओं एवं फाइडिंग्स के आयात तथा विशेष निर्यातोन्मुख आभूषण कम्पलैक्सों की योजनाओं जैसी कुछ नई योजनाएं भी आरम्भ की हैं इन उपायों का उद्देश्य है सोने के आभूषणों के निर्यात उत्पादन को सुविधाजनक बनाना जिससे वह इस क्षेत्र में समय नीति के ढांचे के अन्तर्गत क्वालिटी तथा कीमत की दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतियोगी बन सके।

अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह की आय और व्यय

3652. **श्री ई० अय्यपू रेड्डी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अण्डमान निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र में वर्ष 1985 और 1986 में कितना राजस्व एकत्र किया गया; और

(ख) उक्त संघ राज्य क्षेत्र में वर्ष 1985 और 1986 में योजनागत और गैर-योजनागत व्यय कितना हुआ ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) वित्तीय वर्ष 1985-1986 के दौरान अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह संघ शासित क्षेत्र में 15 करोड़ 99 लाख रुपये का राजस्व एकत्र किया गया था।

(ख) वित्तीय वर्ष 1985-86 के दौरान योजना स्कीमों के अधीन 21 करोड़ 55 लाख रुपये खर्च किए गए जबकि गैर-योजना खर्च 74 करोड़ 48 लाख रुपये का था।

मूल औषधों का निर्यात

3653. डा० टी० कल्पना देवी : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87 के दौरान मूल औषधों के निर्यात लक्ष्य क्या हैं;

(ख) क्या मूल औषधों के निर्यात में भारी कमी आने की सम्भावना है और यदि हां, तो कितनी कमी आने की सम्भावना है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) किन-किन मूल औषधों के निर्यात में इस कमी का सामना करना पड़ रहा है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) मूल रसायन, भेषज तथा प्रसाधन सामग्री निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा 1986-87 के दौरान मूल औषधियों के निर्यात के लिए निर्धारित लक्ष्य 48 करोड़ रु० है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : तम्बाकू खरीदने में गंभीर संकट पैदा हो रहा है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप कोई नोटिस दे दो।

[अनुवाद]

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का नोटिस दिया है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अगर मुझे दिया है तो मैं देख लूंगा।

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूब नगर) : प्रैस की स्वतंत्रता खतरे में है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप कोई नोटिस दे दी।

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी : सरकार ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा छापे डलवाये···

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : ऐसा न करिए। जयपाल जी, वह जो केश आपने दिया है वह तो सब जुडिस है। लेकिन आप फ्रीडम आफ प्रेस के मुताल्लिक कोई बात करना चाहें तो मुझे कोई दूसरा नोटिस दे दीजिए जिस पर हम डिस्कशन करवा दें।

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का नोटिस भी दिया है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : वह मैं देख लूंगा।

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी : बात यह है ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : देखिए, मेरी बात सुनिए .

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं दे सकता ।

[हिन्दी]

मैं कोई बात ऐसी अलाऊ नहीं करूंगा जो सब जुडिस हो । लेकिन कोई दूसरी ऐसी बात नहीं रोकूंगा जो हो सकती हो ।

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी : किसी भी समाचारपत्र पर इसलिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा छापे नहीं डलवाए जा सकते क्योंकि उसने···प्रकाशित···

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप दे दीजिए ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, अनुमति नहीं है ।

[हिन्दी]

फ्रीडम आफ प्रेस पर जो आप कहेंगे मैं करवा दूंगा । मुझे कोई एतराज नहीं है । लेकिन जो सब जुडिश है उसको मैं अलाऊ नहीं कर सकता ।

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी : कोई आरोप दाखिल नहीं किया गया है । प्रेस का गला घोंटने के लिए सरकारी गोपनीयता अधिनियम का उपयोग किया जा रहा है ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप कोई नोटिस दे देंगे तो मैं डिस्कशन करवा दूंगा । मुझे कोई एतराज नहीं है ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, अनुमति नहीं है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनिए ।

[हिन्दी]

आप मेरी बात सुनिए ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी : प्रेस का गला घोंटा जा रहा है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कोई भी प्रेस का गला घोंटने की कोशिश नहीं कर रहा है। प्रेस का गला घोंटने का सवाल नहीं उठता। इसका गला न तो घोंटा जा सकता है और नहीं घोंटा जाएगा।

श्री पी० कुलनदईवेलू (गोबिचेट्टिपालयम) : मैंने अखिल भारतीय दूरदर्शन के खिलाफ विशेषाधिकार का नोटिस दिया है...

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जयपाल जी, आप हमेशा नियम तोड़ते हैं। आप में यही खराब बात है।

[हिन्दी]

मैंने यह आपसे बारी-बारी कहा है, फिर मैं दोहराता हूं। मैंने कहा है जो रूल्स के अन्दर चीज अलाऊड है, वह आपको अलाऊ की जाएगी। उसको मैं कभी नहीं रोकूंगा और न कभी रोकने की मैंने गुंजाइश रखी है। आप मेरे से मिल लीजिए, मैं बताऊंगा कि किस तरह से कर सकता हूं। जो चीज मैं नहीं कर सकता हूं उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्यों नहीं कर सकता हूं।

[अनुवाद]

बड़ी सीधी सी बात है।

[हिन्दी]

आप बिल्कुल गर्म मत होइये, बिल्कुल शांति से बैठिए।

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी : एक पत्रकार को गिरफ्तार करने से अधिक महत्वपूर्ण बात और क्या हो सकती है... (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : देखिए, प्रेस जो छापना चाहता है, वह छाप रहा है। आप बैठ जाइये, कोई फायदा नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऐसे करने से कोई फायदा नहीं होगा। प्रेस पर कोई पाबंदी नहीं लगने दी जाएगी, न प्रेस पर कोई पाबंदी है। अगर कोई दूसरी चीज ला एण्ड आर्डर की है तो उसे भी देख लेंगे। लेकिन प्रेस पर कोई पाबंदी नहीं है। प्रेस कुछ भी करता है, उसे भी बर्दाश्त करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऐसा करने से क्या फायदा है? मैंने आपको बता दिया है जो चीज अलाउएबल है, वह मैं आपको अलाऊ करूंगा। उसको मैंने कभी नहीं रोका है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा ।

[हिन्दी]

यह कभी नहीं करूंगा । आप बेफिक्र रहिए ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं उन बातों के लिए अनुमति दूंगा। जिनकी अनुमति दी जा सकती है । मैं आपको वंचित नहीं करूगां ।

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : प्रेस की स्वतन्त्रता पर अंकुश लगाने के लिए सरकारी गोपनीयता अधिनियम का उपयोग किया जा रहा है ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप मुझसे मिल लीजिए । फ्रीडम आफ प्रेस के बारे में कोई भी चीज हो, मुझे दे दीजिए । मैंने कभी मना नहीं किया । जो चीज मैं कर सकता हूं, जरूर करूंगा । जो चीज मैं नहीं कर सकता उसके लिए आपको रूल बदलना पड़ेगा । उसके लिए मेरी मजबूरी आ जाती है ।

[अनुवाद]

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : श्री सुनीलदत्त जी आज दिल्ली में हैं । हमें अपनी शुभ कामनाएं उन्हें जरूर भेजनी चाहिए । उनका उद्देश्य पूरा हो गया है । सारे सदन को एक साथ अपनी शुभकामनाएं भेजनी चाहिए···

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह सारे हाऊस का मामला है । यह लोडेबल चीज है । जो आदमी भी देश के लिए कोई भी काम करता है, आपमें से बाहर भी करे, अन्दर भी करे, वह सब सराहनीय है । मैं तो कहता हूं देश आगे बढ़े, सब खुश रहें । देश की बहबूदी में ही, बेहतरी में ही हम सबकी बेहतरी है ।

[अनुवाद]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं उपदेश नहीं देता ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं उपदेश देता हूं ।

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : जी, नहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : जयपाल जी, मैंने सबको शामिल किया है, आप भी इसमें शामिल हैं ।

[हिन्दी]

अगर आप भी ऐसा काम करेंगे तो मैं आपकी भी तारीफ करूंगा। मैंने सबके लिए कहा है।

[अनुवाद]

श्री पी० कुलनवईवेलु : कल आपने प्रो० मधु दण्डवते द्वारा उठाए गये विशेषाधिकार के प्रश्न पर विनिर्णय दिया था।

अध्यक्ष महोदय : कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

श्री पी० कुलनवईवेलु : मैं उसकी बात नहीं कर रहा। हमारे मन में आपके विनिर्णयों के प्रति बहुत श्रद्धा है।

कल रात दूरदर्शन केन्द्र में···

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं देख लूंगा।

[अनुवाद]

श्री पी० कुलनवईवेलु : 9.30 बजे के समाचार में पढ़ा गया कि "सारा विपक्ष वाक आउट कर गया।" हमने वाकआउट में भाग नहीं लिया था।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे देखूंगा। मैं इस पर विचार करूंगा। मैं इसे करूंगा।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मेरे ख्याल से अखिल भारतीय अन्ना द्रविड मुनेत्र कड़गम कभी विपक्ष का हिस्सा नहीं रहा।

श्री पी० कुलनवईवेलू : हमारी हमेशा मैत्रीपूर्ण विपक्ष की भूमिका रही है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह आप बाहर बैठकर फैसला कर लें।

————

12.05½ म० प०

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

काफी अधिनियम तथा आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

वाणिज्य मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) काफी अधिनियम, 1942 की धारा 48 की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) काफी (संशोधन) नियम, 1987, जो 17 जनवरी, 1987 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 36 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 4010/87]

(दो) काफी (दूसरा संशोधन) नियम, 1987, जो 14 फरवरी, 1987 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 96 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 4011/87]

(2) आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 की धारा 3 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) निर्यात (नियंत्रण) दसवां संशोधन आदेश, 1986, जो 17 जुलाई, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 427 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) निर्यात (नियंत्रण) ग्यारहवां संशोधन आदेश, 1986, जो 5 सितम्बर, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 658 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) निर्यात (नियंत्रण) बारहवां संशोधन आदेश, 1986 जो 11 नवम्बर, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 835 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(चार) निर्यात (नियंत्रण) तेरहवां संशोधन आदेश, 1986, जो 4 नवम्बर, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 840 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(पांच) निर्यात (नियंत्रण) चौदहवां संशोधन आदेश, 1986, जो 8 दिसम्बर, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 902 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(छ:) निर्यात (नियंत्रण) पन्द्रहवां संशोधन आदेश 1986, जो 9 दिसम्बर, 1986 के भारत के राजपत्र मे अधिसूचना संख्या का० आ० 903 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(सात) निर्यात (नियंत्रण) सोलहवां संशोधन आदेश, 1986, जो 16 दिसम्बर, 1986 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 920 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(आठ) निर्यात (नियंत्रण) पहला संशोधन आदेश, 1987, जो 8 जनवरी, 1987 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 7 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(नौ) निर्यात (नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, 1987 जो 13 जनवरी, 1987 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 14 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दस) निर्यात (नियंत्रण) तीसरा संशोधन आदेश, 1987, जो 21 जनवरी, 1987 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 28 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(ग्यारह) निर्यात (नियंत्रण) चौथा संशोधन आदेश, 1987, जो 18 फरवरी, 1987 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 87 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(बारह) निर्यात (नियंत्रण) पांचवां संशोधन आदेश, 1987, जो 18 फरवरी, 1987 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 88 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(तेरह) निर्यात (नियंत्रण) छठा संशोधन आदेश, 1987, जो 25 फरवरी, 1987 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 121 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 4012/87]

वर्ष 1987-88 की ऊर्जा मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें

ऊर्जा मंत्री (श्री बसन्त साठे) : मैं वर्ष 1987-88 की ऊर्जा मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मागों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 4013/87]

राष्ट्रीय वस्त्र निगम सीमित का वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण समीक्षा और इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों के दर्शाने वाला विवरण एवं भारतीय केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम का वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन आदि

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं।

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) राष्ट्रीय वस्त्र निगम, सीमित के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय वस्त्र निगम, सीमित का वर्ष 198.-86 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षित की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 4014/87]

(3) भारतीय केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम, सीमित के वर्ष 1985-86 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष के समाप्त होने के पश्चात 9 महीने की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखने के कारणों को स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4015/87]

तट रक्षक अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

रक्षा मन्त्रालय में रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण सिंह) : मैं तट रक्षक अधिनियम, 1978 की धारा 123 की उपधारा (3) के अन्तर्गत तट रक्षक (वरिष्ठता एवं पदोन्नति) नियम, 1987, जो 26 फरवरी, 1987 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना

संख्या का० नि० आ० 6 (अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4016/87]

सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत दिनांक 18/11/86 की अधिसूचना संख्या 464/86-सी-शु में संशोधन करने वाली अधिसूचना

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मन्त्री और वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : मैं श्री जनार्दन पुजारी की ओर से सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 279 (अ), जो 12 मार्च, 1987 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 18 नवम्बर, 1986 की अधिसूचना संख्या 464/86-सी० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में क्रमांक 5 पर छपी प्रवृष्टि "डी० बी० ओ०" के स्थान पर प्रवृष्टि "डी० बी० ईस्टर" प्रतिस्थापित की जा सके, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 4017/87]

गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एण्ड इन्जीनियर्स लिमिटेड, कलकत्ता, का वर्ष 1985-86 का गोवा शिपयार्ड लिमिटेड का वर्ष 1985-86 और माजगांव डाक लिमिटेड, बम्बई का वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण समीक्षा

रक्षा मंत्रालय में रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण): —

(क) (एक) गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एण्ड इन्जीनियर्स लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एण्ड इन्जीनियर्स लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 4018/87]

(ख) (एक) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की [टिप्पणियां]।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 4019/87]

(ग) (एक) माजगांव डाक लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) माजगांव डाक लिमिटेड, बम्बई का वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल०टी० 4020/87]

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल०टी० 4018/87 से 4020/87]

12.06½ म०प०

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति

संविधान (चौवनवां-संशोधन) विधेयक, 1986

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मैं 24-2-1987 को सभा को सूचित करने के पश्चात् संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा अनुमति प्राप्त संविधान (चौवनवां संशोधन) विधेयक, 1986 की राज्यसभा के महासचिव द्वारा विधिवत अधिप्रमाणित एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं

12.07 म०प०

सभा का कार्य

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला दीक्षित): महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि इस सदन में 23 मार्च 1987 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा ।

(1) राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 1987 पर विचार और पारित करना ।

(2) निम्नलिखित मंत्रालयों की अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान :—

(क) ऊर्जा

(ख) मानव संसाधन विकास

(ग) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस

(घ) श्रम

(च) गृह

[हिन्दी]

प्रो॰ निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आने वाले सप्ताह में मेरे निम्न विषय को भी शामिल कर लिया जाए।

दूरदर्शन आज सबसे अधिक सशक्त राष्ट्रीय एकता तथा जनसम्पर्क का माध्यम है। ग्रामीण क्षेत्रों को अधिकाधिक दूरदर्शन से जोड़ा जाए, ताकि शहरों में आकर बसने तथा ग्रामीण युवकों को शहरों की तरफ भागने की प्रवृत्ति को रोका जा सके। ग्रामीण बाहुल्य क्षेत्रों में नए दूरदर्शन केन्द्र खुलने चाहिए। चित्तौड़गढ़ जो राजस्थान का ऐतिहासिक तथा पर्यटन स्थल होते हुए भी दूरदर्शन सुविधा से वंचित है यदि वहां अधिकशक्तिवाला टावर लगाया जाता है तो राजस्थान तथा मध्यप्रदेश के कई गांवों को दूरदर्शन से यह जोड़ देगा।

सुबह का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा है इसमें "दस कदम" जो व्यायाम दिखाया जाता है, उसका समय और बढ़ाएं ताकि देश के बच्चे भी स्वस्थ रहने के लिए सुबह व्यायाम कर सकें।

विश्वविद्यालय या स्कूलों के लिए शिक्षा कार्यक्रम अधिक रोचक नहीं है, उन्हें विशेषज्ञों की राय से अच्छे बनाए जाएं।

दोपहर में महिलाओं के लिए प्रतिदिन, एक और नया कार्यक्रम शुरू किया जाए जिसमें गृहशोभा, संतुलित आहार, विविध भोजन तथा महिलाओं को उनसे संबंधित कानून के संबंध में अधिक व्यापक तथा सही जानकारी कराई जा सके।

[अनुवाद]

श्री बनवारी लाल पुरोहित (नागपुर) : मैं अनुरोध करता हूं कि आगामी सप्ताह की विषय सूची में निम्नलिखित विषय भी शामिल किया जाए:

मैं सभी का ध्यान देश में और विशेषकर महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले के हथकरघा-बुनकरों की ओर दिलाना चाहता हूं। उनकी इस स्थिति के लिए कई एक घटक जिम्मेवार हैं।

हथकरघा बुनकरों को पर्याप्त और नियमित मात्रा में धागा उपलब्ध नहीं होता। जिन करघों पर वे कार्य कर रहे हैं, वे काफी पुराने हैं और उन्हें आधुनिक करघों में बदलने की बहुत आवश्यकता है। सरकार ने इनके आधुनिकीकरण का कार्यक्रम आरम्भ नहीं किया है। सरकार ने एक योजना तैयार की है, जिसके तहत बुनकरों को अधिक से अधिक शेड उपलब्ध कराये जायेंगे। लेकिन इस योजना को सही ढंग से लागू नहीं किया जा रहा है।

केन्द्रीय सरकार को उपरोक्त पक्षों की शीघ्र जांच करानी चाहिए और एक केन्द्रीय दल को महाराष्ट्र विशेष रूप से नागपुर और कम्पनी भेजा जाना चाहिए जो कि वहां के हथकरघा बुनकरों की स्थिति का मूल्यांकन और समीक्षा कर सके, और इनकी स्थिति में सुधार के उपचारात्मक उपायों का सुझाव दे सके।

श्री शरद दिघे (बम्बई उत्तर मध्य) : आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय सम्मिलित किया जाए:

हाल ही में बम्बई की दो कपड़ा मिलों —बाईकुल्ला में न्यू ग्रेट मिल और जेकुब सर्किल में माडर्न मिल के मालिकों द्वारा जानबूझ कर बिजली के बिलों का भुगतान न करने की वजह से बन्द हो गई हैं जिसके कारण करीब 6,200 श्रमिक बेरोजगार हो गये हैं। ऐसा मालूम होता है

कि बम्बई की 9-10 अन्य कपड़ा मिलें भी ऐसा ही करने जा रही हैं। अतः शीघ्र ही काफी संख्या में कपड़ा श्रमिक बम्बई में बेरोजगार होने वाले हैं।

बम्बई में मिल मालिक आजकल यह ही नीति अपना रहे हैं। वे बिजली का बिल अदा नहीं करते, जिसके फलस्वरूप उन मिलों की बिजली काट दी जाती है और बिजली के अभाव में मिल बन्द हो जाती है, जिससे वे राज्य-सरकार के इस उपबन्ध से बच जाते हैं कि मिल बन्द करने से पूर्व मिल मालिकों को राज्य-सरकार की पूर्व अनुमति अवश्य लेनी चाहिए।

इस विषय पर शीघ्रता से विचार होना चाहिए और इस गलत श्रमिक प्रथा को बन्द करने के लिए नये विधान को पुरःस्थापित करने पर विचार करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया (संगरूर) : अध्यक्ष महोदय, निम्नलिखित विषय को अगले सप्ताह की कार्य सूची में शामिल कर लिया जाए :

पंजाब में आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त जो युवक पकड़े गए उन्हें पुलिस द्वारा पूछताछ करने के बाद जो सूचनाएं मिलीं उन पर अध्ययन करने के बाद एक विश्लेषण सामने आया कि इन आतंकवादियों में केवल दस प्रतिशत ही लोग अलगाववादिता के प्रति वचनबद्ध हैं। शेष पचास प्रतिशत हिंसात्मक मनोवृत्ति के शिकार हैं तथा चालीस प्रतिशत दरिद्रता से विवश होकर इस राह पर चल पड़े हैं। इस विश्लेषण ने हमारे इस विश्वास को और मजबूत किया है कि सरकार समयोचित सूझबूझ से काम ले तो इस आतंकवाद को समाप्त किया जा सकता है। 365 लोग जो आज जोधपुर जेल में 32 महीनों से बन्द हैं, जिनमें बालक, वृद्ध, अबला एवं गुरुद्वारा प्रबन्ध समिति के कर्मचारी हैं, जिन पर न कोई मुकदमा चलाया जा रहा है न उनकी जांच-पड़ताल ही ठीक प्रकार से की जा रही है। देश के प्रायः सभी राजनैतिक दलों ने उन लोगों की जांच करके उन्हें छोड़ने की अनेकों बार सरकार से अपील की है। अभी इंटरनेशनल एमनेस्टी ने भी सरकार से आग्रह किया है कि या तो इन लोगों पर देश के कानून के तहत मुकदमें चलाएं या उन्हें तत्काल छोड़ दें। मेरा आग्रह है कि सरकार तत्काल इन जेलबंदियों की जांच कराए तथा इन सभी निर्दोष व्यक्तियों को अविलम्ब रिहा करे।

[अनुवाद]

श्री सी०पी० ठाकुर (पटना) : महोदय, मैं अनुरोध करता हूं कि निम्नलिखित विषय को अगले सप्ताह की कार्य-सूची में शामिल किया जाए :

सोन नहर देश की सबसे पुरानी नहर है। इस क्षेत्र की दयनीय दशा को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजों ने इसके निर्माण के आदेश दिए लेकिन उसके बाद इस नहर की उचित देख-रेख नहीं की गई। नहर से पानी रिसने और इसमें दरारें पड़ने के कारण, इस नहर का आधा-पानी बेकार चला जाता है। पटना इस नहर के सिरे पर स्थित है इसलिए उस क्षेत्र में खेती के लिए पर्याप्त पानी भी नहीं मिल पाता। यह मामला संसद में कई बार उठाया गया है। पिछले सत्र में, जल संसाधन मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया था कि इस नहर के पुनर्निर्माण के लिए विश्व बैंक द्वारा की गई सिफारिश को कार्यान्वित किया जाएगा किंतु ऐसा लगता है कि अब तक कुछ नहीं किया गया है। बाद में मुख्य मंत्रियों ने इसकी मरम्मत संबंधी कार्यक्रम की घोषणा की है किंतु इसे अभी

तक शुरू नहीं किया गया है। उस क्षेत्र की जनता के लाभ के लिए इसकी मरम्मत होना आवश्यक है और सरकार को यह मामला प्राथमिकता के आधार पर लेना चाहिए।

12.13 म० प०

(श्री शरद दिघे पीठासीन हुए)

श्री अनूपचंद शाह (बम्बई उत्तर) : महोदय, मेरा अनुरोध है कि निम्नलिखित विषय को अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाए :

(1) कुछ विभागों में मालिकों और श्रमिकों के बीच परस्पर संबंधों तथा कर्मचारियों द्वारा अस्पतालों, जहां लाखों लोगों के जीवन मरण का सवाल होता है, तथा अन्य क्षेत्रों में हड़ताल करना आदि को ध्यान में रखते हुए, यह आवश्यक है कि संसद में इस विषय पर चर्चा की जाए :—

सार्वजनिक उपक्रमों तथा केन्द्र सरकार के अधीन अस्पतालों एवं सार्वजमिक संस्थानों में नियोजकों और कर्मचारियों के बीच परस्पर संबंध।

(2) बम्बई उपनगरीय क्षेत्र के यात्री अपनी समस्याओं और शिकायतों को लेकर बहुत चिंतित है क्योंकि उपनगरीय क्षेत्र के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नहीं कराई गई है। अतः यह जरूरी है कि बम्बई में उपनगरीय रेलवे के लिए स्वतंत्र प्राधिकरण बनाया जाए तथ 'शहरी परिवहन विकास निगम बम्बई' का गठन किया जाए।

श्री चिंतामणि जेना (बालासोर) : मैं अनुरोध करता हूं कि निम्नलिखित विषय को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाए :

पूरे विश्व में सफेद बाघ अब दुर्लभ हो गए हैं आजकल ये इतने प्रसिद्ध हो गए हैं कि विदेशी लोग तथा सर्कस वाले एक बाघ का 5 लाख रुपया तक देकर उन्हें लेने की कोशिश करते हैं किंतु भारत में सफेद बाघ की संख्या बहुत कम है। हमारे देश में सफेद बाघों की कुल संख्या 36 ही है जो 7 चिड़ियाघरों में ही हैं। किंतु सरकार द्वारा इन दुर्लभ पशुओं की उचित देखभाल नहीं की गई है और न ही इनकी जनसंख्या बढ़ाने के लिए कोई कार्यक्रम बनाया गया है।

सफेद बाघों की जनसंख्या बढ़ाने का एकमात्र तरीका यही है कि उन्हें संरक्षण में रखकर उनकी संख्या बढ़ाई जाए। लेकिन जिन चिड़ियाघरों में सफेद बाघ हैं वे उन पर अपना इतना अधिकार मानते हैं कि वे उन्हें बेचना नहीं चाहते।

उड़ीसा में नंदनकानन प्राकृतिक चिड़ियाघर में एक सफेद बाघ के जन्म के बाद अब इसकी जनसंख्या बढ़ने की उम्मीद हो गई है जो कुछ वर्ष पूर्व तक स्वप्न मात्र था। इन 36 सफेद बाघों में से 2.' बाघ उड़ीसा के नंदनकानन में हैं। लेकिन केन्द्र सरकार नंदनकानन चिड़ियाघर के विकास के लिए पर्याप्त सहायता नहीं दे रही है।

सरकार को इस चिड़ियाघर को पर्याप्त संरक्षण देना चाहिए।

उड़ीसा की जनता के लिए यह बहुत चिंता की बात है कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा उचित दर की दुकानों को सप्लाई की जा रही लेवी चीनी में मिठास कम है जबकि खुली चीनी में मिठास ठीक है। निर्धन और मध्यवर्गीय लोग जो पूर्णतः लेवी चीनी पर ही निर्भर है उन्हें बहुत

घाटा हो रहा है और कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि वे खुले बाजार में अधिक मंहगी चीनी नहीं खरीद पाये। राज्य में भारतीय खाद्य निगम के अधिकारी इस मामले में चुप्पी साधे बैठे हैं।

श्रीमती जयन्ती पटनायक (कटक) : मेरा अनुरोध है कि निम्नलिखित विषय को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाय :—

भूमि कटाव से पूरे उड़ीसा में गंभीर स्थिति पैदा हो गई है। इस राज्य की अधिकांश भूमि में किसी न किसी तरह का कटाव हो जाता है। उड़ीसा सरकार ने भू संरक्षण और एकीकृत जल-प्रबंध योजनाओं के कार्यान्वियन के लिए भारत सरकार से तीन परियोजनाओं ( ) अपरकोलाव (2) इंद्रावाती और (3) सुवर्णरेखा, के लिए धन राशि देने का निवेदन किया है। कृषि मन्त्रालय ने ये योजनाएं योजना आयोग के पास भेज दी हैं। किन्तु योजना आयोग ने संसाधनों की कमी होने का बहाना बनाकर परियोजनाओं को स्वीकृति नहीं दी है। चूंकि भू-कटाव से राज्य में गंभीर स्थिति पैदा हो गई है, यह आवश्यक है कि इन योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की जाए जिससे वित्तीय वर्ष 1987-88 के दौरान इनका कार्यान्वयन किया जा सके।

डा० गौरीशंकर राजहंस (झंझारपुर) : मेरा अनुरोध है कि निम्नलिखित विषय को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाए।

सभी प्राकृतिक ससाधन उपलब्ध होने के बावजूद बिहार भारत का अत्याधिक पिछड़ा राज्य रहा है। उत्तर बिहार के मिथिला क्षेत्र की स्थिति आज भी बहुत खराब है क्योंकि यहां अधिकतर हर साल बाढ़ आती है मिथिला के कई लाख लोग अपनी आजीविका के लिए दिल्ली, फरीदाबाद, गाजियाबाद और अन्य पड़ोसी औद्योगिक क्षेत्रों में आते रहते हैं।

यह स्पष्ट है कि केन्द्र सरकार का प्रस्ताव शीघ्र ही बिहार में कुछ इलैक्ट्रानिक उद्योग खोलने का है। मिथिला क्षेत्र के पिछड़ेपन तथा वहां बढ़ती हुई बेरोजगारी को देखते हुए, यह निवेदन है कि वहां बहुत से इलैक्ट्रानिक उद्योग खोले जाएं। इससे प्रदेश में न केवल आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी अपितु इससे वहां व्याप्त बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने में भी सहायता मिलेगी।

श्री अनादि चरण दास (जाजपुर) : मैं अनुरोध करता हूं कि निम्नलिखित विषय को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाए :—

प्राय: हर रोज कहीं न कहीं क्रिकेट खेली जाती है। आकाशवाणी से क्रिकेट की कमेंटरी दी जाती है और टेलिविजन पर उसका सीधा प्रसारण किया जाता है। लोग अपना रोजमर्रा का काम छोडकर टेलिविजन देखना पंसद करते हैं। सरकारी कर्मचारी अपने कार्यालय का काम करने की बजाय क्रिकेट में ज्यादा रुचि दिखाते हैं। कर्मचारी अधिकांश समय अपनी सीटों से गायब रहते हैं। इस तरह बहुत से कामों में देरी हो जाती है। इसलिए यह जरूरी है कि टेलिविजन से क्रिकेट मैच का सीधा प्रसारण न किया जाए। रेडियो से भी हर क्रिकेट मैच की कमेंटरी प्रसारित नहीं की जानी चाहिए।

श्रीमती शीला दीक्षित : मैंने माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए बहुमूल्य सुझाव सुन लिए हैं। मैं इन्हें कार्यमंत्रणा समिति के समक्ष रखूंगी।

———

12.20 म०प०

कारखाना (संशोधन) विधेयक जारी

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री पी० ए० संगमा अपना उत्तर जारी रखेंगे।

श्रम मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : मैं सभी माननीय सदस्यों को एक बार फिर धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण विधान का समर्थन किया।

इस विधेयक को सभा का पूरा समर्थन मिला है। सभा ने चर्चा के समय वर्तमान कानूनों के कार्यान्वियन के बारे में चिंता व्यक्त की तथा यह आशंका प्रकट की कि जिस कानून को आज पारित किया जा रहा है क्या उसे प्रभावी रूप से कार्यान्वित भी किया जाएगा। महोदय, चूंकि इस विधेयक को पूरा समर्थन मिल चुका है, मैं विधेयक की विशेषताओं के बारे में नहीं बताऊंगा। मैं केवल कुछ ही बातें कहूंगा। माननीय सदस्यों का मुख्य मुद्दा कानूनों के कार्यान्वियन के बारे में है। महोदय, यह सच है कि कारखानों के निरीक्षण के लिए लगाए गए निरीक्षकों तथा उनके द्वारा सभी राज्यों में किए गए निरीक्षणों की संख्या पर्याप्त नहीं है। कानूनन एक इंसपैक्टर को साल में दो बार 150 कारखानों का निरीक्षण करना होता है। लेकिन महोदय कई राज्यों में निरीक्षकों की संख्या पर्याप्त नहीं है, इन इंसपैक्टरों को 150 से अधिक कारखानों अर्थात कानून में बनाई गई संख्या से अधिक कारखानों का निरीक्षण करना चाहिए। कई राज्य ऐसे हैं जहां एक इंसपैक्टर को 600-700 इकाइयों का निरीक्षण करना पड़ता है। अतः मैं माननीय सदस्यों के इस मत से सहमत नहीं हूं कि निरीक्षण अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं और वे प्रबंधकों के साथ टक्कर लेते हैं। समझता हूं कि वे अपना काम पूरी योग्यता से कर रहे हैं। उन्हें 150 कारखानों का निरीक्षण करना होता है और यदि उन्हें इससे अधिक कारखानों का निरीक्षण करना, पड़ता है तो उन्हें इसका दोषी नहीं ठहराना चाहिए। मैं समझता हू उन्हें हमारा प्रोत्साहन चाहिए। जहां तक निरीक्षणों का संबंध है, कुछ माननीय सदस्यों ने कहा था कि इंस्पैक्टर सभी कारखानों का निरीक्षण नहीं कर सकते हैं। माननीय सदस्य श्री अजय विश्वास ने इस मुद्दे पर बड़ा जोर दिया। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बतादूं कि आपके ही राज्य, त्रिपुरा मे पिछले वर्ष कुछ राज्यों में 90% तथा कुछ राज्यों में 60% की तुलना में 40% निरीक्षण हुआ है। त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में 40 प्रतिशत निरीक्षण किया जाता है। में उन पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि निरीक्षण पर्याप्त नहीं है। अतः जरूरत इस बात की है कि—

श्री अजय विश्वास (त्रिपुरा पश्चिम) : केवल निरीक्षण ही पर्याप्त नहीं है। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि उसमें खतरे की संभावनायें कितनी है।

श्री पी० ए० संगमा : इसलिए मैंने कहा कि निरीक्षण कम हुए हैं।

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्टसगंज) : मंत्री महोदय को यह पता होना चाहिए कि सभी राज्य सरकारें नियुक्त किए गए निरीक्षकों की संख्या कम बता रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कई इंसपैक्टर है। किन्तु उनमें से आधों को नियुक्त किया गया है और आधे पद खाली पड़े हैं। अतः राज्य सरकार वहां काम कर रहे इंस्पैक्टरों के बारे में केन्द्र सरकार को गलत आंकड़े दे रही है। अतः आपको भी थोड़ा ध्यान रखना होगा।

श्री पी० ए० संगमा : मैं केवल यह बता रहा हूं कि जिस राज्य से माननीय सदस्य आए हैं, वहां केवल 40% निरीक्षण हुआ है । आवश्यकता इस बात की है कि इन्सपेक्टरों की संख्या बढ़ाई जाए और मैं समझता हूं कि राज्य सरकारों की अपनी समस्याएं होंगी और उन्होंने मुझे यह शिकायत की है कि जब वे योजना आयोग के पास योजना के लिए आवंटन मांगने गए तो श्रम मन्त्रालय ने उन्हें ज्यादा प्राथमिकता नहीं दी । वे सामान्यत: अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकते । राज्य सरकारों ने मुझसे कई बार धन आवंटन के लिए कहा । मैंने स्वयं इस मामले को गत वर्ष योजना आयोग के साथ उठाया था और मुझे यह बताते हुए खुशी है कि योजना आयोग ने श्रम विभाग, विशेषकर सुरक्षा उपायों के लिए योजना राशि को बढ़ाने में काफी उदारता दिखायी थी और अधिक योजना राशि से मझे विश्वास है कि राज्य सरकारें अपने तंत्रों को शक्तिशाली बना सकेंगे तथा उनका कार्य प्रदर्शन निश्चित ही सुधरेगा ।

जहां तक हमारा संबंध है केन्द्रीय सरकार की बहुत ही सीमित भूमिका है, लेकिन फिर भी हम राज्य सरकारों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग करने का प्रयत्न करते रहे हैं । यहां एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, अगर निरीक्षालय शक्तिशाली है, अगर हमारे पास पर्याप्त संख्या में निरीक्षक हैं, लेकिन फिर भी एक प्रश्न बाकी रहता है कि क्या ये निरीक्षक ठीक प्रकार से प्रशिक्षित हैं, क्या ये उचित रूप से योग्य हैं । अतः यह प्रश्न भी सामने आता है । हम निरीक्षकों के ज्ञान को बढ़ाने की आवश्यकता महसूस करते हैं, उन्हें ठीक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए तथा हमने निरीक्षकों के कार्य प्रदर्शन को सुधारने के लिए बहुत कदम उठाये हैं जैसे देश में तथा विदेशों में उन्हें प्रशिक्षण दिलाया है । महोदय, गत दो वर्षों में, हम लगभग 27 फैक्ट्री निरीक्षकों को विशेषज्ञीय प्रशिक्षण हेतु आस्ट्रेलिया भेज पाये हैं । जहां तक देश में प्रशिक्षण सुविधाओं का सम्बन्ध है, हमने अपने संस्थानों को भी शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया है ताकि वे हमारे निरीक्षकों को अधिक से अधिक प्रशिक्षण दे सकें । केन्द्रीय श्रम संस्थान और क्षेत्रीय श्रम संस्थानों में प्रशिक्षण सुविधाओं मे काफी सुधार किया गया है । प्रशिक्षण में न केवल फैक्ट्री निरीक्षकों को प्रशिक्षण देना शामिल है बल्कि श्रमिको का तथा सुरक्षा के क्षेत्र में प्रबन्ध के प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण भी सम्मिलित है क्योंकि हमारा विश्वास है कि मात्र निरीक्षकों का प्रशिक्षण देना पर्याप्त नहीं होगा । हमें प्रबन्धकों को प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है तथा स्वयं श्रमिकों में सुरक्षा की भावना पैदा करने की आवश्यकता है । स्वयं श्रमिकों को पता होना चाहिए कि उनके सामने क्या खतरा है और वे निरीक्षक तथा प्रबन्धकों को बता सकें कि ये सावधानियाँ लेने की जरूरतें हैं और ऐसा वे तभी कर सकते हैं जब उन्हें ठीक प्रकार से प्रशिक्षित किया जाये । वर्तमान संशोधन में हमने कहा है कि प्रत्येक श्रमिक को निरीक्षक तथा प्रबन्ध के ध्यान में यह बात लाने का अधिकार होगा कि ये खतरे हैं और ये उपाय किये जाने चाहिए । अतः इस अधिनियम के अन्तर्गत इन सब शक्तियों का ध्यान रखा गया है, लेकिन सिर्फ शक्तियां देना काफी नहीं होगा, उन्हें प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है । अतः हम न केवल निरीक्षकों को बल्कि श्रमिकों तथा प्रबन्धकों को भी प्रशिक्षण दे रहे हैं और इस प्रक्रिया में हमने योजना में सुरक्षा विषय को भी सेंट्रल बोर्ड आफ वर्कर्स एजुकेशन द्वारा एजुकेशन आफिसरों को दिये जाने वाले प्रशिक्षण में शामिल किया है और हमने फैकल्टी आफ दी डी० जी० को भी सक्षम बनाया है ।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : जब राजस्थान में कोई भी एजुकेशनल सेंटर नहीं है तो इसका क्या लाभ है ? कोई भी एजुकेशनल सेंटर श्रमिकों के लिए नहीं है सिवाय एक के जो जयपुर में है :

श्री पी० ए० संगमा : एजुकेशनल सेंटर हैं। वास्तव में, सेंट्रल बोर्ड आफ वर्कर्स एजुकेशन के सम्पूर्ण राष्ट्र में 47 क्षेत्रीय केन्द्र हैं और अब तक ये केवल उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में शिक्षण कार्यक्रम चला रहे हैं।

श्री गिरधारी लाल व्यास : मैं राजस्थान की बात कर रहा हूं। सिर्फ एक जयपुर में है और कहीं भी नहीं है।

श्री पी० ए० संगमा : यह एक अलग मामला है, मैं इस पर अवश्य ही गौर करूंगा कि क्या इसे सक्षम बनाने की जरूरत है। परन्तु तथ्य यह है कि हमारे पास 47 क्षेत्रीय केन्द्र हैं और अब तक उन्होंने इसे एक विषय के रूप में शुरू नहीं किया है। वे केवल उन्हें यह सिखा रहे हैं कि श्रमिकों के अधिकार और कर्तव्य क्या हैं, परन्तु सुरक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया गया था। अब हमने सुरक्षा को भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर लिया है। इससे पता चलता है कि जहां तक सुरक्षा का सम्बन्ध है हम देश की आवश्यकता के प्रति जागरूक हैं।

हमने राज्य सरकारों के लिए कुछ मार्ग निर्देश भी बनाये हैं तथा हमने सेफ्टी एण्ड हैल्थ एक्सीडेंट रिडक्शन एक्शन प्रोग्राम से सम्बन्धित एक राष्ट्रीय कार्यक्रम तैयार किया है। संक्षेप में यह 'एस० ए० एच० ए० आर० ए०' के नाम से विख्यात है, और इस कार्यक्रम को राज्य सरकारों ने स्वीकार कर लिया है जिसमें हम स्वयं श्रमिकों को भी सक्रिय रूप से शामिल कर रहे हैं। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि राज्य सरकारों से इस बारे में अच्छी प्रतिक्रिया हुई है। सरकार ने घटना स्थल और घटना स्थल पर्यन्त आपतकालीन योजना से सम्बन्धित मार्ग निर्देश भी तैयार किये हैं तथा उन्हें राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों द्वारा अपनाने के लिए परिचालित किया है। यहां पर भी, हमें अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। सुरक्षात्मक मामलों में जागरूकता लाने के इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए सबसे जरूरी था कि प्रत्येक राज्य में कितने ऐसे उद्योग हैं जो श्रमिकों के स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक हैं। अतः हमने राज्य सरकारों से अपने राज्यों में उन औद्योगिक एककों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण करने को कहा है जिन्हें वे हमारे द्वारा जारी मार्ग निर्देशों के अनुसार खतरनाक समझती हैं। यह कार्य सभी राज्यों ने कर लिया है। उन्होंने उन सभी एककों का पता लगा लिया है जो खतरनाक हैं और हमने उनमें सुधार करने के लिए पहले ही उपचारात्मक उपाय करने शुरू कर दिए हैं ताकि निरीक्षकों को भी मालूम हो कि उन्हें किन एककों में जाना है क्योंकि उनके पास उनका पता लगाये गए उद्योगों की सूची है।

हमारे पास औद्योगिक हाइजीन प्रयोगशालाओं को सक्षम बनाने हेतु केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक योजना है और यह शुरू भी हो गई है। इस योजना में औद्योगिक हाइजीन प्रयोगशालाओं के उपकरण, पुस्तकें तथा रसायन सप्लाई करने का प्रावधान है। सातवीं योजना में इस योजना के लिए कुल परिव्यय 106 लाख रुपए है। यह धनराशि बहुत बड़ी नहीं है परन्तु हमने इसे सिर्फ अभी शुरू किया है और यह एक 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजना होगी। राज्य सरकारों को इसमें कुछ नहीं करना है। इसके लिए हम शत प्रतिशत धनराशि देंगे। इसके अलावा,

उन सभी राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में जहां रसायन उद्योग बड़ी संख्या में है औद्योगिक हाइ-जीन प्रयोगशालाओं को सक्षम बनाने हेतु हमने यू० एन० डी० पी० परियोजना के सम्बन्ध में करार किया है। यह भी एक विशेष कार्यक्रम है। इस यू० एन० डी० पी० कार्यक्रम के अन्तर्गत, हमारे पास विभिन्न राज्यों में 18 औद्योगिक हाइजीन प्रयोगशालायें हैं और हम इन सबको सक्षम बना सके हैं। अतः हमने जहां तक सुरक्षा का प्रश्न है काफी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं।

माननीय सदस्य श्री अजय विश्वास ने उल्लेख किया था कि देश में दुर्घटनाओं तथा चोट लगने के मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन मैं नहीं समझता कि इसमें वृद्धि हो रही है परन्तु यह निश्चित ही घटती बढ़ती रही है स्थिति यह है कि 971 से 1975 के बीच यह कम होती रही थी। इसके बाद, 1976 से 1978 तक इसमें बढ़ोत्तरी हुई थी। 1979 के बाद, इसमें कमी आई और 1981 में फिर वृद्धि हुई थी। परन्तु 1982 के बाद इसमें बहुत कमी आई है और मैं गत दो वर्षों के आंकड़े दे सकता हूं। 1984 में चोट लगने की घटनाओं की संख्या 3,02,726 थी। 985 में यह घटकर 2,79,126 हो गई। घातक चोट वाले मामलों की संख्या 1984 में 824 थी और 1985 में यह घटकर 807 हो गई। यह संख्या बहुत कम नहीं है। लेकिन तथ्य यह है कि इसमें कमी आनी शुरू हो गई है। परतु कुछ विशिष्ट बाते माननीय सदस्यों ने उठाई थी और उनमें से एक और दो के प्रति मैं प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहूंगा। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि शब्द "आकुपायर" का अर्थ-विस्तार करना चाहिए क्योंकि इसकी परिभाषा बहुत ही सीमित है। अगर आप मूल अधिनियम में "आकुपायर" की परिभाषा को देखें तथा जो हम संशोधन लाए हैं तथा उसमें इस परिभाषा को देखें तो आप देखेंगे कि हमने "आकुपायर" को परिभाषा का विस्तार करने का प्रयास किया है। पृष्ठ 2, पंक्ति 38 में आप देखेंगे कि वह व्यवस्था की गई है कि।

"परन्तु---(i) किसी फर्म या अन्य व्यष्टि संगम की दशा में उसका कोई एक व्यष्टिक भागीदार या सदस्य अधिष्ठाता माना जाएगा; (ii) कम्पनी की दशा में निदेशकों में से कोई एक अधिष्ठाता माना जाएगा;"

इसी प्रकार से, हमने दिया है। अतः हमने "आकुपायर" की परिभाषा का विस्तार करने का प्रयास किया है ताकि बहुत लोगों को इस अधिनियम के अन्तर्गत लाया जा सके और हम एक खास व्यक्ति के ऊपर जिम्मेदारी निश्चित कर सकें।

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। "निदेशक" के मामले में यह जरूरी नहीं है कि वह एक शेयरहोल्डर हो। एक आम व्यक्ति निदेशक हो सकता है और उस मामले में अगर वह आकुपायर बन जाता है तो उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा।

सभापति महोदय : इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

डा० गौरी शंकर राजहंस : स्पष्टीकरण के लिए।

सभापति महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री पी० ए० संगमा : पूछताछ समिति ने एक और सुझाव दिया था। इस अधिनियम को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा लागू करना है और जैसाकि मैंने बताया, केन्द्रीय सरकार की बहुत ही सीमित भूमिका है। लेकिन हमने इस विधेयक में भोपाल त्रासदी जैसी आपतकालीन स्थितियों से निपटने के लिए अपने पास इस विधेयक में शक्ति रखी है। हमने यह भी सावधानी ली है कि

अगर राज्य सरकारें उचित प्रकार से कार्यवाई नहीं करती हैं, इस प्रकार के आपतकालीन मामले में, तो केन्द्रीय सरकार समस्या को अपने हाथ में ले लेगी और, इस प्रक्रिया में, हमने केन्द्रीय सरकार द्वारा एक पूछताछ समिति बनाने का प्रावधान रखा है। माननीय सदस्यों के सुझाव थे कि इस पूछताछ समिति को हमें सभी आवश्यक शक्तियां देनी चाहिए। इसे एक परामर्श शक्ति नहीं होना चाहिए मैं नहीं समझता कि किसी भी पूछताछ समिति को पूर्ण शक्तियां देना सरकार के लिए एक अच्छी बात होगी। पूछताछ समिति को पूछताछ करके सरकार को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है और यह सरकार के ऊपर छोड़ना है कि क्या कार्यवाई करनी है। अगर हम पूछताछ समिति को अन्तिम प्राधिकरण के रूप में यह कहने की शक्ति देते हैं कि सरकार यह करे तो विचार से यह हमारे उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेगा।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : पूछताछ समिति के उपबन्ध के दो पहलू हैं। वे किसी बड़ी दुर्घटना के पश्चात् कारखाने का दौरा कर सकते हैं अथवा इससे पूर्व सूचना पर वे दौरा कर सकते हैं। बाद वाले मामले में, अगर वे किसी गंभीर त्रुटि को पाते हैं और उसका वे एक निष्कर्ष के रूप में उल्लेख करते हैं तो उसे लागू करना अनिवार्य होना चाहिए। मैं सभा वाले पहलू के बारे में नहीं कहता। परन्तु कुछ सुरक्षा उपबंधों की कमी है। यह अंश यहां होना चाहिए।

श्री पी० ए० संगमा : माननीय सदस्य ने धारा 23 से संबधित बहुत ही संगत प्रश्न किया है :

> "किसी भी बालिका को प्रात: 8 बजे और साय 7 बजे के बीच के समय को छोड़कर किसी भी कारखाने में कार्य नहीं करने दिया जाएगा अथवा कार्य करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।"

प्रश्न यह है कि यह उपबन्ध बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम के पारित करने के बाद आया है। अन्तर यह है कि बाल श्रमिक निषेध एवं विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत हमने व्यक्ति की परिभाषा दी है जो 14 वर्ष का नहीं हुआ है। कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत बच्चे की परिभाषा में वह व्यक्ति आता है जिसकी आयु 15 वर्ष की नहीं हुई है। अत: केवल एक वर्ष का अन्तर है। इसी कारण इसका उपबन्ध करना है। परन्तु मैं चाहता हूं कि हम एक जैसी स्थिति बना सकें। मैंने यह करने का प्रयास किया परन्तु किसी तरह से मुझे मालूम नहीं, यह हो गया है लेकिन 14 और 15 वर्षों में थोड़ा सा ही अन्तर है। मेरे विचार से और कोई स्पष्ट प्रश्न नहीं किया गया है।

मैं आशा करता हूं कि मैंने सभी बातों का उत्तर दे दिया है।

मैं एक बार फिर सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं।

श्री अजय विश्वास : आई० एल० ओ० का एक दल भारत में सुरक्षा उपायों की जांच करने आया था और उन्होंने एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। क्या आप बता सकते हैं कि उन्होंने प्रतिवेदन मे क्या कहा है ?

श्री पी० ए० संगमा : आई० एल० ओ० का दल नहीं आया। आई० एल० ओ० ने भोपाल दुर्घटना के बाद एक अध्ययन किया है। आई० एल० ओ० के दो सदस्यों तथा भारत के एक सदस्य ने अध्ययन किया है। उन्होंने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं और विधेयक को अन्तिम रूप देते समय हमने इन सिफारिशों को ध्यान में रखा है। जैसा मैंने कल बताया, यह दो

वर्षों के अध्ययनों, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर सेमिनारों एवं बहुत से लेखों के आधार पर परिणाम तैयार किया गया है। इन सब चीजों पर विचार करके इसे लाए हैं ! विभिन्न पक्षों द्वारा जो सुझाव दिये गए हैं हमने उन सभी सुझावों पर विचार किया है।

श्री दामोदर पाण्डेय (हजारीबाग) : व्यावसायिक बीमारी के बारे में मैं जानना चाहता हूं कि क्या विशेष एजेंसी जिसके द्वारा व्यावसायिक बीमारी का पता लगाया जाएगा सभी उपक्रमों के पास उपलब्ध है अगर यह सुनिश्चित नहीं किया जाता है तो क्या मंत्री सुनिश्चित करेंगे इस प्रकार की व्यवस्था चाहे वह ई एस आई हो या कोई विशेष एजेंसी वहां होगी जो बीमारियो का पता लगा सके जिससे कि श्रमिकों की मुख्य पेशेवर बीमारियों से रक्षा की जा सके।

श्री पी० ए० संगमा : पेशेवर बीमारी हमारी ध्यान आकर्षित कर रही है। अभी तक हमारे पास पेशेवर बीमारी को देखने की सुविधा नहीं थी जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया है हमारे पूरे देश में ई एस आई अस्पताल है—निस्सन्देह उनका फैक्टरी अधिनियमों के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है यह ई एस आई है। हम ई एस आई के प्रत्येक राज्य में एक विशेष अस्पताल की योजना बना रहे हैं जिसका काम केवल पेशेवर बीमारियों का उपचार करना होगा। यह बहुत कठिन प्रस्ताव है। मैं यहां प्रत्येक बात को स्पष्ट नहीं कर सकता। हमें प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग की आवश्यकता है।

सभापति महोदय : इन सभी मुद्दों को श्रम मंत्रालय की मांगों पर चर्चा के समय उठाया जा सकता है।

डा० गौरी शंकर राजहंस : मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि अगर राज्य सरकारें इन प्रावधानों को लागू नहीं करती तो केन्द्र सरकार पत्र लिखने और चुप रहने के सिवाय क्या कर सकती है ?

श्री पी० ए० संगमा : मेरे विचार से हमारी ओर से यह सोचना उचित नहीं है कि राज्य सरकारें इस पर कभी अमल नहीं करेगी। वास्तव में, आपकी सूचना के लिए, मैं माननीय सदस्य को बता दूं··· (**व्यवधान**)

मेरे पास आपके लिए उत्तर है।

श्री वी० कृष्ण राव (चिकबल्लापुर) : कर्नाटक में भी यही चीज हो रही है।

श्री पी०ए० संगमा : हमने एक माडल फार्म बनाया है जिसे हमने राज्य सरकारों को भेजा है जो केन्द्र सरकार को बताएंगी कि कितने निरीक्षण किये गये हैं, कितने मुकदमें चलाये गये हैं और कितने व्यक्तियों को तैयार की गई है। अत: हमने एक टीम बनाई है। यह निगरानी करने का एक तरीका है। हम वह कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि सब ठीक हो रहा है। हमें अच्छे परिणामों की आशा करनी चाहिए। (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : यह पर्याप्त है।

अब प्रश्न यह है :

"कि कारखाना अधिनियम, 1948 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : सदन अब विधेयक पर खंडवार विचार करेगा।

खंड 2— (धारा 2 का संशोधन)

सभापति महोदय : श्री अजय विश्वास द्वारा संशोधनों की सूचना दी गई है। क्या वह उन्हें पेश करना चाहते हैं ?

श्री अजय विश्वास (त्रिपुरा पश्चिम) : हां, श्रीमन् मैं अपने संशोधनों को पेश करना चाहता हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ., पंक्ति 13,—

"से" के पश्चात् "कर्मकार सुरक्षा परामर्शदाताया" अन्त:स्थापित किया जाए।(3)

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 19 के पश्चात निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाए—

'(ii) खण्ड (1) के पश्चात निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ढक) इस अधिनियम के किसी उपबंध के संबंध में "कर्मकारों के सुरक्षा परामर्शदाताओं" से वे व्यक्ति अभिप्रेत हैं जो कर्मकारों द्वारा गुप्त मतदान द्वारा निम्नलिखित अनुपात में निर्वाचित हों—

(i) 1000 या उससे कम कर्मकार नियोजित करने वाले कारखानों में प्रति हजार कर्मकार पर एक,

(ii) 1001 से 5000 कर्मकार तक नियोजित करने वाले कारखाने में प्रति 250 कर्मकारों पर एक, और

(iii) 5001 या अधिक कर्मकार नियोजित करने वाले कारखानों में प्रति 500 कर्मकारों पर एक,

इस शर्त के अधीन कि प्रत्येक अनुभाग या कर्मशाला में कम से कम एक सुरक्षा परामर्शदाता होगा।" (4)

मेरे संशोधन हैं कि अगर सरकार अधिनियम को ठीक प्रकार क्रियान्वित करना चाहती है तो श्रमिकों को शामिल करना एक मुख्य आवश्यकता है। अधिनियम में एक प्रावधान है कि श्रमिकों को शामिल किया जा सकता है। प्रावधान है। लेकिन, मैं सोचता हूं उससे उद्देश्य पूरा नहीं होगा। दोनों ओर के माननीय सदस्यों ने अधिनियम के क्रियान्वयन के बारे में चिंता व्यक्त की है। हमारा अनुभव यह भी बताता है कि पिछले 30 वर्षों से वास्तव में अधिनियम थे लेकिन उन्हें भली प्रकार से क्रियान्वित नहीं किया गया। सरकार ने केवल सरकारी तन्त्र को बचाने की कोशिश की। वास्तव में सरकारी तन्त्र अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए भली प्रकार से सुसज्जित नहीं है। अत: यह प्रभावी नहीं है। मेरा प्रस्ताव है कि अधिनियम के क्रियान्वयन में अगर श्रमिकों को शामिल नहीं किया जाता है तो यह अधिनियम भी निरर्थक सिद्ध होगा अत: मेरा प्रस्ताव है कि श्रमिक सुरक्षा परामर्शदाता नियुक्त किया जाये श्रमिकों के प्रतिनिधि को गुप्तमतदान के माध्यम से चुना जाना चाहिए। इस अधिनियम के प्रावधान के अनुसार श्रमिक सुरक्षा परामर्शदाता से अभिप्राय उन व्यक्तियों से है जो श्रमिकों द्वारा गुप्त मतदान द्वारा निम्नलिखित अनुपात में चुना गया है।

(i) 10^0 या इससे कम श्रमिक नियोजित करने वाले कारखानों में प्रति एक सौ श्रमिक एक व्यक्ति ।

(ii) 1001 से 5000 कर्मकार नियोजित करने वाले कारखानों में प्रति 250 कर्मकारों पर एक व्यक्ति ।

(iii) 500' या इससे अधिक कर्मकार नियोजित करने वाले कारखानों में प्रति 500 कर्मकारों पर एक व्यक्ति बशर्ते कि प्रत्येक अनुभाग या दुकान में कम से कम एक सुरक्षा परामर्शदाता होना चाहिए अगर इसका गठन होता है तो प्रत्येक फैक्टरी में कर्मकार सेष सक्रिय होगा और वे श्रमिकों को शामिल करने की कोशिश करेंगे और इससे सरकार को भी अधिनियम के क्रियान्वयन में आसानी होगी ।

फैक्टरी निरीक्षकों के बारे में यहां तक की मंत्री भी सहमत हो गये हैं कि वे सभी फैक्टरियों का निरीक्षण करने में समर्थ नहीं है कभी कभी वे 60 प्रतिशत, कभी कभी 50 प्रतिशत और अगर निरीक्षक 100 प्रतिशत भी निरीक्षण करते हैं तो उस दशा में भी निरीक्षकों के लिये संबंधित अधिकारियों को ठीक प्रकार से रिपोर्ट देना संभव नहीं है। अगर निरीक्षक और मालिक के बीच सांठगांठ है तो जो रिपोर्ट निरीक्षक देगा वह ठीक नहीं होगी । उस रिपोर्ट के झूठी होने की सम्भावना है । गुजरात सिल्क मिल के बारे में क्या किया गया था ? जब भी निरीक्षक ने फैक्टरी का दौरा किया उसने रिपोर्ट दी कि वहां स्वास्थ्य को कोई खतरा नहीं है···

सभापति महोदय : आपने अपनी बात को स्पष्ट कर दिया है ।

श्री अजय विश्वास : मैं सोचता हूं कि मेरे संशोधन स्वीकार किये जायेंगे। इससे अधिनियम के क्रियान्वयन में सहायता मिलेगी ।

श्री पी० ए० संगमा : इस मामले में श्रमिकों को पूरी तरह से शामिल किया गया है अगर हम 41 जी के अधीन विधेयक के पृष्ठ12 को देखें तो हमने कहा है कि "एक सुरक्षा समिति होगी जिसमें श्रमिकों और प्रबंधकों के बराबर-बराबर प्रतिनिधि होंगे जो श्रमिक और प्रबंधकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देंगे,सुरक्षा और कामके समयस्वास्थ्यका ध्यान रखेंगे···।" केवल अन्तर यह है कि मैंने 'सुरक्षा समिति' कहा है और माननीय सदस्य इसे'सुरक्षा परिषद' कहना चाहते हैं। केवल यही अन्तर है । इसके अलावा पहले ही खण्ड 41, 1!।ए में प्रावधान किया गया है जिसमें हमने प्रत्येक श्रमिक को अधिकार दिया है चाहे वह सुरक्षा समिति का सदस्य हो या न हो । वह इस प्रकार है :

"प्रत्येक श्रमिक को अधिकार होगा—

(i) कार्यस्थल पर श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा सम्बन्धी सूचना नियोजकों से पाना,

(ii) कारखाने में यथासंभव प्रशिक्षण पाना या स्वयं को प्रायोजित करना" आदि

इस प्रावधान में अधिकार न केवल सुरक्षा समिति के सदस्य को दिया गया है बल्कि प्रत्येक श्रमिक को दिया गया है । अतः माननीय सदस्य की मंशा पूरी हो गई है । मेरे विचार से उसमें किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है ।

सभापति महोदय : क्या माननीय सदस्य अपने संशोधन वापिस ले रहे हैं या क्या वे उन पर जोर दे रहे है ?

श्री अजय विश्वास : मैं जोर दे रहा हूं।

सभापति महोदय : अब मैं श्री अजय विश्वास के संशोधन संख्या 3 और 4 सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 3 और 4 मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 5 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 6 से 19 विधेयक में जोड़ दिये गये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 20 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 20 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 21 से 29 विधेयक में जोड़ दिये गये।

सभापति महोदय : अब खण्ड 30 प्रश्न यह है :

"कि खंड 30 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 30 विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 31 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 31 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 32 से 46 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 1—(संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ)

किया गया संशोधन

पृष्ठ 1, पंक्ति 4—

"1986" के स्थान पर

"1987" प्रतिस्थापित किया जाए। (2)

(श्री पी० ए० संगमा)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

किया गया संशोधन

पृष्ठ 1, पंक्ति 1—

"सैंतीसवें" के स्थान पर

"अड़तीसवें" प्रतिस्थापित किया जाए। (1)

(श्री पी० ए० संगमा)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया.

सभापति महोदय : अब माननीय मंत्री यह प्रस्ताव कर सकते हैं कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाये।

श्री पी० ए० संगमा : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि विधेयक, संशोधन रूप में, पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : अब श्री शांति धारीवाल बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री शान्ति धारीवाल (कोटा) : सभापति महोदय, सब चीजों का जवाब दे दिया है, मैं लेबर पर बोलूंगा।

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : सभापति महोदय, यह बिल वर्कर्स की सेफ्टी और स्वास्थ्य आदि के सम्बन्ध में है और सदन में काफी विस्तृत रूप में चर्चा की गई है। बिल के शैड्यूल में लिस्ट दी गई है, जिन-जिन इन्डस्ट्री पर यह लागू होगा। हिन्दुस्तान में 40 लाख बीड़ी वर्कर्स हैं, जिनको हैल्थ के मुकाबले में विपरीत परिस्थितियों से गुजर कर काम करना पड़ता है। इसमें काम करने वाले लोग 50 प्रतिशत टीबी और दूसरी बीमारियों के शिकार होते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इनको भी शैड्यूल में जोड़ा जाए, जिससे यह कानून भी उन पर लागू हो सके।

[अनुवाद]

श्री पी० ए० संगमा : कार्यक्रम सीमित है और हमने राज्य सरकारों को उन कार्यों को जो खतरनाक प्रतीत होते हैं इस अधिनियम में शामिल करने की शक्ति प्रदान कर दी है। इस प्रकार अधिनियम में पहले ही यह शक्ति विद्यमान है।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाए।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

———

12.54 म०प०

सिने-कर्मकार कल्याण निधि (संशोधन) विधयक [-जारी]

[अनुवाद]

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि सिने-कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1981 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय सिने कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1981के कार्यान्वयन के काम को, सिनेमा कर्मकारों से सम्बन्धित अन्य दो अधिनियमों के साथ, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से श्रम मंत्रालय को दिनांक 1 अप्रैल, 1986 के हस्तांतरित कर दिया गया था। इसमें निम्नलिखित सुविधाओं की व्यवस्था है :

विशिष्ट सिनेमा कर्मकारों के कल्याण की प्रोन्नति के लिए किए गए उपायों के लिए धन की व्यवस्था करना, विशेष रूप से —

(क) सिनेमा कर्मकारों के फायदे के लिए ऐसे कल्याणकारी उपायों या सुविधाओं के खर्च को चुकाना जो केन्द्रीय सरकार विनिर्दिष्ट करे;

(ख) निर्धन सिनेमा कर्मकारों को अनुदानों या उधारों के रूप में सहायता की व्यवस्था करना;

(ग) सिनेमा कर्मकारों के कल्याण के लिए किसी स्कीम की सहायतार्थ, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है, कोई धन मंजूर करना।

इस अधिनियम के उपबंधों में संशोधन का प्रस्ताव है ताकि इसके कार्यक्षेत्र को बढ़ाया जा सके और इसे अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके। अभ्रक, चूना पत्थर और डोलोमाइट, लौह अयस्क आदि के लिए बनाये गये कल्याणकारी निधि अधिनियमों के उपबन्धों के आधार पर ही प्रस्तावित संशोधन बनाए गए हैं। प्रस्तावित संशोधन निम्न प्रकार से है :—

(1) सिनेमा कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1981 की धारा 2 के खंड (ख) के उपखंड (ii) म वर्तमान अधिकतम सीमा 1000 रु० प्रति माह से बढ़ाकर 1600 रु० प्रति

माह् करने के लिए और जहां ऐसा पारिश्रमिक किसी एकमुश्त राशि के रूप में रहा है; 5 हजार रुपये की राशि से बढ़ाकर 8 हजार रुपये करने के लिए संशोधन करना।

(2) सिनेमा कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम 1981 की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (ग) में संशोधन करना ताकि "परिवार कल्याण जिसमें परिवार नियोजन, शिक्षा और सेवाएं भी शामिल हैं" को एक ऐसे उद्देश्य के रूप में शामिल किया जा सके जिसके लिए निधि का उपयोग किया जा सके; और

(3) सिनेमा कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) में केन्द्रीय सलाहकार समिति के सदस्यों की संख्या पर उच्चतम सीमा को हटाने के लिए संशोधन करना।

सिनेमा-थियेटर कर्मकार (रोजगार नियमन) अधिनियम, 1981 और कल्याण निधि अधिनियमों की कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत मजदूरी और लाभों की उच्चतम सीमा 1600/ रुपये प्रति माह है। इसलिए 1000 रुपये की वर्तमान उच्चतम सीमा को 1600 रुपये प्रतिमाह् करना और जहां एक मुश्त पारिश्रमिक दिया जाता है वहां 5,000 रुपये की वर्तमान उच्चतम सीमा को बढ़ाकर 8000 रुपये करना वांछनीय है।

अधिनियम की धारा 4 (1) (C) में उल्लिखित उद्देश्यों में परिवार कल्याण को, जिनमें परिवार नियोजन, शिक्षा और सेवाएं शामिल हैं, सम्मिलित करने का प्रस्ताव है जिनके लिए इस निधि का उपयोग किया जा सकता है। श्रम कानूनों की जनसंख्या नियन्त्रण की राष्ट्रीय नीति से सगंसता के बारे में वर्ष 1984 में हुई अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की त्रिपक्षीय गोष्ठी की सिफारिशों के अनुसरण में ऐसा किया जा रहा है। अधिनियम की धारा 6 (2) में यह व्यवस्था है कि "केन्द्रीय सलाहकार समिति में केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त ग्यारह सदस्य होंगे और सदस्य ऐसी रीति से चुने जायेंगे जो विहित की जाए।"

विभिन्न श्रम कल्याण अधिनियमों के अन्तर्गत बनाई गई सभी मंत्रणा समितियों में त्रिपक्षीय सिद्धांत का पालन किया जाता है और सरकार नियोक्ताओं तथा कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को समान संख्या में शामिल किया जाता है।

। सदस्यों की उच्चत्तम सीमा का पालन करना व्यावहारिक नहीं होगा और यह व्यवस्था की गई है कि सदस्यो की संख्या की उच्चत्तम सीमा को हटाने के लिए अधिनियम की धारा 6 (2) में संशोधन किया जाए।

मुझे विश्वास है कि विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों द्वारा अधिनियम के प्रशासन में सुधार करने में सहायता मिलेगी। इन शब्दों के साथ में विधेयक को सदन के विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं।

[हिन्दी]

श्री श्याम लाल यादव (वाराणसी) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

वास्तव में जो मूल विधेयक 1981 में लाया गया था और उसके साथ ही सिने वैल्फेयर फंड बिल, जो सिनेमा में काम करते हैं, उनकी सहायता करने के लिए ये विधेयक लाए गये थे और वे पारित हुए और लागू हुए। अभी जो वर्तमान विधेयक में सीलिंग बढ़ाई जा रही है, मैं समझता हूं, उसका सभी स्वागत करेंगे। जिस प्रकार से मूल्यों में वृद्धि हुई है, उसी प्रकार से लोगों

को मिलने वाले वेतनों में और सुविधाओं में भी वृद्धि हुई है। इसलिए जो कम सीलिंग की सीमा रखी गई थी, उससे वास्तव में बहुत लोगों को लाभ नहीं मिल सकता था। इसलिए मैं समझता हूं कि यह उचित ही हुआ कि उसकी वृद्धि की जा रही है। मान्यवर, सनिमा उद्योग से संबंधित हमारे देश में, मैं समझता हूं कुल मिलाकर लगभग ' हजार वर्कर्स होंगे, जो उसके उत्पादन में, वितरण में और प्रदर्शन में सम्मिलित हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप अपना भाषण मध्याह्न भोजन के पश्चात जारी रख सकते हैं।

1.00 म० प०

तत्पचात लोकसभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई

2.04 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोकसभा 2.04 म० प० पर पुनः समवेत हुई।

(श्री शरद दिघे पीठासीन हुए।)

सिने-कर्मकार कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक (-जारी)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री श्यामलाल यादव।

[हिन्दी]

श्री श्याम लाल यादव (वाराणसी) : सभापति जी, मैं कह रहा था कि सिनेमा उद्योग में लगभग चार लाख कर्मचारी काम में लगे हुए हैं। इस उद्योग में उत्पादन, वितरण और प्रदर्शन ये तीन काम होते हैं। इस प्रकार से ये लोग वहां इन तीनों कामों में लगे हुए हैं।

इन कर्मचारियों में से लगभग 60 फीसदी कर्मचारी प्रदर्शन के कार्य में लगे हुए हैं। यानी जो सिनेमा घर हैं, जो फिल्मों को दिखाते हैं, उनको दिखाने का इन्तजाम करते हैं, उस काम में लगे हुए हैं। उत्पादन और वितरण के काम में केवल 40 प्रतिशत कर्मचारी लगे हुए हैं। यह जो विधेयक "सिने वर्कर्स वेल्फेअर फण्ड (संशोधन) विधेयक" है जिस पर कि विचार किया जा रहा है यह उन कर्मचारियों पर लागू होता है जो दफ्तरों में काम करते हैं, प्रदर्शन में लगे हुए हैं और सिनेमा जगत में जिनकी ख्याति है, जिनको आम जनता जानती है, ये वही हैं जो सिनेमा बनाते हैं। और कलाकार हैं, उत्पादन में लगे हुए हैं, कई प्रकार के काम कर रहे हैं, प्रदर्शन का काम, पर्दे पर और पर्दे के पीछे काम करते हैं, दफ्तरों में करते हैं, आर्गनाइजेशन का काम करते हैं, ये वे लोग हैं, जिनको सब जानते हैं। मूल विधेयक उत्पादन में लगे हुए कर्मचारियों के लिए हैं, यह विधेयक उनको सहूलियत देता है, उनकी सेवा शर्तों में मदद करता है, उनको होने वाली कठिनाइयों में सहायता करता है, यह सराहनीय है, इसमें कोई भी व्यक्ति आपत्ति नहीं कर सकता इसलिए जब ये दोनों विधेयक सन् 198 में पास किए गए तब दोनों सदनों में इसका जोरदार समर्थन हुआ था और इस विधेयक के मुताबिक जहां से सहायता दी जाती है अधिनियम के मातहत, वह था सिने वर्कर्स वेलफेयर सेस . को एक्ट 198। में पास किया गया, उसमें यह प्रावधान

था कि सिनेमा से एक सेस इकट्ठा किया जाएगा, वह एक निधि में जमा होगा वह पैसा कर्मचारियों की सहायता के लिए खर्च होगा, उनकी विभिन्न आवश्यकताओं के लिए, जो विपन्न होंगे, बूढ़े और असहाय हो जाएंगे, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि वह कानून सितम्बर 1981 में बना, दोनों कानून एक साथ बने थे और आज तक वह कानून कार्यान्वित नहीं किया गया। उस कानून के तहत एक तो सेस इकटठा नहीं हुआ और जो हुआ 6 साल में वह नगण्य सा है। मुझे पता चला है और मन्त्री जी उत्तर देते हुए स्थिति के बारे में बताएंगे, लेकिन मुझे जो जानकारी है कि सेस से केवल 22 लाख रुपया एकत्रित किया गया और गांधी फिल्म जो बनाई गई, उसमें एक करोड़ रुपए की आमदनी हुई है, वह रुपया भी इस फण्ड में रखा गया है। इस तरह से कानन के मातहत 22 लाख रुपया इकट्ठा किया गया और वह भी वितरित नहीं किया गया और करते भी तो 22 लाख रुपए से कितने व्यक्तियों की भलाई हो सकती थी, कितनों की सहायता की जा सकती थी कितने लोगों को मदद मिलती। मैं समझता हूं कि यह सूचना और प्रसारण मंत्रालय का एकदम निकम्मापन है। मंत्री महोदय ने जिस महत्वाकांक्षा से सदन में बात कही थी और विधेयक लाए थे, जो आशाएं देश के अंदर पैदा की थीं, सिनेमा कर्मचारियों के अंदर पैदा की थीं, उनके अंदर जो उद्वेग था, असंतोष था, उसको दूर करने की कोशिश की थी, वह सब कुछ पड़ा रह गया कारपेट के नीचे, उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया, इस तरह के लोगों की, कर्मचारियों और मजदूरों की भलाई का कानून बन गया, कुछ धन एकत्रित भी किया गया, लेकिन उसका भी ठीक से वितरण नहीं हो सका, उपयोग नहीं हो सका। मान्यवर इससे बढ़कर कोई चिंता की क्या बात होगी। मैं इस संबंध में मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या कारण थे जिसकी वजह से सेस इक्ट्ठा नहीं किया गया और अधिनियम कार्यान्वित नहीं किया गया। मेरे ख्याल से उस अधिनियम के मातहत जो नियम और उपनियम बनने चाहिए थे, वे भी नही बने, 6 वर्ष तक कुछ नहीं हुआ। यह खुशी की बात है कि अब यह काम सूचना और प्रसारण मंत्रालय से हटाकर श्रम विभाग में दे दिया गया है, जो श्रमिकों की भलाई और उनके विकास में दिलचस्पी लेता है, क्योंकि सूचना और प्रसारण मत्रालय के पास पहले ही बहुत काम हैं, उनके पास रेडियो है, टी वी है, अखबार वाले हैं, विज्ञापन वाले हैं, नाटक, कला-प्रदर्शन हैं, वह उनमें व्यस्त रहता है, उसे कहां यह फुरसत थी कि वह इस काम को करता। इसीलिए मुझे लगता है कि वे इसके ऊहर सो गए, उनकी चिंता खत्म हो गई और अब श्रम विभाग इसको देख रहा है। मुझे खुशी है कि हमारे नौजवान मित्र इसके मंत्री है। श्रम विभाग जिस प्रकार से अन्य मजदूरों की भलाई के कार्यक्रमों को, उनके वैलफेयर को देखता है, इस काम को भी देखेगा और बड़ी चुस्ती के साथ इन दोनों अधिनियमों को क्रियान्वित करने के लिए जो नियम, उप-नियम बनने चाहिए थे, वह बनायेगा, उनको लागू करेगा, उनकी मशीनरी को चुस्त बनायेगा ताकि सैस इकट्ठा हो और ठीक ढंग से इसका उपयोग हो सके। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता था कि चालीस प्रतिशत के लिए यह अधिनियम बना है। साठ प्रतिशत जो लोग एक्जीबिशन में है, प्रदर्शन में हैं उनके लिए इस कानून में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। मैं समझता हूं उस तरफ भी श्रम विभाग का ध्यान जाना चाहिए और उन लोगों के वेतन और उनकी उपलब्धियों की चिंता की जानी चाहिए उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं है, दयनीय है क्योंकि वे कर्मचारी कुछ स्थाई हैं और कुछ नहीं हैं। एक-एक यूनिट में एक-एक सिनेमा घर में थोड़े-थोड़े

कर्मचारी होते हैं। पच्चीस-तीस कर्मचारी होते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं। दूर-दूर शहरों में, गांवों में और कस्बों में बहुत से टूरिंग टाकीज हैं, उनमें भी हैं। इस तरह मे वे संगठित नहीं हैं। थोड़ा बहुत संगठन है, लेकिन अधिक नहीं है इसलिए उनकी देखभाल करने का कोई प्रावधान नहीं है। उन पर न तो इ० एस० आई०, प्रोविडेण्ट फण्ड और पेन्शन की स्कीम लागू होती है और न उनको ग्रेच्युटी ही मिलती है। इसके लिए मैंने दो-तीन पत्र श्रम मंत्री जी को लिखे थे। हाल ही में उत्तर प्रदेश सिनेमा कर्मचारी संघ का एक प्रतिवेदन मंत्री जी के पास भेजा है। लेकिन अभी उसका कोई उत्तर नहीं आया है। मैं चाहूंगा कि उन साठ प्रतिशत कर्मचारियों की तरफ सरकार की दृष्टि जानी चाहिए। उनके लिए समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। जब आप सैस इकट्ठा कर रहे हैं तो उस सैस का एक भाग उन कर्मचारियों को जाना चाहिए जो सिनेमा दिखाने में लगे हुए हैं। सिनेमा उत्पादन करना आवश्यक है। उत्पादन होकर क्या करेगा, जब उसको दिखाने की व्यवस्था नहीं होगी। जब सबका सहयोग होगा तब यह उद्योग और बढ़ेगा। इससे लोगों को लाभ होगा। इस उत्पादन से सरकार को भी बहुत आमदनी है, राज्य सरकार को भी आदमनी है। मंत्री जी यहां एक बात कह सकते हैं कि उन पर राज्य सरकार टैक्स लगाती है क्योंकि उनके कार्य क्षेत्र में आता है। लेकिन श्रमिकों के कल्याण की बात भारत सरकार भी कर सकती है। वह कंकरेंट लिस्ट में है। उसको आप कर सकते हैं। वेलफेयर स्कीम को चला सकते हैं। जब सिनेमा उद्योग के एक अंश में लगे हुए कर्मचारियों के बारे में इतना अच्छा विधेयक लाए हैं तो मैं समझता हूं कि पूरे सिनेमा उद्योग में शुरू से अंत तक जो कर्मचारी लगे हैं, उनके रख-रखाव, उनके स्वास्थ्य, उनकी वेतन उपलब्धियों और उनके जीवन-यापन की ओर भी आपका ध्यान जाना चाहिए। मुझे विश्वास है कि मंत्री जी इस सबंध में विचार करेंगे और उस पर कोई कार्यवाही करेंगे। सिनेमा में बहुत आकर्षण है। हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करता है। अन्य भाषाओं की भी फिल्में हैं, लेकिन हिन्दी की फिल्म लोगों के जीवन को प्रभावित करने के लिए एक बहुत ही जबर्दस्त साधन है। जितने लोग सिनेमा में एक्टिंग करते हैं, उनसे कम महत्वपूर्ण परदे के पीछे काम करने वाले भी नहीं हैं। पार्श्व गायक भी उनमें हैं। एक पार्श्व गायिका लता मंगेशकर हैं जिनको परदे के पीछे रहते हुए चालीस बरस हो गए हैं। वह हमारे देश की गौरव निधि हैं। सिनेमा के जो कलाकार हैं, वे सिनेमा में ही नहीं बल्कि जीवन के दूसरे क्षेत्रों में भी जा रहे हैं। अभी सुनील दत्त अपने देश के एक भाग में जहां अशांति है, वहां शांति व्यवस्था करने के लिए शांति मार्च कर रहे हैं और बम्बई से अमृतसर जा रहे हैं। आज वे हमारे दिल्ली नगर में आए हुए हैं, तो ऐसे लोग करते हैं। यह सही है कि राजनीतिक इतिहास बनाते हैं। लेकिन बहुत से राजनीतिक और दूसरे लोग सिनेमा में ऐतिहासिक रोल भी अदा करते हैं। कई नेता राजनीति में भटकते-भटकते अन्त में सिनेमा के एक्टर बन गए। हमारे यहां एक ऐसे नेता थे जो अब नहीं रहे हैं। अगर कोई पहलवान भी है तो वह भी वहां जाकर अभिनेता बन गए है। मैं समझता हू इस विधेयक की परिधि जो पेशेवर कलाकार हैं उन पर ही नहीं, बल्कि ऐसे लोगों पर भी असर डालती है जो दूसरे क्षेत्रों से आकर फिल्म अभिनेता बन रहे हैं और लाखों लोगों के दिलों को प्रभावित करते है. लेकिन वह बहुत समय तक काम करते हैं। थोड़े दिन उन की चमक-दमक रहती है, अन्ततोगत्वा उनकी दुर्गति ही होती है। बहुत कम लोग हैं जो सम्पन्न होते हैं। लेकिन अधिकांश कर्मचारी कैजुअल, अस्थाई होते हैं वह एक काम में ही लगे रहते हैं

और काम खत्म होने के बाद चले जाते हैं । इसलिए उन लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान हो, उनके वेलफेयर का ध्यान रखा जाना चाहिए । आपने परिवार कल्याण की बात कही है, यह सही है, शिक्षा की भी आपने बात कही है। इस पर आपको विशेष बल देना चाहिए कि जो सिनेमा कर्मचारी हैं उनके बच्चों के लिए विशेष रूप से शिक्षा देनी चाहिए, आप उनको वजीफा दें ताकि वह शिक्षित होकर आगे चलकर अपनी जीविका चला सकें। एक हजार रुपए से बढ़ाकर आपने सोलह सौ रुपये किया, पांच हजार रुपये से बढ़ाकर आठ हजार रुपये किया, आज की बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए यह कम है । आज भी जो ठेके पर काम करते हैं, हो सकता है उनको ज्यादा मिलता होगा, लेकिन सरकार इसको यदि लचीला बनाती जिससे समय पर इसमें परिवर्तन किया जा सके तो ज्यादा सही रहता । लेकिन आपने जो किया है उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं ।

केन्द्रीय सरकार द्वारा जो सलाहकार समिति बनानी थी, पता नहीं वह बनी है या नहीं, लेकिन यह उचित है कि जो सलाहकार समितियां बनती हैं उन्हीं के स्तर पर इसको रखा है ताकि सभी का प्रतिनिधित्व उसमें हो सके । जो अस्थाई कर्मचारी हैं, केजुअल हैं या ठेके पर काम करते हैं उनके प्रतिनिधियों को सरकार ऐसी सलाहकार समितियों में रखे जिससे उनके दुःख-दर्द की कथा सरकार के पास पहुंचे और सरकार द्वारा उसका निराकरण किया जा सके ।

आपने सेस इकट्ठा करने की बात की है, मैं यह कहना चाहता हूं आज सिनेमाघरों के स्थान पर विडियो पार्लर्स बनते जा रहे हैं। इनकी सिनेमा पर चढ़ाई हो रही है। आप कितना सेस इसमे इकट्ठा करेंगे ? जो विडियो पार्लर्स चलते हैं, जो फिल्म वहां जाती है, सिनेमाघरों में नहीं जाती और देश के हर नगर में विडियो पार्लर्स का फैलाव हो रहा है, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है इसके कारण सिनेमा की चोरी भी बढ़ती जा रही है, इसको रोकने की जरूरत है । क्या वहां से भी आप सेस इकट्ठा कर सकेंगे । जो फिल्म उद्योग में उत्पादन में लगे हैं या वितरण में लगे हैं वह तो रहेंगे ही । इसलिए आपको इस सम्बन्ध में सोचना चाहिए कि कैसे सेस इकट्ठा करें ताकि इन वीडियो पार्लर्स से उनका कुछ धन आ सके जिससे जो सिनेमा कर्मचारी छूट गये हैं उनको भी इस विधेयक की परिधि में लाया जा सके । मेरा सुझाव है कि इस विधेयक की परिधि में केवल उत्पादन से सम्बन्धित सिनेमा कर्मचारियों को ही न रखा जाये, बल्कि इसके प्रदर्शन में जो सम्मिलित कर्मचारी हैं उनको भी इसमें शरीक किया जाये, तब जाकर पूरे तौर पर सिनेमा कर्मचारियों का कल्याण हो सकेगा ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का पुरजोर समर्थन करता हूं ।

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : माननीय सभापति जी, मैं, सिने वर्कर्स वेलफेयर फण्ड बिल लाया गया है उसका समर्थन करती हूं । निश्चित तौर पर हमें हमारी स्वर्गीय नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी के यह शब्द याद आ जाते हैं "श्रमेव जयते" । अर्थात् हर क्षेत्र में जो श्रमिक कार्य करते हैं उनकी तरफ आपका ध्यान गया है खासकर सिने जगत में काम करने वाले श्रमिक असंगठित हैं। उनकी तरफ आपका सबसे पहले ध्यान 1981 में गया और आप उनके कल्याण के लिए इस सदन में एक बिल लाये । उस बिल के जरिए सेस लगाकर आपने एक वैल्फेयर फण्ड बनाया और कुछ पैसा इकट्ठा किया । उस पैसे को आप सिने जगत के श्रमिकों के कल्याण पर खर्च करेंगे, यह स्वागत-योग्य कदम है । परन्तु जैसा यहां पर अभी यादवजी ने कहा, आपने अब तक जितना फंड एकत्रित किया है, यदि मैं कहूं कि वह समुद्र में एक बूंद के समान है तो उसमें

कोई अतिशयोक्ति नहीं हैं क्योंकि आप अब तक सिर्फ 22 लाख रुपया ही एकत्रित कर पाये हैं। दूसरी ओर सिने जगत में काम करने वाले श्रमिकों की संख्या लगभग 4 लाख है जो बहुत असंगठित हैं। उनकी इतनी बड़ी संख्या के लिए यह राशि बहुत नगण्य है।

मान्यवर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज के जमाने में सिनेमा ऐसा प्रचार और प्रसार का सशक्त माध्यम बन गया है जिसकी वजह से सारे देश के लोगों के दिलो-दिमाग पर अमिट छाप छोड़ी जा सकती है। मैं इस की तुलना उस उफनती हुई नदी से करना चाहती हूं जिसको यदि बिना रोक-टोक, अनियन्त्रित तरीके से बहने दिया जाए तो उससे निश्चित तौर पर जन-धन की व्यापक हानि होगी। उसी उफनती हुई नदी को यदि बांध बनाकर, विद्युत डैम बना कर या कोई सिंचाई योजना के जरिए बांध दिया जाए तो वह मानव-कल्याण के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकती है। बिल्कुल वैसी ही स्थिति हमारे सिनेमा जगत का है। यदि उसको अनियंत्रित रहने दिया जाए तो सारे देश के नवयुवकों और लोगों को गलत रास्ते पर ले जा सकता है परन्तु यदि उसे नियंत्रित कर दिया जाये तो उससे राष्ट्रीय एकता और अखंडता में महान योगदान मिल सकता है।

मान्यवर, इस उद्योग में लगे कर्मचारियों की दुर्दशा किसी से छिपी हुई नहीं है, सर्व-विदित है। इस उद्योग में वे व्यक्ति लगे होते हैं जो नृत्य, गायन, अभिनय, वाद्य यन्त्र अथवा लेखनी के धनी होते हैं परन्तु उनको कोई संगठन न होने के कारण, असंगठित होने के कारण, बहुत दुर्दशा है उन्हें किसी प्रकार की सुविधायें नहीं मिलती जबकि वे दिन-रात मेहनत करते रहते हैं। मैं तो यहां तक कहूंगी कि उनकी भूख और आहें सिनेमा के ग्लैमर के पीछे छिपकर रह जाती हैं और आम लोगों को उसका पता नहीं चल पाता कि उनका वास्तविक जीवन किन कठिन परिस्थितियों में बीतता है। यदि आप इस वैल्फेयर फण्ड के जरिये उनकी कुछ सहायता कर सकें तो वह निश्चित तरीके से कल्याणकारी कार्य होगा। स्थिति तो यह है कि उनके ऊपर श्रम वेजेज भी लागू नहीं होते, उसकी भी स्पष्ट अवहेलना होती है। आज यदि कोई कथा फिल्म बनती है तो इन्हीं श्रमिकों के कंधों पर बनती है परन्तु होता यह है कि उससे जो भी पैसा एकत्रित होता है उसे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या सुपर-स्टार ही दबा जाते हैं। वे उस पैसे पर सांप की तरह कुण्डली मार कर बैठ जाते हैं और गरीब श्रमिक बस आहें ही भरते रह जाते है। भूख और प्यास से उनकी परेशानियां निरन्तर बढ़ती ही जाती हैं। न उनके रहन-सहन की उचित व्यवस्था है, और न उनकी बच्चों की पढ़ाई का उचित प्रबन्ध। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उनकी सदा उपेक्षा की जाती रही है। इस ओर आपका ध्यान भी नहीं जाता। इसलिए मैं माननीय श्रममंत्री जी से निवेदन करूंगी कि आप इनके लिए सिने इन्श्योरेंस स्कीम लागू कीजिए ताकि उनके रहन-सहन, और जीवन-स्तर में कुछ सुधार लाया जा सके। आपने वैल्फेयर फण्ड के अधीन जितना पैसा एकत्रित किया है, उसके अतिरिक्त अन्य प्रकार से आप इनकी अधिक से अधिक सहायता की व्यवस्था कीजिए।

सिने जगत में कई महिला श्रमिक भी हैं और उनकी दुर्दशा का बखान करते हुए दिल दहल जाता है। उनकी स्थिति बहुत ही खराब है। उनको किसी प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होती। उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। उन्हें किसी तरह की मैटरनिटी लीव भी नहीं दी जाती उनकी दुर्दशा किसी से छिपी हुई नहीं है। न उनके लिए क्रैच आदि की व्यवस्था है जहां

वे अपने दुधमुहे बच्चों को छोड़कर अपनी कला की साधना निश्चिन्तता से कर सकें। इसलिए मेरा श्रम मंत्री जी से निवेदन है कि जिस प्रकार आपने अन्य व्यवसाय के श्रमिकों के कल्याण के लिए इन्श्योरेंस स्कीम लागू की है, उनके लिए कई प्रकार की कानूनी व्यवस्थाएं हैं, उसी प्रकार सिने कर्मचारियों और खासकर सिनेमा जगत में काम करने वाली महिला श्रमिकों के कल्याण और हित की ओर भी आपका ध्यान जाना चाहिए। कई बार ये अस्थाई कर्मचारी होते हैं इसलिए जब मैंटर्निटी की अवस्था होती है, तो उनको किसी प्रकार की छुट्टी नहीं मिलती है और न ही अन्य किसी प्रकार की सुविधा मिलती है। इसलिए आपका जो ये वैलफेयर फण्ड है, इसके माध्यम से ऐसी महिलाओं के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए।

आपने केन्द्रीय सिने सलाहकार मण्डल में जो 10 व्यक्ति थे उनको असीमित कर दिया है या घटा दिया है या बढ़ा दिया है यह मालूम नहीं होता है। इसलिए इनकी संख्या निश्चित करें और इसमें नियोजक और अन्य कर्मचारी तो होंगे ही, इनके साथ ही साथ मान्यवर इसमें मेरा कहना है कि शिक्षा शास्त्री और मनोवैज्ञानिकों को भी आप इसमें मनोनीत करें। ताकि सही मायने में इन श्रमिकों का ध्यान रखा जा सके।

मेरा यह भी सुझाव है कि इस सिने सलाहकार मण्डल को पूरी तरह से अधिकार होना चाहिए सेंसर बोर्ड पर नियंत्रण रखने का। आज जो सिनेमा सेंसर बोर्ड है, उसमें ऐसी फिल्मों को स्वीकृति दे दी जाती है जो कि आतंकवाद और अपराध जैसी प्रवृत्तियों को फैलाती हैं और युवकों को गुमराह करती हैं। आपने सिने सलाहकार मण्डल द्वारा जिसमें सदस्य होंगे, कई विद्वान होंगे, इनके माध्यम से चैक एण्ड बेलेंस आप इस सेंसर बोर्ड पर रख सकेंगे। इस प्रकार से जो यह सेंसरबोर्ड है यह चैक करने का सबसे अच्छा माध्यम होगा।

मैं, निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे सिने वर्कर्स की सेफ्टी की भी कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए सिने वर्कर्स सेफ्टी कौंसिल बनाई जानी चाहिए क्योंकि कई ऐसे सिनेमा वर्कर्स हैं वे ऐसी कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं जिनकी दुर्घटनाओं में मृत्यु हो जाती है। जो सजे-धजे कलाकार पर्दे पर दिखते हैं, उनके पीछे काम करने वाले कई लोग होते हैं। डुप्लीकेट होते हैं, वे मर जाते हैं। कब मरे, किस प्रकार से मरे, उनके परिवार की क्या हालत होगी, इन सब बातों की ओर कोई भी देखने वाला नहीं होता है। इसलिए हमें इस कौंसिल के माध्यम से इस सबकी व्यवस्था करनी चाहिए। इसी प्रकार से यदि किसी सिने वर्कर की किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को पेंशन भी इस कौंसिल और फण्ड के माध्यम से मिल सके। उनके वैलफेयर की भी इस प्रकार से कोई योजना बनाई जानी चाहिए।

मान्यवर, जो सिने कलाकार अपने जमाने में बहुत ही प्रसिद्ध रहे होते हैं और जब वे वृद्ध हो जाते हैं तो उनकी ओर कोई देखने वाला नहीं होता है और उनकी स्थिति बहुत खराब हो जाती है। इसलिए उनको बचाने के लिए उनके कल्याण के लिए इस वैलफेयर फण्ड में से कुछ न कुछ व्यवस्था करनी चाहिए।

मान्यवर, हमारी सरकार, एक कल्याणकारी सरकार है। इसलिए हमें इन सिने कर्मचारियों की ओर खास ध्यान देकर एक वृहद कानून इस सदन मे लाकर पेश करना चाहिए ताकि उनके कल्याण की योजनायें बन सकें और उनका कल्याण और उनकी कुछ सहायता हम कर सकें।

अन्त में, मैं कहना चाहूंगी कि हमारे सिने सांसद भाई सुनील दत्त जी पद यात्रा कर रहे हैं। इस प्रकार से उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण पैदल-यात्रा करके पेश किया है। मैं उनको अपनी ओर से शुभकामनाएं देती हूं और ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि उनकी महा-शांति यात्रा सफल हो और पंजाब में आतंकवाद का जो ताण्डव हो रहा है, उसको रोकने में, हम सफल हो सकेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं, मंत्री जी जो बिल यहां लाए हैं, उसका स्वागत करती हूं।

[अनुवाद]

डा० सुधीर राय (बर्दवान) : सभापति महोदय, विधेयक में विरोध करने की कोई बात नहीं है। परन्तु हम समझते हैं कि सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए दिखावटी प्रेम दर्शाती है। वर्ष 1981 में अधिनियम पारित किया गया था परन्तु सरकार ने सिने-कर्मकारों के कल्याण के लिए बहुत कम कार्य किया है। उपकर के रूप में केवल 2 लाख रुपये एकत्रित किए गए हैं और हम यह नहीं जानते कि इस अल्पराशि से 4 लाख सिनेमा श्रमिकों को क्या लाभ होगा। जैसा कि उल्लेख किया गया है देश में 4 लाख सिने कर्मकार हैं।

केवल 40 प्रतिशत श्रमिक उत्पादन में लगे हुए हैं जबकि 60 प्रतिशत श्रमिक प्रदर्शन और वितरण कार्य में लगे हुए हैं। विशेष रूप से जो श्रमिक सिनेमा हालों में लगे हुए हैं। (विशेष रूप से जो श्रमिक सिनेमा हालों में लगे हुए हैं) उनकी स्थिति दयनीय है। उन्हें पर्याप्त मजदूरी नहीं मिलती, उनकी नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं है और बुढ़ापे में उन्हें कंगालों की तरह रहना पड़ता है। इसलिए सरकार को प्रदर्शन और वितरण कार्य में लगे इन 60% श्रमिकों को भी सिने कर्मकारों में शामिल करना चाहिए। केवल यही नहीं सिनेमा उद्योग आजकल गहरे संकट में हैं। वीडियो पार्लर, टेलिविजन से प्रतिस्पर्धा और राज्य-सरकारों द्वारा लगाए गए उच्च करों ने उद्योग को संकट में डाल दिया है। यद्यपि उद्योग में कई सौ करोड़ रुपया लगा हुआ है परन्तु गरीब सिनेमा श्रमिकों को कोई लाभ नहीं मिलता। कुछ सिनेमा कलाकार करोड़पति हैं जो समाज में बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं परन्तु जहां तक श्रमिकों का संबंध है उनमें से अधिकतर असंगठित हैं सरकार उनके बारे में मूकदर्शक की भूमिका अदा कर रही है।

इसलिए मैं माननीय श्रम मंत्री से प्रस्तावित विधेयक के उपबंधों को कार्यान्वित करने का अनुरोध करूंगा क्योंकि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मामला उनके ऊपर टाल दिया है।

अन्त में, मैं माननीय मंत्री को यह ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस अधिनियम का पालन किया जाए, इसका उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : सभापति महोदय, सिने-वर्कर्स वैलफेयर फंड (अमेंडमेंट) बिल, 1987 का मैं समर्थन करता हूं।

माननीय मंत्री जी द्वारा सैक्शन 2 में किये गये अमेंडमेंट के सम्बन्ध में खासतौर से मुझे निवेदन करना है। आपको याद होगा कि पहले 1000 रुपये तक पाने वाले मजदूर के लिए आपने वैलफेयर फंड मुकर्रर किया था, चाहे वह वर्कर माइका का हो, कोल का हो, सैंड-स्टोन का

हो या डोलामाइट का हो। इस 1000 रुपये तक पाने वाले मजदूर की डैफिनिशन को वैलफेयर फंड के लिए आपने 1600 रुपये में तबदील किया। आपको ज्ञात होगा कि आपने जितने वैलफेयर फंड्स बनाये हैं, जितने आपके पब्लिक सैक्टर में काम करने वाले कर्मचारी हैं, उन सबकी वेजेज जिस तरह से इन 4, 5 सालों में बढ़ी हैं, उसमें यह 1600 रुपये की डैफिनिशन, उस मजदूर के लिए जिस पर आप वैलफेयर फंड लागू करेंगे, बहुत कम पड़ती है। अभी श्री यादव जी ने भी इस बात का जिक्र किया और मैं भी यही निवेदन करना चाहता हूं कि यह 1600 रु० आज के समय में उपयुक्त नहीं है, इसको बढ़ाया जाना चाहिए।

जैसे अभी बजट जब आया था, उसमें भी हमने बताया था कि इनकम टैक्स में छूट की लिमिट जो 18,000 है, उसके बजाय इसे 25,000 रुपये कर दिया जाये, लेकिन चूंकि लांग टर्म फिजकल पालिसी भारत सरकार ने एडाप्ट कर ली है, इसलिए सरकार उसमें कोई तरमीम नहीं करना चाहती, इसलिए इस सुझाव को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, वरना उन्होंने इस बात को निश्चित तरीके से माना है कि फोर्थ-पे-कमीशन की रिकमैंडेशन्ज से या दूसरे तरीकों से पब्लिक सैक्टर में जो वेजेज में बढ़ोत्तरी हुई है उससे यह 600 रुपये की डैफिनिशन या लिमिट, जिसके आधार पर मजदूर के लिए वैलफेयर फंड लागू होगा, वह थोड़ी पड़ती है। इस लिए मेरा निवेदन है कि आप इस पर पुनः विचार करें और इस सम्बन्ध में एक नया बिल लायें जिससे इसकी लिमिट 1600 रुपये के बजाय 2,000 रुपये हो सके। ताकि दो हजार पाने वाले जितने भी मजदूर हैं उन पर यह कानून लागू किया जा सके और वैलफेयर फंड के जो फायदे हैं वह इन लोगों को प्राप्त हो सके। इसलिए मेरा सबसे पहले यही निवेदन है कि आप इसको 1600 की बजाय 2000 कर दें। इससे निश्चित तरीके से मजदूरों को लाभ होगा और ज्यादा राहत मिलेगी।

इसी तरह आपने दूसरी तरफ राशि को बढ़ा कर पांच हजार से आठ हजार किया है। आपने लम्प-सम्प एमाऊंट आठ हजार रुपये रखा है इसके लिए मेरा सुझाव है आप इसको बढ़ा कर 10 हजार रुपये कर दें। इससे डेली वेजिस और रैगुलर काम करने वाले दोनों मजदूरों का ही फायदा होगा।

[अनुवाद]

"सिनेमा कर्मचारी के कल्याण की किसी स्कीम की सहायतार्थ जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है, कोई धन मन्जूर करना।"

[हिन्दी]

आपने इसमें बहुत ही वाइड स्कोप रखा है। अगर आप इसको थोड़ा और संशोधित कर दें तो ज्यादा अच्छा होगा।

[अनुवाद]

अब आपने इसमें निम्नलिखित संशोधन कर दिया है:

"मूल अधिनियम की उपधारा (1) के खण्ड (ग) में "कर्मकारों के कल्याण की" शब्दों के पश्चात "जिसके अन्तर्गत परिवार कल्याण परिवार नियोजन, शिक्षा और सेवाए भी हैं" शब्द अतः स्थापित दिए जाए।"

[हिन्दी]

आपने सिर्फ 3-4 बातों के लिए ही इस फंड को एलाट करके इस बिल को सीमित कर दिया है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें और भी बहुत सारी व्यवस्थायें होनी चाहिए जिससे इस फंड का उपयोग किया जा सके। वह व्यवस्थायें जैसे –मेडीकल फैसीलिटीज, ड्रिंकिंग वाटर की सुविधा, हाऊसिंग और अन्य प्रकार की जो प्राबलम्स हैं उनको उसमें शामिल करना चाहिए। मैं ऐसा समझता हूं कि उनका पहले जो स्कोप था वह काफी लम्बा-चौड़ा था। उसके द्वारा किसी भी योजना और प्रोजेक्ट के जरिये से इन मजदूरों को लाभ पहुंचाया जा सकता था। लेकिन अब इसमें केवल 2-3 चीजों को ही शामिल किया है। आपने इसमें खास तौर से फैमिली प्लैनिंग को शामिल किया है। फैमिली वैलफेयर डिपार्टमेंट अलग से बना हुआ है तो इसको इसमें शामिल करने की क्या आवश्यकता थी। मैं ऐसा समझता हूं कि इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। जब गवर्नमेंट आफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट के जरिए से इस व्यवस्था को संचालित करती है तो ऐसी हालत में वह व्यवस्थायें संकुचित हो जाएंगी और उनकी भलाई की एक्टीविटीज को सीमित कर दिया जायेगा। इस कारण इस व्यवस्था को पहले की तरह ही रखना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी सुझाव दिया है कि इसमें हाऊसिंग, पीने का पानी और मेडिकल सुविधाओं को जोड़ा जाये। इससे वर्कर्स को बहुत लाभ होगा।

क्लाज 4 सैक्शन 6 में आपने बोर्ड के मैम्बरों की संख्या 11 कर दी है और कहा है कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट निश्चित करेगी वैसी ही व्यवस्था होगी। मेरा सुझाव है कि आप इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को रखें जिससे सिने वर्कर्स को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। अगर बोर्ड में ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधि आयेंगे तो वह बोर्ड को उनके लाभ पहुंचाने के अधिक से अधिक सुझाव दे सकेंगे। इस प्रकार की व्यवस्था की बहुत अधिक आवश्यकता है।

अब तक इन कार्यों को सूचना और प्रसारण मंत्रालय चलाता था। लेकिन अब यह लेबर डिपार्टमेंट के सुपुर्द कर दिया गया है। मैं ऐसा समझता हूं कि लेबर डिपार्टमेंट इस व्यवस्था को ज्यादा अच्छी तरह से चला सकती है। इसमे पहले अब तक इन वर्कर्स के ऊपर एक कौड़ी भी खर्च नहीं की गई थी और उनको किसी प्रकार का लाभ नहीं मिला था। मगर आने वाले समय में मैं समझता हूं कि आप अच्छे तरीके से इस सेस को इकट्ठा कर के इन वर्कर्स की वैलफेयर ऐक्टिविटीज को ज्यादा से ज्यादा चलाएंगे ताकि इन की व्यवस्था ठीक तरीके से चल सके। यह व्यवस्था निश्चित तरीके से करने की आवश्यकता है।

एक सुझाव कई माननीय सदस्यों ने दिया और मैं भी उस के ऊपर जोर देना चाहता हूं, केवल प्रोडक्शन में काम करने वाले लोगों के ऊपर आप ने इस सेस को लागू किया। इस में जो डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंसी हैं या जो पिक्चर्स शो करने वाले, सिनेमा में काम करने वाले मजदूर हैं उनके ऊपर इस कानून को लागू नहीं किया जिस की वजह से उन लोगों को कोई लाभ नहीं मिलेगा और सब से ज्यादा खराब हालत उन लोगों की ही है। आप ने देखा होगा सिनेमा के अन्दर टेम्परेरी लोगों को रखा जाता है और वह भी पार्ट टाइम, दो दो घंटे, तीन तीन घंटे या चार चार घंटे के लिए रखा जाता है, फर्स्ट शो, सैकेंड शो मिला कर 6 घंटे का काम होता है तो 6 घंटे के लिए उनको नियुक्त किया जाता है। कहीं सौ रुपया, कहीं डेढ़ सौ रुपया, कहीं 2 सौ रुपया एलावेंस

दिया जाता है और उन की हालत बड़ी खस्ता है। तो इस प्रकार से इन लोगों को अगर इस परव्यू में लाया जाएगा और उन को भी उस प्रकार की फैसिलिटीज उपलब्ध करायी जाएंगी तो निश्चित तरीके से इन की जो बदतर हालत है उस में सुधार होगा। वे परमानेंट भी नहीं हैं और उन को पूरे वर्किंग अवर्स काम भी नहीं मिलता, इन को पूरी पे भी नहीं मिलती, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था उनके लिए नहीं है। इसलिए इस प्रकार के मजदूरों को इस में शामिल किया जाएगा तो निश्चित रूप से वे इससे लाभान्वित होंगे और काफी बड़ी तादाद में लोग इस से फायदा उठा सकेंगे। इसलिए इस तरीके की व्यवस्था करने की आवश्यकता है।

कुछ दिन पहले मैं ने एक सुझाव दिया था आप के यहां पर कई वेलफेयर फण्ड हैं जैसे माइका लेबर वेलफेयर फंड है, डोलोमाइट का है, सेंड स्टोन वेलफेयर फंड है लेकिन कुछ आइटम्स ऐसे हैं जिनके सम्बन्ध में अभी तक कोई वेलफेयर फंड नहीं है। मैंने दो तीन साल पहले सुझाव दिया था। तब भगवत झा आजाद यहां पर श्रम मंत्री थे, उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि सोप स्टोन के संबंध में लेबर वेलफेयर फण्ड स्थापित किया जाएगा। लेकिन इस के ऊपर अब तक किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई। तो मैं श्रम मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं इस में काम करने वाले जो मजदूर हैं उन को बहुत सारी तकलीफें हैं। जिस प्रकार से फैक्ट्री ऐक्ट का कानून आप लाए और उस में हैजर्डस टाइप के काम में लगे हुए लोगों के लिए आपने प्रावधान किया है वैसी ही व्यवस्था इसमें भी रखें। इस में काम करने वाले लोगों को टी०बी० हो जाती है, उनके फेफड़े खराब हो जाते हैं, कई प्रकार की बीमारियां उनको हो जाती हैं। उसके बाद भी उन के लिए न कोई इलाज की व्यवस्था है न अन्य फैसिलिटीज का कोई प्रावधान है। इसलिए ये सोप स्टोन के जो वर्कर्स हैं, इस देश में जितने भी सोप स्टोन में काम करने वाले लोग हैं ये अपने देश के लिए धन इकट्ठा करने वाले लोग हैं, यह सारा का सारा सोप स्टोन एक्सपोर्ट होता है और उस से फोरन एक्सचेंज आप पैदा करते हैं, इस से हमारे देश को बहुत बड़ा लाभ है, हिन्दुस्तान में खास तौर से मेरे जिले में इतना बढ़िया सोप स्टोन होता है जो दुनिया में सब से बेहतरीन क्वालिटी का माना जाता है, तो इस व्यवस्था को इसके अन्दर भी लागू किया जाय तो इस से इसमें काम करने वाले लोग भी लाभान्वित होंगे। आप जब जवाब देंगे तो मैं आशा करता हूं कि आप सोप स्टोन वेलफेयर फण्ड स्थापित करने के लिए निश्चित तरीके से आश्वासन देंगे और इन गरीब मजदूरों को राहत दिलाने की कोशिश करेंगे. इन्हीं शब्दों के साथ में इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर (बंगलौर दक्षिण) : सभापति महोदय, मैं इस संशोधी विधेयक का स्वागत करता हूं। मैंने सोचा कि जहां तक सिनेमा कर्मचारियों का संबंध है, युवा एवं उत्साही मंत्री एक व्यापक विधान के साथ आएंगे। मुझे अत्यन्त खेद है कि सिनेमा कर्मचारियों की परिभाषा अब भी वही है जो मूल अधिनियम में थी। अनेक माननीय सदस्य पहले ही अपनी राय व्यक्त कर चुके हैं। सिनेमा कर्मचारियों में उन सभी कर्मचारियों को शामिल करना चाहिए जो सिनेमा उद्योग में लगे हुए हैं। आपने केवल उनका उल्लेख किया है जो चलचित्र उत्पादन में लगे हुए है। लेकिन अपने उनको पूर्णतया छोड़ दिया है जो वितरण एवं प्रदर्शन कार्य में लगे हुए हैं। यह बहुत आवश्यक है। निस्संदेह, मजदूर संघों के लिए सामान्य कानून बने हुए हैं। सामान्य श्रम कल्याण उपाय भी हैं। लेकिन जब आप सिनेमा कर्मचारियों के कल्याण के लिए एक अलग

विधेयक लाये हैं तो आपको सिनेमा कर्मचारियों की परिभाषा में संशोधन करने के लिए भी सोचना चाहिए।

दुर्भाग्यवश, पिछले दो या तीन दिनों से मैं, यह जानने के लिए कि अभी तक आपने कितना खर्च किया इससे संबंधित आंकड़े प्राप्त करने के लिए, जोरदार प्रयास कर रहा हूं। क्या माननीय मंत्री अपने उत्तर में विस्तार से यह बताएंगे कि कितना खर्च किया जा चुका है? क्या यह अधिनियम लागू किया भी गया है? आपके कथनानुसार, इसे लागू नहीं किया गया। इस बात को लगभग छह वर्ष हो गए हैं जब अधिनियम का कानून बना था। अभी तक इसने समस्या को छुआ भी नहीं है।

मुझे याद आता है कि आपके द्वारा हाल ही मे दिये गये वक्तव्यों में से एक में आपने कहा था कि आप सिनेमा कर्मचारियों के लिए आवास योजना तैयार करने जा रहे हैं। आप छात्रवृत्ति देने जा रहे हैं। आपने यह भी कहा कि इसके लिए आप ऋण देंगे। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि इस राशि में से कितने मकानों का निर्माण किया गया? आपने कितनी छात्रवृत्तियां दीं। आपने कितनी सहायता देश के सिनेमा कर्मचारियों को दी? ये सब आंकड़े आवश्यक है। दुर्भाग्यवश मैं इन्हें पुस्तकालय से प्राप्त नहीं कर सका। एक अन्य विधेयक पर बोलते समय अनेक माननीय सदस्यों ने श्रम कल्याण अधिनियम को लागू करने के बारे में अपनी आशंका व्यक्त की थी। मैं याद करता हूं कि कर्नाटक राज्य में, स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरन्त बाद, एक मजदूर नेता थे, जो बाद में श्रम मंत्री बने। एक सत्र में उन्होंने लगभग 40 श्रम कानून पारित किये। प्रो० रंगा उन्हें जानते होंगे—श्री के० टी० भाष्यम् अय्यंगर—कर्नाटक में, जो उस समय मैसूर राज्य कहा जाता था, वह श्रम आन्दोलन के संस्थापक थे। एक सत्र में 40 कानून अधिनियम हुए। लेकिन, दुर्भाग्यवश, एक भी अधिनियम लागू नहीं किया गया क्यों कि बहुत जल्दी वे भी गुजर गये। तदुपरान्त, निस्संदेह हमने अखिल भारतीय अधिनियम प्राप्त किया। यह एक अलग कहानी है। हमें यह कहने में अत्यन्त खेद है कि इस अधिनियम का भी वैसा ही अन्त हो रहा है। यह मैं आपके मुख से देख सकता हूं। इसे उचितरूप से लागू नहीं किया जा रहा है।

इस मौके पर मैं एक या दो सुझाव देना चाहूंगा। परिभाषा के बारे में, मैं आश्वस्त हूं कि आप इस परिभाषा के विस्तार हेतु कदम उठा रहे हैं जिससे सभी कर्मचारियों का ध्यान रखा जा सके। लेकिन इन कर्मचारियों की पहचान आप कैसे करेंगे? आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं? क्या आपने अधिकारियों, कल्याण अधिकारी तथा ऐसे अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की है? यदि हां, तो इस क्षण इनमें से कितने हमारे देश में हैं? ये आंकड़े अत्यन्त आवश्यक हैं। यह संकेत भी अत्यन्त आवश्यक है।

निस्संदेह, एक अलग उपकर है। सामान्य मनुष्य सरकार—राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के कोष में बहुत अंशदान करता है। आठ रुपये वाले टिकट में लगभग पांच रुपए मनोरंजन कर में चले जाते हैं। यह लगभग सभी राज्यों में है। कुछ राज्यों मे यह अधिक है। बिक्री कर तथा अन्य कर भी हैं। यह सारा धन सरकार द्वारा लिया जायेगा। इसके अतिरिक्त यहां एक विशेष उपकर है। इसका किसी भी कर्मचारी को क्या मिलता है? यह नगण्य है। मुझे यह कहना चाहिए कि यह कल्याण राशि कवल एक भ्रान्ति ही है। यह किसी कर्मचारी को सहायता बिल्कुल

नहीं पहुंचा रही है इससे भी अधिक मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या कोई विधान बनाते समय इस कल्याण राशि को ध्यान रखा जाता है। आपकी परिभाषा के अनुसार सिनेमा कर्मचारी "केवल वह व्यक्ति है जो उत्पादन कार्य में संलग्न है।" यह परिभाषा है जो आपके द्वारा दी गई है। व्यक्ति की सुरक्षा के बारे में क्या है ? अनेक सिनेमा कर्मचारी एक स्थान से दूसरा स्थान बदलते रहते हैं। महाराष्ट्र में क्या घटित हुआ जब महाराष्ट्र सरकार द्वारा कर लगाने के कारण सभी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल की गई थी ? सिनेमा कर्मचारी अत्यधिक पीड़ित हुए ' उनके भूखे मरने की नौबत आ सकती थी। लेकिन अन्ततोगत्वा कुछ समझौता किया गया। सौभाग्यवश किसी ने हस्तक्षेप किया और कुछ कार्य किया गया। सिनेमा कर्मचारियों के लिए चाहे वे उत्पादन में या प्रदर्शन में या वितरण कार्य में लगे हों, कोई सुरक्षा नहीं है। मजदूर सघों के लिए सामान्य कानून हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सिनेमा कर्मचारियों को सुरक्षा की गारण्टी दी गई है, आपको उनकी विशेष चिन्ता करनी चाहिए।

आप अपना जाल भी काफी फैला चुके हैं। आपको इस राशि में से परिवार कल्याण कार्य तथा शिक्षा के लिए अधिक देना चाहते हैं। इसका मैं स्वागत करता हूं। लेकिन इन कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि की व्यवस्था नहीं की गई। क्या मैं सही हूं ? उनके पास भविष्य-निधि बिल्कुल नहीं है।

सिनेमा थियेटरों में लगे कर्मचारियों को छोड़कर शेष लोगों के लिए भविष्य-निधि की सुविधा बिल्कुल नहीं है। अतः महोदय, मूल अधिनियम पर संशोधी विधेयक का समर्थन करते समय मुझे यह कहना है कि यह एक अच्छा विधान है और मैं इसका स्वागत करता हूं क्योंकि रुपए की कीमत कम हो चुकी है। लेकिन, इसके साथ-साथ, मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह सुनिश्चित करे कि कल्याण का अर्थ व्यापक कल्याण हो। यह प्रतीकात्मक कल्याण नहीं होना चाहिए। यदि आप इसको संरक्षित करना चाहते हैं तो मैं माननीय मंत्री स वृहद विधेयक के साथ आगे आने तथा यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करूंगा कि सिनेमा कर्मचारियों की भली भांति देख-रेख की जाए, इन शब्दों के साथ मैं विधेयक की सराहना करता हू।

[हिन्दी]

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : सभापति महोदय, मुझे दो-तीन बातें कहनी हैं। माननीय मंत्री जी द्वारा जो बिल प्रस्तुत किया गया है, उसमें सिनेमा वर्कर्स के वैलफेयर के बारे में चर्चा की गई। सिनेमा का संसार एक बहुत ही जगमगाता संसार है। वह दुनिया एक बड़ी रंगीन दुनिया है और हर आदमी उस दुनिया में जाना चाहता है, लेकिन वहां की रंगीनी केवल एक-दो प्रतिशत लोगों के लिए है, बाकी लोगों के लिए वहां घोर निराशा है। पूरे देश से हजारों-लाखों की संख्या में नौजवान बम्बई की तरफ भागते हैं, यह सोचकर कि वे भी एक दिन उस रंगीनी का एक अंग बन जायेंगे। लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं लगता है और वे एक्स्ट्रा बनकर रह जाते हैं। कभी-कभी तो उनको महीनों-बरसों इन्तजार करने के बाद भी एक्स्ट्रा नहीं बन पाते हैं।

सिनेमा के बारे में जिनको थोड़ी बहुत खबर है, वे जानते हैं कि वह दुनिया कैज्युअल वर्कर्स के बल पर चलती है और वहां तो परमानेंट नाम की कोई चीज ही नहीं है। मैंने कई देश के प्रसिद्ध

प्रोड्यूसरों से बात की है, एक्टरों से बात की है, डायरेक्टरों से बात की है, वे आपस में चाहे जितना भी झगड़ें, वे चाहे करोड़ों रुपए कमावें, लेकिन वे एक बात हमेशा कहेंगे कि हम तो लुट गये, हम बर्बाद हो गये। हमारे पास तो कुछ पैसा नहीं है। एक बात तो वे हमेशा कहेंगे कि हम परमानेंट किसी को कैसे रख सकते हैं। क्योंकि हमारी फिल्म चलेगी, या नहीं चलेगी, हमें पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह कौन कह सकता है। हमने सारा पैसा उधार लेकर लगाया हुआ है, इसलिए हम किसी का परमानेंट हैडेक क्यों मोल लें। वे इतनी खूबसूरती से कन्विंस कर देंगे कि आपके पास कोई जवाब नहीं रह जायेगा। मैंने इस देश के बहुत बड़े-बड़े प्रोड्यूसरों से बात की है, उन्होंने कहा कि मामूली-मामूली इन्डस्ट्री लगाने के लिए बैंक लोन देता है, आप पार्लियामेंट में है सरकार को बाध्य कीजिये कि हमारी इन्डस्ट्री में भी लोन दे, जिससे हम फिल्म बना सकें, उससे जब इनकम होगी तो फिर हम सरकार को पैसा वापिस कर देंगे कि वह पैसा सरकार को कभी भी वापिस नहीं होगा। मैं सभी लोगों की बात नहीं करता हूं, ज्यादातर लोगों का वापिस नहीं होगा। सिनेमा की दुनिया बहुत अन्धकारमय दुनिया है। उसमें जितने भी नौजवान और नवयुवतियां जाती हैं, उनमें अधिकतर लोगों का भविष्य अन्धकारमय होता है।

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : अभी आप कह रहे थे कि चमकदार दुनिया है।

डा० गौरी शंकर राजहंस : लोगों को लगता है। बिहार के लोग भी बहुत हैं और आपकी पार्टी के लोग भी गये हैं।

मान्यवर, मैं आपको बताऊंगा कि सिनेमा जगत में पार्ट टाईम वर्कर हैं, केजुअल वर्कर हैं, ऐसा वर्कर है जिसको डबल कहते हैं — वह डबल क्या होता है, उसके लिए मैं आपको उदाहरण देकर बताऊंगा। अगर धर्मेन्द्र को कोई रोल करना है, किसी दूसरी मंजिल से कूदना है तो धर्मेन्द्र दूसरी मंजिल से नहीं कूदेगा, दूसरी मंजिल से डबल कूदेगा। अगर वह डबल जख्मी हो गया तो उसका कोई इंस्योरेंस नहीं है, उसके लिए कोई कम्पेनसेशन नहीं है। वह अस्पताल में अपने दिन बितायेगा। वह मरेगा या बचेगा, इसका किसी को पता नहीं चलेगा। शर्म से यह अपने घर भी खबर नहीं करवायेगा कि वह दूसरी मंजिल से कूद गया था और अब मैं अस्पताल में हूं। ऐसे लोगों की वेलफेयर के लिए पूरे सिनेमा जगत में कहीं कोई प्रोविजन नहीं है। हम पार्लियामेंट में लड़ते हैं, आवाज़ भी उठाते है लेकिन ऐसे लोगों को कोई नहीं देखता।

मैं एक बात और कहूंगा। पूरा सिनेमा जगत फीचर फिल्म पर निर्भर है और फीचर फिल्म कंसीव करती है राईटर पर। उस सिनेमा जगत् में राईटर का कहीं कोई रोल नहीं है, कहीं कोई सिक्योरिटी नहीं है। कहीं कोई उसकी आवाज उठाने वाला नहीं है। कहीं कोई नहीं समझता है कि उसने दिन-रात मेहनत करके एक सिनेमा की कहानी लिखी होगी, स्क्रिप्ट तैयार किया होगा।

मैं एक बहुत दिलचस्प घटना आपको बताता हूं। श्रीमन्, मैंने दो साल पहले एक नोवल लिखा था। इस देश के बड़े पापुलर वीकलीज़ में भी वह प्रकाशित हुआ था। बम्बई से एक प्रोड्यूसर मेरे पास आये। उन्होंने कहा कि मुझे यह नोवल दे दीजिये, इस पर मैं एक फिल्म बनाऊंगा। मुझे बड़ी खुशी हुई। वे सारी बात कर गये लेकिन उन्होंने यह बात नहीं बताई कि वे कितना पैसा देंगे। एग्रीमेंट भी बन गया और उन्होंने मुझसे यह भी लिखने को कहा कि वे उसमें थोड़ा-बहुत चेंज कर सकते हैं। मैंने वह भी लिख दिया। अन्त में मुझे पांच हजार रुपये का चेक पकड़ा दिया।

मैंने उनसे कहा कि सिनेमा और पांच हजार रुपये का मुझे चैक दे रहे हैं मैंने तो सुना हैं कि वहां तो राईटर को बहुत बड़ा अमाऊंट मिलता है। उन्होंने कहा कि आप इसे चुपचाप रख लीजिए और दस्तख्त कर दीजिए, नहीं तो यह पांच हजार रुपया भी आपको नहीं मिलेगा। मैंने कहा—"वह कैसे ?" उन्होंने कहा—"सिनेमा में बहुत तरीके हैं, आप नहीं जानते।" मैंने पूछा—"क्या ?" श्रीमन् आप सुन कर हैरान होंगे, उन्होंने कहा—"आपने अपनी हीरोईन का नाम सलमा रखा है, हम रेहाना रख देंगे, आपने कश्मीर के हाऊस बोट मे रोमांस का सीन दिखाया है, हम कश्मीर के किसी होटल में रोमांस का सीन दिखा देंगे, आपने एक किसी तरीके से किया है, हम किसी दूसरे तरीके से कर देंगे और आप इस सबके लिए हम पर मुकद्दमा भी नहीं कर सकते।" मैंने कहा—"कमाल की बात है।" उन्होंने कहा—"बम्बई की दुनिया में यही होता है।"

श्रीमन् इस तरह से किसी भी स्क्रिप्ट राईटर, स्टोरी राईटर को कभी ठीक प पैसा नहीं मिलता है। अच्छे से अच्छे राईटर को दो, चार, पांच हजार में अपनी स्टोरी बेच देनी पड़ती है। जिस स्टोरी के बल पर फिल्म बनती है, उस स्टोरी को जिस राईटर ने कसीव किया होता है, विजुरलाईज किया होता है, उसका वहां कोई रोल नहीं है, उसके लिए वहां कोई आंसू बहाने वाला नहीं होता। कहीं-कहीं पर तो उन लोगों को घोस्ट राइटिंग करनी पड़ती है। घोस्ट राइटिंग का मतलब है कि मान लीजिए, कोई बहुत बड़ा डायरेक्टर, राईटर है और उसका नाम प्रेम कुमार है। एक घास्ट राईटर को कहा जायेगा, एक अच्छे कहानीकार को कहा जायेगा कि तुम यह कहानी लिखो और उसके लिए उसको दो हजार रुपये पकड़ा दिये जायेंगे। उस स्टोरी के राईटर मे उस घोस्ट राईटर का कहीं नाम नहीं जायेगा, उसे कोई नहीं जानेगा। सब लोग प्रेम कुमार की जय-जयकार करेंगे।

श्रीमन् सिनेमा इन्डस्ट्री में ऐसी-ऐसी बातें हो रही हैं जिनके बारे कहीं किसी को कोई खबर नहीं है। मैं चाहता हूं कि सिनेमा इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों के बारे में एक कम्प्रीहेंसिव बिल लाया जाए। चाहे तो पूरी इन्क्वायरी करके कि वहां पर किस तरह से आम लोगों का एक्सप्लाएटेशन होता है, उसको ध्यान में रखकर एक कम्प्रीहेंसिव बिल लावें।

3.00 म० प०

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आज सिनेमा वर्कर्स एक नये ट्रेंड की तरफ जा रहे हैं और वह है टेलीविजन फिल्मस का, वीडियो फिल्मस का, इनमें काफी तादाद में सिनेमा वर्कर्स एगेज किए जा रहे हैं और आप कोई लेजिसलेशन बना रहे हैं तो इन टी वी आर्टिस्ट्स, वीडियो फिल्म वर्कर्स की तरफ आपका ध्यान नहीं है। एक्टर, एक्ट्रेस सीरियल फिल्मस में जा रहे हैं जो टी वी में प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इसमें ऐसा कोई अमेंडमेंट लाए जिसमें सिनेमा वर्कर्स के साथ-साथ वीडियो और टेलीविजन में काम करने वाले वर्कर्स का भी खयाल किया जाये।

एक बात और कहूंगा, आपने सेलरी स्लेब्स बढ़ाकर 1600 रुपए की लिमिट की है। आज के जमाने में किसी को परमानेंटली रखा जाए तो 1600 रुपए में बम्बई जैसी जगह में क्या होता है, जबकि दिल्ली में दफ्तर के चपरासी भी ढाई-तीन हजार ले रहे हैं। किसी को लम्पसम्प 5-8 हजार मिल गया तो उससे भी क्या होता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इसको रियलिस्टिक

बनाने के लिए लम्पसम्प 20000 रुपया किया जाए, मिनिमम 20000 रुपया किया जाए और सेलरी लिमिट 2500 की जाए। जब तक आप इतना नहीं करेंगे तब तक लोगों को सही अर्थों में फायदा नही होगा।

एक बात और है कि जो पुराने एक्टर और एक्ट्रेस होते हैं जिन्होंने अपने समय में बड़ी रौनकें देखी हैं, लेकिन इस इण्डस्ट्री का यह दुर्भाग्य है कि यदि किसी की 2-4 फिल्में पिट जायें या एक्टर पुराना हो जाए तो उसको कोई नहीं पूछता। उनके रीहैब्लीटेशन के लिए, एक सभ्य सुसंस्कृत जीवन बिताने के लिए, उनको पेंशन देने के लिए एक वेलफेयर फंड होना चाहिए।

अन्त में एक बात और कहना चाहता हूं कि यह कोशिश भी होनी चाहिए कि सिनेमा वर्कर्स की कोआपरेटिव बने, जिसमे राइटर्स भी हों, स्क्रिप्ट राइटर्स भी हों, आर्टिस्ट्स भी हों, नए आर्टिस्ट्स भी हों और दूसरे वर्कर्स भी हों और इन को-आपरेटिव्स को सरकार फाइनांस करे। सरकार अभी फाइनांस करती है, स्माल फिल्म कारपोरेशन है, लेकिन इस तरह के कोआपरेटिव्स को सरकार फाइनांस करे, सरकार उसकी फिजिबिलिटी का अध्ययन करा ले एक्सपर्टस से कि फिल्म चल सकती है या नहीं चल सकती है और उसमें काम करने वाले वर्कर्स को हर तरह की सुरक्षा दे, इंश्योरेंस कराए. मेरे कहने का सारा सारांश यह है कि जितना बड़ा एक्सप्लाइटेशन आज की तारीख में सिनेमा के बनाने में हो रहा है, वीडियो फिल्म बनाने में हो रहा है, इतना बड़ा एक्सप्लाइटेशन बहुत कम जगह हो रहा है।

हम समाजवाद की चर्चा करते हैं, लेकिन इस इण्डस्ट्री में 2-4-5 प्रतिशत लोग बहुत फल-फूल रहे हैं, बाकी लोग भगवान भरोसे हैं। बबई में स्लम्स में सिनेमा वर्कर्स की हालत देखिये तो आपकी आंखों से आंसू आ जायेंगे। मैं संक्षेप से यही चाहता हू कि सिनेमा की दुनिया में सही मायनों में समाजवाद आए।

अन्त में मैं अपने साथियों की बातों का समर्थन करते हुए हमारे प्रिय सिने कलाकार श्री सुनील दत्त को बधाई देना चाहता हू कि वे बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, मेरी शुभकामना है कि उनका मिशन सफल हो।

[अनुवाद]

*श्री ए०सी० षटमुख (वेल्लोर) : माननीय सभापति महोदय, मैं सिने-कर्मचारी कल्याण (संशोधन) विधेयक, 1987 के समर्थन मे खड़ा होता हूं। अधिनियम में छः वर्षों के बाद संशोधन किया जा रहा है और मेरी राय में इसमें यह कुछ अधिक संशोधन करने की आवश्यकता है।

मैं यहां अनेक माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त इन विचार का समर्थन करता हूं कि यह अधिनियम सिनेमा व्यवसाय में लगे सभी वर्गों के कर्मचारियों के सम्बन्ध में लागू होना चाहिए। कथा-लेखक, गीतकार, संगीत निदेशक और सिने-कला के अन्य सहकर्मी भी इस अधिनियम में शामिल किये जाने चाहिए। लाखों लोग इस व्यवसाय में कार्यरत है पर वे ही सबसे अधिक असंगठित हैं। अनेक दैनिक मजदूरी पर कार्य करते हैं। उनकी नौकरियां स्थायी की जानी चाहिए और उनके वेतन में सुधार किया जाना चाहिए। उनको नौकरी की सुरक्षा मिलनी चाहिए। मैं, इस संकट के समय माननीय मंत्री से इस अधिनियम के अधीन लाभान्वित की संख्या एवं लाभ की मात्रा के बारे में सांख्यिकी विवरण के साथ आगे आने का अनुरोध करता हूं। उन्हें

* मूलतः तमिल मे दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

कृपया यह भी सुनिश्चित करें कि सिनेमा व्यवसाय में लगे सभी वर्गों के कर्मचारियों पर इस अधिनियम के उपबन्धों को लागू किया जाये।

मैं एक बात समझने में अत्यन्त परेशान हूं। यह अधिनियम सिने-कर्मचारियों के मासिक वेतन की सीमा 1000 रुपये से 1600 रुपये तक बढ़ाता है। अनेक माननीय सदस्यों ने यह भी इच्छा व्यक्त की कि इसे 2000 रुपये तक बढ़ाया जाये। तथापि, अनेक सिने-कर्मचारियों के पास कुछ महीनों का कार्य होता है और काफी समय के लिए वे बिना कार्य के रहते हैं। अनेकों के पास कई महीनों तक कुछ भी कार्य नहीं होता। कैमरामेन और अन्य कर्मचारियों के पास नियमित रोजगार नहीं होता है। इन परिस्थितियों में, इस अधिनियम के अधीन सिने-कर्मचारियों को शामिल करने के मानदण्ड के रूप में मुआवजे की राशि निश्चित करने के औचित्य को समझाने में मैं असमर्थ हूं। मैं सरकार को सुझाव दूंगा कि पारिश्रमिक सीमा की परवाह किये बिना सिनेमा में कार्य करने वाले सभी श्रेणियों के व्यक्तियों को शामिल किया जाये।

अधिनियम के तहत केन्द्रीय सलाहकार समिति के सदस्यों की संख्या पर लगाई गई सीमा को हटाने का प्रावधान भी विधेयक में है। अधिनियम के अनुसार इसमें 11 सदस्य थे अब विधेयक में प्रावधान है कि जितने आवश्यक हो उतने सदस्य इसमें रखे जा सकते हैं। माननीय मंत्री जी क्या अपने उत्तर में बतायेंगे कि क्या केन्द्रीय सलाहकार समिति में सदस्य की संख्या पर पाबंदी लगाने आवश्यक है, यह संख्या 21 या 31 भी हो सकती है उन्हें सही संख्या बतानी चाहिये। किसी भी मामले में सरकार के प्रतिनिधियों की वर्तमान तीन की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिये ताकि केन्द्रीय सलाहकार समिति में सिनेमा में कार्य करने वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ जाये जोकि बिना किसी संकट अथवा डर के अपने विचारों को प्रकट कर सकें।

मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि सिनेमा में काम करने वाले व्यक्तियों के लिये बीमा योजना शुरू करे। बहुत से फिल्मी अभिनेता एवं अभिनेत्रियां जोकि पर्दे पर अपने जमाने में सबसे ऊंचाई पर रहे परन्तु जीवन के अन्तिम दिन गरीबी में निकाले। इस तरह की समस्याओं से जूझने के लिये बीमा योजना अवश्य ही होनी चाहिये। माननीय मंत्री जी को इस ओर ध्यान देना चाहिये। यहां तक कि सिने-कारगर जैसे कि स्टूडियो तथा थियेटर में काम करने वाले कर्मचारी अभिनेता तथा अभिनेत्रियां, साइड-अभिनेता, अभिनेत्रियां जोकि 200 रुपये तथा 500 रुपये के माहवारी वेतन पर कार्य करते है उन्हें भी इस बीमा योजना में शामिल किया जाना चाहिए।

महोदय, गद्य-पद्य और नाटक मानवीय सांस्कृतिक जीवन के तीन रत्न है। मैं मंत्री महोदय का ध्यान बहुत से नाट्य अभिनेताओं और अन्य नाटक कर्मियों की दयनीय अवस्था की ओर दिलाता हूं। मंत्री महोदय को उनके हितों की रक्षा करने के लिए उपयुक्त कदम उठाने चाहिए। बहुत से नाट्य अभिनेताओं और कर्मियों को जीवन के अन्तिम पड़ाव में कष्टमय जीवन बीताना पड़ता है, उनकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। मेरे से पहले के वक्ता ने रंगशाला के कर्मियों के कष्टों का ठीक ही उल्लेख किया था कि प्रातः नौ बजे से लेकर रात के दो बजे तक उन्हें काम करना पड़ता है और कभी-कभी उन्हें निरन्तर तीन पारियों में काम करना पड़ता है। उनकी नौकरी भी सुरक्षित नहीं होती है। उन्हें निश्चित पारिश्रमिक भी नहीं मिलता है तथा उन्हें दैनिक वेतन दिया जाता है। मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाता हूं कि बहुत से रंगशाला स्वामी लोगों को काम पर लगाते है और मामूली से पारिश्रमिक पर उनसे काम लेते

हैं। तथा उन्हें सदैव ध्याहड़ी श्रमिक बना कर रखते हैं। ये रंगशाला-स्वामी गरीब सिनेमा-कर्मचारियों का शोषण करने के लिए विद्यमान विधि की खामियों का फायदा उठाते हैं। मंत्री महोदय को इस कमी को दूर करने के लिए कदम उठाने चाहिए तथा उन्हें उनके कष्टों पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

जैसा कि हमारे माननीय सदस्य श्री व्यास जी ने कहा है, बहुत से स्टंट (मारधाड़) अभिनेता दुर्घटनाओं का शिकार होते रहते हैं। वे अपने शरीर के अंग तुड़वा और सिर फुड़वा बैठते हैं। कभी-कभी वे कैमरे के सामने अभिनय करते हुए मर जाते हैं। हाल ही में तमिलनाडु में साठ सिनेमा-कर्मचारी अपने जीवन से हाथ धो बैठे जबकि वह बस जिसमें वे यात्रा कर रहे थे पहाड़ी से उतरते समय खड्ड में गिर पड़ी। उनका जीवन जोखिमों एवं खतरों से भरा होता है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से ऐसी योजना तैयार करने के लिए कदम उठाने का निवेदन करता हूं जिससे कि जो सिनेमा कर्मचारी अभिनय के दौरान मर जाते हैं उनकी समुचित क्षतिपूर्ति की जा सके।

इसी प्रकार बहुत से स्टुडियो और रंगशालाएं रविवार को भी अवकाश प्रदान नहीं करती हैं। मुझे यह देखकर बड़ा दुःख होता है कि इन कठोर परिश्रम श्रमिकों को साप्ताहिक अवकाश प्रदान नहीं किया जाता है। इस सम्बन्ध में कुछ कठोर संविधिक प्रावधान किए जाने चाहिए।

एक माननीय सदस्य ने यह विचार व्यक्त किया कि सिनेमा-कर्मचारियों को उनके व्यवसाय हेतु बैंकों द्वारा ऋण दिया जाना चाहिए। मैं उनसे सहमत नहीं हूं और उनसे इसलिए असहमत हूं क्योंकि सिनेमा व्यवसाय सभी प्रकार की अनिश्चितताओं से भरा पड़ा है और इस प्रकार बैंकों को इस प्रकार के खतरे उठाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

मैं मन्त्री महोदय का ध्यान सेंसर बोर्ड के अधिकारियों की ओर दिलाता हूं और यह प्रश्न पूछता हूं कि क्या सेंसर एक ऐसी फिल्म को पास करेगा जिसमें सेंसर अधिकारियों को एक अशोभनीय ढंग से चित्रित किया गया हो और वह फिल्म पर्दे पर दिखाई जानी हो ? क्या वे ऐसी फिल्म की अनुमति देंगे जिसमें एक सेंसर अधिकारी को रिश्वत लेते दिखाया गया हो या अवैध सम्बन्धों में लिप्त पाया गया हो और वह फिल्म भी पर्दे पर दिखाई जानी हो ? वे इस की अनुमति नहीं देंगे और बिल्कुल नहीं देंगे। फिर भी ऐसी फिल्मों को बिना सेंसर किए पास कर दिया जाता है जिनमें किसी विधायक या संसद सदस्य को बहुत हल्के या अशोभनीय ढंग से प्रस्तुत किया गया हो या उन्हें निन्दनीय रूप में चित्रित किया गया हो अथवा उन्हें शराबी और बहुत सी सामाजिक बुराइयों का आदी दिखाया गया हो। ऐसी बहुत सी फिल्में खुलेआम पर्दे पर दिखाई जाती है मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वह सेंसर बोर्ड को ऐसे उचित निर्देश जारी करे कि ऐसी फिल्मों को पर्दे पर जाने की अनुमति न दी जाए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : सभापति महोदय, मैं सिनेमा कर्मी कल्याण कोष (संशोधन) विधेयक, 1987 का समर्थन करता हूं। यह एक और अन्य ऐसा विधान है जिसका कि स्वागत है और यह इस बात का भी परिचय देता है कि हमारे युवा श्रम मंत्री महोदय सभी क्षेत्रों तथा श्रेणियों के श्रमिकों जिनमें सिनेमा श्रमिक भी शामिल हैं के कल्याण में गहरी तथा सक्रिय रुचि ले रहे हैं। सभी चमकीली वस्तुएं सोना नहीं होतीं। यद्यपि फिल्म उद्योग बाहरी

दुनिया के लिए तड़क-भड़क की दुनिया है और जनसाधारण में इसके बारे में गलत-फहमियां है, यह स्पष्ट है कि वहां सब कुछ ठीकठाक नहीं है। फिल्म उद्योग के अन्दर हर बात और उद्योग में काम करने वाले सभी कर्मियों और कलाकारों का भाग्य अच्छा नहीं होता। यह सन्तोषजनक कतई नहीं है, जो कि सिनेमा कर्मियों को मिलने वाले कम वेतन या निम्न आय से बिल्कुल साफ और स्पष्ट है। पहले यह एक हजार रु० थी और अब इसे बढ़ाकर 1600 रु० किया जा रहा है। निःसन्देह यह परिभाषा के प्रयोजनार्थ है और इस विधेयक में कतई कोई विरोधाभास नहीं है। यह तो एक बहुत ही छोटा विधेयक है इसमें केवल तीन खंड हैं। और सब कुछ सामान्य स्वरूप का भी है जिसका उद्देश्य दोहरे अर्थों को दूर करना है। इसमें दोहरे अर्थों से क्या तात्पर्य है ? उसी वर्ष में अर्थात 1981 में दो विधेयक लाए गए थे, दो अधिनियम पास किए गए, अर्थात सिनेमा कर्मी कल्याण कोष अधिनियम, 1981 और सिनेमा कर्मी तथा सिनेमा रंगशाला कर्मी (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1981 उस एक ही साल 1981 में एक ही समय में दो अधिनियम लागू किए गए थे, परन्तु विशेषता यह है कि इनमें सिनेमा कर्मियों की परिभाषा भिन्न है, एक सी नहीं है, जबकि वर्तमान अधिनियम में जिसे हम संशोधित कर रहे हैं में यह एक हजार रु० थी और अन्य अधिनियम में 1600 रु० थी यह मासिक मजदूरी के सम्बन्ध में है, अन्य वर्ग में अर्थात एक मुश्त में जिसे सिनेमा कर्मी कम से कम पांच फीचर फिल्मों में भाग लेकर या कार्य करके प्राप्त करता है वह पांच हजार रु० था और अब उसे बढ़ाकर 8000 रु० किया जा रहा है। अतः, यह दोहरे मानदण्डों को हटाने के लिए है। दूसरा प्रावधान यह प्रदान करने के लिए है कि कल्याण कोष परिवार कल्याण योजनायें पर लागू किया जा सकता है। तीसरा केन्द्रीय सलाहकार समिति से सम्बन्धित है. अर्थात समिति के सदस्यों की संख्या से, इसमें यह प्रावधान है इस बारे में कोई संख्या निर्धारित नहीं की जानी चाहिए जैसा कि यह पहले ग्यारह थी। यह इस अधिनियम को अन्य इसी प्रकार के अधिनियमों के समान बनाने के लिए किया गया है। इसका स्वागत है।

अन्य माननीय सदस्यों ने विभिन्न मुद्दे उठाए हैं। मैं और कुछ नहीं कहना चाहता और कहने के लिए कुछ है भी नहीं, लेकिन मैं एक बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि 1981 में यह 1000 रु० था जिसे अब बढ़ाकर 1600 किया जा रहा है। छः वर्ष बीत चुके हैं और इन्हीं छः वर्षों के दौरान तब से सरकारी कर्मचारियों और गैर-सरकारी कर्मचारियों तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों की मजदूरी और वेतन सशोधित करके बढ़ाए गए हैं। किसी संगठन में काम करने वाला कोई चतुर्थ श्रेणी का कामगार, उदाहरण स्वरूप कोल इण्डिया का एक लोडर (माल भरने वाला) 2000 रुप प्रति माह वेतन पाता है, इसी प्रकार आयल इंडिया का भारतीय तेल निगम या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम का एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 2000 रु० प्रति माह पाता है। और यहां हम क्या कर रहे हैं ? सिनेमा कर्मियों का कार्यकलाप या कार्य करने का क्षेत्र आम तौर पर बम्बई, कलकत्ता, मद्रास जैसे महानगरों में होता है जहां जीवन यापन बहुत मंहगा होता है और मकान की समस्या तो इन सभी स्थानों पर बड़ी ही विकट है। स्वाभाविक है कि इस बारे में कुछ किया जाना चाहिए, उनकी मजदूरी या आय बढ़ाने के लिए कुछ किया जाना चाहिए उन्हें जो कम आमदनी होती है उससे उनका गुजारा नहीं होता। जैसा कि आप जानते हैं सिनेमा हमारे समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हमारा समाज बदल रहा है, देश बदल

रहा है, दुनियां बदल रही है और हम इस दुनियां और समाज को अच्छे के लिए बदलना चाहते हैं न कि बुरे के लिए। इन परिवर्तनों को प्रभावित करने और हमारे समाज को स्वरूप प्रदान करने में सिनेमा उद्योग की एक भूमिका है, विशेषतया हमारे युवकों को ढालने में इसका बहुत भारी प्रभाव है।

अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में इसका अपना योगदान है। हमारे देश में लगभग 12000 और इससे अधिक सिनेमा घर हैं। फिल्म उद्योग मनोरंजन करके रूप में राजकोष में लगभग पांच सौ करोड़ रु० वार्षिक का योगदान देता है। गत वर्ष 833 फीचर फिल्में बनाई गई थीं। इस उद्योग में लगभग 25 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है।

इस क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों का जहां तक सम्बन्ध है उनकी तीन श्रेणियां है—जो कि उत्पादन, वितरण और प्रदर्शन में सलग्न हैं। प्राथमिक रूप से यह विधेयक उत्पादन कर्मचारियों से सम्बद्ध है—वे कर्मचारी जो कि फिल्म उत्पादन और निर्माण से सम्बद्ध, जुड़े हुए हैं और उसमें हाथ बटाते हैं। मैं अन्य माननीय सदस्यों के उन सुझावों से सहमत हूं कि इसे स्वाभाविक रूप से प्रदर्शन और वितरण कर्मचारियों की अन्य दो श्रेणियों पर भी लागू किया जाना चाहिए।

दो तरह के सिनेमा होते हैं। कुछ तो बहुत अच्छी फिल्में और शैक्षिक फिल्में होती हैं जिनका हमारे युवकों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। परन्तु कुल मिलाकर ऐसी फिल्में होती हैं, जिन्हें परिवार के सदस्य एक साथ मिलकर न तो देख सकते हैं और न ही उनका आनन्द उठा सकते हैं। क्या फिल्मों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? हमारे कुछ मित्र कुछ प्रकार की सहकारिताओं की वकालत कर रहे थे जिन्हें ऋण आदि की वित्तिय सहायता देकर प्रोत्साहित किया जाए और इस बात से मैं सहमत हूं परन्तु किस प्रकार की फिल्मों के लिए होना चाहिए? यह केवल अच्छी फिल्में बनाने के लिए शैक्षिक फिल्में तैयार करने के लिए होना चाहिए जो कि मनोरंजक फिल्में हो।

कुछ भी हो, सिनेमा आज हमारे देश में मनोरंजन का मुख्य साधन है और यह गुणात्मक सुधार की मांग करता है। न केवल गुणात्मक विकास अपितु गुणात्मक सुधार भी मांग करता है। स्वाभाविक है कि यहां यह कहना गलत न हो कि उद्योग में उत्पादकता, फिल्म उद्योग सहित, बढ़ती है, यदि कर्मचारियों पर ठीक से ध्यान दिया जाए तो।

फिल्म उद्योग में अनिश्चितता और असुरक्षा का वातावरण है। जितनी अधिक अनिश्चितता और असुरक्षा होगी उतनी ही बीमा आदि जैसे विभिन्न सुरक्षा उपाय करने की अधिक आवश्यकता पड़ेगी। जैसा कि हम जानते हैं इस प्रयोजनार्थ केवल बाईस लाख रु० की मामूली सी धनराशि एकत्र की गई है। इस क्षेत्र में काम करने वाले कर्मियों की बड़ी संख्या पर विचार करते हुए इसे और अधिक होना चाहिए।

मुझे केवल तीन सुझाव देने हैं: मूल्य सूचकांक और अन्य सभी बातों पर विचार करते हुए इस तथ्य पर विचार करते हुए कि यह कोल इंडिया, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम आदि जैसे अन्य संगठनों में कार्यरत समकर्मियों के बराबर किया जाना चाहिए, विशेषकर क्योंकि वे बहुत ही मंहगे महानगरों में रहते हैं महोदय आप स्वयं भी इसे भलीभांति जानते हैं क्योंकि आप बम्बई के रहने वाले हैं यह और अधिक होना चाहिए। उनकी मजदूरी को बढ़ाने के लिए कुछ प्रयास किए जाने चाहियें।

सवेरे कारखाना संशोधन विधेयक पर बहस का जवाब देते समय मन्त्री महोदय ने कहा था कि बाल श्रमिक की दो परिभाषायें हैं—कहीं यह 14 वर्ष है और कही यह 15 वर्ष है। आज भी ऐसे भेदभाव हैं और विभिन्न अधिनिमों में ऐसे दोहरे मापदण्ड है। हमारे मन्त्री महोदय को धन्यवाद दिया है कि यह कानून पहले सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के सीमा क्षेत्र और कार्य क्षेत्र के नियन्त्रण में था अब इसे पहली अप्रैल 1986 से श्रम मन्त्रालय को हस्तांतरित कर दिया गया है। वे इसका अध्ययन करके यह संशोधन विधेयक सभा के समक्ष लेकर आए हैं। मेरा सुझाव है कि सभी नियमों और विनियमों का अध्ययन अनुभवी अधिकारी करें और जहां कहीं भी ऐसी कमियां और दोहरे मापदण्ड हों उनकी पहचान की जाए, पता लगाया जाए और उनको दूर करने के लिए त्वरित कार्यवाही की जाए। इस प्रकार के टुकड़े-टुकड़े करके विधेयक लाने के बजाय मेरा सुझाव है कि एक व्यापक उपाय किया जाना चाहिए। विभिन्न विधियों का नियमित रूप से पूर्णरूपेण अध्ययन और उन पर नए सिरे से विचार किया जाना चाहिए तथा उन्हें सही करने के उपाय किए जाने चाहिए।

अन्त में मैं कहूंगा कि आवास भी इस कोष के क्षेत्राधिकार के अधीन आना चाहिए। महानगरों में आवास एक विकट समस्या है और इस समस्या का सामना करने के लिए हमें कर्मचारियों को इस कोष से सहायता देनी चाहिए। इन कुछेक शब्दों के साथ मैं विधेयक का स्वागत करता हूं और आपके प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं।

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : सभापति महोदय, यह जो बिल लाया गया है, मैं इसका समर्थन तो करता ही हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि काफी जल्दबाजी में ही इसे लाया गया है। इसके सारे पहलुओं, आस्पैक्ट्स पर ध्यान नहीं दिया गया है। यही वजह है कि आज सदन में यह सवाल उठ रहा है कि अलग से एक कम्प्रीहैंसिव बिल लाया जाये।

सिनेमा एक बड़ा उद्योग है। उद्योग की कैटेगरी में इसको लेकर, उद्योग सम्बन्धी मजदूरों की जो भी सहूलियतें हैं, उनको जो सुविधायें दी जाती हैं, चाहे काम करने का उनका क्षेत्र किसी भी प्रकार का क्यों न हो, इस उद्योग में जिस रूप में भी वह काम कर रहे हों, यह अलग बात है, लेकिन कानून ऐसा बनना चाहिए कि वह अधूरा न हो। जो नाम इसका रखा गया है, उसके बाद 60 परसेंट लोग जो उसमें काम करते हैं, वह उस कानून के अन्तर्गत न आते हों, यह कुछ मुनासिब नहीं दिखाई पड़ता है।

चाहे प्रोडक्शन की बात हो, या सिनेमागृहों में जो प्रदर्शन होता है, उसमें काम करने वालों की बात हो, दोनों को मिलाकर काम करने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। बम्बई हो या मद्रास, सिनेमा फिल्में तैयार करने के जो मुख्य केन्द्र हैं, मद्रास और कलकत्ता का तो मुझे तजुर्बा नहीं है, लेकिन बम्बई का है। वैसे कलकत्ता मेरे बगल में पड़ता है, वहां का तजुर्बा मुझे नहीं है, लेकिन बम्बई में बहुत बार गया हूं और जहां फिल्में बनती हैं, स्टूडियो में जाने और वहां के लोगों से बातचीत करने का मौका मुझे मिला है। उनका जो एक्सप्लायटेशन होता है और उनके साथ जो व्यवहार होता है, जो मौजूदा कानून हैं, उनका भी पालन उनके साथ नहीं होता है। जब मौजूदा कानून का पालन उनके साथ नहीं हो रहा है तो जाहिर है कि जो कानून आप अब बना रहे हैं और जो सहूलियतें आप उनको दे रहे हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

3.30 म०प०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

31 वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री राम प्यारे सुमन (अकबरपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 19 मार्च, 1987 को सभा में प्रस्तुत किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 31वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 19 मार्च, 1987 को सभा में प्रस्तुत किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 31वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

3.31 म०प०

आर्थिक नीतियों के बारे में संकल्प—[जारी]

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब सभा श्री महम श्रीराम मूर्ति द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर आगे चर्चा करेगी। श्री शांति धारीवाल।

[हिन्दी]

श्री शांति धारीवाल (कोटा) : सभापति महोदय, मैं श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति द्वारा आर्थिक नीतियों का जो संकल्प लाया गया है, उसकी बाबत कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

पहली बात तो यह है कि यह संकल्प जिस तरीके से लाया गया है और उसके पीछे जो राजनीति है, उसकी मैं आलोचना करता हूं। सरकार की अच्छी आर्थिक नीतियों की आलोचना राजनीतिक दृष्टि से की जाये, यह एक बहुत बुरी बात है। कई देशों ने, वर्ल्ड बैंक ने आई० एम० एफ० व कई प्रकार के अन्य संगठनों ने भारत की आर्थिक प्रगति को सराहा है। जिस प्रकार भारत ने इस छोटे से वक्त में अपना उत्पादन बढ़ा करके अपनी आर्थिक दशा को मजबूत किया है, बेरोजगार लोगों को रोजगार दिया है और जो इनफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, वह प्रजातांत्रिक देशों में बहुत कम देखने को मिलता है।

3.32 म०प०

(श्रीमती बसवराजेश्वरी पीठासीन हुई)

हमने पंडित जवाहर लाल नेहरू के समय से ही मिक्सड इकानमी पर जोर दिया है। हमने पब्लिक सेक्टर पर हजारों करोड़ों रुपया इस कारण लगाया कि हमारी इकानमी बैलेंसड और मजबूत रहे व जरूरतमंद चीजों को निजी क्षेत्र वाले ऊंचे दामों पर न बेच पायें।

यह खुशी की बात है कि पिछले 2-3 सालों में हमारे युवा प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में पब्लिक सेक्टर ने काफी तरक्की की है। कारखाने जो पब्लिक सेक्टर में थे और जो हमेशा घाटा दिखाते थे व कई तरह की समस्यायें वहां आये दिन देखने को मिलती थीं, वह अब कम हो गई हैं और काफी कुछ सुधार हुआ है। जो औद्योगिक नीति सरकार ने बनाई है उसमें भी काफी परिवर्तन किया गया है। पहली परिवर्तन की नीति यह देखने को मिलती है कि उद्योगपतियों को आसानी से लाइसेंस मिलने लगे हैं, खास कर स्माल स्केल सेक्टर में कई लोगों को कई प्रकार के करों से छूट दी गई है जिससे उत्पादन बढ़ा है। यह नई औद्योगिक नीति का ही परिणाम है। इसी प्रकार जो लोग सिर्फ मुनाफे की दृष्टि से पब्लिक सेक्टर की आलोचना करते हैं कि उनमें मुनाफा नहीं होता उन लोगों को देखना चाहिए कि हमारे देश ने कितनी इस क्षेत्र में तरक्की की है।

मैं भट्टम श्रीराम मूर्ति जी से निवेदन करना चाहता हूं कि उनको देखना चाहिए कि पब्लिक सेक्टर को क्यों बनाया गया है? इसके पीछे उद्देश्य क्या था सरकार का जो पब्लिक सैक्टर को इतना प्रोत्साहित करना चाहती थी? सिर्फ लाभ कमाने के लिए ही पब्लिक सैक्टर नहीं हुआ करता। पब्लिक सैक्टर की कई और जिम्मेदारियां होती हैं जिनको उसे निभाना पड़ता है, दामों को लेकर, चाहे रोजगार को लेकर चाहे औद्योगीकरण को लेकर उनको आगे बढ़ना पड़ता है और कई प्रकार के फर्ज निभाने पढ़ते हैं। सिर्फ इसी चीज को लेकर उनका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है कि कोई कारखाना जो पब्लिक सैक्टर में काम करता है वह मुनाफा कमाता है या नहीं कमाता है। हमें कई आस्पेक्टस से पब्लिक सैक्टर का मूल्यांकन करना पड़ता है। तो मेरा यही निवेदन है कि जिस प्रकार से आर्थिक स्थिति भारत के नौजवान प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नेतृत्व में मजबूत हुई है, निर्धनता को मिटाने के लिए जो तरह तरह के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, चाहे वह आइ० आर० डी० पी० के हों, चाहे आर० एस० जी० ई० पी० के हों, चाहे एन० आर० ई० पी० के हों और इसके अलावा भी शेड्यूल्ड कास्ट एण्ड शेडयूल्ड ट्राइब के जो नीचे के तबके के लोग हैं जो निर्धनता की रेखा के नीचे निवास करते हैं उन लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं वे अद्वितीय हैं। आस-पास के किसी देश में इतने में अच्छे प्रोग्राम और इतने अच्छे तरीके से चलते हुए नजर नहीं आयेंगे। इन सबके बाद भी अगर हमारी आर्थिक नीति में जो अच्छाइयां हैं उनको तो न देखें और राजनैतिक स्वार्थवश उन बातों को पकड़ कर जो दो चार पांच कमियां हैं, इस प्रकार की हवा फैलायें और यह वातावरण बनायें कि आर्थिक नीति कमजोर है, देश डूबता जा रहा है, देश को आर्थिक संकट से गुजरना पड़ रहा है, इस प्रकार का वातावरण बनाने की मैं निन्दा करता हूं और आप के माध्यम से संकल्प रखने वाले श्री भट्टम, श्री राममूर्ति साहब से निवेदन करता हूं कि इस प्रकार से संकल्प को विदड्रा करें। भारत सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की जो योजनायें हर साल चलायी जाती है, पांच साल

में पंचवर्षीय योजना चलाई जाती है जिसमें कि ग्राम के नीचे स्तर तक के लोगों को फायदा मिलता है, जिनका जीवन स्तर ऊंचा उठाने का प्रयत्न किया जाता है, ऐसी योजनाओं के बारे में हम जन-प्रतिनिधियों को इस प्रकार का वातावरण देश में बनाकर चलना चाहिए जिसमें आम आदमी भी उन योजनाओं के साथ जुड़ें और गरीब को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे और सरकार के वे काम जिस से सरकार काला धन पकड़ना चाहती हो चाहे फेरा को ले लें, चाहे दूसरे किसी भी प्रकार के ऐक्ट को ले लें जिनके तहत कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करना चाहती हो, उसमें हमें सरकार को पूरा सहयोग देना चाहिए।

[अनुवाद]

***श्री अनादि चरण दास (जाजपुर)** : सभापति महोदय, इस समय श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति द्वारा आर्थिक नीति के बारे में प्रस्तुत संकल्प पर सभा में चर्चा की जा रही है। उनके संकल्प पर मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूं। श्रीराममूर्ति जी ने अपने संकल्प में कहा है कि सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण गरीब तथा अमीर लोगों की हालत में अन्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। देश में आम व्यक्ति की हालत बिगड़ती जा रही है। यह कहते हुए, श्री राममूर्ति जी ने लोगों की दशा सुधारने के लिए सुझाव दिये हैं। कुछ उन्होंने 1980 की औद्योगिक नीति का उल्लेख किया है और इसमें सुधार करने के लिए कुछ सुझाव दिये हैं ताकि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम दक्षतापूर्वक कार्य करें और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में हुए घाटे पर निगरानी रखी जानी चाहिए। इन सब तथ्यों का उल्लेख करते हुए उन्होंने सभा से अपने संकल्प को स्वीकार करने हेतु निवेदन किया है।

चर्चा में भाग लेते हुए देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति पर कई माननीय सदस्य बोल चुके हैं। देश की अर्थव्यवस्था उत्पादन से जुड़ी हुई है। जब सभी क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ता है तो देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती है। परन्तु आज उत्पाद उत्पादकों के हाथ में नहीं है। उदाहरण के तौर पर आज भूमि निर्धन किसानों के पास नहीं है। जो लोग भूमि जोतने के योग्य हैं वे अब जमीन के मालिक नहीं रहे। भूमि का स्वामित्व बड़े जमींदारों के पास है। इसी प्रकार उद्योग श्रमिकों के हाथ में नहीं है। उद्योग से होने वाला समस्त लाभ उद्योगपतियों के पास जाता है। वे धनाढ्य बनते जा रहे हैं जबकि औद्योगिक श्रमिकों को जो औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने में सहायता कर रहे हैं, को कम वेतन मिल रहा है और इससे उनका गुजारा नहीं हो सकता। इस प्रकार दिन प्रतिदिन वे और अधिक गरीब होते जा रहे हैं। आज उद्योग पर पूंजीपतियों का एकाधिकार है। श्रमिक निर्धन तथा अनपढ़ हैं। उद्योग चलाने के लिए उनके पास पूंजी अथवा ज्ञान का अभाव है। उन्हें शिक्षित होना चाहिए तथा उद्योग के प्रबन्ध में सक्रिय भागीदारी की अनुमति दी जानी चाहिए। केवल तब ही हमारे समाज में परिवर्तन आयेगा।

हरिजन, आदिवासी तथा भूमिहीन कृषि श्रमिक हमारे समाज में सबसे पिछड़े हुए हैं। जब तक हम उन्हें गरीबी की रेखा से ऊपर नहीं उठाते तब तक हम समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना नहीं कर सकते। हमें सभी वर्गों के लोगों की आर्थिक दशा में सुधार लाना होगा। परन्तु हमारे देश में प्रचलित सामाजिक आर्थिक व्यवस्था ही दोषपूर्ण है। जब तक हम इस प्रचलित

*मूलत : उड़िया में दिये गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

व्यवस्था में कुछ परिवर्तन नहीं करते तब तक हम उन लोगों की दशा में सुधार नहीं ला सकते। जब तक हम अपने समाज में से शोषण को समाप्त नहीं कर देते तब तक हम गरीब लोगों की न्यूनतम आवश्यकतायें पूरी नहीं कर सकते। जब तक हम वितरण प्रणाली को व्यवस्थित नहीं करते उस समय तक हम समाजवाद नहीं ला सकते, हम निर्धन लोगों की दशा में सुधार लाने की बात सोच भी नहीं सकते। वे गरीबी में ही जीते रहेंगे। ये लोग अपने आप में सुधार नहीं ला सकते। हमें देश की ओर से उन्हें सभी सुविधायें प्रदान करनी चाहिए ताकि उनकी दशा में सुधार किया जा सके। इस संदर्भ में, मैं श्री भट्टम श्री राममूर्ति जी से पूछना चाहता हूं कि मेहरबानी करके हमें यह बतायें कि आन्ध्रप्रदेश में गठित सरकार एक पूंजीवादी सरकार है या समाजवादी सरकार। यदि यह एक समाजवादी सरकार है तो गरीब लोगों के उत्थान के लिए आन्ध्र प्रदेश की सरकार ने क्या कदम उठाये है? आपने चावल का मूल्य 2 रुपये प्रति किलोग्राम नियत कर दिया है। परन्तु केवल घोषणा करना ही पर्याप्त नहीं है। इस निर्धारित मूल्य पर लोगों को चावल सप्लाई करने के लिए आपने कौन से कदम उठाये हैं? क्या आपने वितरण प्रणाली को प्रभावी बनाया हैं? क्या इन निर्धन लोगों को उसी निर्धारित मूल्य पर चावल मिल रहा है और क्या आपके राज्य में शोषण समाप्त हो गया है, यदि नहीं तो लोगों को शोषण से बचाने के लिए आपने क्या कदम उठाये हैं? क्या आपके राज्य में जमींदार और सूदखोर नहीं हैं? महोदय केवल आन्ध्र प्रदेश में ही नहीं परन्तु कहीं भी लोग जमींदारों तथा सूदखोरों के शोषण से मुक्त नहीं हैं। इसलिए मैं तो श्री श्रीराममूर्ति जी की सराहना तब करता यदि वे लोगों को जमींदारों के चुंगल से बचाने के लिए कुछ करने के बाद इस संकल्प को प्रस्तुत करते।

महोदय, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि पहले स्वयं करो और बाद में दूसरों को करने के लिए कहो। उन्होंने बहुत से काम स्वयं किये थे और 'फिर' काम करने में दूसरों की सहायता ली थी। आपके नेता श्री एन० टी० रामाराव हो अथवा कोई और हों। पहले आपने लोगों के कल्याण हेतु अधिक-से-अधिक कार्य किया होता और फिर आपने संकल्प प्रस्तुत कर कहा होता कि आन्ध्र प्रदेश में समाजवाद ला दिया गया है तथा देश में कहीं भी समाजवाद नहीं है। परन्तु आपके कई नेता ऐसे हैं जो सम्पत्ति कर तथा आयकर नहीं दे रहे हैं। वे अपनी परिसम्पत्तियों में वृद्धि कर रहे हैं तथा कई स्थानों पर इमारतें बनवा रहे हैं। इसलिए यह संकल्प प्रस्तुत करके आप कोई नाम नहीं कमा सकते। मैं श्रीराममूर्ति जी को सुझाव देना चाहता हूं कि देश में वर्तमान आर्थिक दशा में सुधार करने के लिए पहले अपने आप में सुधार करें। शोषण को समाप्त करने के लिए हमें सभी सम्भव उपाय करने होंगे। हम देख चुके हैं कि बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है। देश में ठीक यही स्थिति है। धनी लोग निर्धन लोगों का शोषण कर रहे हैं। हमने देश में प्रमुख उद्योगों की स्थापना की है। परन्तु लघु उद्योगों के विकास हेतु हम अधिक ध्यान नहीं दे रहे हैं। देश में कुछ गरीब तथा पिछड़े हुए राज्य हैं। विकसित तथा बड़े राज्यों की तुलना में केन्द्र सरकार से छोटे राज्यों को अधिक सहायता मिल रही है। हम देश में विभिन्न राज्यों की प्रति व्यक्ति आय देखते हैं। 1983-84 में विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय इस प्रकार है:

पंजाब	3560 रुपये
हरियाणा	3059 रुपये

महाराष्ट्र	3032 रुपये
गुजरात	2825 रुपये
पश्चिम बंगाल	2231 रुपये
कर्नाटक	1957 रुपये
केरल	1951 रुपये
आन्ध्र प्रदेश	1955 रुपये
जम्मू और कश्मीर	1880 रुपये
तमिलनाडु	1743 रुपये
असम	1762 रुपये
मध्य प्रदेश	1721 रुपये
उत्तर प्रदेश	1685 रुपये
उड़ीसा	1625 रुपये
बिहार	1174 रुपये

अत: पंजाब की प्रतिव्यक्ति आय अन्य राज्यों की अपेक्षा कहीं अधिक है जबकि बिहार की प्रतिव्यक्ति आय सबसे कम है। उड़ीसा तथा बिहार सबसे पिछड़े हुए राज्य हैं। इन राज्यों का शोषण आन्ध्र प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल कर रहे हैं। वे सभी तरह से प्रगतिशील हैं। हमारे प्रधान मन्त्री जी ने इन क्षेत्रीय असंतुलनों को दूर करने पर जोर दिया है। उन्होंने देश को 21 वीं सदी में ले जाने के लिए कदम उठाए हैं। वह चाहते हैं कि हमारे देश की गिनती विकसित देशों में हो। इस बात को मद्दे नजर रख कर बहुत से दीर्घ कालीन कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। लेकिन मैं बिहार और उड़ीसा जैसे पिछड़े राज्यों के बारे में सरकार से पूछना चाहता हूं। इन राज्यों की अर्थ व्यवस्था में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम गरीबों की दशा सुधारे और ऐसा तभी हो सकता है जब गरीब और पिछड़े राज्यों में विकास उपाय प्राथमिकता के आधार पर आरम्भ किए जाएं मानननीय योजना मन्त्री और कृषि मन्त्री सदन में उपस्थित हैं। मैं उनका ध्यान उड़ीसा की उन बहुत सी परियोजनाओं की ओर दिलाना चाहता हूं जो केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के लिए विचाराधीन हैं। उड़ीसा में कम से कम 14 मझोली सिंचाई परियोजनाएं केन्द्र सरकार की स्वीकृति के लिए विचाराधीन पड़ी हुई हैं। जब तक इन परियोजनाओं को शुरू नहीं किया जाता, तब तक उड़ीसा राज्य में कृषि में सुधार कैसे हो सकता है। कृषि मंत्री और योजना मन्त्री से मेरा अनुरोध है कि इन परियोजनाओं को तत्काल कार्यान्वित किया जाए ताकि सिंचाई की अतिरिक्त क्षमता उत्पन्न करके गरीब किसानों को लाभ पहुंचाया जा सके। महोदय, उड़ीसा सरकार ने वहां कुछ उद्योगों की स्थापना करने के लिए केन्द्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है। लेकिन बड़े खेद की बात है कि अभी तक इन उद्योगों की स्थापना के लिए आशय पत्र जारी नहीं किए गए हैं। इस संदर्भ में मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र दैतारी में दूसरे प्रस्तावित इस्पात संयंत्र का उल्लेख करना चाहता हूं। महोदय, यह प्रस्ताव बहुत समय से विचाराधीन है। इस्पात संयंत्र की स्थापना के लिए दैतारी आदर्श स्थान है। वहां सभी तरह की आधारभूत सुविधाएं तत्काल उपलब्ध हैं। प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के तत्काल बाद ही इस्पात संयंत्र की स्थापना के लिए आरम्भिक काम पूरा

कर लिया गया था। मंत्री जी ने इस सदन में आश्वासन दिया था पर दुर्भाग्य से इस दिशा में आगे कोई प्रगति नहीं हुई है। इस्पात संयंत्र की स्थापना से पिछड़े क्षेत्र में बेरोजगारी की समस्या को हल करने में काफी सहायता मिलेगी। इसलिए मेरी मांग है कि उड़ीसा में दूसरे इस्पात संयंत्र की स्थापना के लिए आवश्यक उपाय किए जाए। साथ ही मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि कृषि के विकास के लिए उड़ीसा राज्य को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जाए। मेरे राज्य में चालू प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि दी जाए।

महोदय, महात्मा गांधी ने कहा था, कि गांवों का विकास किए बिना देश प्रगति नहीं कर सकता। इसलिए पहले हमें अपनी ग्रामीण अर्थ व्यवस्था का विकास करना होगा और अगर गांवों का विकास करना है तो लघु और कुटीर उद्योगों को प्रोत्हासन देना होगा। लघु यूनिटों को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण कारीगरों और लघु उद्यमियों को पर्याप्त प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इस संदर्भ में सरकार से मेरा अनुरोध है कि ग्रामीण क्षेत्रों में नए उद्योगों की स्थापना की जाए क्योंकि भारत गांवों का देश है और गांव वाले जीविकोपार्जन के लिए शहरों की ओर जा रहे हैं एक बार कुछ काम मिल जाने पर वे गांव लौटना पसंद नहीं करते। गांवों से आने वाले लोग बड़ी तादाद में शहरी क्षेत्रों में बसते जा रहे हैं इसलिए शहरी आबादी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। गरीब ग्रामीणों के पास गांवों में जीविका कमाने के साधन नहीं है। इसलिए रोजगार की तलाश में वे शहरों की ओर आ रहे हैं। शहरों में आवास एक बड़ी समस्या है। इसलिए ये लोग गंदी बस्तियों में रहते हैं जिससे नगरों का वातावरण दूषित होता है। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग होंगे तो लोग शहरों की तरफ नहीं जाएगें। इसके परिणामस्वरूप शहरी आबादी पर नियन्त्रण लगाया जा सकता है और साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है। वैसे नौकरशाही शहरी क्षेत्रों को नहीं छोड़ेगे और वे लोगों का शोषण करते रहेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने से ग्रामीणों के लिए रोजगार के अतिरिक्त अवसर उत्पन्न होंगे। तो हमें उद्योगों को विकेन्द्रित करना होगा।

शहरी क्षेत्रों में उद्योगों की संख्या बढ़ने से मुट्ठी भर पूंजीपतियों को अपनी सम्पत्ति बढ़ाने में सहायता मिलती है पूंजीपति अपने स्थापनों में काम करने वाले कामगारों का शोषण करते रहेंगे। लघु यूनिटें निजी व्यक्तियों द्वारा तथा बड़ी यूनिटों की स्थापना सरकार द्वारा की जानी चाहिए। तभी देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।

इसके बाद मैं भूमि सुधार के बारे में बोलना चाहता हूं। महोदय, देश में बहुत से जमींदारों के पास जाली नाम से फालतू जमीन है। भूमि के ये तथाकथित मालिक खेती का निरीक्षण करने के लिए नहीं जाते। हमें भूमि की अधिकतम सीमा से अधिक भूमि रखने के लिए इन बड़े जमींदारों को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। महात्मा गांधी ने कहा था कि किसान को जमीन का मालिक बनाया जाना चाहिए। कांग्रेस सरकार की भी यही नीति रही है। चुनाव प्रचारों के दौरान भी हम कहते हैं कि किसानों को भूमि का मालिक बनाया जाना चाहिए; लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं किया जाता। बड़े भूमालिक खेतिहर मजदूरों और छोटे किसानों का शोषण कर रहे हैं। हमें इस पर रोक लगानी होगी। बड़े या जाली भू-मालिकों से जमीन लेकर भूमिहीनों में बांट दी जानी चाहिए। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें एक अधिनियम बनाना चाहिए। मेरे

विचार से पंजाब में भूमि के झगड़ों के अनेक मामले हैं। अगर झगड़ों का निपटान करके सही व्यक्तियों में अतिरिक्त भूमि बांट दी जाए तो कुछ हद तक आतंकवादी कार्यवाही कम हो सकती है। हर व्यक्ति को कुछ जमीन या रोजगार मिलेगा तो उन्हें ऐसे आतंकवादी कामों के लिए समय नहीं मिलेगा।

मैं आदिवासी क्षेत्रों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। कुछ लोग ऐसे हैं जो खेती को अपना व्यवसाय नहीं बनाना नहीं चाहते। ऐसे लोगों को आदिवासी या हरिजनों से जमीन खरीदने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इस तरह से हम अपनी कृषि का विकास करने में रुचि रखने वालों की सहायता कर सकते हैं। वे लोग जो जमीन खरीद कर कृषि का काम किसी और को सौंपना चाहते हैं ऐसा नहीं कर पाएंगे। पैसे की ताकत के कारण ऐसे लोगों को दो तरफा लाभ कमाने नहीं दिया जाना चाहिए। यह नियम गैर आदिवासी क्षेत्रों पर भी लागू होना चाहिए।

वेतनभोगी लोगों के बारे में भी चन्द शब्द कहूंगा विभिन्न पदों के बीच वेतन के भुगतान में काफी अन्तर है। अधिक वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को कम वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों से सहानुभूति है। वेतन भोगी व्यक्ति चाहे कहीं भी काम करें उसे रोजगार की सुरक्षा प्राप्त होती है पर गांव में रहने वाले गरीबों को इस तरह की कोई सुरक्षा प्राप्त नहीं है। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम को लीजिए। यह केन्द्र द्वारा संचालित कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत एक गरीब आदमी को साथ में 100 दिन रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन हम लाभ भोगियों को 100 दिन तक काम नहीं दे पाते। इस संबंध में मैंने एक प्रश्न भी पूछा था माननीय कृषि मन्त्री सदन में उपस्थित हैं क्या वे ऐसे 5 लोगों के नाम बताएंगे जिन्हें ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत देश के किसी भी भाग में काम दिया गया हो। हम इस कार्यक्रम के अन्तर्गत किसी को भी 100 दिन तक काम नहीं दे पाए हैं। इसलिए यह कार्यक्रम असफल हो गया है। हम सांसद गांवों में जाते रहते हैं और यह बात सच है। इस-लिए इस कार्यक्रम के साथ 'गारंटी' शब्द क्यों लगाया जाए। यह एक विशेष परियोजना है और इसके अन्तर्गत शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जा रही है। अगर यह विशेष परियोजना है तो इसे उपयुक्त ढंग से लागू क्यों नहीं किया जा रहा। इस मामले को मैंने सदन के बाहर भी उठाया है लेकिन मुझे यह आश्वासन नहीं दिया गया कि इस कार्यक्रम को उपयुक्त ढंग से कार्यान्वित किया जाएगा। सदन में इस मामले की चर्चा नहीं की जा रही है। अगर सभी लोगों को, चाहे उनका दर्जा कुछ भी क्यों न हो, रोजगार की गारंटी और जीवन की सुरक्षा नहीं मिलती तो उन्हें मानसिक रूप से शान्ति नहीं मिल सकती। उन्हें आराम नहीं मिलेगा। अगर इस देश के लोग शांति से नहीं रह सकते तो समाज पर काफी बुरा असर पड़ेगा, स्थिति बहुत गंभीर हो जाएगी तथा विनाश की ओर अग्रसर हो जाएगा।

महोदय, इसलिए हमारा लक्ष्य एक समाजवादी समाज की रचना करता है लेकिन हम अब पूंजीपतियों को काफी प्रोत्साहन दे रहे हैं। इसका मतलब है कि देश पूंजीवाद की ओर बढ़ रहा है। इस मामले पर सदन में और न ही दल स्तर पर चर्चा की जा रही है। एक संकल्प प्रस्तुत करके इस देश की आर्थिक स्थिति नहीं बदली जा सकती। सरकार को इस मामले पर गंभीरता से विचार-विमर्श करने के बाद एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत करना चाहिए ताकि इससे कुछ फायदे

हों और वर्तमान आर्थिक स्थिति में सुधार हो। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं अपने सहयोगी श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति को यह संकल्प इस सम्माननीय सदन में चर्चा के लिए प्रस्तुत करने पर बधाई देता हूं। इस संकल्प का सम्बन्ध हमारी अर्थव्यवस्था के कुछ अति महत्वपूर्ण पहलुओं से हैं और इनसे लाखों लोगों का जीवन भविष्य, आकांक्षाएं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई हैं।

महोदय, औद्योगिक नीति सम्बन्धी संकल्प में समय समय पर परिवर्तन किए गए हैं पर मूलतः इसके प्रमुख लक्ष्य वहीं है जिनके आधार पर हमारे संविधान की रचना की गई है। इसमें राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है जिनका लक्ष्य सभी नागरिकों के जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना और समुदाय के भौतिक साधनों का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस तरह सुनिश्चित करना है कि वे सबके लिए उपयोगी हो और आर्थिक व्यवस्थ ऐसी नहीं होनी चाहिए कि सम्पत्ति और उत्पादन के साधनों का केन्द्रीयकरण हो और आम आदमी को नुकसान हो।

यह 1956 के नीति सम्बन्धी संकल्प और 1980 के औद्योगिक नीति सम्बन्धी वक्तव्य का भी आधार स्तंभ था। नई नीति के सामाजिक—आर्थिक लक्ष्य इस प्रकार है : स्थापित क्षमता का अधिकतम उपयोग, उत्पादन को अधिकतम करके अधिक उत्पादकता का लक्ष्य प्राप्त करना और रोजगार उत्पन्न करना, प्राथमिकता देकर क्षेत्रीय असंतुलन को ठीक करना, निर्यात पर आधारित तथा आयात का स्थान लेने वाले उद्योगों का तेजी से विकास करना, पूंजी के समान बंटवारे तथा इससे प्राप्त लाभ के समान बंटवारे तथा छोटी पर विकासशील यूनिटों की ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में स्थापना करके आर्थिक संघवाद को बढ़ावा देना।

जबकि हमारे लक्ष्य तो निर्धारित थे पर, हमारी औद्योगिक नीति को लागू किए काफी साल हो जाने के बावजूद सच बात यह है कि बड़े घरानों की परिसम्पत्तियां तेजी से बढ़ी है। 1951 में 20 बड़े घरानों की परिसम्पत्तियां केवल 648 करोड़ रुपए थी जोकि 1958 में बढ़कर 1362 करोड़ रुपए हो गई। पर 1975-76 में यह बढ़कर 5111 करोड़ रुपए और 1980 में 7481 करोड़ रुपए हो गई है अगले तीन सालों में 13,380 करोड़ रुपए और 1984 के अंत में बढ़कर 15,842 करोड़ रुपए हो गई हैं।

स्पष्ट है कि हमारी आर्थिक नीति और औद्योगिक नीति ने इन बड़े घरानों को और सम्पत्ति जमा करने और वित्तीय संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता को अधिक मात्रा में प्राप्त करने में सहायता दी है। साथ ही, आर्थिक असमानताएं भी बढ़ी हैं। एक अनुमान के अनुसार 5% जनसंख्या के पास राष्ट्रीय आय का करीब 22% है जो कि कुल जनसंख्या के पास राष्ट्रीय आय के आधे से थोड़ा सा अधिक है। न केवल ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में भी औसत आय में काफी अंतर है। सरकार स्वीकार कर रही है कि करीब 40% जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे रह रही है। नवीनतम अन्तर्राष्ट्रीय आंकड़े के अनुसार प्रति व्यक्ति आयके मामले में भारत का स्थान विश्व के 148 देशों में 133वां है।

4.00 म० प०

यह जानकर बहुत दुःख होता है कि सार्वजनिक ऋण की राशि लगभग एक लाख करोड़

है जिसमें से 20,000 करोड़ रु० ऋण विदेशी ऋण है। खतरे की बात यह है कि सार्वजनिक ऋण बड़ी तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि पिछले 5 सालों में यह बढ़कर 300% से अधिक हो गया है बजट में घाटा भी बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। मार्च, 1985 तक लगभग 42,800 करोड़ रुपए सरकारी उद्यमों में लगाया जा चुका था। इस बड़े पूंजी निवेश से प्राप्त होने वाला लाभ जरा भी संतोषजनक नहीं है। क्रमश: घाटे के बजट में वृद्धि होती आ रही है। 1985-86 में ही व्यापार असंतुलन 8,600 करोड़ रुपए है जिसका मतलब है कि हमें सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों और उद्यमों को अधिक कारगर ढंग से चलाना होगा ताकि हमारे उत्पाद अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा में ठहर सकें ताकि हमें और बाजार मिले और हम अधिक विदेशी मुद्रा कमाएं। सवाल यह नहीं है कि हम सार्वजनिक क्षेत्र या निजी क्षेत्र पर कितना खर्च करते हैं सवाल यह है कि उसे किस तरह खर्च किया जाता है। खर्च का संबंध कार्यनिष्पादन से जोड़ा जाना चाहिए।

986 के अंत तक सारे देश में रोजगार कार्यालयों के रजिस्टरों में दर्ज रोजगार प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों की संख्या 301 लाख थी जबकि एक साल में हम केवल ?.5 लाख बेरोजगार व्यक्तियों को ही रोजगार दे पाते है। अगर इस बात का विश्लेषण किया जाए कि एक नए रोजगार की व्यवस्था करने में कितना धन खर्च होता है तो यह खर्च1.30लाख के करीब बैठता है। अगर यह स्थिति है तो इन बेरोजगार लोगों को रोजगार देने के लिए काफी धनराशि की जरूरत होगी। इन बेरोजगार व्यक्तियों के अलावा घरेलू उद्योगों अर्थात् जहां 5%से भी कम कामगार कारीगर के रूप में काम करते हैं, में लगे लाखों कामगार और हस्तशिल्प उद्योगो मं लगे लगभग 85 लाख कामगारों को रोजगार से निकाल दिया जाएगा। इन परिस्थितियों में हमारे लिए एकमात्र और बेहतर समाधान यहीं होगा कि हम महात्मागांधी को द्वारा दी गई महत्व-पूर्ण सलाहों को ध्यान में रखे। गांधीजी ने स्पष्ट कहा था कि ऐसे उद्योग जरूरी हैं जिनमें ज्यादा से ज्यादा श्रमिक खपाये जा सके अर्थात् कुटीर लघु और मझौले उद्योगों से रोजगार के अवसर बढ़ाने में सहायता मिलेगी। बड़े उद्योग की तुलना में कुटीर और ग्राम उद्योग में एक व्यक्ति को रोजगार देने पर कम पूंजी लगती। वस्त्र उद्योग में 10,000 रुपए, सीमेंट और स्टील उद्योग में 5 से 10 लाख रु० की तुलना में कुटीर और ग्राम उद्योग में औसत पूंजी निवेश केवल 530 रुपए ही होगा। 1974-75 के निः उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के अनुसार बड़े उद्योगों में एक व्यक्ति को रोजगार देने के लिए 29,000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं इसीलिए महात्मागांधी ने लोगों की बेरोजगारी और कम रोजगार प्राप्ति को दूर करने पर बहुत जोर दिया था।

उनकी राय में हस्तशिल्प या कुटीर उद्योग ही हमारे देश में सैकड़ों-करोड़ों बेरोजगार या कम रोजगार प्राप्त लोगों को रोजगार दे सकते हैं। उन्होंने महसूस किया कि बड़े पैमाने पर खोले गए उद्योग उस समस्या का समाधान नहीं कर सकते जिसके लिए गांधीजी ने हस्तशिल्प या कुटीर उद्योग का पक्ष लिया। चरखा सभी श्रम प्रधान उद्यमों का प्रतीक है। 18 जून, 1925 को यंग इंडिया में उन्होंने कहा :

> "जनता को धन की कमी का रोग इतना नहीं है जितना काम न मिलने का। श्रम ही धन है। वह व्यक्ति करोड़ों लोगों को उनकी कुटीरों में सम्मानित रोजगार प्रदान करता है, खाना और कपड़ा मुहैया करता है। यह धन के बराबर ही महत्वपूर्ण है। चरखा

श्रम प्रदान करता है। जब तक इसका कोई अच्छा विकल्प नहीं मिलता इसे ही महत्ता दी जानी चाहिए।"

22 जून, 1935 की 'हरिजन' में उन्होंने पुनः कहा :

"भारत को और उसके करोड़ों लोगों को बने रहना है। विश्व में ऐसा अन्य देश नहीं है जहां करोड़ों लोगों को आंशिक रूप से रोजगार मिला हो और जहां के लोग मुख्यतः ग्रामीण होते हुए भी खेती के लिए प्रति व्यक्ति के पास 2 एकड़ से अधिक जोत न हो, और अपनी आवश्यकता के लिए चरखे से कपड़ा बनाने के लिए मानव श्रम की बजाय अब हमें भाप या बिजली की मशीनों या किसी अन्य साधनों का उपयोग करना पड़ेगा तो लोगों में बेरोजगारी और बढ़ेगी।"

2 जनवरी, 1937 के 'हरिजन' में उन्होंने कहा।

"करोड़ों लोग बेकार हो रहे हैं", यह कहते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया,

"भारत बड़ी मात्रा में ऐसी मशीनें नहीं लगा सकता, जो उनके मजदूरों के स्थान पर काम करें। इससे उनकी बेरोजगारी और बढ़ेगी। हमारी समस्या यह है कि हम अपने करोड़ों लोगों को किस तरह रोजगार प्रदान करें न कि यह कि उनका श्रम कैसे बचाए। लगातार बेरोजगार रहने से उनमें सुस्ती आ गई है जो उन्हें और कमजोर बनाती है।"

हमारी जनसंख्या में अधिक वृद्धि होने, प्रति व्यक्ति कम भूमि उपलब्ध होने के कारण बेरोजगारी होने की समस्या बढ़ गई है। जिन उद्यमों में श्रमिक काफी संख्या में है। वहां तुलनात्मक रूप से न केवल उत्पादन अधिक होता है तथा अधिक लोगों को रोजगार मिलता है अपितु वे उद्यम एक ऐसा समतावादी समाज बनाने में सहायक सिद्ध होते हैं, जहां धन केवल कुछ व्यक्तियों के हाथों में संकेन्द्रित नहीं रहता और आय में अन्तर भी अधिक नहीं होता लघु उद्योगों की भी यही स्थिति है। लेकिन अधिक पूंजी वाले औद्योगिक उपक्रम एक ओर तो अधिकांश श्रमिकों को बेरोजगार कर देते हैं और दूसरी ओर वहां धन कुछ ही हाथों में संकेन्द्रित रहता है। वहां मिल मालिकों और अधिक वेतन पर नियुक्त किये गये कुछ श्रमिकों को ही लाभ होता है। इस विश्वास या धारणा के साथ कि नगरों में वेतन और जीवन स्तर अधिक ऊंचा है, गांवों के लोग शहरों में आ रहे हैं। यह नियोजकों और शहरी विकास प्राधिकरण के लिए यह बड़ी गम्भीर समस्या बनती जा रही है। गांव की अपेक्षा नगर में एक व्यक्ति के लालन-पालन, रहन-सहन रोजगार और उसे अन्य सेवाएं देने पर सामाजिक लागत कई गुना अधिक है और महानगरों में छोटे नगरों की अपेक्षा यह लागत और भी अधिक है। यदि कोई श्रमिक ग्रामीण क्षेत्र में रहता है तो मकान बनाने के खर्च से बचा जा सकता है क्योंकि उसके पास पहले ही से रहने की जगह हो सकती है। इस तरह सरकार थोड़े से समय में करोड़ों घर बनाने की समस्या से मुक्त हो सकती है और इस राशि को अधिक आवश्यक विकास योजनाओं पर खर्च किया जा सकता है। नगरों या शहरी केन्द्रों के आसपास के स्थानों पर नये उद्योग खोले जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ये उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में जगह-जगह पर खोले जाने चाहिए।

सभापति महोदया, आप अच्छी तरह जानती हैं कि 'उद्योग रहित जिला' विचारधारा अब सार्थक नहीं रही है। वास्तव में पूरे दक्षिण में, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के ऐसे राज्य हैं जहां

एक भी जिला उद्योग रहित नहीं है। कर्नाटक में बिडार ही, एक ऐसा जिला है जहां उद्योग नहीं है और केरल में ऐसे जिलों की संख्या 2 है जबकि मध्य प्रदेश में 18 जिले उद्योग रहित है और उत्तर प्रदेश में 11 जिले ।

इसकी जांच के लिए एक समिति बनाई गई है और हमें सभा में कई बार यह बताया गया है कि मामले की जांच की जा रही है। लेकिन 'उद्योग रहित जिला' के स्थान पर उद्योग रहित ब्लाक' कहना ठीक है। अभी तक इस बारे में अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि 'उद्योग रहित ब्लाक' नीति बनाएं तथा ग्रामीण क्षेत्रों तथा पिछड़े क्षेत्रों में ही उद्योग स्थापित करें तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे उद्योगों का विकास करें।

हमारे देश को ऐसी प्रौद्योगिकी अपनानी चाहिए जिससे कम पूंजी लगाकर अधिक संख्या में लोगों को रोजगार मिल सके तथा जिससे उत्पादन अधिक हो और लोगों को अधिक सेवाएं मिल सकें, जैसाकि चीन में किया गया है ! यदि हम पूरे दिल से ऐसी नीति नहीं अपनाएंगे, हमारे देश को भविष्य में कई बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दृष्टिकोण में भूल परिवर्तन पर ध्यान दिया जाना चाहिए और भविष्य में औद्योगिक विकास के सम्बन्ध में सरकार की नीति में इस परिवर्तन की झलक दिखाई देनी चाहिए ।

*श्री वी० कृष्ण राव (चिकबल्लापुर) : सभापति महोदया, मुझे इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने का विशेष अधिकार मिला है। इस गैर-सरकारी सदस्यों के सकल्प को श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति ने पेश किया है और मैं सरकार द्वारा विचार करने के लिए कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

हमें स्वतन्त्रता मिलने के समय तत्कालीन प्रधान मन्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मद्रास में एक सम्मेलन में कहा था कि देश में समाजवाद लाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि गरीबी हटाई जाएगी और समाज में समानता लाई जाएगी। तब उन्होंने देश में पंचवर्षीय योजनाएं शुरू कीं। इन योजनाओं के परिणामस्वरूप देश खाद्यान्नों के उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर हुआ है। एक समय था जब हम खाद्यान्नों के लिए अन्य देशों के सामने अपने हाथ फैलाते थे। मुझे यह कहते हुए गर्व महसूस होता है कि खाद्यान्नों के मामले में हम न केवल आत्मनिर्भर हुए हैं अपितु विदेशों में इसका निर्यात भी कर रहे हैं।

नगरों का विकास अच्छी तरह हो रहा है। दुर्भाग्य से हमारे देश में गांवों की उपेक्षा हुई है। अमेरिका में कुल जनसंख्या का केवल 7% ही कृषक है वे खाद्यान्नों का निर्यात कर रहे हैं। हमारे देश में 70% लोग कृषि पर निर्भर हैं। यदि हम अपने देश के किसानों की प्रतिशतता की तुलना अमेरिका से करे तो हम सोच सकते हैं कि हम कितनी मात्रा में खाद्यान्नों का उत्पादन कर सकते हैं। यदि किसानों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जायें और सिंचाई को प्राथमिकता दी जाए तो मुझे विश्वास है कि हम पूरे विश्व को खाद्यान्न का निर्यात कर सकते हैं। गांवों से काफी लोग शहरों में आ रहे हैं। गांवों से शहरों में इस तरह लोगों के आने को रोकने के लिए यह जरूरी है कि गांवों में सभी सुविधायें उपलब्ध कराई जायें।

योजना बनाते समय यह जरूरी है कि योजना आयोग में कुछ विशेषज्ञ कृषकों को भी शामिल किया जाए। उन्हें बहुत अनुभव होगा। उन्हें गांवों में रहने वाले लोगों की कठिनाइयों

* मूलतः कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

और जरूरतों का पता होता है । अतः मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि योजना आयोग में विशेषज्ञ किसानों को भी शामिल किया जाए ।

गांवों में घरों की दशा सचमुच शोचनीय है । मैं अपने प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं जिन्होंने इस समस्या को समझा है और ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से घर बनाने के पहलू को बड़ा महत्व दिया है । सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों की निर्धन जनता के उत्थान के लिए अन्य और भी कई कार्यक्रम बनाए हैं । एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, अन्तयोदय और अन्य कार्यक्रमों से वास्तव में निर्धन जनता का कल्याण हुआ है । मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह इन कार्यक्रमों के कार्यान्वियन पर ध्यान दें । यह बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि कई अधिकारी इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में रुचि नहीं दिखाते ।

एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू परिवार नियोजन कार्यक्रमों का कार्यान्वियन करना है । हमारी सरकार ने कई ऐसे कार्यक्रम बनाए हैं जो सराहनीय हैं । हमारे देश के सभी नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वे परिवार नियोजन कार्यक्रम को सफल बनाएं ।

महोदय स्वर्गीय श्री एम० विश्वेश्वरैया ने कहा था कि "जब तक हर व्यक्ति कुटीर उद्योग नहीं लगता, यह देश प्रगति नहीं कर सकता ।" यह बहुत जरूरी है क्योंकि किसान वर्ष में केवल 3 महीने ही काम करता है । शेष 9 महीनों में अधिकतर किसान बेकार रहते हैं । इस स्थिति को बदलना चाहिए तथा किसानों को साल भर व्यस्त रखने के लिए कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए ।

हमें अपने देश की एकता और अखण्डता को बनाए रखना है । सभी नागरिकों को अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए । सभी पंचवर्षीय योजनायें और अन्य कार्यक्रम सफल हो पाएंगे ।

शहरों की स्थिति में पर्याप्त सुधार और प्रगति हुई है । अतः अब उचित समय है कि गांवों के विकास पर ध्यान संकेन्द्रित किया जाए । मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कई गांवों में हमारे दादाजी के समय की सड़कें आज भी उसी हालत में हैं । इस स्थिति को बदला जाना चाहिए । इसके लिए केन्द्र तथा राज्य सरकारें दोनों को ग्रामीण जनता की जीवन-यापन की स्थिति में सुधार लाने के लिए मेहनत करनी चाहिए । यदि ऐसा किया जाता है तो मुझे विश्वास है कि हमारा देश प्रगति तथा समृद्धि के नए युग में कदम रखेगा ।

महोदया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया और इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : औद्योगिक नीति पर एक बार फिर से सदन के समक्ष विचार व्यक्त करने के लिए मैं श्री भट्टम का, जोकि इस संकल्प को लाये हैं धन्यवाद करता हूं । अब समय आ गया है जबकि हमें औद्योगिक विकास की विस्तृत नीति पर एक नयी राष्ट्रीय स्वीकृति प्राप्त करनी होगी । जैसे कि सरकार ने नई शिक्षा नीति की शुरूआत की है और समय नष्ट किये बिना हमें सभी राज्य सरकारों एवं उनके नेताओं, विपक्षी दलों तथा अन्य सभी दलों के साथ मिलकर एक राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा करनी चाहिए और फिर नयी औद्योगिक नीति तैयार करनी चाहिए । हमने ऐसा किया है । हमने पहले भी एक बार ऐसा किया है । हम सुधार की ओर बढ़ते जा रहे हैं । मेरे विचार से हम उन विसंगतियों के बारे में, जिनका उल्लेख श्री भट्टम

श्रीराम मूर्ति ने किया है, उनसे पूर्णतया सहमत नहीं हो सकते। हमने सिर्फ कार्यक्रम को और उस दिशा के प्रति सहमति व्यक्त की है जो हमने देश को दी है, अर्थात मिश्रित अर्थव्यवस्था जो अब भी सही है। हमारी सरकार तथा साथ ही राज्य सरकारें भी हममें निष्ठा रखती हैं। लेकिन इस बीच इसमें सुधार हुआ है न कि गिरावट आई है और इसका श्रेय श्रीमती इन्दिरा गांधी को जाता है जिन्होंने जनता को यह बताया कि औद्योगिक नीति और विकास नीति के माध्यम से निकट भविष्य में और कुछ दशकों में हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं, उन्होंने कहा हम कोई स्वर्ण युग नहीं लाना चाहते बल्कि गरीबी हटाना चाहते हैं, हम गरीबो हटाने की दिशा मे अग्रसर होना चाहते हैं। श्रीमती गांधी ने देश को यह नेतृत्व दिया और हम अब भी उस नीति में निष्ठा रखते हैं। हाल ही में चुनाव हुए हैं। अभी भी दो या तीन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। वे किस आधार पर एक-दूसरे के प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं—गरीबी को शीघ्र अधिक प्रभावी ढंग से तथा संतोषजनक ढंग से मिटाने की बजाय इस गरीबी को कम करने की नीति के उद्देश्य को कौन प्राप्त कर सकेगा तथा अभी इसका कार्यान्वियन कर सकेगा। अभी तक किसने इसे अच्छी तरह किया है और भविष्य में कौन इसे अच्छी तरह कर सकता है? इसी आधार पर यह चर्चा चल रही है, परन्तु विवादास्पद तरीके स चुनावों से यह स्पष्ट है न कि सहयोग के तरीके से। मैं चाहता हूं कि यह चर्चा कुछ और समय तक राष्ट्रीय विकास परिषद, जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करती है, वह इस उद्देश्य से समूचे देश में कार्य करें कि इस देश में अपनी आर्थिक और औद्योगिक विकास सम्बन्धी नीति को नई दिशा प्रदान की जा सके और रचनात्मक दृष्टिकोण के साथ योजनाबद्ध रूप से देश आगे और भी प्रगति कर सके।

किसी भी व्यक्ति द्वारा यह कहना गलत होगा कि गरीबी कम नहीं हुई है तथा समृद्धी में अधिक इजाफा हुआ है। 20 और 30 वर्ष पहले लोगों की जो हालत थी उसमे जरा भी सुधार नहीं आया है। हमें ज्यादा व्यावहारिक होना चाहिए। आज स्थिति क्या है? यहां से कोई व्यक्ति यदि यूरोपीय देशों में जाये और वहां के बाजारों, बिक्री मार्केट, रविवार बाजार को देखे तो क्या आप नहीं समझते कि हमारे यहा भी समृद्धशाली देश के लिए सभी तरह के साज सामान उपलब्ध हैं? जो चीजें अमरीका जैसे समृद्ध देश में बेची जाती हैं वे हमारे यहां भी बेची जा रही हैं। क्या आप नहीं देखते हैं कि मध्यम वर्ग के व्यक्ति ज्यादा अमीर हो गये हैं, समृद्ध हो गये हैं। उनकी संख्या बढ़ गई हैं, मध्यम वर्ग के लोगों ने ज्यादा प्रगति की है। मध्यम वर्ग के व्यक्तियों की संख्या को यदि देखा जाए तो जनसंख्या, परिवार, रोजगार व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हुई है। इन सभी दिशाओं मे हमने काफी प्रगति की है। लेकिन हमारे लिए सबसे खेद की बात है कि हम इस भारी बोझ को निर्धन व्यक्तियों के भारी बोझ को उठाए हुए हैं। 40 प्रतिशत देखने में ज्यादा नहीं लगता परन्तु यदि आप इन्हें लाखों में देखे तो 2000 लाख निर्धन व्यक्ति हमारे देश में रहते हैं। 2000 लाख निर्धन व्यक्ति शोचनीय दशा में झोपड़ियों में हमारे देश में रहते हैं। इन 2,000 लाख निर्धन लोगों में से 1500 या 1700 लाख निर्धन व्यक्ति गांवों में रहते हैं अन्य लोगों से यदि इनकी तुलना कीजाए तो इनकी स्थिति बहुत ही खराब दिखाई पड़ेगी। इतना ही नही कि ये लोग आज से 20या 40 वर्ष पहले की स्थिति में ये लोग हैं, अपितु इनका वक्त उससे भी बुरा हो गया है। हमारे लिए खुशी की बात है कि इन लोगों में चेतना आई है। आज से 40 वर्ष पहले इनकी जो स्थिति

थी उसमें जागृति आई है। ऐसा चनावों की वजह से हुआ है। राजनैतिक शिक्षा की वजह से हुआ है। हमने दूसरी शिक्षा का भी विस्तार किया है। राजनैतिक दलों के बीच जो विरोधाभास, संघर्ष और वाद-विवाद चल रहा है उसकी वजह से ऐसा हुआ है। अब उनमें जागृति आई है : वे अपनी निर्धनता के बारे में ज्यादा सचेत हुए हैं। अपनी निर्धनता के बारे में वे जानते हैं और उनकी मदद करने के लिए सरकार को शीघ्र कदम उठाने का कारण यह है कि उनको इस गरीबी से निकालने, और इस हालत से बचाना है। ऐसा वे कैसे कर सकते हैं ? क्या वे ऐसा अपने आप कर सकते हैं। एक दल तो सत्ता में हो अथवा कुछ राज्यों में सम्मिलित सरकार ? मैं नहीं समझता कि यह मुमकिन है। क्या ऐसा करना केन्द्र सरकार या सिर्फ राज्य सरकारों का काम है ? हमारे मित्र इस बारे में बातें कर रहे हैं। हम सभी लोग महात्मा गांधी को उद्धृत कर रहे हैं। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं। इसमें कोई मतभेद नहीं है। किन्तु महात्मा गांधी जी की शिक्षाओं को क्रियान्वित करने में हम उतने कर्त्तव्यनिष्ठ नहीं हैं जितना कि हमें होना चाहिए। हम सभी एक-दूसरे से पृथक होते जा रहे हैं।

वर्षों पूर्व 1908 में उन्होंने वह बात सोची थी जो हम आज सोच रहे हैं, अर्थात् पर्यावरण प्रदूषण। प्रश्न काल में बहुत से सदस्यों ने बार-बार यह कहा कि कृपा करके अपने उद्योग धन्धे नदी के निकट न लगायें, सांस्कृतिक केन्द्रों के नजदीक उन्हें स्थापित न करें क्योंकि इससे प्रदूषण होगा। उन्होंने उस वक्त इस बारे में कहा था। वे नहीं चाहते थे कि काफी संख्या में उद्योग-धन्धे लगाये जायें; वे चाहते थे कि उद्योग गांवों में लगाये जायें। लेकिन किस रूप में बिकेन्द्रीकृत रूप में. लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम भारी या बड़े उद्योग-धन्धे नहीं स्थापित करना नहीं चाहते बिना बड़े उद्योगों के लगाये बिना मध्यम स्तर के उद्योग लगाना हमारे लिए नामुमकिन है। छैनी और हथौड़े हम नहीं बना सकते हैं। कितने लाख लोगों को इन औजारों की जरूरत होगी किस प्रकार उन्हें यह चीजें उपलब्ध होंगी ? प्राचीन काल में बने लकड़ी या पत्थर के औजारों से आज कल काम नहीं चल सकता है। हमारे श्रमिकों को भी इन औजारों, हथियारों को चलाने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए जैसे कि जापानी लोग अपने घरों में इन औजारों से काम करते हैं। जैसा कि जापान में लोग विद्युत की मदद से कार्य करते हैं इन उपायों से हमारे यहां भी काफी तेजी से प्रगति हो सकेगी। इन वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए आपको मशीन बनाने वाली कम्पनियों की आवश्यकता होगी। इन्हें बनाने के लिए आपको बड़े उद्योग लगाने की आवश्यकता है। जवाहर लाल नेहरू ने इस कार्य में अपनी भूमिका निभायी थी। किस समय इसके किस पहलू को लिया जाये यह तो प्राथमिकता की बात है। और इसके बाद कौन सी सरकार राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या तो औद्योगिक जिला का विकास करें या फिर आटो नगर बसाने जैसे काम आदि-आदि। इस पर चर्चा करना जरूरी है, रचनात्मक चर्चा तथा सहयोगी विचारों की आवश्यकता है न कि नकारात्मक मतभेद, अनावश्यक झगड़ा कुछ न कुछ विवाद तो वहां पर होना ही है इसलिए मैं कहता हूं कि यह उचित समय है जब सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और फिर योजना आयोग की मदद से इस विषय को राष्ट्रीय विकास परिषद में ले जाना चाहिए और योजना आयोग की सहायता से अगले तीन वर्षों अथवा पांच वर्षों के लिए धीरे-धीरे इसका विकास करने का तरीका

एक बार फिर ढूंढ निकालना चाहिए और इसका विकास करते समय हमें किसानों और खेतिहर मजदूरों को नहीं भूलना चाहिए। विभिन्न औद्योगिक श्रमिकों असंगठित औद्योगिक श्रमिकों तथा कुटीर उद्योगों के बारे में भी हम काफी कानून पारित कर चुके हैं। इन से अभी भी लोगों को रोजगार मिल रहा है। किन्तु इनसे पूर्णकालीन रोजगार तो नहीं मिल रहा है फिर भी हजारों लाखों व्यक्तियों को इससे रोजगार मिल रहा है। इन सभी को रचनात्मक तरीके से हमारी राष्ट्रीय योजना में इस तरह से फिट करना है कि ये सभी देश को इस दिशा में आगे बढ़ने में मदद कर सकें। एकदम से गरीबी तो समाप्त नहीं हो सकती। परन्तु हम निर्धनता को धीरे-धीरे कर, कम करेंगे। एवं गरीबी से जो दुख एवं पीड़ा होती है वह कम होगी।

[हिन्दी]

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : सभापति महोदय, मैं अभी रंगा जी की बातों को बड़े गौर से सुन रहा था और यही बात मेरे भी मन में आ रही थी कि आजादी के बाद से अभी तक जो कुछ भी एकोनामिक डेवलपमेंट हुआ है उस पर एक नेशनल डिबेट होना चाहिए। मैं उन दिनों स्टूडेंट था जब कि आवड़ी का सेशन हुआ था जिसके कि कांग्रेस ने सोशलिस्ट पैटर्न आफ सोसाइटी का रेजील्यूशन पास किया था और उसके बाद ही इन्डस्ट्रियल पालिसी रेजील्यूशन 1956 आया। पहली बार एकोनामिक फील्ड में एक नया कांसेप्ट दिया गया मिक्स्ड एकोनामी का पब्लिक सैक्टर, प्राइवेट सैक्टर और ज्वाइंट सैक्टर। उसके बाद हमारे लिए यह गौरव की बात है कि थर्ड वर्ल्ड के देशों ने इस एकोनामिक पालिसी को अपनाया और एशिया, अफ्रीका एवं लैटिन अमेरिका के जो देश पिछड़े हुए हैं उन्होंने इस बात को महसूस किया कि गरीब देश के लिए, डेवलपिंग देश के लिए यह जो मिक्स्ड एकोनामी की पालिसी है वही ठीक है।

अभी रंगा जी बात कर रहे थे आजादी के समय से लेकर अभी तक के आर्थिक विकास की। मैं थोड़ा और पीछे ले जाना चाहता हूं··· (व्यवधान)···

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : ज्यादा पीछे न ले जाइए।

डा० गौरी शंकर राजहंस : आप की पार्टी ने तो उस समय अंग्रेजों का साथ दिया था और वे गुलामी के पक्ष में थे···(व्यवधान)

तो मैं कहना चाहूंगा कि आजादी के पहले—यह इतिहास की बात है—कांग्रेस ने अपने अलग-अलग सैशंस में जो एकोनामिक रेजील्यूशन पास किए, सभी एकोनामिक रेजील्यूशस में उसने समाजवाद का पक्ष लिया। पं० जवाहरलाल नेहरू जब इंगलैंड से आये थे पढ़कर, उन्होंने अपनी आटोबायोग्राफी में भी लिया है, उन पर सोवियत सोशलिज्म का असर पड़ा था। उनके मन में एक आग जल रही थी। मुझे अभी भी उनकी बात याद है, मैंने पढ़ा था।

[अनुवाद]

> "मेरे भीतर एक जोश है जो उदीप्त होता रहता है और मुझे लोगों के लिये कुछ करने के लिये प्रेरित करता रहता है और जो मुझे मरने से पहले अवश्य करना चाहिये।"

उन्होंने उस समय कहा था एकोनामिक रेजोल्यूशन के टाइम पर, यह आजादी से पहले की बात है, और उस शख्स के अन्दर गरीबों के लिए जो आग थी, उसको उन्होंने आजादी के

बाद कार्यान्वित करके दिखलाया। उनपर, जो सोवियत रक्षा में सोशलिस्ट रेवोल्यूशन हुआ था, उसका बहुत बड़ा असर था और उन्होंने इस बात को एडमिट किया है। उन्होंने इन्दिराजी को जो चिट्ठी लिखी थी आजादी के पहले जेल से उसमें लिखा है कि यह जो रूस में रेवोल्यूशन हुआ है मजदूरों का, सर्वहारा वर्ग का, उससे मैं बहुत अधिक प्रभावित हुआ हूं और उस भावना को वे अपनी एकोनामिक फिलासफी में लाये। पब्लिक सैक्टर का कंसेप्ट पहली बार उन्होंने इस देश में दिया था। आज हम जब पीछे लौटकर देखते हैं तो सोचते हैं यदि पब्लिक सैक्टर इस देश में नहीं हुआ होता तो इस देश की क्या बुरी हालत हुई होती ? उस समय आजादी से पहले इस देश में इंजन से लेकर सुई तक हम इम्पोर्ट करते थे लेकिन आज शायद ही कोई ऐसी चीज हो जो हम इम्पोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट नहीं करते हैं। क्या यह उस महान नेता को श्रद्धांजलि नहीं है जिसने कि देखा कि भविष्य में इस देश की क्या आर्थिक नीति होनी चाहिए। उन आर्थिक नीतियों का कुछ कार्यान्वयन तो जवाहर लालजी ने ही अपने जीवन-काल में किया, इन्दिरा जी ने उन आर्थिक नीतियों को आगे बढ़ाया। 1980 के इण्डस्ट्रियल-पालिसी रेजोल्यूशन में जो चेंज हुआ, उससे इस दिशा में देश एक कदम और आगे बढ़ा और राजीव जी ने जो चेंज किया, मैं कहूंगा कि बहुत सही दिशा में यह चेंज किया है। यदि हम विदेशों से टैक्नालाजी नहीं लायेंगे तो देश को हम कहां पीछे ले जाना चाहते हैं ? जिन लोगों ने जापान का इतिहास पढ़ा है—उनको मालूम होगा कि जापान में एक बहुत क्लोज्ड सोसायटी थी। वे विदेश से लोगों को न आने देते थे और न जाने देते थे और नहीं वे विदेश की किसी बात को मानते थे। लेकिन बाद में वहां पर एक रेवोल्यूशन आया और जापान में मार्डानाईजेशन की बात लाई गई। हालांकि वर्ल्ड-वार में जापान को बहुत बड़ा धक्का लगा था लेकिन माडर्नाईजेशन की नीति को अपनाने के बाद आज सारी दुनिया में जापान इण्डस्ट्रियलाईजेशन में अपनी पताका फहरा रहा है।

ऐसी स्थिति में मैं कहना चाहता हूं कि हम भी दूसरे देशों से कुछ सीखें। और मैं नहीं समझता हूं कि राजीव जी ने जो प्रैक्टिकल इण्डस्ट्रियल पालिसी अपनाई है, उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है ? आज दुनिया कंम्प्यूटर की एज में जा रही है, आज दुनिया चांद पर जा रही है, क्या आप अपने को बैलगाड़ी की एज में ले जाना चाहेंगे ? जो लोग यह कह रहे हैं कि इस देश में समृद्धि नहीं आई है, या लोगों की हालत ठीक नहीं हुई है, वे केवल सच्चाई से अपना मुंह मोड़ना चाहते हैं। मैं खुद इस बात को बराबर दोहराता हूं कि जितना खर्चा देहातों में हो रहा है, उस अनुपात में लोगों तक फायदा नहीं पहुंच रहा है लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि जिन लोगों को आज से दस, वीस या तीस वर्ष पहले की याददाश्त है, वे जानते होंगे कि आज कितना कुछ हुआ है। पहले हम देहातों में मीलों दूर-दूर तक चले जाते थे, एक साइकल भी नजर नहीं आती थी, लेकिन आज देहातों में मोटर-साइकिलें और स्कूटर आगे दिखाई देते हैं। पहले पक्की सड़क कहीं नजर नहीं आती थी, लेकिन आज बहुत से गांव ऐसे हैं, जो पक्की सड़कों से जुड़े हुए हैं। आप बताइए कि अकाल से लोग कितने मर रहे हैं और आज कौन भुखमरी से मर रहा है। कैसे आप कह सकते हैं कि लोगों की हालत सुधरी नहीं है। मैडम चैयरमैन, इसमें कहा गया है कि फारन-बारोइंग के कारण हमारी इकोनोमिक इंडिपेंडेंस खत्म हो रही है। आप कभी थोड़ा गौर करके विदेशो की तरफ भी देखिए ; हमने आईएमएफ के डैट को इन्कार कर दिया और

आईएमएफ ने कहा कि जितनी अच्छी आर्थिक स्थिति हिन्दुस्तान की है, उतनी अच्छी आर्थिक स्थिति थर्ड-वर्ल्ड में किसी देश की नहीं है। मैं एक दूसरी बात आपको बताता हूं। लैटिन-अमरीका के देश फौरन डेट से बुरी तरह से पिसे हुए है, सिर उठाने की उनकी हिम्मत नहीं है। हम भी तो विदेशों से कर्ज लेकर इस देश में खुशहाली लाते हैं, लेकिन हमने वह नहीं किया क्योंकि हम जानते हैं कि वह क्या ट्रिक है। उसके बदले उलटा कहते हैं कि हम विदेशी ऋणों से दबे हुए हैं। श्रीमन् दिन को दिन कहिए, दिन को रात कहने से बात नहीं चलेगी। ज्यादा से ज्यादा आप इसको कह देंगे कि हम फारन-डेट से दबे हुए हैं, लेकिन कोई इस बात को विश्वास नहीं करेगा।

मैं संक्षेप में यही कहना चाहता हूं कि देश की आर्थिक स्थिति जितनी अच्छी आज है, उतनी अच्छी कभी नहीं हो सकती थी। यदि हमारी आर्थिक पालिसी खराब थी, इंडस्ट्रियल पालिसी खराब थी, तो तीन साल तो अपोजिशन की पार्टीज भी पावर में आई, क्यों नहीं आपने इंडस्ट्रीयल पालिसी को बदल दिया। मैं तो कहता हूं कि आप में तो हिम्मत है, हमारे में नहीं है, लेकिन आप हमारी फारन-पालिसी को भी नहीं बदल सके, क्योंकि हमारी पालिसी अच्छी थी, तभी आपने इस पालिसी का अनुकरण किया।

एक माननीय सदस्य : उसका हिन्दी में अनुवाद किया था।

डा० गौरी शंकर राजहंस : मैं तो कहूंगा कि सच बात कहिए, क्योंकि झूठी बात कहने से, गलत बात कहने से लोग भ्रम में पड़ जाते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, यदि आप इस रिजोल्यूशन के लाने के बदले आप हमारी आर्थिक नीतियों की तारीफ करते, सच बात कहते और हम कहते कि आपने सही मायनों में कन्स्ट्रक्टिव मैटर्स में हमारा साथ दिया है। मैं कहूंगा कि अभी भी आप इस रिजोल्यूशन के बदले रियलिस्टिक इकोनोमिक-रिजोल्यूशन लाइए। रियलिस्टिक इकोनोमिक कंडीशन्स हैं, तभी इस देश के लोग तारीफ करेंगे। नहीं तो जो आपके प्रदेश में हो रहा है, अनर्थ हो रहा है, कम से कम वह कल्चर तो सेन्टर में न लाइए।

[अनुवाद]

श्री अजय विश्वास (पश्चिम त्रिपुरा) : श्री भट्टम श्री राममूर्ति ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है, मैं उसका पूरी तरह समर्थन करता हूं। मैं समझता हूं कि देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति बहुत ही संकटमय है। इस बात से सत्ता पक्ष भी इन्कार नहीं कर सकता। इस समय हम बहुत ही संकटपूर्ण आर्थिक स्थिति का सामना कर रहे हैं।

1956 में जो औद्योगिक नीति अपनाई गई थी, उसे 1980 में बदल दिया गया है। 1980 की औद्योगिक नीति में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों एवं एकाधिकार घरानों को काफी अवसर दिये गए हैं। पूर्व में भी अगर एकाधिकार घरानों को अपनी क्षमता अथवा उद्योग का विस्तार करना होता था तो उन्हें एम० आर० टी० पी० अथवा एफ० ई० आर० ए० के अन्तर्गत अनुमति लेनी पड़ती थी। परन्तु 1980 की औद्योगिक नीति में यह कहा गया है कि एकाधिकार घरानों को एम० आर० टी० पी० अथवा एफ० ई० आर० ए० के अन्तर्गत अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। यहां तक कि गैर-कानूनी विस्तार को भी कानूनी बना दिया गया है और परिणामस्वरूप, एकाधिकार घरानों की परिसम्पत्ति में वृद्धि हुई है। मैं 1980 का जब यह नई औद्योगिक नीति आई है, एक उदाहरण दूंगा। 1980 में, 20 एकाधिकार घरानों की कुल परिसम्पत्ति 7,61 .20

करोड़ रुपये के लगभग थी। अब यह 1984 में बढ़कर 14922.78 करोड़ रुपये हो गयी है। 4 वर्ष के दौरान एकाधिकार घरानों की परिसम्पत्ति लगभग 7600 करोड़ रुपये से बढ़कर 14,900 करोड़ रुपए हो गयी। अत: इससे सिद्ध होता है कि 1980 में जो औद्योगिक नीति शुरू की गयी है वह एकाधिकार घरानों को अपने उद्योगों तथा अपनी परिसम्पत्तियों का विस्तार करने में सहायक है आप यह कैसे फैसला करेंगे कि कोई देश प्रगति कर रहा है? क्या माप दंड है? माप दंड लोगों के रहन-सहन की स्थितियां है। यह मापदंड होना चाहिए। हमें केवल इसी आधार पर पता लगाना चाहिए।

हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि वह देश को 21वीं सदी में ले जायेंगे। इसका क्या अर्थ है? 21वीं सदी में भारत के लोग में और अधिक भुखमरी और अधिक बेरोजगारी होगी तथा भूख से मरने वालों की संख्या और अधिक होगी। हमारा सम्बन्ध तीसरी दुनिया से है।

(व्यवधान)

तीन दुनियां हैं। पहली दुनिया पूंजीपतियों की है, दूसरी दुनिया समाजवादियों की है तथा तीसरी दुनिया में अविकसित देश आते हैं। हमारा सम्बन्ध तीसरी दुनिया से है, जैसाकि मैंने पहले उल्लेख किया है।

श्री अजय मुशरान (जबलपुर) : आप दोनों से सम्बन्ध रखते हैं।

श्री अजय बिश्वास : तीसरी दुनिया की क्या स्थिति है? तीसरी दुनिया में, इस समय 500 मिलियन लोग गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं, वास्तव में वे भूखे जीवन यापन कर रहे है और उनकी अधिकांश संख्या भारत में है। 500 मिलियन लोगों में से, 40 मिलियन लोग -- जिसमें से आधे बच्चे हैं—प्रतिवर्ष भूख और कुपोषण से मर जाते हैं। 1982 में जो लोग भूख और कुपोषण से मरे अगर आप प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक मिनट का मौन धारण करने का निश्चय करें तो आप 21वीं सदी के आगमन का स्वागत नहीं कर पायेंगे क्योंकि आपको मौन रहना पड़ेगा तीसरी दुनिया में 00 मिलियन बच्चे, जो पांच वर्ष से कम उम्र के हैं। कुपोषण का शिकार हैं एफ०ए०ओ० ने प्रतिवेदन दे दिया है। 21वीं सदी म भूखे बच्चों की संख्या 500 मिलियन से बढ़कर 650 मिलियन हो जायेंगी। प्रधानमंत्री कहते हैं कि वह इस देश को 21वीं सदी में एक समृद्ध राष्ट्र के रूप में ले जायेंगे। मुझे इस पर विश्वास नहीं होता।

'यूनस्को' के प्रतिवेदन के अनुसार तीसरी दुनिया में 814 मिलियन लोग अशिक्षित हैं, और 50 से 60 प्रतिशत अशिक्षित लोग इस देश में रह रहे हैं। 'यूनस्को' के प्रतिवेदन के अनुसार 21वीं सदी में यह संख्या बढ़कर 1000 मिलियन हो जायेगी।

तीसरी दुनिया में बेरोजगारों की संख्या 500 मिलियन है, जिसमें कृषि क्षेत्र भी सम्मिलित हैं, और 21वीं सदी में इनकी संख्या बढ़कर 880 मिलियन हो जायेगी। समाजवादी देशों में उदाहरण के तौर पर सोवियत संघ में, 1930 में रोजगार कार्यालयों को बंद कर दिया गया था। 1917 में, सोवियत संघ में महान क्रान्ति हुई थी और 13 वर्षों में ही उन्होंने रोजगार कार्यालयों को बन्द करने का फैसला कर लिया क्योंकि कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं था।

श्री अजय मुशरान : ऐसा प्रतीत होता है कि ये भारत से अधिक सोवियत संघ के बारे में जानते हैं।

श्री अजय बिश्वास : सोवियत संघ में शत-प्रतिशत साक्षरता है और वहां पर कोई मुद्रा-स्फीति भी नहीं है। 25 वर्ष पूर्व, मीट 2 रूबल प्रति किलो बेचा जाता था और वही मूल्य अभी भी चल रहा है। वस्तुओं की कीमतें वही चल रही है जो 20 या 30 वर्ष पूर्व निर्धारित की गयी थी। चीन और सोवियत संघ में सामाजिक सुरक्षा है। आप कौन सा रास्ता चुनेंगे ? अगर आप पूंजीपतियों के मार्ग को चुनते हैं तो आपको इन्हीं परिणामों का सामना करना पड़ेगा जिनका आप इस समय मुकाबला कर रहे हैं। अगर आप समाजवाद का मार्ग, समाजवादी मार्ग द्वारा विकास, चुनते हैं तो आप गरीबी, बेरोजगारी तथा अन्य समस्याओं को दूर कर सकेंगे। परन्तु, दुर्भाग्य से हम पूंजीपति मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। समस्या यह है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : उन्हें अपना भाषण समाप्त करने दें। कृपया अपनी बात खतम करने का प्रयास करें।

श्री अजय बिश्वास : 1971 में आई० एम० एफ० तथा अन्य पूंजीवादी राष्ट्रों ने तीसरे विश्व के देशों को 70 मिलियन डालर का ऋण दिया था और यह 1982 में बढ़कर 650 मिलियन डालर हो गया है। आई० एम० एफ० ने प्रतिबंध लगाए हैं कि तीसरे विश्व के देशों को भारत सहित कतिपय उपायों का अनुसरण करना होगा। आप इससे इंकार नहीं कर सकते। इस कारण से आपने अपनी औद्योगिक नीति को परिवर्तित कर दिया है, इस कारण से आपने अपनी आर्थिक नीति को बदल दिया है। आपकी नई आर्थिक नीति क्या है ? इसे तीसरे विश्व में पांच या छः वर्ष पहले लागू किया गया था। यह कोई नई नीति नहीं है। यह आई० एम० एफ० तथा विश्व बेंक के कहने पर आप कर रहे हैं।

आप हमसे नई प्रौद्योगिकी की बात कर रहे हैं। अमरीकी विकास बेंक के अनुसार, पूंजीवादी राष्ट्रों द्वारा अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों को जो प्रौद्योगिकी दी गयी है वह 70 प्रतिशत पुरानी है। तीसरे विश्व के राष्ट्रों ने प्रौद्योगिकी के लिए 35 बिलियन डालरों की अदायगी की है। बहुत से प्रतिबंध लगे हुए हैं। आप अपने उत्पाद का आयात नहीं कर सकते···

सभापति महोदया : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री अजय बिश्वास : महोदया, सिर्फ पांच मिनट में मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

कृषि के संबंध में, स्थिति क्या है ? कृषि में कार्यरत कुल वर्क फोर्स का अनुपात 1951 में 57.5% था, 1961 में यह 69.5% था, 1971 में यह 69.5% था और 1981 में यह 66.5% था। इससे सिद्ध होता है कि 35 वर्षों की योजना और औद्योगिक प्रगति के बावजूद, कृषि में कार्यरत वर्क फोर्स का अनुपात नीचे नहीं आया है।

कृषि से प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रीय उत्पाद सही अर्थों में योजना और विकास के सभी दशकों में स्थिर रहा है।

अब मैं 1970-71 के मूल्यों के आधार पर प्रति व्यक्ति एन० डी० पी० की बात करूंगा। 1951-53 में यह 405 66 था, 1976-83 में यह केवल 415.61 था। वृद्धि दर मात्र 2 प्रतिशत थी। यह केवल 2 प्रतिशत अधिक थी और यह शून्य वृद्धि दर थी। प्रति व्यक्ति वास्तविक एन० डी० पी० कृषि में स्थिरीकरण का अर्थ है कि दो तिहाई से अधिक भारतीय जनसंख्या की वास्तविक वार्षिक आय में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

आपके दल के सदस्यों ने कहा है कि ग्रामीण लोगों की खरीद शक्ति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यह सही है क्योंकि वास्तविक आय में कोई वृद्धि नहीं हुई है। आप कह रहे हैं कि इस समय हमारे भंडार में 35 मिलियन टन खाद्यान्न है। यह इसलिए है कि लोगों के पास खरीदने की शक्ति नहीं है और इस कारण आप इतना अधिक खाद्यान्न जमा कर पाये हैं। अगर उनके पास खरीद शक्ति होती तो आप इतना खाद्यान्न जमा नहीं कर सकते थे। आप 35 मिलियन टन खाद्यान्न इसलिए जमा है क्योंकि लोगों के पास खरीदने की शक्ति नहीं है।

मेरा सुझाव है कि सरकार को अपनी नीति बदलनी होगी। आपको किसानों को भूमि देनी होगी। लोगों की खरीद शक्ति को बढ़ाना होगा। अगर लोगों की खरीद शक्ति बढ़ती है केवल तभी वे औद्योगिक वस्तुओं को खरीद सकेंगे · हमें अपने ही देश में मार्किट तैयार करनी होगी। अब केवल कुछ मुट्ठीभर लोग ही रंगीन टी. वी. तथा अन्य चीजें खरीद सकते हैं और सरकार इस उद्योग को आयात की अनुमति दे रही है। आम व्यक्ति के इस्तेमाल के उद्योगों के मामले में आप कुछ नहीं कर रहे हैं। क्योंकि खरीद शक्ति को बढ़ाना होगा, इसके बिना, वर्तमान आर्थिक स्थिति को बदलना संभव नहीं है। अतः अन्त में, मैं कहना चाहूंगा कि वर्तमान आर्थिक नीति को बदलने का समय आ गया है और आपको समाजवाद का मार्ग अपनाना पड़ेगा वही केवल देश को बचा सकेगा।

[हिन्दी]

श्री मनोज पांडे (बेतिया) : सभापति महोदया, यह रेजोल्यूशन विरोधी दल के माननीय सदस्य श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति द्वारा लाया गया है। इसमें बहुत सारी बातें ऐसी कही गई हैं, जिसको देखने से यह लगता है कि शायद श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति अपने राइटिंग आन दी वाल को पढ़ नहीं पा रहे हैं।

5 00 म०प०

(श्री एन० वेंकटरत्नम पीठासीन हुए)

आज की परिस्थिति में जो आर्थिक नीति केन्द्र सरकार भारत की जनता को दे रही है, हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत विस्तृत रूप से उस विषय पर चर्चा की। यह सभी जानते हैं और व्यक्तिगत तौर पर इसकी चर्चा बराबर करते भी हैं कि हमारे देश ने एग्रीकलचर के सेक्टर में, इंडस्ट्री के सेक्टर में और दूसरे सेक्टर्स में अभूतपूर्व सफलता हासिल की है, इसमें कोई दो मत नहीं है। हमारी कमियां पालिसी में नहीं हो सकती, हमारी कमियां उस पालिसी को लागू करने में हो सकती हैं। यह बात हमने कई बार कही है और इस पर इस पक्ष ने तथा उस पक्ष ने दोनों ने चर्चा की है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम जो पालिसी परस्यू कर रहे हैं, जिस परिप्रेक्ष्य में हमें इस पालिसी को ले जाना चाहिये, जो दिशा होनी चाहिए उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ी इम्प्लीमेंटेशन के जो आस्पेक्ट्स हैं, उसमें हैं। जो इम्प्लीमेंटेशन की गड़बड़ी हैं उनके चलते कभी-कभी हम भी धोखा खा जाते हैं, इसमें दो मत नहीं हैं।

मान्यवर, सबसे आवश्यक चीज हम यह कहना चाहेंगे आज कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, यह बात हम हमेशा कहते हैं और वास्तव में यह बात सही भी है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। कृषि में भी हमने एक बहुत बड़ी अभूतपूर्व सफलता हासिल की है पिछले 35-40 सालों में, इसमें भी दो मत नहीं हैं। हम यहां यह बात अवश्य कहना चाहेंगे कि किसानों

से सम्बन्धित जो उद्योग होने चाहिए वह हम आज तक स्थापित नहीं कर पाए उस तादाद में जिस तादाद में आज आवश्यकता है यह बात बिलकुल सही होना चाहिए इसलिए कि किसान और मजदूर दो ऐसे वर्ग हैं जिनके विषय में बराबर इस सदन में चाहे विरोधी दल की तरफ से हो या हमारे दल की तरफ से चर्चा होती है। किसान और मजदूर दोनों ही आबादी के मुख्य अंश हैं। आज 560 मिलियन आबादी किसानों और मजदूरों की है जो सुदूर देहातों में रहते हैं और हमारी पालिसी भी इनको फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई है। हमारी पालिसी में और इस वर्ष का बजट आया है उसमें और पुराने सभी बजटों में उन लोगों की कंडीशन को बराबर मद्देनजर रखा गया है जो आज हमारे देहातों में रहते हैं। दुर्भाग्यवश स्थिति यह हो जाती है कि जो पालिसी हम बनाते हैं उसके कार्यान्वयन में जब कमी हो जाती है तो हमने जितना पैसा गांवों में खर्च किया, उतना पैसा खर्च होने के बाद भी स्थिति जैसी की तैसी रहती है, यह बात हम सब मानते हैं, क्योंकि हमारे कार्यान्वयन में कहीं गलती है। हमें अधिकारियों के रूप में, कर्मचारियों के रूप में ऐसे लोग नहीं मिलते हैं जो इस परिस्थिति को समझें और देश को मजबूती प्रदान करने में अपना-अपना हिस्सा लगायें। यह जो थोड़ी सी कमी है इस कमी को कोई सरकार दूर नहीं कर सकती। मेरे कहने का मतलब यह है कि सिर्फ सरकार के चाहने से मुलाजिम जो कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी है वह सही हो पायेंगे, मैं इसको नहीं मानता हूं। मैं सिर्फ यह मानता हूं कि देश के प्रति आत्म-समर्पण की भावना में कुछ कमी आई है और उसी के कारण ये कमियां आज हमें कई दिशाओं में परिलक्षित होती हैं। आज यदि हम नेशनल कमिटमेंट की बात करें, इन पौलिसीज को नेशनल कमिटमैंट के रूप में लागू करायें और जिन एजेन्सीज पर इन पौलिसीज को लागू करवाने की जिम्मेदारी है, उनमें थोड़ा व्यक्तिगत तौर पर नेशनल कमिटमैंट की भावना पैदा कर सकें तो वह हमारी बहुत बड़ी उपलब्धी होगी। मैं यह नहीं कहता कि हमारे पदाधिकारियों में नेशनल कमिटमेंट की भावना नहीं है, उनमें नेशनल कमिटमेंट की भावना विद्यमान है, यह बात सही है लेकिन व्यक्तिगत तौर पर हर व्यक्ति को यह समझना होगा कि इस देश को एक महान देश बनाना है। मात्र हम जो चन्द लोग पब्लिक रिप्रेजेन्टेटिव के रूप में यहां बैठे हुए हैं, उनके समझने से ही काम नहीं होगा, इसमें समय लगता है, पब्लिक कान्शयसनेस एराउज करने में काफी समय लगता है। हमारा देश बहुत विशाल देश है और यहां बहुत सारी बातें परम्पराओं के अनुसार हुआ करती हैं, आज भी होती हैं। जब हम अपनी तुलना दूसरे देशों से करते हैं तो अपनी बहुत सी ऐसी बातें भूल जाते हैं जो हमारे देश में विद्यमान हैं, दूसरे देशों में नहीं हैं। इसीलिए हमारा देश बहुत महान है। आवश्यकता इस बात की है कि अपनी परम्पराओं को साथ रखते हुए हम इन इकानौमिक पौलिसीज को लागू करें हमें अभी काफी लम्बा रास्ता तय करना है और उस रास्ते को हम जल्दी तय नहीं कर पायेंगे। उदाहरण के लिए, मैं आपका ध्यान पौपूलेशन कन्ट्रोल की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। जब तक जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम को हम भलीभांति लागू नहीं करेंगे तब तक चाहे जितनी पौलिसीज बना लें, हमें सफलता नहीं मिल सकती। हमारी सब समस्याओं की जड़ में यह है उसका कारण यह है कि हमारे पास साधन सीमित हैं फिर आप कहते हैं कि विदेशों से मदद न ली जाए। आज जिन परिस्थितियों से होकर हम गुजर रहे हैं, उसमें यदि पौपूलेशन कन्ट्रोल नहीं कर पाये तो हमें सफलता

प्राप्त होना संदिग्ध है। मैं मानता हूं कि इस सबके बावजूद कुछ अच्छे काम भी हमारे देश में हुए हैं परन्तु जब तक पोपूलेशन कन्ट्रोल प्रोग्राम पूरी तरह से सफल नहीं कर पायेंगे तो हम चाहे कितने भी साधन मुहैया कर लें, इस तरह के हजार रिजोल्यूशन्स पास कर लें, उन सबका कोई असर होने वाला नहीं है। उसका कारण यह है कि हम इन्सानों के लिए पोलिसी बना रहे हैं। हमारे देश में जिस तरह से इन्सानों की संख्या बढ़ती जा रही है, अपनी पोलिसीज में हमें उन तथ्यों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। जिस तरह से हम हरवर्ष प्लानिंग करते हैं, यदि हमारी पोपूलेशन बढ़ती ही चली गई तो चाहे हम कितना ही पैसा जुटा लें, हम सभी लोगों की वास्तविक रूप में मदद नहीं कर पायेंगे, हमें सफलताएं नहीं मिलेंगी, उन उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पायेंगे, जिनको लेकर हमने योजनायें बनायी हैं, लोगों को संविधान में प्रदत्त सुविधायें उपलब्ध नहीं करवा पायेंगे। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता पोपूलेशन कन्ट्रोल प्रोग्राम्स के सफलतापूर्वक लागू किए जाने की है। इस विषय में हमारे प्रधानमंत्री जी ने कई अवसरों पर चर्चा भी की है कि सभी समस्याओं की सफलता इसी पर आधारित है। यही कारण है कि पिछले एक दो दशकों में इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दी जाने वाली धनराशि में काफी वृद्धि की गई है। मैं इस मत का हूं कि पहले की तुलना में पोपूलेशन कन्ट्रोल प्रोग्राम काफी सशक्त रूप में हमारे सामने आया है और इस दिशा में अच्छे काम हो रहे हैं, हमारी सरकार पूरी तरह से प्रवत्त है, जिसकी मैं सराहना करता हूं। लेकिन इसमें सबसे आवश्यक चीज यह है कि हर इंसान को यह समझना चाहिए कि क्या हम इस देश को शक्तिशाली बना रहे हैं, मैंने अभी जिस नेशनल कमिटमैंट की भावना का जिक्र किया, वही इसका सबसे मुख्य आधार है। यदि पोपूलेशन कन्ट्रोल प्रोग्राम हम पूरी तरह इम्पलीमैंट नहीं कर पाये तो वह हमारा फेल्योर होगा, फिर हम चाहे कितनी इकानोमिक पोलिसीज बना लें या लागू कर लें, उनका फायदा लोगों तक वास्तविक रूप में नहीं पहुंचेगा, जिनके लिए हमने वे योजनाएं या पोलिसीज तैयार कीं और लागू कीं।

दूसरी बात जो बहुत ही आवश्यक है, वह है पब्लिक सैक्टर के विषय में, जो मैं इस सदन में आपके माध्यम से उठाना चाहता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इस संकल्प के लिए नियत किया गया समय 5.50 म०प० पर समाप्त हो जायेगा। क्या सभा इस संकल्प का समय बढ़ाने के लिए सहमत है।

एक माननीय सदस्य : यह एक महत्वपूर्ण मामला है। हम इसका समय एक घंटे बढ़ा दें।

श्री चिंतामणि जेना (बालासोर) : यह एक महत्वपूर्ण विषय है। हम समय को दो घंटे तक बढ़ा दें।

कई माननीय सदस्य : हां, दो घंटे।

सभापति महोदय : इस संकल्प का समय दो घंटे के लिए बढ़ाया जाता है।

[हिन्दी]

श्री मनोज पांडे : मान्यवर, आज की परिस्थिति में सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता का मुद्दा यह है कि हम मदद किन की करना चाहते हैं। आज कोई भी सरकार हो, वह अपनी प्राथमिकता का मुद्दा यही रखती है। हमारी सरकार ने भी अपने इस बजट और इससे पहले के बजटों में

यह दिखा दिया है कि हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं। उनकी चर्चा यहां पर तमाम मेम्बरान ने की है। इसके अन्दर सबसे महत्वपूर्ण बात गरीबी का उन्मूलन करने की है। अगर आज हम कहें कि हमारी इकनौमिक पालिसी खराब है और देहात में इंडस्ट्री नहीं ले जा रहे हैं, तो क्या मैं उन मेम्बरान से यह पूछ सकता हूं जो यह बात कहते हैं, क्या देहातों में इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है इंडस्ट्रीज खड़ी करने के लिए और अगर हम देहातों में इंडस्ट्री खड़ी करना भी चाहें, तो जो इन्फ्रास्ट्रक्चर वहां बनना चाहिए अभी तक हम उसको नहीं बना पाए हैं। यह बात सही है। आज हम यह कहें कि देहात के किसी आदमी को हम इंडस्ट्रियलिस्ट बना दें, उसको पैसे भी दे दें, उसको सारी सुविधाएं भी दे दें, लेकिन वह सफल नहीं हो पाएगा। क्योंकि वहां इन्फ्रास्ट्रक्चर बन नहीं पाया है। जैसा इन्फ्रास्ट्रक्चर हमने अन्य स्थानों मे बनाया है, वैसा ही इन्फ्रास्ट्रक्चर हम ग्रामीण क्षेत्रों में बनाएं, तब हम यह बात कह सकते हैं कि रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन देहातों में होना चाहिए। आज की परिस्थिति के अनुसार देहातों के विषय में बराबर चर्चा हुआ करती है। हमने वैसे देहातों में इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की है और फायनेंश्यल कंस्ट्रेंस भी आए हैं, लेकिन समुचित ढंग से जो इन्फ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए वह अभी बना नहीं है।

मान्यवर, श्रीमती इंदिरा गांधी जी की पालिसी के आधार पर हमने 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम तैयार किया है जिसके अनुसार देहातों में बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर बन रहा है और इसमें काफी बड़ी धनराशि भी खर्च की जा रही है। यह एक बहुत अच्छा काम है। मैं समझता हू इससे शायद हमारे भट्टम श्रीराम मूर्ति भी एग्री करेंगे कि हमारे इस बीस सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम के आधार पर, आज देहातों में हमारे यहां के लोग हमको कहते हैं कि इसका कार्यान्वयन हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद वे भी अपने क्षेत्र के देहातों में जाते होंगे, वहां उनको एन०आर०ई०पी० और आर० एल०ई०जी०पी० के काम जरूर दिखाई देते होंगे। सही बात यह है कि इतना भ्रष्टाचार होने के बावजूद भी देहातों में सड़कें और इन्फ्रास्ट्रक्चर जो तैयार हो रहे हैं, वह हमें आज भी देखने को मिलते हैं. इस चीज को नकारा नहीं जा सकता। जो चीज सही है, वह सही है। हमने खुद कहा कि अगर क्रियान्वयन में तेजी लाई जाए, कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण चीज नेशनल कमिटमैंट का होता है, यदि उसका प्रवाह हम इन कर्मचारियों से करा सकें तो यह बड़ी उपलब्धि होगी। हमारी पालिसी में कहीं कमी नहीं है।

सही बात यह है कि ऐसे बेसिक इन्फ्रा-स्ट्रक्चर हम देहातों में तैयार करते हैं तो उसके बाद हमारी इकनामी का मूल्य थ्रस्ट देहात की तरफ इंडस्ट्रियलायजेशन का होना चाहिए, क्योंकि किसी भी देश की आमदनी बढ़ाने में एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन एग्रीकल्चर से ही वह देश अमीर नहीं हो जाया करता, एग्रीकल्चर के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशनका प्रासेस और उसके बाद ही कोई देश अपने आप को अमीर कर सकता है। यह बात इतिहास की है, मात्र एग्रीकल्चर से ही हम इस देश को धनी नहीं बना सकते। एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री में कन्वर्ट करना होगा।

सभापति महोदय, आप भी हैदराबाद में हमारे साथ रहे हैं, हमने साथ-साथ बैठकर काफी इस विषय पर चर्चा की है और यह बात बिल्कुल जायज है कि स्माल स्केल सैक्टर को आज एग्रीकल्चर से जोड़ने की बात जरूर कर सकते हैं और जब इन्फ्रा-स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, एग्रीकल्चरल

मार्केटिंग की व्यवस्था कर रहे हैं, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को बढ़िया से बढ़िया तैयार करके एक्सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं तो क्या हमारी इकनामिक पालिसी खराब है ? क्या किसान को इससे लाभ नहीं हो रहा है ?

टोबैको ग्रोअर्स पर आज सुबह यहां चर्चा हुई है । मैं मानता कि जितना उनको मिलना चाहिए, पूरे का पूरा नहीं मिल पाता, लेकिन फिर भी टोबैको ग्रोअर्स हमसे अच्छे हैं । यह बात मैं इसलिए कहता हूं कि हम ट्रेडीशनल फार्मिंग करने वाले परिवार से आते हैं, जो ट्रेडीशनल तरीके से फार्मिंग कर रहे हैं, आज उनका भी कांशसनेंस का लेवल बढ़ा है, कैमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज हो रहा है और इससे किसानों को फायदा हुआ है, हमारी आमदनी बढ़ी है, यह बात तय है ।

यह सही बात है कि एग्रीकल्चर को इण्डस्ट्री में ग्रुप करने का प्रोसेस होना चाहिए, वह अब धीरे-धीरे शुरू हो रहा है, लेकिन इसमें अभी और भी धनराशि खर्च करने की आवश्यकता है और हमारा मुख्य थ्रस्ट जो हमारे बजट में है,वह स्माल स्केल सैक्टर को रूरल लुक देने का है और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका एग्रो इण्डस्ट्रीज की आती है जो कि कंज्यूमर्स आइटम के रूप में हमारे सामने है । आज कंज्यूमर्स आइटम की बहुत बड़ी डिमांड है और इसके लिए बहुत बड़ी धनराशि भी इस पर खर्च की जा रही है । वास्तव में जो थोड़ी बहुत कार्यान्वियन की कमी है, उसको यदि हम पालिसी की कमी कहेंगे तो उसमे हम सब गलत दिशा की ओर जा रहे हैं ।

हमारी कार्यान्वियन की कमी में बहुत सारी चीजें हमारी बनाई हुई नहीं है, हमारी मान्यताओं की बहुत सारी कमियां हैं । उनको भी नई दिशा देने की आवश्यकता है और इसको समझने की आवश्यकता है ।

मैं समझता हूं कि हमने पिछले 40 वर्षों में बहुत महत्वपूर्ण तरीके से तरक्की की है और इस तरक्की का रूप अपनी इकनामिक पालिसी के द्वारा हम उन लोगों को भी देने जा रहे हैं जो आज तक इससे वंचित रहे हैं, उस फल को खाने में । आखिर हम इस देश के नागरिक हैं । संविधान में सबका बराबर का हिस्सा उस फल में है, जो फल यहां पैदा हो रहा है । पहले यह गड़बड़ी हुई है कि इस फल में बराबर का हिस्सेदार वह व्यक्ति व्यक्ति नहीं बन पाया जो गांव के अन्तिम छोर पर है । यह बात सही है कि डिस्ट्रीब्यूशन और क्रियान्वयन की कमी है । इसमें इकानमिक पालिसी की कमी नहीं है । सबसे आवश्यक बात यह है कि उस फल का वह हिस्सा जिस पर उनका हक है वह उन तक पहुंचे । वैसे तो उसको पहुंचाने के प्रयास भी हो रहे हैं । सरकार इस मामले में प्रयत्नशील भी है । इसमें अविश्वास की कोई गुंजाइश नहीं है । अगर अविश्वास आप करते हैं तो यह आप राजनीति के रूप में अविश्वास कर सकते हैं । लेकिन अविश्वास के रूप में अविश्वास करना बड़ी खराबी होगी । जब हम खुद ही इस काम को करने में आपसे एक-डेढ़ कदम आगे हैं तो आप हमें क्या बोलेंगे ? आप पहले स्वयं को देखें ।

इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देता हूं ।

श्री उमा कांत मिश्र (मिर्जापुर) : सभापति जी, मैं आपका बहुत समय तो नहीं लूंगा । वैसे आज आप बहुत उदारता से सब को बोलने का समय दे रहे हैं ।

आर्थिक नीतियों के सम्बन्ध में भट्टम जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसके बारे में मैं उनसे

कहना चाहता हूं कि हमारी जैसी आर्थिक नीतियां संसार में कहीं नहीं हैं। प्रस्ताव समर्थन करने लायक नहीं है लेकिन विचार-विमर्श करने लायक अवश्य है । हम इनमें कहां तक सफल हुए हैं और आगे क्या सुधार करना है पर विचार-विमर्श करना चाहिए ।

इस देश की आर्थिक नीतियों का निर्माण पंडित जवाहर लाल नेहरू जी के नेतृत्व में हुआ इस देश के महान निर्माताओं के नेतृत्व में यह नीतियां बनी थीं । उन्होंने खूब सोच-समझ कर इन नीतियों को बनाया । इस सब के बाद हमारे देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था बनी और बाद में समाजवादी नीतियों को उसमें शामिल किया गया । यही कारण है कि आज हमें उसके अच्छे नतीजे देखने को मिल रहे हैं । आज हमारा देश जिस स्टेज पर है उससे आप जान सकते हैं कि हमने कितनी तरक्की इस देश में की है । हम 1952 में जितना उत्पादन अनाज का करते थे उससे तिगुना उत्पादन आज कर रहे हैं । कपड़े का उत्पादन भी तिगुना बढ़ा है । इसी प्रकार से बहुत से उद्योग जो इस देश में दिखायी नहीं देते थे उनकी भी स्थापना हुई है । लोहे के मामले में, बिजली के मामले में, मशीनों के मामले में और युद्ध के हथियारों के मामले हम बहुत आगे बढ़े हैं और शक्तिशाली हुए हैं । पंडित जी ने जो नीतियां बनायी थीं उन नीतियों में हमको सफलता मिली है ।

अभी हाल ही में अमरीका के जे० गलब्रेथ भारत आये थे । उन्होंने तीसरी दुनिया के देशों का दौरा किया था । भारत में आने के पश्चात उन्होंने घोषणा की कि भारत ने कृषि के क्षेत्र में अभूतपूर्व तरक्की की है । 1966-68 में हमारे पास खाने को अनाज नहीं था मगर हमारी कृषि संबंधी नीतियों के कारण हमारे खाद्यान्नों के भंडार भरे पड़े हैं, हमारे गोदाम भरे पड़े है, हम खाद्यान्नों का निर्यात कर सकते हैं । इन्दिरा जी ने कहा था कि अगले 10 वर्षों के अन्दर भारतवर्ष दुनिया के अन्दर बहुत बड़ी औद्योगिक शक्ति बन जाएगा । हमारे एक बड़े राजनेता ने कहा था कि हमारी आर्थिक नीतियां बहुत उत्तम हैं और उनका कार्यान्वियन भी हुआ है । यही कारण है कि हमने औद्योगिक क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, मशीनों के क्षेत्र में और इलेक्ट्रानिक उद्योग में बहुत तरक्की की है । पहले हम जो चीजें अपने यहां नहीं बनाते थे उनको भी हमने बनाना शुरू कर दिया है ।

अभी हमारे एक मित्र ने भी कहा कि तीसरी दुनिया के देशों में से भारत ने औद्योगिक क्षेत्र में, कृषि में और कई अन्य प्रकार के क्षेत्रों में इतनी अभूतपूर्व तरक्की की है कि उसकी आशा भी नहीं की जा सकती थी । यह सब नीतियों के कारण हुआ । इसीलिए नीतियों की आलोचना नहीं की जा सकती है : नीतियां बहुत उत्तम रही हैं और नीतियों पर अमल भी हुआ है । देश बहुत आगे बढ़ा है । हां, कुछ बातों पर हमें गौर करना है । औद्योगिक क्षेत्र में हमने विकास किया । कुल मिलाकर देश का विकास हुआ । राष्ट्रीय आय बढ़ी । फिर भी क्षेत्रीय असन्तुलन कायम रहा । रीजनल इम्बैलेंसेज बने रहे बहुत से राज्य और बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जो बहुत पिछड़े हैं । क्षेत्रीय असतुलन बढ़ गया है ···व्यवधान··· हां, कई राज्य और कई राज्यों के कई क्षेत्र जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान ये सारे प्रदेश आर्थिक रूप से पिछड़े हो गए । पूर्वोत्तर राज्य जो था, पहले बहुत बड़ा प्रदेश था असम, वह पिछड़ गया । फिर सबको मिलाकर अलग अलग बनाया गया, अब वह भी पिछड़ हुए हैं । उनके विकास की ओर ध्यान दिया जा रहा है । उसी तरह से जो बड़े राज्य है उनमें बहुत से क्षेत्र पिछड़े हुए हैं । यह जो पिछड़ापन है उसका परिणाम कभी

कभी बड़ा भयानक होता है। जो क्षेत्रीय विकास का असन्तुलन है उसको न मिटाने से कभी कभी अलगाववाद की प्रवृत्तियां पैदा होती हैं।

अब देखें पिछड़ेपन का क्या नतीजा रहा बंगाल में? सारा बंगाल आगे बढ़ा है किंतु उत्तरी बंगाल पिछड़ा है। गोरखा लोगों के विकास की तरफ ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए गोरखालेंड की आवाज उठ गई। गोरखालेंड की आवाज क्यों उठी? वह कोई देश के शत्रु नहीं हैं। किन्तु उस इलाके के पिछड़ेपन के कारण यह आवाज उठी।··· (व्यवधान) बिहार में झारखंड की आवाज उठी, उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड की आवाज उठ रही है, पूर्वी उत्तर प्रदेश को आवाज उठ रही है, बुन्देलखंड की आवाज उठ रही है। क्यों उठ रही है? इसीलिए कि उत्तराखंड पिछड़ा है, पूर्वी उत्तर प्रदेश पिछड़ा है, झारखंड इलाका पिछड़ा है, बुन्देलखंड पिछड़ा है, मध्य प्रदेश के बहुत से आदिवासी इलाके पिछड़े हैं जैसे बस्तर इत्यादि जिले हैं। तो जहां पिछड़ापन है उनको विकसित करना बहुत आवश्यक है। समस्त देश का कुल मिलाकर विकास हुआ मगर देश के अन्दर कुछ पाकेट्स कुछ इलाके पिछड़े रहेंगे तो वहां के लोगों मन में निराशा की भावना, अलगाववाद की, सेपरेशन को प्रवृत्ति पैदा होगी। इसलिए मेरी मांग है, इस प्रस्ताव के माध्यम से मैं अपना विचार व्यक्त करता हूं कि देश में जो पिछड़े राज्य हैं और पिछड़े इलाके हैं उनका आर्थिक विकास करने के लिग कदम उठाया जाय।

इसी तरह से पिछड़े लोग भी हैं। दो तरह का पिछड़ापन है। एक तो असन्तुलन है पिछड़े क्षेत्रों का, दूसरा पिछड़े लोगों का। कुछ राज्यों का विकास हुआ, सारे देश का विकास हुआ, लेकिन उस राज्य में सारे देश में वर्ग-विशेष हैं, आदिवासी हैं हरिजन हैं, गिरिजन हैं, ये लोग पिछड़े हुए हैं। इनके विकास का कार्यक्रम इंदिरा जी ने चलाया। इंदिरा जी ने कुछ ऐसे कार्यक्रम चलाए जो शुद्ध रूप से गरीब लोगों के लिए; हरिजनों के लिए आदिवासियों के लिए, गिरिजनों के लिए और पिछड़े हुए लोगों के लिए थे जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, जैसे आइ आर डी पी का कार्यक्रम या और दूसरे कार्यक्रम चलाए। इंदिरा जी का ध्यान गया कि जो लोग पिछड़े हैं, सारे देश का विकास तो हो रहा है लेकिन विकास का लाभ जब देश के बहुत बड़े वर्ग को नहीं मिला तो उनमें असंतोष बढ़ सकता है और किसी दिन एक बहुत बड़ा वर्ग मस्तक उठाकर खड़ा हो सकता है, इसलिए इंदिराजी ने फौरन उस पर ध्यान दिया और गरीब लोगों के लिए कार्यक्रम चलाए, गिरिजन के लिए, हरिजन के लिए और आदिवासियों के लिए ये सारे कार्यक्रम 0 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत चले··· (व्यवधान) ···हरिजन, गिरिजन और आदिवासी तो महाजन-महाजनो येन गतः स पन्था। तो ये सारे कार्यक्रम चलाए इंदिरा जी ने और उन पर अमल हुआ है। किन्तु मैंने एक प्रश्न किया था, प्रधानमंत्री जी मोजूद थे, ये जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में उनका क्या हाल है? मैं निवेदन कर रहा हू कि आज एक बहुत बड़ा वर्ग विकास का लाभ नहीं पा सका। विकास तो हुआ देश का, देश बहुत शक्तिशाली देश बना लेकिन एक वर्ग लाभ नहीं पा सका। उससे असन्तोष फैल सकता है। इसलिए इंदिरा जी का ध्यान उस तरफ, गया और उन्होंने 20 सूत्री कार्यक्रम बनाया। लेकिन अब उन कार्यक्रमों पर अमल में कहीं कहीं दोष है, कहीं कहीं कमियां हैं। हमने उस दिन कहा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी निवारण का जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें इतनी एजेंसीज लगा दी गई हैं और वह सभी गड़बड़

कर रही हैं, पैसे का दुरुपयोग कर रही है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इन कार्यक्रमों के अमल के तरीकों में आपको सुधार लाना पड़ेगा। राजीव जी ने अरबों रुपया ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए, और गरीबी निवारण के लिए बजट में एलाट कर दिए हैं लेकिन यह पैसा यहां से तो चलता है परन्तु उन लोगों तक पहुंच नहीं पाता है। जैसे गंगाजी को भगीरथ गंगोत्री से लाये थे तो वहां से चलकर वह शंकर जी की जटा में समा गई थी और उनको फिर तपस्या करनी पड़ी थी उसके उपरान्त ही गंगाजी का शंकर जी की जटा से धरती पर पदार्पण हो सका था। उसी प्रकार यहां दिल्ली से गरीबों के लिए जो पैसा चलता है वह शंकर जी की जटा में समा जाता है, गरीबों तक नहीं पहुंच पाता है। जो हमारे पास ब्यूरोक्रेसी है वही काम करती है, उसके अलावा कोई दूसरा यंत्र भी हमारे पास नहीं है। इन कार्यक्रमों को अमल में लाने का काम इन अधिकारियों और कर्मचारियों ने कुछ तो अच्छा भी किया है हालांकि उसमें कुछ खराब लोग भी भरे हुए हैं जोकि इस काम में बड़ा जाल-बट्टा करते हैं, खास तौर से नीचे के लोग। हमारे प्रधान मंत्री जी जो भी धनराशि गांवों में भेजते हैं, मेरा आपके द्वारा सरकार से अनुरोध है कि उसका सदुपयोग होना चाहिए। इस बात की ओर ध्यान देना नितान्त आवश्यक है। जैसा कि अभी मेरे मित्र ने कहा था कि शहरों की अपेक्षा देहातों में संख्या ज्यादा है, पिछड़ापन ज्यादा है, गरीबी ज्यादा है इसलिए इस तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए और देश में जो भी विकास के कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं उनको ठीक प्रकार अमल में लाया जाये।

यहां पर पब्लिक सेक्टर की बात भी कही गई है। भट्टम जी ने सार्वजनिक क्षेत्र की शिकायत भी की है लेकिन हम समझते है सार्वजनिक क्षेत्र ही इस देश के विकास की कुंजी है। सार्वजनिक क्षेत्र मे ही लोहा पैदा होता है, बिजली पैदा होती है, तरह तरह की मशीनें बनाई जाती हैं, एलेक्ट्रानिक्स के सामान बनाये जाते हैं। जैसा कि श्री मनोज पांडे जी बोल रहे थे, इस देश के और विशेषकर गांवों के विकास के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचा क्या है? वह ढांचा है—लोहा, बिजली, पानी, मशीनें और कोयला इत्यादि। लोहा कैसे ज्यादा पैदा हुआ? बिजली और बड़ी बड़ी मशीनें कैसे ज्यादा तैयार हुई? इन सारी चीजों को हमारे पब्लिक सेक्टर ने ही बनाया। इस प्रकार से पब्लिक सेक्टर ही हमारे देश के विकास के लिए बुनियादी आधार है। यह बात भी सही है कि भारत सरकार के अन्तर्गत जो पब्लिक अंडरटेकिंग्ज हैं वे तो कुछ अच्छा काम कर रही हैं लेकिन राज्यों के अन्तर्गत जो निगम या सार्वजनिक संस्थान हैं उनकी दशा बहुत खराब है। उनकी दशा में सुधार लाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है।

इसके साथ साथ मेरा निवेदन है कि इस देश की अर्थ-व्यवस्था को ठीक करने के लिए तीन काम करने बहुत आवश्यक हैं। हमारे प्रधान मंत्री जी ने यहां पर जो बजट पेश किया उसमें घाटा है लेकिन किसी भी विकासशील देश की अर्थ-व्यवस्था में घाटे के बजट ही आया करते हैं, मुनाफे के नहीं। इसलिए घाटे का होना कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन हमारी सरकार को यह जरूर देखना पड़ेगा कि मुद्रास्फीति न बढ़े और देश की अर्थ व्यवस्था में कोई जटिलता न आवे। इस सम्बन्ध में सरकार को सावधानी रखनी पड़ेगी। जैसा मैंने कहा, हमारे देश की एकोनामी के लिए तीन बातें बहुत आवश्यक है। पहली बात तो यह है कि बेकार का जो खर्चा होता है उसको रोका जाये। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूंगा कि आज अगर कोई बंधा बनना है

वह बनता तो है एक करोड़ में लेकिन उसके लिए एस्टिमेट पौने दो करोड़ का बनाया जाता है। इस प्रकार से 75 लाख का खर्चा जो होता है वह व्यर्थ जाता है। इस आपको रोकना चाहिए। साथ ही हम जिसको नान-प्लान एक्सपेंडीचर कहते हैं उसमें भी सरकार को कमी करनी पड़ेगी। तो मेरे तीन सुझाव है। वैसे इस देश की अर्थ-नीति बहुत अच्छी है और देश मे तरक्की भी की है तथा हम आगे भी तरक्की करेंगे इसमें कोई सन्देह नहीं है। हमारे प्रधान मंत्री जी की कल्पना के अनुसार इस देश को वे दुनिया के अत्यन्त विकासशील देशों के समकक्ष लाकर खड़ा करेंगे। वे बड़े संघर्षशील नौजवान हैं, वे अवश्य इस बात को करके रहेंगे। जनता की भावनायें उनके साथ हैं और जनता उनके साथ हैं, इस में कोई सन्देह नहीं है। इस देश की अर्थ व्यवस्था को ठीक करने के लिए मैं तीन सुझाव देना चाहता हूं, जो बहुत ही आवश्यक सुझाव है। एक—अनावश्यक खर्चों में कमी की जाए। कमी सख्ती से की जाए और उसमें रियायत न बरती जाए। दो—इस देश के पब्लिक सैक्टर के जो उद्योग हैं, उनको मुनाफा कमाना पड़ेगा। हमने मिश्रित अर्थ व्यवस्था को स्वीकार किया है, इसलिए हम पब्लिक सैक्टर के समर्थक हैं। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने इस नीति को बनाया था। हम इस देश की अर्थ व्यवस्था पर नियन्त्रण चाहते हैं, जनता का नियन्त्रण चाहते हैं, लेकिन घाटे जब तक चलेंगे, तब तक चलेंगे, फिर भी मुनाफा कमाना पड़ेगा। चाहे आप इस के प्रबन्ध को ठीक कीजिए, सख्ती कीजिए, अच्छे लोगों को नियुक्त कीजिए, चाहे जो कीजिए, सार्वजनिक उपक्रमों को मुनाफा कमाना पड़ेगा। तीन—अरबों रुपया टैक्स के रूप में बड़े-बड़े पूंजीपतियों के यहां बकाया पड़ा हुआ है। इसको आपको सख्ती से वसूल करना पड़ेगा। दुनिया के किसी भी अर्थ शास्त्री से इसका जिक्र कीजिए, चाहे फिकी के अध्यक्ष हो और चाहे नामी-पालिकी वाला जी हो, चाहे समाजवादी अर्थ व्यवस्था के जानकार हों, किसी से भी पूछिए, इस देश की इकोनोमी को मजबूत करने के लिए घाटे को कम करने के लिए इन तीन तरीकों के अलावा कोई चौथा तरीका नहीं है। पूंजीपतियों के यहां टैक्स के रूप में अरबों रुपया पड़ा हुआ है, उसको वसूल कीजिए। खर्चों में कमी करके पब्लिक सैक्टर के जो उद्योग है, वे घाटे में न चले आमदनी दें। वैसे तो देश की अर्थ व्यवस्था को ठीक करने के लिए अधिक से अधिक उत्पादन होना चाहिए। इसके साथ-साथ छापे चालू रहने चाहियें। छापे बन्द करेंगे तो बड़े-बड़े मगरमच्छ देश को छाप देंगे। इसलिए देश की अर्थ व्यवस्था को मजबूत करने के लिए काले धन पर काबू पाना होगा। उसमें कमी आई है। हमारे प्रधान मंत्री जी की नीति ऐसी है कि इधर काले धन की अर्थ व्यवस्था में कमी आई है। इसमें कोई सन्देह नहीं है। लेकिन हमें इसमें और आगे बढ़ना होगा। जब तक काले धन पर नियन्त्रण नहीं होगा, तब तक हमारी अर्थ व्यवस्था का शुद्धिकरण नहीं होगा। यदि मैं इस विषय पर बोलूं तो शाम के छः बजा सकता हूं, लेकिन इस विषय पर और भी सदस्यों को बोलना है।

इसलिए मैं आपको धन्यवाद देते हुए, अपना भाषण समाप्त करता हूं लेकिन प्रस्ताव रखने वाले को इसलिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने देश की अर्थ व्यवस्था पर चर्चा करने का अवसर प्रदान किया। देश का यह सर्वोच्च सदन है, लोकतंत्र का मंदिर है। इस लोकतंत्र के मंदिर में जब देश के बारे में चर्चा होती है, तो परिणाम निकलता है और उन्होंने आत्म निरीक्षण करने का मौका दिया है। इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं और आपको पुनः धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

*श्री ए०सी० षण्मुख (वेल्लोर) : माननीय सभापति महोदय, श्री भट्टम श्रीराममूर्ति द्वारा सभा के समक्ष रखे गये सकल्प पर अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने के लिए सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

महान विद्वान, श्री सी० एन० अन्नादुराई ने अपनी एक अद्वितीय साहित्यिक अभिव्यक्ति में कहा था कि सही आर्थिक नीति "अमीरों से लेना तथा गरीबों को देना" होनी चाहिए। विश्व के अनेक समतावादी समाज की चिर काल से अमीरों पर कर लगाने की तथा निर्धनों का भार कम करने की नीति रही है। इस समय हमें अपनी स्वर्गीया प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की राष्ट्रीय सेवाओं की स्मृति ही आती है। उन्होंने अर्थ व्यवस्था को सही दिशा दी थी। उनके बीस सूत्री कार्यक्रम का अभी भी पालन किया जाना चाहिए।

इसी प्रकार, मैं आशा करता हूं कि माननीय प्रधान मन्त्री, श्री राजीव गांधी द्वारा प्रस्तुत किये गये बजट से एक नये युग का सूत्रपात होगा।

देश की अर्थव्यवस्था शिक्षा की नींव पर निर्मित होती है। शिक्षा के लिए अधिक निधि का नियतन करना होगा। हमारे देश में कम से कम 80 प्रतिशत व्यक्ति शिक्षित होने चाहिए। हमें आर्थिक मोर्चे पर तभी सफलता मिल सकती है।

बेरोजगारी की गंभीर समस्या बनी हुई है। लगभग 50 प्रतिशत व्यक्ति निर्धनता की रेखा से नीचे जीवन-यापन करते हैं। निर्धन तथा शोषित वर्ग के शीघ्र उत्थान के लिए नये कार्यक्रम और योजनायें तैयार करनी चाहिए।

हमारे देश के गांवों के आत्मनिर्भर बनने पर ही वास्तविक आर्थिक विकास हुआ माना जायेगा। इसलिए, सरकार से मेरा अनुरोध है कि ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर ध्यान दिया जाये। औद्योगिक और आर्थिक क्रान्ति गांवों में होनी चाहिए। इस कार्य में सरकार को प्रमुख भूमिका निभानी चाहिए।

सरकार से मेरा यह भी अनुरोध है कि सातवीं पंच वर्षीय योजना में गैर-योजना व्ययों पर पाबंदी लगाई जाये। हमें बेरोजगारी से लड़ना होगा। बेरोजगार स्नातकों को रोजगार देने अथवा अपना स्वयं का उद्यम आरम्भ करने के लिए हर संभव सहायता दी जानी चाहिए। उसे जगह-जगह भटकना पड़ता है। बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए उसे दो वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। ऋण के लिए गारन्टी देने के लिए उसे अपनी सम्पत्ति गिरवी रखनी पड़ती है। जब तक उसे सुविधा मिल पाती है, तब तक वह थक जाता है और इसीलिए स्वरोजगार योजना एक असफल योजना बन गई है। सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए।

इस वर्ष 5687 करोड़ का घाटा हुआ है। इस घाटे को पूरा करने के लिए गरीबों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। सरकार को चाहिए कि किसी अन्य तरीके से इस घाटे को पूरा करे। वास्तव में बिना कमियों का कोई बजट बन ही नहीं सकता। सांसदों के रूप में हम कमियों पर चर्चा करते है और किसी समाधान पर पहुंचते हैं।

* तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

भारत में 24 राज्य हैं। जब राज्य प्रशासन पृथक-पृथक हैं तो शक्ति केन्द्र के पास केन्द्रित क्यों होनी चाहिए। शक्ति का केन्द्र के पास केन्द्रित होने से केन्द्र सरकार पर बोझ बढ़ता है और इसलिए तीव्र विकास में व्यवधान पडता है। रवैया यह होना चाहिए कि शक्ति का अधिकाधिक विकेन्द्रीकरण होना चाहिए। शिक्षा, वन, मतस्यपालन और राज्य के अन्य क्षेत्रों को समवर्ती सूची में रखा गया है। इस देश के आर्थिक विकास पर उल्टा प्रभाव पड़ता है। केन्द्र के पास इस समय जो शक्ति उपलब्ध उसी से केन्द्र को कुशलता पूर्वक कार्य करना चाहिए। उसे राज्य अथवा समवर्ती सूची से अधिक से अधिक शक्ति नहीं छीननी चाहिए।

मैं कृषकों की कठिनाइयों पर अवश्य ही प्रकाश डालूंगा। किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं मिलता है और उन्हें अपनी कड़ी मेहनत का लाभ नहीं मिलता है। देश भर में किसान आन्दोलन कर रहे हैं। उनकी दयनीय स्थिति को सुधारने के लिए हम सभी को कदम उठाना चाहिए। सरकार द्वारा जो रियायतें और राज सहायता दी जाती है, वह निर्धन व्यक्तियों तथा जरूरत मंद किसानों तक नहीं पहुंच पाती हैं अपितु बिचोलियों द्वारा हड़प ली जाती हैं। माननीय मंत्री महोदय, कृपया इस पर ध्यान देना चाहिए।

इस देश में लगभग 10,000 रुग्ण मिल हैं। इन मिलों में लगभग ,000 करोड़ रुपया फंसा हुआ है। इससे हमारा औद्योगिक विकास अवरुद्ध होता है। इन मिलों को फिर से चालू करने के लिए कोई सामाजिक योजना बनाई जानी चाहिए।

अनेक बड़ी औद्योगिक इकाईयां लम्बे अर्से से बन्द हैं। करोड़ों लोग बेरोजगार हैं। सरकार को समुचित उपचारात्मक उपाय करने चाहिए।

सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों के कार्यनिष्पादन पर सरकार को गंभीरतापूर्वक ध्यान देना चाहिए। लगभग 70 से 80 प्रतिशत सरकारी कंपनियां नुकसान में चल रही हैं। चूंकि सरकार ने इन कम्पनियों पर जनता का करोड़ों रुपया निवेश किया है इसलिए इन कम्पनियों के घाटे की जांच करने के लिए एक आयोग नियुक्त किया जाना चाहिए। कोयला, इस्पात और लौह अयस्क क्षेत्र की अनेक कम्पनियां गत 30 से 40 वर्ष से घाटे में चल रही हैं।

भारत में कोयले के खनन में 10 प्रतिशत पत्थर निकलता है। इस संबंध में आज भी एक केन्द्रिय दल मद्रास का दौरा कर रहा है। कोयले में राख की मात्रा भी बहुत अधिक है। इसके अलावा, महोदय, करोड़ों रुपये का कोयला खान में ही जल जाता है। सरकार को हर साल होने वाले 200 से 300 करोड़ रुपये के घाटे को रोकना चाहिए। यहां तक उठाने में देरी हो जाने के कारण यार्ड में एकत्र किया गया कोयला भी जलाना पड़ता है। सरकार को इस घाटे को रोकना चाहिए।

अनेक सरकारी क्षेत्र की कंपनियों में अध्यक्षों के पद रिक्त पड़े हैं। सरकार उन्हें तुरन्त भरें। इन कम्पनियों की प्रबन्ध सम्बन्धी कमियों की देख रेख करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की जाये। इसके अलावा इन कम्पनियों का काम सम्हालने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाये और भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों की नियुक्त करने की प्रथा धीरे-धीरे समाप्त की जाए।

वास्तव में, 'भेल' जैसी कम्पनियां लाभ कमा रही हैं। तथापि उनका व्यापार बायलरों आदि के निर्माण जैसे एकाधिकार क्षेत्र में है। किन्तु इतने से ही सतुष्ट होने का कोई कारण नहीं है।

हमें अपना निर्यात बढ़ाना चाहिए तथा आयात कम करना चाहिए। इस संबंध में मैं इस देश में लोहे के निर्यात और आयात से सबद्ध विरोधाभासी स्थिति का उल्लेख करना चाहूंगा। हम अपने लोहू अयस्क का लगभग 90% भाग विदेशों को .00 से 200 रु० प्रति टन की दर से निर्यात करते हैं। इसके साथ ही हम लोहे का तैयार माल 8000 रुपए प्रति टन की दर से आयात करते हैं। हमने लोहू अयस्क का निर्यात कम करके भारत में ही तैयार माल अधिक पैदा करने की चेष्टा करनी चाहिए। हमें केवल तैयार माल ही निर्यात करना चाहिए। हमें कच्चे माल निर्यात बंद करना चाहिए। विदेशों को गैर परिष्कृत और अर्द्ध परिष्कृत चमड़े का निर्यात करके ही इस बात का अनुमान हो जाता है कि हमें कितना घाटा हो रहा है। यदि हम चमड़े के तैयार माल का निर्यात करें तो हम पर्याप्त विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकते हैं।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड एक सफेद हाथी है। यह सरकार तथा जनता का करोड़ों रुपया निगल रहा है और इसका घाटा बढ़ता आ रहा है। सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिये तथा इसका उत्पादन बढ़ाकर इसका लाभ बढ़ाना चाहिये।

जो नये उद्योग स्थापित करते हैं, उन्हें पानी, बिजली आदि जैसी सभी बुनियादी सुविधायें अविलम्ब मुहैया कराई जानी चाहिये। इस काम में देरी करने से उद्यमी अपना निवेश अन्य कामों में करेंगे और इससे उत्पादन पर बुरा असर पड़ेगा।

नियन्त्रण समाप्त करने के सरकार के प्रयास की मैं सराहना करता हूं। 25 प्रमुख उद्योगों और 82 फार्मास्युटिकल मदों पर से लायसेंस से समाप्त कर दिया गया है। तथापि इन उद्योगों को औद्योगिक स्वीकृति लेनी होती है जिसमें अधिक समय नहीं लगता है। इस समय हमने उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा दिया है जिसके परिणाम स्वरूप अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित होगी। नियंत्रण और अफसरशाही निश्चय ही समाप्त की जानी चाहिये।

विदेश के अनेक देशों में दूर संचार जैसे महत्वपूर्ण उद्योग गैर सरकारी क्षेत्र में हैं। हमारे यहां 0 प्रतिशत उद्योग सरकारी क्षेत्र में हैं किन्तु वे व्यर्थ हैं और उनमें घाटा हो रहा हैं। इसलिये हमारी नीति उन्हें अधिकाधिक रूप से गैर-सरकारी क्षेत्र में देने की होनी चाहिये।

हाल ही में सरकार ने किसी कम्पनी की एम०आर०टी०पी० कम्पनी मानने के लिये पूंजी सीमा 20 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये करने का निश्चय किया है। यह स्वागत करने योग्य निर्णय है। इस स्थिति में यह उल्लिखित करना चाहूंगा कि जितना अधिक नियन्त्रण समाप्त किया जायेगा, उत्पादन उतना ही बढ़ेगा।

उद्योग-विहीन जिलों के बारे में सरकार को अपनी धारणा बदलनी होगी। 80 वर्ग मील से लेकर 200 वर्ग मील क्षेत्र का जिला एक बड़ा जिला होता है। इतना बड़ा क्षेत्र होने के कारण कोई भी जिला ऐसा नहीं हो सकता है जहां एक भी उद्योग न हो। इसलिये, धारणा अब उद्योग-विहीन तालुक की होनी चाहिये और योजना में तदनुसार ही परिवर्तन किया जाना चाहिये।

कर राजस्व में 20% की वृद्धि हुई है। इसलिये मैं, कर संबंधी छापों का स्वागत करता हूं। इसके साथ ही निर्दोष व्यक्तियों को परेशान न किया जाये।

वैज्ञानिकों तथा इन्जीनियरों की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये। उन्हें प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये और उनका आदर किया जाना चाहिये। नोबल प्रतिष्ठा पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति डा० चन्द्रशेखर सुब्रामणियम भारत में पैदा हुए थे किन्तु उन्होंने अमरीका में अनुसंधान किया तथा प्रसिद्धि प्राप्त की। अपने देश में उद्योगों के विकास के लिये, हमें प्रतिभा पलायन को रोकना होगा।

रक्षा सम्बन्धी उपस्करों का आयात भी रोकना होगा। रक्षा तंत्र के सभी क्षेत्रों में स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

सभी प्रकार के उद्योगों के विकास के लिए बिजली एक मौलिक सुविधा होती है। हमें मेकानिकल और अन्य पन विद्युत परियोजना से उपलब्ध होने वाली पन बिजली का उपयोग करना चाहिए।

पूरे देश में सूखे की स्थिति का समाधान करने के लिए सभी नदियों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। वर्तमान खाद्य उत्पादन पूरा नहीं हो पाया है। आबादी तो ज्यामिति के समान बढ़ रही है और इसलिए खाद्य मोर्चों का सामना करने के लिए हमें पहले से ही कदम उठाना होगा।

अनेक राज्यों में परिवार नियोजन कार्यक्रम ढंग से कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। सरकार को इस योजना से संबद्ध विभिन्न कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए सभी राज्यों को मार्ग-निर्देश जारी कर देने चाहिए जिससे हमारी पीढ़ी को कठिनाई का सामना न करना पड़े। निष्ठा पूर्वक परिवार नियोजन संबंधी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में असफल होने का परिणाम यह निकलेगा कि आबादी का विस्फोट होगा और हम प्रगति के पथ की ओर अग्रसर नहीं हो पायेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री चिंतामणि जेना (बालासोर) : मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि दिन के अन्त में आपने मुझसे बोलने को कहा है। मुझे अपनी ही भाषा में ही बोलने की अनुमति दीजिए। इसके लिये मैंने सूचना दे दी थी। मैं उड़िया मे बोलूंगा।

*सभापति महोदय, इस संकल्प पर मुझे बोलने की अनुमति प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हू। किन्तु इस सभा के लिए 4-5 मिनट का समय शेष रह गया है। इसलिए मुझे अगले दिन भी बोलने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय, मैं अपनी मातृ-भाषा उड़िया में बोलना चाहूंगा। इस संकल्प को श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति ने प्रस्तुत किया है। मैं यह कहना चाहूंगा कि उन्होंने इस संकल्प को सही समय पर नहीं रखा है। विशेष रूप से ऐसी स्थिति में जबकि देश कृषि और उद्योग के क्षेत्र में सर्वोन्मुख प्रगति कर रहा है, यह कहना उचित नहीं है कि देश की अर्थ व्यवस्था संकट में है। मेरे विचार से उन्होंने सरकार की आलोचना करने के लिए यह संकल्प रखा है। संभवतः विरोध के लिए वह विरोध करना चाहते हैं। यदि उनका यही इरादा है, तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। किन्तु मैं उनसे

*मूलतः उड़िया में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

यही अनुरोध करूंगा कि वह सभी क्षेत्रों में प्रगति करने के लिए सरकार द्वारा किये गये प्रयासों की समीक्षा करें उन्हें इस बात पर विचार करना चाहिए श्रीराजीव गांधी के नेतृत्व में वर्त्तमान सरकार अपने देश की अर्थ-व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर कितना जोर दे रही है। देश को 21वीं शताब्दी में ले जाने के लिए श्री राजीव गांधी हर संभव उपाय कर रहे हैं। अपने भाषण में मैं इसकी सत्यता को प्रमाणित करूगा। इसलिए श्री राममूर्ति को इन सभी तथ्यों का अहसास करना चाहिए।

महोदय, अपना संकल्प प्रस्तुत करते हुए श्री राममूर्ति ने देश की वर्त्तमान आर्थिक स्थिति के लिए 20 बड़े औद्योगिक घरानों की आलोचना की है और साथ ही सरकार की भी आलोचना की है। किन्तु वास्तविकता यह है कि हमारे वर्त्तमान प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी तथा हमारी भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इन बड़े घरानों के धन का उपयोग करके इस देश की अर्थ व्यवस्था को सुधारने के लिए अनेक कदम उठाये हैं। हमारी सरकार ने विशेष कर उन उद्योगपतियों और बड़े व्यापारियों के खिलाफ जमाखोरी और मुनाफाखोरी के लिए कार्यवाही की है जिन्होंने कालाधन जमा कर रखा है और आयकर तथा सम्पत्ति कर जमा नहीं किया है। समय समय पर ऐसे लोगों के घरों पर छापा मारा जाता है। इन साधनों से एकत्र किये गये धन का उपयोग देश के विकास के लिए करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं। कालाधन रोकने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाये हैं। श्री श्रीराममूर्ति को इन तथ्यों का पता है।

महोदय, श्री राममूर्ति ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में हो रहे घाटे के प्रति चिन्ता व्यक्त की है। इसके लिए भी इन्होंने सरकार को ही दोषी ठहराया है। श्री राजीव गांधी को सत्ता में आये दो वर्ष हुए हैं। उन्होंने जब प्रधान मंत्री पद ग्रहण किया था तब उन्होंने दो बहुत ही महत्वपूर्ण मामलों के साथ-साथ अनेक महत्वपूर्ण मामलों के बारे में घोषणा की थी। पहली यह है कि शिक्षा नीति में परिवर्तन करने की आवश्यकता है और दूसरा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को, जो घाटे में चलते रहे हैं, कुशलतापूर्वक चलाना। संकल्प प्रस्तुत करने वाले माननीय सदस्य इन घोषणाओं को अवश्य ही भूल गये होंगे। अपनी घोषणा को निष्ठापूर्वक कार्यान्वित करने के लिए श्री गांधी ने 'सरकारी उपक्रम' नाम का एक पृथक विभाग खोल दिया है और उस मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार एक युवा मंत्री श्री के० के० तिवारी को दिया गया है। उससे आप हमारे प्रधान मंत्री की सत्यनिष्ठा का अनुमान लगा सकते हैं। प्रधान मंत्री ने हाल ही में कहा है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम जबावदेह होंगे। हमारी सरकार के सच्चे प्रयास के कारण सरकारी क्षेत्र के अनेक उपक्रमों का गत दो वर्ष से लाभ हुआ है। इन इकाईयों में उत्पादन बढ़ गया है। सरकारी क्षेत्र के अनेक उपक्रमों का आधुनीकिकरण करने तथा उनका विस्तार करने के लिए कदम उठाए गए हैं। इसलिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का आधुनीकिकरण उत्तरोत्तर हो रहा है। सरकारी क्षेत्र की इकाइयों की क्षमता बढ़ाने के लिए आपकी सरकार को धन्यवाद देना चाहिए। मैं राजीव गांधी को यह सुनिश्चित करने के लिए कारगर कदम उठाने के लिए बधाई देता हूं कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम घाटे में जाए और वे कुशतापूर्वक कार्य करते रहें जिससे वे लाभ अर्जित कर सकें।

सभापति महोदय : श्री जेना आप अगली बार आप भाषण जारी रखें।

श्री चिन्तामणि जेना : धन्यवाद, महोदय।

6.00 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 23 मार्च, 1987/2 चैत्र, 1909 (शक)
के 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

ए० जे० प्रिंटर्स, 5 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002